एडिटोरियल

(संग्रह)

अप्रैल 2025

C-171/2, Block-A, Sector-15, Noida

641, Mukherjee Nagar, Opp. Signature View Apartment, New Delhi

21, Pusa Road, Karol Bagh New Delhi

Tashkent Marg, Civil Lines, Prayagraj, Uttar Pradesh

Tonk Road, Vasundhra Colony, Jaipur, Rajasthan

Burlington Arcade Mall, Burlington Chauraha, Vidhan Sabha Marg, Lucknow

12, Main AB Road, Bhawar Kuan, Indore, Madhya Pradesh

E-mail : care@groupdrishti.in

Phone: +91-87501-87501

अनुक्रम

- न्यायिक स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व 3
- भारत-चीन संबंधों की जटिलता और भविष्य 9
- भारत में अनौपचारिक क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता 15
- बैक्टीरिया: प्लास्टिक प्रदूषण का प्राकृतिक समाधान 20
- भारत की सर्विस सेक्टर अर्थव्यवस्था का भविष्य 26
- BIMSTEC के माध्यम से क्षेत्रवाद की पुनर्जीविता 32
- सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल की चुनौतियाँ और समाधान 37
- व्यापार अनिश्चितता के दौरान कृषि-विपणन में सुधार 44
- भारत की पड़ोस नीति पर पुनर्विचार की आवश्यकता 50
- भारत के विकास में महिलाओं की भूमिका 57
- भारत के स्टार्टअप विकास को आकार देना 63
- विकासशील अंतरिक्ष शस्त्रीकरण के युग में भारत 67
- लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता 73
- भारतीय शिक्षा प्रणाली का पुनर्निर्देशन 79
- भारतीय जनजातियों के लिये भविष्य सुरक्षित करना 86
- भारत का परमाणु ऊर्जा रोडमैप 92
- लोकतांत्रिक व्यवस्था में संवैधानिक शक्तियों का संतुलन 98
- भारत-चीन संबंधों की बदलती दिशा एवं विकास 103
- विकास इंजन के रूप में भारतीय शहर 107
- भारत की आर्कटिक नीति: ध्रुवीय कूटनीति में उभरती शक्ति 113
- आतंकवाद और भारत का सुरक्षा परिदृश्य 118
- वैश्विक अनिश्चितताओं के मध्य भारत की आर्थिक संवृद्धि 123
- खाद्य पदार्थों में अपमिश्रण पर कार्रवाई की आवश्यकता 127
- भारत की जल-क्षमता का पुनर्निर्माण 132
- नवीकरणीय ऊर्जा अंगीकरण में गति की आवश्यकता 137
- भारत की औद्योगिक क्षमता को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता 142
- अभ्यास प्रश्न 150

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 — SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस — SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स — SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप — SCAN ME

नोट :

न्यायिक स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व

यह एडिटोरियल 31/03/2025 को इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित "Upendra Baxi writes: What does justice mean in Justice Varma case" पर आधारित है। लेख में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि हाल ही में हुई न्यायिक जाँच ने उच्चतर न्यायपालिका के भीतर स्वतंत्रता और जवाबदेही के बीच संतुलन पर नए सिरे से विवाद को जन्म दिया है।

आंतरिक अखंडता और संस्थागत पारदर्शिता पर चिंताओं के बीच भारतीय न्यायपालिका को नए सिरे से जाँच का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में हुई एक जाँच ने न्यायिक स्वतंत्रता और जवाबदेही के बीच जटिल अंतर्संबंध के साथ व्यापक सार्वजनिक जुड़ाव को प्रेरित किया है। इस संदर्भ में, **प्रक्रियागत अस्पष्टता और केस बैकलॉग से लेकर समावेशी सुधारों की तत्काल आवश्यकता** तक, लंबे समय से चली आ रही चुनौतियाँ फिर से उभरी हैं, जिससे संवैधानिक लोकतंत्र में न्यायपालिका की विश्वसनीयता एवं प्रभावशीलता को किस प्रकार सुदृढ़ किया जाए, इस पर विचार-विमर्श करने की आवश्यकता है।

भारतीय संविधान में न्यायिक स्वतंत्रता और जवाबदेही क्या सुनिश्चित करती है?

- **न्यायपालिका एक पृथक् अंग के रूप में:** संविधान में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के पृथक्करण **का प्रावधान** है।

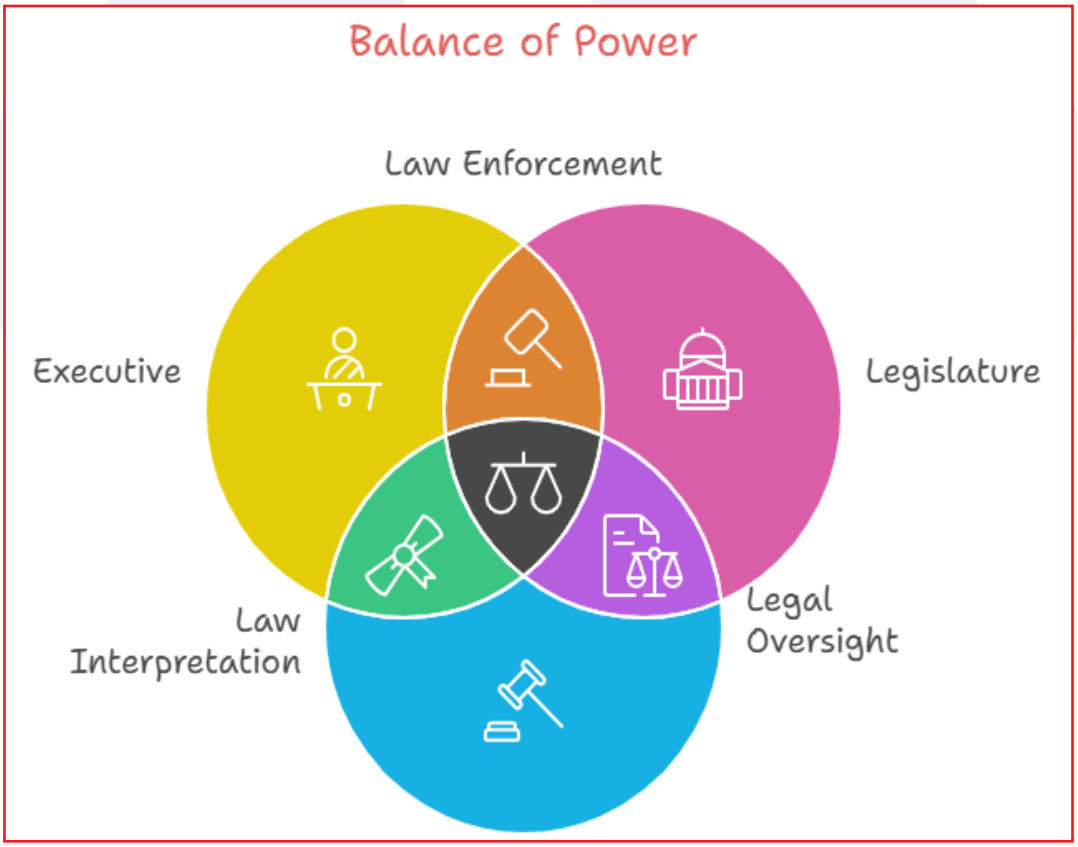

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- इससे **कार्यात्मक स्वायत्तता** सुनिश्चित होती है तथा शासन के **तीनों अंगों के बीच अनुचित प्रभाव को रोका जाता** है।

- **कार्यकाल की सुरक्षा:** सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को क्रमश: **अनुच्छेद 124 और 217 के अंतर्गत कार्यकाल की सुरक्षा** प्राप्त है।
  - यह न्यायाधीशों को **मनमाने ढंग से बर्खास्तगी से बचाता** है और **निष्पक्ष निर्णय लेने को बढ़ावा** देता है।
- **निश्चित सेवा शर्तें: अनुच्छेद 125 और अनुच्छेद 221** सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के **न्यायाधीशों के वेतन और सेवा शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं** सुनिश्चित करते हैं, जिससे स्वतंत्रता की रक्षा होती है।
  - **सर्वोच्च न्यायालय के सभी व्यय** भारत की संचित निधि पर डाले जाते हैं, जो इसकी वित्तीय स्वायत्तता को कार्यकारी नियंत्रण से सुरक्षित रखता है।
  - उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के **वेतन और व्यय राज्य की समेकित निधि से वहन** किये जाते हैं।
    - हालाँकि उनकी **पेंशन भारत की संचित निधि से ली जाती है,** जिससे उन पर मतदान नहीं हो सकता, लेकिन चर्चा हो सकती है।
- **केवल महाभियोग द्वारा हटाया जाना:** अनुच्छेद 124(4) और 217(1)(b) **केवल संसदीय** महाभियोग **द्वारा हटाए जाने की अनुमति** देते हैं, कार्यकारी इच्छा द्वारा नहीं।
  - यह उच्च सीमा **न्यायिक अखंडता** को बनाए रखती है तथा **राजनीतिक रूप से प्रेरित कार्यों से सुरक्षा** प्रदान करती है।
- **न्यायिक समीक्षा की शक्ति: अनुच्छेद 32 और 226 के तहत,** न्यायालयों को अधिकारों की रक्षा और संविधान को बनाए रखने के लिये न्यायिक समीक्षा **शक्तियाँ प्राप्त** हैं।
  - यह न्यायालयों को मौलिक अधिकारों और **संवैधानिक सर्वोच्चता के संरक्षक** के रूप में **कार्य करने का अधिकार** देता है।
- **विधानमंडल में कोई चर्चा नहीं:** अनुच्छेद 121 संसद **को महाभियोग कार्यवाही** के अलावा **न्यायिक आचरण पर चर्चा** करने से प्रतिबंधित करता है।
  - यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि न्यायाधीश विधायी दबावों से अछूते रहें।
- **अवमानना शक्तियाँ: अनुच्छेद 129 और 215** न्यायालयों को अवमानना हेतु दंड की शक्ति प्रदान करते हैं तथा उनके प्राधिकार का अनुपालन सुनिश्चित करते हैं।
  - इससे न्यायिक निर्णयों की गरिमा और प्रवर्तनीयता को बनाए रखने में मदद मिलती है।
- **सेवानिवृत्ति के बाद प्रतिबंध: अनुच्छेद 124(7)** सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को **किसी भी अदालत में दलील देने से रोकता** है, जिससे भविष्य में टकराव से बचा जा सके।
  - इसका उद्देश्य संभावित हितों के टकराव को खत्म करना तथा सेवानिवृत्ति के बाद नैतिक आचरण को बढ़ावा देना है।
- **कॉलेजियम प्रणाली का विकास:** यद्यपि संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन नियुक्तियों के लिये न्यायिक व्याख्या के माध्यम से **कॉलेजियम प्रणाली का उदय** हुआ।
  - **नियुक्ति स्वायत्तता** की रक्षा के लिये सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख निर्णयों के माध्यम से इसे **संस्थागत रूप** दिया गया।
- **जवाबदेही के लिये आंतरिक तंत्र:** सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों और प्रस्तावों ने न्यायिक आचरण की जाँच के लिये **आंतरिक प्रक्रियाएँ** तैयार की हैं।
  - इन तंत्रों का उद्देश्य आंतरिक अनुशासन बनाए रखना और नैतिक मानकों को कायम रखना है।
- **मूल संरचना सिद्धांत:** न्यायपालिका ने माना है कि **न्यायपालिका की स्वतंत्रता** संविधान की मूल संरचना **का हिस्सा** है।
  - इस प्रकार, इस सिद्धांत को कमज़ोर करने वाले किसी भी कानून को असंवैधानिक करार दिया जा सकता है।
- **आचार संहिता:** यद्यपि यह संवैधानिक नहीं है, लेकिन न्यायिक जीवन के मूल्यों की पुनर्स्थापना न्यायाधीशों के आचरण और नैतिक दायित्वों का मार्गदर्शन करता है।
  - यह व्यक्तिगत और व्यावसायिक आचरण में **न्यायिक औचित्य एवं पारदर्शिता** के मानकों को बढ़ावा देता है।
- **निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार:** अनुच्छेद 21 न्यायिक प्रक्रियाओं में जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार **का सम्मान** सुनिश्चित करता है, तथा उचित प्रक्रिया एवं निष्पक्षता को कायम रखता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

वर्तमान में भारतीय न्यायपालिका के सामने प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

- **न्यायिक नियुक्तियों में चुनौतियाँ:** भारत में न्यायिक नियुक्तियाँ **अस्पष्टता, विलंब और वंशवाद के मुद्दों का सामना** करती हैं, कॉलेजियम प्रणाली **में पारदर्शिता** तथा **स्पष्ट मानदंडों का अभाव** है।
  - राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) को समाप्त करने से एक अधिक जवाबदेह तंत्र अवरुद्ध हो गया।
  - यद्यपि '**अंकल जज सिंड्रोम**' पक्षपात को उजागर करता है, जिससे न्यायिक उन्नयन में **योग्यता और जनता का विश्वास कमज़ोर** होता है।
- **लंबित मामलों की संख्या:** फरवरी 2025 तक भारत न्यायिक संकट का सामना कर रहा है, अकेले **सर्वोच्च न्यायालय में 80,982** मामले लंबित हैं।
  - इस लंबित मामले के कारण **समाधान में देरी** होती है और **जनता का विश्वास समाप्त** होता है, जिससे यह कहावत पुष्ट होती है कि **न्याय में विलंब न्याय से इनकार** करने के समान है।
- **विभिन्न स्तरों पर विलंब:** भारत में, **औसत मामले को निपटाने में 3 से 5 वर्ष का समय** लगता है, तथा कुछ मामले दशकों तक खिंच जाते हैं।
  - लंबे समय तक मुकदमेबाज़ी करने से वादियों पर आर्थिक और भावनात्मक रूप से बोझ पड़ता है।
- **न्यायिक रिक्तियाँ बनी हुई हैं:** नवंबर 2024 में, सरकार ने राज्यसभा को सूचित किया कि निचली अदालतों से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक सभी स्तरों पर 5,600 से अधिक न्यायिक रिक्तियाँ मौजूद हैं।
  - इन रिक्तियों से न्यायालय की उत्पादकता बुरी तरह प्रभावित होती है तथा लंबित मुकदमों की संख्या बढ़ जाती है।
- **बुनियादी अवसंरचना और प्रौद्योगिकी अंतराल:** विधि और न्याय मंत्रालय की एक हालिया रिपोर्ट ने ज़िला न्यायालयों में प्रमुख बुनियादी अवसंरचना के अंतराल को उजागर किया है, जो न्याय के कुशल वितरण में बाधा डाल रहा है।
  - रिपोर्ट में पाया गया कि **केवल 45% न्यायिक अधिकारियों** के पास इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले सुविधाएँ थीं तथा **20% के पास अभी भी इनस्टॉलेशन की प्रतीक्षा** है, जो **ज़िला न्यायालयों में निम्न स्तरीय बुनियादी अवसंरचना** को उजागर करता है।
  - इससे न्यायपालिका की परिचालन क्षमता में बाधा उत्पन्न होती है, विशेषकर दूरदराज़ के क्षेत्रों में।
- **विविधता का अभाव:** सर्वोच्च न्यायालय में **महिला न्यायाधीशों की संख्या केवल 9.3%** तथा **उच्च न्यायालय में महिला न्यायाधीशों की संख्या केवल 13.4%** है, जो असंतुलन को दर्शाता है।
  - लैंगिक असमानता महिला-केंद्रित और लिंग-आधारित मुद्दों पर निर्णय लेने में संवेदनशीलता को प्रभावित करती है।
  - इसके अलावा, **सीमांत समुदायों का प्रतिनिधित्व बहुत कम** है, जिससे विश्वास एवं न्याय की धारणा प्रभावित होती है।
    - अल्प प्रतिनिधित्व समावेशिता एवं लोकतांत्रिक वैधता को कम करता है।
- **न्यायिक अतिक्रमण** से तात्पर्य न्यायालयों द्वारा कार्यपालिका या विधायी कार्यों में हस्तक्षेप करके अपने अधिदेश का न्यायिक अतिक्रमण करना है।
  - जैसा कि अनूप बरनवाल मामले में देखा गया, जहाँ अदालत ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियों के लिये नियम बनाए।
    - इस तरह के हस्तक्षेप **न्यायिक शक्तियों की सीमाओं पर सवाल** उठाते हैं।
- **कार्यपालिका का हस्तक्षेप:** न्यायमूर्ति मुरलीधर के स्थानांतरण जैसे मामले **न्यायिक मामलों में कार्यपालिका के प्रभाव के संदर्भ में चिंता** उत्पन्न करते हैं।
  - बिना किसी स्पष्टीकरण के बार-बार स्थानांतरण से अटकलों और अविश्वास को बढ़ावा मिलता है।
- **भ्रष्टाचार के आरोप:** न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के आरोपों ने राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया है, जिसमें एक न्यायाधीश के आवास से नकदी की कथित बरामदगी से जुड़ा मामला भी शामिल है, जिसके कारण सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **आंतरिक जाँच**/इन-हाउस इन्क्वायरी की गई।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- एक अन्य मामले में **अनियमित भूमि आवंटन के आरोप उच्च न्यायालय के एक वर्तमान न्यायाधीश से जुड़े** थे।
- **विचाराधीन कैदियों की अधिक जनसंख्या:** जेल सांख्यिकी भारत रिपोर्ट- 2022 के अनुसार, **75.8% कैदी विचाराधीन** हैं, जो दर्शाता है कि किस प्रकार **सीमांत और गरीबों के लिये न्याय में असमान रूप से विलंब** होता है।
- **न्यायिक अभिगम में बाधाएँ:** मुकदमेबाज़ी की **उच्च लागत, भाषा संबंधी समस्याएँ** और **कानूनी जटिलताएँ** न्यायिक सहायता तक समावेशी पहुँच को रोकती हैं।
  - अनेक नागरिक **कानूनी प्रणाली के बारे में अनभिज्ञ** रहते हैं या **उसे समझने में असमर्थ** रहते हैं।
- **कानूनी सहायता का कम उपयोग:** भारत की 80% से अधिक जनसंख्या के पात्र होने के बावजूद, वर्ष 1995 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) की स्थापना के बाद से **केवल 15 मिलियन लोगों ने कानूनी सहायता का लाभ उठाया** है, जो इसके महत्त्वपूर्ण रूप से कम उपयोग को उजागर करता है।
  - **कानूनी सहायता के बारे में जागरूकता और गुणवत्ता प्रमुख** चिंता का विषय बनी हुई है।

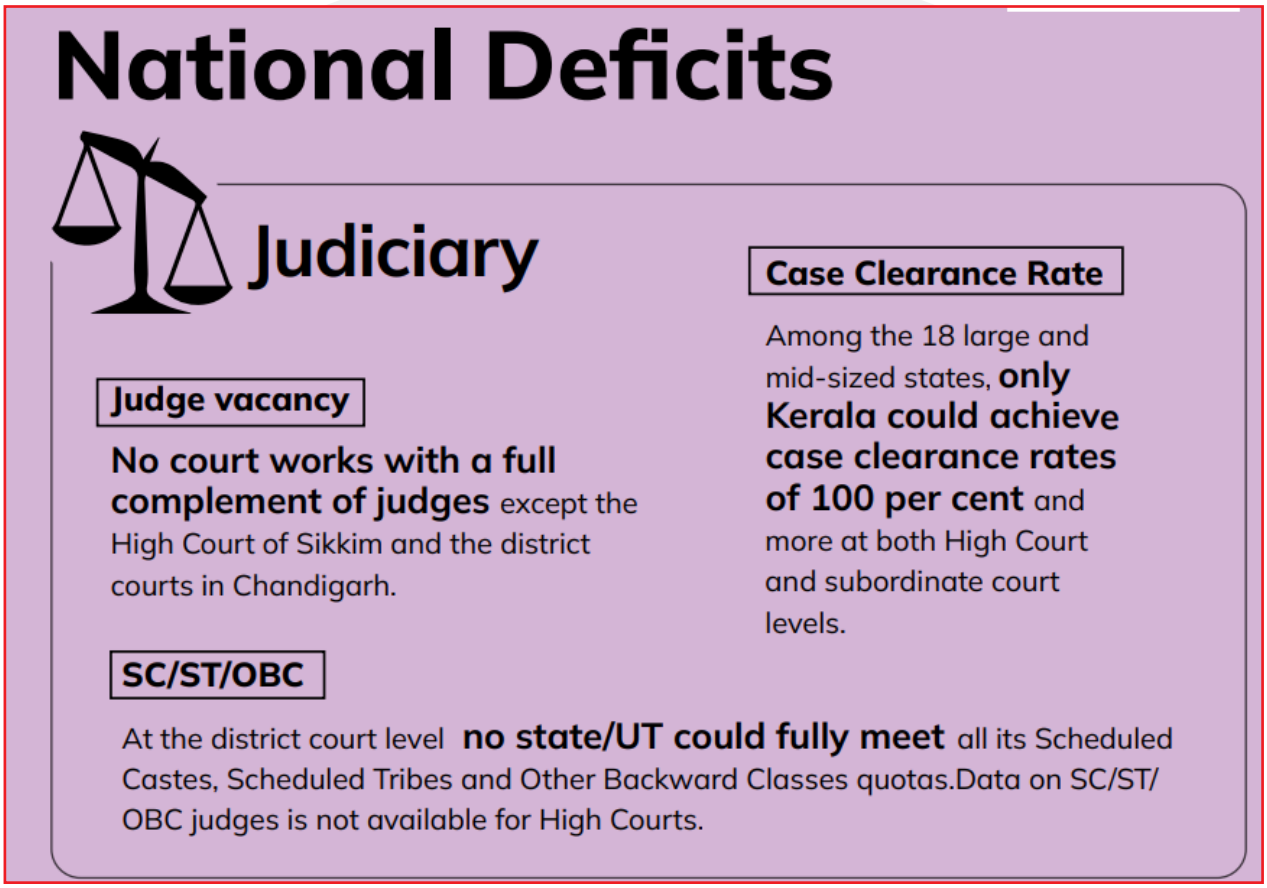

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

भारत में न्यायिक प्रणाली में सुधार के लिये क्या महत्त्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं?

- **न्याय प्रदान करने के लिये मिशन:** वर्ष 2011 में शुरू किये गए राष्ट्रीय न्याय वितरण और विधिक सुधार मिशन, का उद्देश्य **विलंब में कमी और प्रणालीगत जवाबदेही** है।

बंगलुरु न्यायिक आचार के सिद्धांत

- **स्वतंत्रता:** निष्पक्ष रूप से विधि का शासन बनाए रखने के लिये न्यायाधीशों को बाह्य प्रभाव से मुक्त रहना चाहिये।
- **निष्पक्षता:** सभी परिस्थितियों में बिना किसी पूर्वाग्रह या पक्षपात के निर्णय लिये जाने चाहिये।
- **सत्यनिष्ठा:** न्यायाधीशों को व्यक्तिगत और व्यावसायिक आचरण में उच्च नैतिक मानकों को बनाए रखना चाहिये।
- **औचित्य:** व्यवहार से न्यायपालिका की निष्पक्षता और निष्ठा में जनता का विश्वास उत्पन्न होना चाहिये।
- **समानता:** न्यायालयों के समक्ष सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिये।
- **योग्यता और परिश्रम:** न्यायाधीशों को अद्यतन रहना चाहिये और कुशलतापूर्वक एवं जिम्मेदारी से अपने कर्त्तव्यों का पालन करना चाहिये।

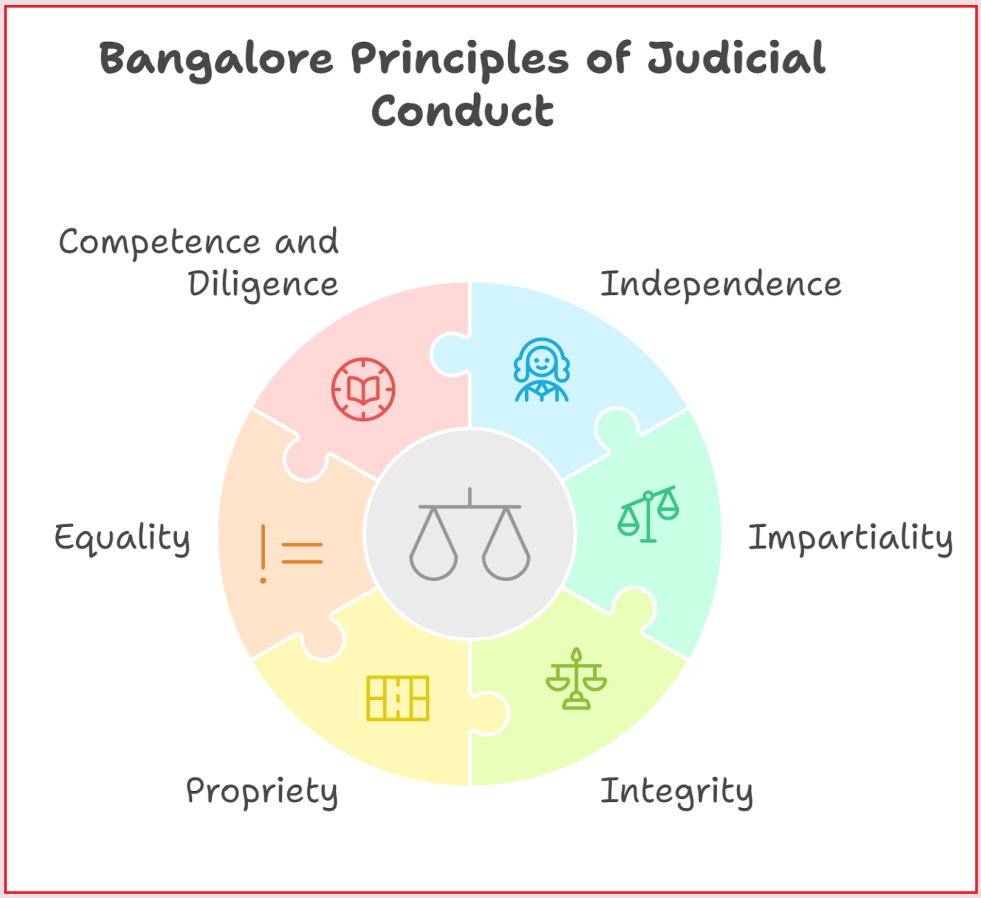

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **न्यायिक बुनियादी अवसंरचना को बढ़ावा:** केंद्र प्रायोजित योजना के माध्यम से, **न्यायालय भवनों और सुविधाओं के लिये 9,755 करोड़ रुपए** जारी किये गए हैं।
- **ई-कोर्ट परियोजना का विस्तार:** राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के तहत वर्ष 2007 में शुरू की गई ई-कोर्ट परियोजना का उद्देश्य **भारतीय न्यायपालिका को डिजिटल बनाना** है, जिसका **दूसरा चरण वर्ष 2023 में समाप्त होगा** और **तीसरा चरण 'अभिगम और समावेशन' पर केंद्रित** होगा।
  - दिसंबर 2024 तक, **WAN परियोजना के तहत, 99.5% न्यायालय** परिसरों को जोड़ दिया जाएगा, जिससे देश भर में 3,240 न्यायालयों और 1,272 जेलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग संभव हो जाएगी।
- **ई-सेवा केंद्रों का संचालन:** डिजिटल डिवाइड को समाप्त करने के लिये, **ज़िला न्यायालयों में 1,394** ई-सेवा केंद्र और **उच्च न्यायालयों में 36 ई-सेवा केंद्र वकीलों एवं वादियों को ई-कोर्ट सेवाएँ** प्रदान करते हैं, विशेष रूप से दूरदराज़ या कम संसाधन वाले क्षेत्रों में।
- **फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना:** जनवरी 2025 तक, **30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 404 विशिष्ट POCSO अदालतों** सहित **754** फास्ट ट्रैक विशेष अदालतें **कार्यरत** हैं, जिन्होंने **3.06 लाख से अधिक मामलों का निपटारा** किया है।
- **ADR तंत्र को मज़बूत किया गया:** मध्यस्थता अधिनियम, 2023 मध्यस्थता के माध्यम से मुकदमे-पूर्व विवाद समाधान के लिये एक कानूनी कार्यढाँचा प्रदान करता है।
  - तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत 2024 **में 1.14 करोड़ से अधिक मामलों का निपटारा** किया गया, जो अदालत में लंबित मामलों को कम करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
- **लैंगिक संवेदीकरण प्रशिक्षण: लिंग, जाति और दिव्यांगता पर अवचेतन पूर्वाग्रह को दूर करने के लिये न्यायपालिका के नेतृत्व में प्रशिक्षण** चल रहा है।
  - लैंगिक रूढ़िवादिता पर विवरण पुस्तिका न्यायाधीशों को पक्षपातपूर्ण भाषा से बचने और **लिंग-संवेदनशील न्यायिक तर्क को बढ़ावा** देने के लिये मार्गदर्शन करती है।

बेहतर कार्यकुशलता के लिये भारत की न्यायपालिका को किस प्रकार सुदृढ़ बनाया जा सकता है?

- **न्यायिक नियुक्तियों में सुधार और विविधता को बढ़ावा देना: न्यायिक नियुक्ति आयोग** की शुरुआत करके **कॉलेजियम प्रणाली में सुधार** किया जाना चाहिये, जिससे सामाजिक, क्षेत्रीय और लैंगिक आधार पर **पारदर्शिता, जवाबदेही एवं व्यापक प्रतिनिधित्व** सुनिश्चित हो सके।
  - अधीनस्थ स्तर पर **योग्यता आधारित, एकसमान भर्ती के लिये** अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (AIJS) का गठन शामिल किया जाना चाहिये।
- **रिक्तियों की भर्ती करना और कार्यनिष्पादन निगरानी को बढ़ाना: समयबद्ध नियुक्तियों को** अनिवार्य बनाया जाना चाहिये और सभी स्तरों पर **स्वीकृत न्यायिक शक्ति को बढ़ावा** दिया जाना चाहिये।
  - **निष्पादन मूल्यांकन प्रणालियाँ** लागू की जानी चाहिये जो न्यायिक स्वतंत्रता और समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निर्णय के बीच संतुलन स्थापित करें।
- **डिजिटल और भौतिक बुनियादी अवसंरचना को उन्नत करना: ई-कोर्ट और** FASTER सिस्टम **का** विस्तार किया जाना चाहिये तथा दक्षता बढ़ाने के लिये **AI-आधारित केस ट्रैकिंग में सुधार** किया जाना चाहिये।
  - इसके साथ ही, **सभी न्यायालय स्तरों पर आधुनिक न्यायालय कक्षों,** बुनियादी सुविधाओं और समर्पित सुविधाओं में निवेश किया जाना चाहिये।
- **वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) और कानूनी सहायता को सुदृढ़ करना:** न्यायिक भार को कम करने के लिये **मुकदमा-पूर्व मध्यस्थता, लोक अदालतों** और **जागरूकता अभियानों को** बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
  - **विधिक सहायता के अभिगम का** विस्तार किया जाना चाहिये, विशेष रूप से विचाराधीन कैदियों और सीमांत वादियों के लिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **विचाराधीन कैदियों और कमज़ोर समूहों के लिये समय पर न्याय सुनिश्चित करना: जमानत की सुनवाई को** प्राथमिकता दी जानी चाहिये, **फास्ट-ट्रैक तंत्र शुरू** किये जाने चाहिये और **वंचित कैदियों के लिये कानूनी सहायता** में सुधार किया जाना चाहिये, जो विचाराधीन आबादी का बड़ा हिस्सा हैं।
- **न्यायिक जवाबदेही और शिकायत निवारण में सुधार: आंतरिक न्यायिक जाँच तंत्र में सुधार** किया जाना चाहिये और कदाचार के आरोपों को पारदर्शी तरीके से निपटाने के लिये **स्वतंत्र न्यायिक शिकायत आयोग की स्थापना** की जानी चाहिये।
- **सतत् शिक्षा और करुणा प्रशिक्षण को संस्थागत बनाना:** वैश्विक मॉडलों के आधार पर **सिंगापुर के अनिवार्य सतत् व्यावसायिक विकास (CPD) मॉड्यूल** को लागू किया जाना चाहिये और जन-केंद्रित न्याय को बढ़ावा देने की दिशा में न्यायाधीशों के लिये **सहानुभूति एवं मानवाधिकार प्रशिक्षण आयोजित** किया जाना चाहिये।
- **पारदर्शिता और सार्वजनिक सहभागिता को बढ़ाना:** कार्यवाही की **लाइव-स्ट्रीमिंग को** प्रोत्साहित किया जाना चाहिये, **बहुभाषी निर्णय जारी** किया जाना चाहिये और लोक विश्वास एवं अभिगम हेतु **कानूनी साक्षरता कार्यक्रम शुरू** किया जाना चाहिये।

निष्कर्ष:

भारत में न्यायिक सुधार को प्रकरणीय आक्रोश से आगे बढ़कर गहरी जड़ें जमाए हुए **संरचनात्मक मुद्दों को हल करने पर ध्यान** केंद्रित करने की आवश्यकता है। **पारदर्शिता, समय पर न्याय और योग्यता आधारित नियुक्तियाँ सुनिश्चित करना** जनता के विश्वास एवं संवैधानिक मूल्यों दोनों को बनाए रखने के लिये महत्त्वपूर्ण है।

भारत-चीन संबंधों की जटिलता और भविष्य

यह एडिटोरियल 02/04/2025 को द हिंदू में प्रकाशित "China-India ties across the past and into the future" पर आधारित है। लेख में इस बात पर बल दिया गया है कि एक साझा ऐतिहासिक विरासत में निहित भारत-चीन संबंध विकसित रणनीतिक गतिशीलता पर आधारित हैं जिनका पिछले 75 वर्षों में सहयोग और विवाद का जटिल संतुलन को बना हुआ है।

राजनयिक संबंधों के **75 वर्ष** पूरे होने पर, भारत-चीन संबंध विश्व के सबसे महत्त्वपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों में से एक बन गए हैंजो जटिल, महत्त्वपूर्ण और सभ्यतागत गहराई में निहित हैं। **निरंतर रणनीतिक मतभेदों के बावजूद,** दोनों राष्ट्र **व्यापार, बहुपक्षवाद और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के माध्यम से जुड़े** हुए हैं। अपने दृष्टिकोण को दोहराते हुए, चीन ने **"एलीफैंट-ड्रैगन डुएट" का आह्वान** किया जो दोनों प्रमुख एशियाई राष्ट्रों के बीच **शांतिपूर्ण, सहकारी सह-अस्तित्व** के लिये एक प्रतीकात्मक आह्वान को दर्शाता है। उभरती शक्तियों के रूप में भारत और चीन को अब संवाद, आपसी सम्मान और रणनीतिक संतुलन के माध्यम से इस संबंध को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।

भारत और चीन के संबंध समय के साथ किस प्रकार विकसित हुए हैं?

- **कूटनीतिक आधार:** भारत और चीन ने वर्ष **1950 में राजनयिक संबंध** स्थापित किये, जिसकी नींव वर्ष 1954 के **पंचशील समझौते पर** रखी गयी।
  - इस समझौते में **शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और अहस्तक्षेप पर ज़ोर** दिया गया, जो उनके द्विपक्षीय संबंधों का आधार बन गया।
- **रणनीतिक नेतृत्व और उच्च-स्तरीय मार्गदर्शन:** दशकों से, नेतृत्व बैठकों ने महत्त्वपूर्ण चरणों के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को **रणनीतिक दिशा** प्रदान की है।
- BRICS कज़ान शिखर सम्मेलन- 2024 के अवसर पर भारत और चीन ने **आपसी सहयोग** में एक नए अध्याय का संकेत दिया।
  - **आर्थिक जुड़ाव और व्यापार साझेदारी:** चीन भारत का **सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना** हुआ है, जिसका द्विपक्षीय व्यापार सत्र 2023-24 में **118.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक** पहुँच गया।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- तनाव के बावजूद, भारत **दूरसंचार, एक्टिव फार्मास्युटिकल कॉम्पोनेन्ट्स (API)** और **इलेक्ट्रॉनिक घटकों का आयात जारी** रख रहा है, जिससे आर्थिक अंतरनिर्भरता मज़बूत हो रही है।
- यद्यपि **व्यापार संबंध विषम** हैं, फिर भी वे **विनिर्माण आपूर्ति श्रृंखलाओं और औद्योगिक इनपुट में गहन एकीकरण** को दर्शाते हैं।
- भारत लौह अयस्क, कार्बनिक रसायन और कच्चे माल का भी **निर्यात** करता है, जो **संसाधन-संचालित निर्यात संरचना का संकेत** देता है।

- **निवेश और आपूर्ति श्रृंखला संबंध:** भारत के यूनिकॉर्न पारिस्थितिकी तंत्र और उच्च तकनीक उद्योगों में **चीनी निवेश महत्त्वपूर्ण भूमिका** निभाता है।
- वर्ष 2020 में **18 भारतीय यूनिकॉर्न को चीन से 3.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश** प्राप्त हुआ, जो पूंजी संबंधों को दर्शाता है।
  - **सांस्कृतिक एवं सभ्यतागत समन्वय: ह्वेनसांग और मॉन्क बोधिधर्म** जैसे ऐतिहासिक व्यक्तित्व गहन सांस्कृतिक संबंधों एवं **साझा सभ्यतागत लोकाचार** के उदाहरण हैं।
    - अप्रैल 2025 में विश्वभारती विश्वविद्यालय **टैगोर की चीन यात्रा के 100 वर्ष** पूरे होने पर एक सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है।
    - संचालित **शैक्षिक सहयोग एवं भाषा शिक्षण कार्यक्रमों** ने सॉफ्ट पावर के आदान-प्रदान को और अधिक संस्थागत बना दिया है।
    - **आयुर्वेद, योग और भारतीय शास्त्रीय कलाओं** में चीन की रुचि बढ़ती सांस्कृतिक ग्रहणशीलता एवं पारस्परिक जिज्ञासा को दर्शाती है।
    - हाल ही में सीधी उड़ानों और वीज़ा सुविधा की बहाली के माध्यम से **लोगों के बीच संबंधों** को पुनर्जीवित किया गया है, जिससे **शैक्षिक और पर्यटन आदान-प्रदान को बढ़ावा** मिला है।
  - **रक्षा एवं सामरिक वार्ता: कोर कमांडर स्तर की नियमित बैठकें** तथा परामर्श एवं समन्वय के लिये कार्य तंत्र जारी है।
    - मार्च 2025 में आयोजित **भारत-चीन सीमा मामलों पर परामर्श एवं समन्वय हेतु 33वें कार्य तंत्र (WMCC) की बैठक** में भारत एवं चीन आगामी विशेष प्रतिनिधियों की बैठक की तैयारी करने तथा सीमा प्रबंधन उपायों को बढ़ाने पर सहमत हुए।
  - **बहुपक्षीय सहयोग: भारत और चीन BRICS, SCO, G20 एवं एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (AIIB)** जैसे **बहुपक्षीय मंचों में सक्रिय** रूप से शामिल हैं।
    - वर्ष 2024 में, दोनों राष्ट्रों ने **वैश्विक दक्षिण एकजुटता का समर्थन** किया और SCO कार्यढाँचे के भीतर बहुध्रुवीयता को बढ़ावा दिया।
  - **बुनियादी अवसंरचना और कनेक्टिविटी: भारत, PoK में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) पर संप्रभुता** संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए चीन की **बेल्ट एंड रोड पहल में शामिल नहीं** हुआ है।
    - भारत क्षेत्रीय संपर्क नेतृत्व को स्थापित करने के लिये **चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) और SAGAR रणनीति जैसे विकल्पों को बढ़ावा** देता है।
  - **जल सहयोग और हाइड्रोलॉजिकल डेटा साझाकरण:** चीन ने वर्ष 2024 के बाद की वार्ता में **ब्रह्मपुत्र और सतलुज नदियों** पर **हाइड्रोलॉजिकल डेटा साझा** करना **फिर से शुरू** कर दिया है।
    - **जल-संधि का न होना चिंता का विषय** बना हुआ है, लेकिन वर्तमान तंत्र पूर्व चेतावनी प्रणाली सुनिश्चित करता है।
- **सीमा प्रबंधन और विश्वास निर्माण: गोगरा, गलवान और पैंगोंग त्सो** में पारस्परिक सैन्य वापसी एवं **नो-पेट्रोल ज़ोन की स्थापना** का उद्देश्य स्थिरता लाना है।
  - देपसांग और डेमचोक में वर्ष 2024 में सफलता देखी गई, जो वर्ष 2020 के गतिरोध के बाद से प्रगति को दर्शाता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **सहयोग के अन्य क्षेत्र:** भारत और चीन G20 और BRICS के माध्यम से **जलवायु परिवर्तन कूटनीति, आपदा राहत और वैश्विक स्वास्थ्य प्रशासन में सहयोग** करते हैं।
  - **संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना, महामारी मोचन तंत्र** और **विकास वित्त में संयुक्त प्रयास** व्यापक रणनीतिक अभिसरण को दर्शाते हैं।
  - **चीन भारत की** अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) जैसी पहलों का समर्थन करता है तथा दोनों देशों की **ऊर्जा परिवर्तन में साझी हिस्सेदारी** है।
  - AIIB और न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) जैसी **बहुपक्षीय बैंकिंग संस्थाओं** में सहयोग उनकी **क्षेत्रीय नेतृत्वकारी भूमिका** को दर्शाता है।

भारत-चीन संबंधों में प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

- **लगातार सीमा विवाद:** 3,488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) **अभी भी अनिर्धारित** है तथा दोनों ओर से लगातार घुसपैठ एवं बुनियादी अवसंरचना का निर्माण होता रहता है।
  - चीन **अक्साई चीन के 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्ज़ा कर चुका है** और **अरुणाचल प्रदेश** के 90,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को **दक्षिण तिब्बत** होने का दावा करता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- भारत, सीमा पर चीन के **ड्यूल-यूज़ विलेज के निर्माण** को **क्षेत्रीय नियंत्रण को कम करने की रणनीति** (खुले संघर्ष के बिना, धीरे-धीरे, गुप्त रूप से क्षेत्र पर अतिक्रमण) के रूप में देखता है।
- **LAC क्षेत्रों पर पारस्परिक रूप से सहमत मानचित्रों** की अनुपस्थिति ने सत्यापन एवं गश्त समन्वय की चुनौतियों को बढ़ा दिया है।
- **देपसांग और चार्डिंग-निंगलुंग नाला** के शेष टकराव बिंदुओं पर अभी भी वार्ता चल रही है।

- **गलवान घटना और विश्वास की कमी:** गलवान संघर्ष-2020, जिसके परिणामस्वरूप 20 भारतीय सैनिक मारे गए, ने रणनीतिक दरार उत्पन्न कर दी।
  - कई बार मतभेद होने के बावजूद **विश्वास का स्तर कम** बना हुआ है, जिससे संबंधों को सामान्य बनाने में बाधा आ रही है।
- **आर्थिक असंतुलन और व्यापार घाटा:** चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा (2023-24) **में 85 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक** पहुँच गया, जो सत्र 2022-23 में 83.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।
  - API, इलेक्ट्रॉनिक्स और सौर पैनल जैसे **महत्त्वपूर्ण आयातों** में चीनी प्रभुत्व भारत के व्यापार लाभ को प्रभावित करता है।
  - यह संरचनात्मक असंतुलन भारत के **कम मूल्य वाले निर्यात बनाम उच्च मूल्य वाले चीनी आयात** को दर्शाता है, जिससे **निर्भरता बढ़ती है।**
  - मौजूदा FTA के तहत ASEAN **साझेदारों के माध्यम से चीन के मार्ग** बदलने से **भारत के डंपिंग विरोधी प्रयासों को प्रायः नुकसान** पहुँचता है।
- **पाकिस्तान के साथ सामरिक गठबंधन: चीन का CPEC** PoK से होकर गुजरता है, जो **भारतीय संप्रभुता का उल्लंघन** करता है और **चीन-पाकिस्तान सामरिक गठबंधन** को गहरा करता है।
  - पाकिस्तान के साथ चीन का **सैन्य और परमाणु सहयोग** भारत की सामरिक असुरक्षा को बढ़ाता है।

- **तकनीकी निर्भरता:** भारत के स्मार्टफोन बाज़ार पर **चीनी कंपनियों का प्रभुत्व** है, जिनकी **बाज़ार हिस्सेदारी लगभग 75%** है।
  - प्रतिबंधों के बावजूद, कई भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन **और दूरसंचार क्षेत्र चीनी तकनीक एवं बैटरियों पर निर्भर** हैं।
  - सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की भारत की आकांक्षाएँ **पारिस्थितिकी तंत्र की गहराई और तकनीकी विशेषज्ञता की कमी के कारण बाधित** हो रही हैं।
  - **डिजिटल हार्डवेयर आयात के लिये सुदृढ़ नियामक कार्यढाँचे का अभाव** महत्त्वपूर्ण बुनियादी अवसंरचना को व्यवधान के प्रति सुभेद्य बनाता है।
- **साइबर खतरे और डिजिटल सर्विलांस :** चीन से जुड़े **चामेलगैंग और अन्य खतरनाक साइबर तत्त्वों** ने भारत के स्वास्थ्य सेवा एवं पावर ग्रिड नेटवर्क को निशाना बनाया है।
  - भारत ने सुरक्षा चिंताओं के कारण **300 से अधिक चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध** लगा दिया और **हुआवेई जैसी फर्मों को 5G परीक्षणों से बाहर** रखा।
- **जल एवं पर्यावरण संबंधी चिंताएँ: ब्रह्मपुत्र और सतलुज** जैसी नदियों पर चीन का नियंत्रण **भारत की जल सुरक्षा के लिये खतरा** है।
  - मेडोग और पूर्ववर्ती जांगमू बाँध पर चीन की **वृहत बाँध योजनाओं में भारत के साथ परामर्श का अभाव** है।
- **समुद्री और क्षेत्रीय प्रभाव:** मेरीटाइम सिल्क रोड और **'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स'** रणनीति के तहत **श्रीलंका, मालदीव और म्याँमार** में चीन की उपस्थिति भारत के लिये चुनौती है।
- **वैश्विक मंच और कूटनीतिक अवरोध:** चीन लगातार भारत की परमाणु आपूर्तिकर्त्ता समूह (NSG) सदस्यता और **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में स्थायी सीट** के प्रयास को अवरुद्ध करता रहा है।
- यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध समितियों में **पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों को संरक्षण** प्रदान करता है, जिससे भारत की वैश्विक महत्त्वाकांक्षाएँ विफल हो जाती हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

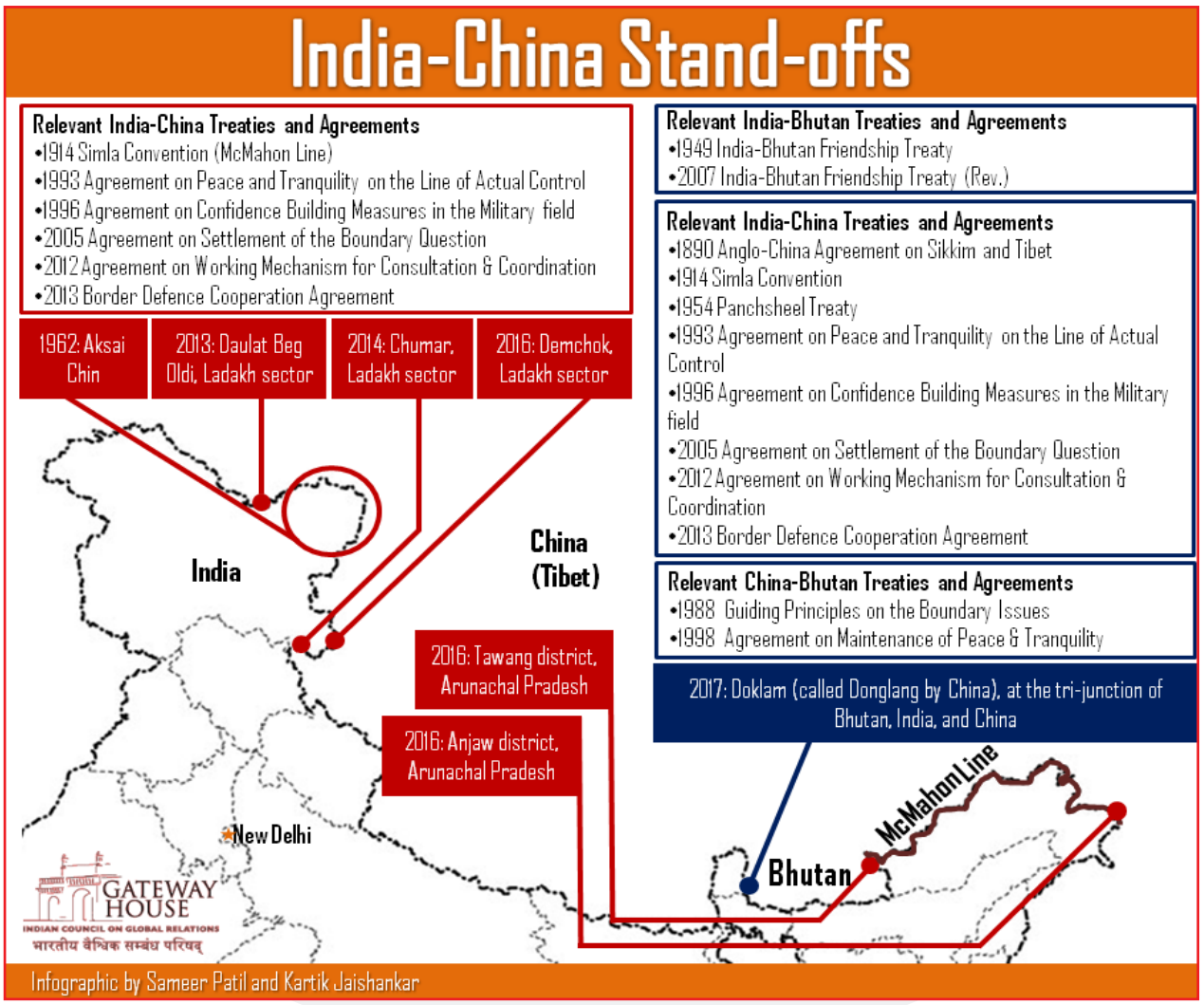

भारत-चीन संबंधों में नवीनतम घटनाक्रम क्या हैं?

- वर्ष **2025 में कूटनीतिक पुनर्स्थापन:** भारत और चीन ने कार्यक्रमों और द्विपक्षीय वार्ताओं के साथ **राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ** मनाई।
  - वर्ष 2024 के अंत में **देपसांग और डेमचोक सैन्य वापसी** पर **एक महत्त्वपूर्ण समझौता** हुआ।
- **वार्ता तंत्र की बहाली:** वर्ष 2025 में बीजिंग में 23 **वीं विशेष प्रतिनिधियों की बैठक** और **उप मंत्री-विदेश सचिव बैठक** आयोजित की गई।
  - भारत एवं चीन सीमा मुद्दों पर आम सहमति पर पहुँचे और **व्यावहारिक सहयोग बढ़ाने पर सहमत** हुए।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **उच्च स्तरीय संपर्क: अक्तूबर 2024** में BRICS कज़ान शिखर सम्मेलन के दौरान भारत के **प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात** हुई।
  - यह पाँच वर्षों में उनकी **पहली औपचारिक बैठक** थी, जो संबंधों को पुन: सुधारने के उद्देश्य का संकेत देती है।
- **जल विज्ञान संबंधी आँकड़े और तीर्थयात्रा: नदियों पर आँकड़े साझा** करने तथा वर्ष 2025 की गर्मियों तक कैलाश मानसरोवर यात्रा **पुन: शुरू करने पर सहमति** बनी।
  - ये कदम संकट के बाद विश्वास-निर्माण और आत्मविश्वास दृढ़ करने के उपायों का संकेत देते हैं।

भारत और चीन अपने द्विपक्षीय संबंधों को किस प्रकार मज़बूत कर सकते हैं?

- **रणनीतिक वार्ता को गहन बनाना:** दोनों पक्षों को शेष टकराव बिंदुओं को हल करने के लिये **SR-स्तर और WMCC वार्ता** के माध्यम से गति बनाए रखनी चाहिये।
  - जैसा कि भारत ने हाल ही में ज़ोर दिया था, वर्ष 2020 की घटनाएँ द्विपक्षीय मुद्दों को हल करने का तरीका नहीं हैं और आगे की राह LAC के साथ पूर्ण **विघटन, डी-एस्केलेशन और शांति स्थापना में निहित** है।
  - **SCO और BRICS मंचों** के माध्यम से सतत् सहभागिता बहुपक्षीय विश्वास और संघर्ष परिहार को सुदृढ़ करेगी।
- **आर्थिक अंतरनिर्भरता को संतुलित करना:** भारत को लाभकारी FDI प्रवाह को बनाए रखते हुए चाइना प्लस वन रणनीति के माध्यम से **आपूर्ति शृंखलाओं में विविधता** लानी चाहिये।
  - आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में **पश्चिम में भारतीय निर्यात को बढ़ावा देने के लिये चीनी निवेश का लाभ** उठाने का सुझाव दिया गया है।
- **सीमावर्ती बुनियादी अवसंरचना को मज़बूत करना:** चीनी तैनाती से संतुलन के लिये LAC के साथ **रणनीतिक सड़कों, ALG और निगरानी परिसंपत्तियों** के निर्माण में तेज़ी लाने की आवश्यकता है।
  - वर्ष 2024 में **31 प्रीडेटर ड्रोन की खरीद का उद्देश्य** पर्वतीय सामरिक पर्यवेक्षण क्षमता को बढ़ाना है।
- **समुद्री प्रतिरोध को बढ़ावा देना:** क्वाड सहयोग और सागरमाला पहल के माध्यम से हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की उपस्थिति को बढ़ाने की आवश्यकता है।
  - **अंडमान-निकोबार में हाल की तैनाती** और **ASEAN के साथ समन्वय** से चीन की नौसैनिक पहुँच का मुकाबला करने में मदद मिलेगी।
- **क्षेत्रीय विकास का नेतृत्व करना:** दक्षिण एशियाई परिधि में सद्भावना निर्माण के लिये PM-DevINE, BIMSTEC और **दक्षिण एशिया उप-क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (SASEC)** जैसी पहलों को मज़बूत करने की आवश्यकता है।
  - **नेपाल, भूटान और श्रीलंका** में नई बुनियादी अवसंरचनाएँ क्षेत्र में चीन की BRI पहल का मुकाबला करने में मदद करेंगी।
- **संकट प्रबंधन को संस्थागत बनाना:** भविष्य में होने वाली घटनाओं को शीघ्रता से रोकने के लिये **सैन्य कमांडों और राजनयिक चैनलों** के बीच हॉटलाइन विकसित करने की आवश्यकता है।
  - **LAC स्तर पर संकट शमन उपकरण** स्थापित करने के लिये संयुक्त प्रशिक्षण या सिमुलेशन प्रोटोकॉल की संभावना तलाशी जा सकती है।
- **प्रौद्योगिकी नीति का पुनर्मूल्यांकन: PLI और** डिजिटल इंडिया के तहत **सेमीकंडक्टर, API एवं सौर उपकरणों** में स्वदेशी क्षमता का निर्माण करने की आवश्यकता है।
- चीनी तकनीक पर निर्भरता कम करने के लिये IN-SPACe **और** भारत सेमीकंडक्टर मिशन **महत्त्वपूर्ण** हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **सामरिक स्वायत्तता विकसित करना:** चीन के साथ मूल हितों को बनाए रखते हुए, **गुटनिरपेक्ष सिद्धांतों** के साथ अमेरिका और क्वाड संबंधों को संतुलित करने की आवश्यकता है।
  - बहुध्रुवीय **एशिया को भारत की आवश्यकता** है जो **सभ्यतागत संतुलनकर्त्ता** के रूप में कार्य करे, न कि भू-राजनीतिक गुटों के भीतर एक प्रतिनिधि के रूप में।

निष्कर्ष

भारत और चीन अपनी कूटनीतिक यात्रा के अगले चरण में प्रवेश कर रहे हैं, **इसलिये निरंतर संवाद, रणनीतिक परिपक्वता एवं सहकारी बहुपक्षवाद** आवश्यक होगा। साझा हितों को वैश्विक जिम्मेदारियों के साथ जोड़कर, दोनों देश एक स्थिर, बहुध्रुवीय एशिया को आकार दे सकते हैं तथा अधिक न्यायसंगत अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में सार्थक योगदान दे सकते हैं।

भारत में अनौपचारिक क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता

यह एडिटोरियल 31/03/2025 को द हिंदू बिज़नेस लाइन में प्रकाशित "Extend the scope of formalisation in the informal sector" पर आधारित है। इस लेख में भारत के अनौपचारिक क्षेत्र, जो 93% कार्यबल को रोज़गार देता है, के प्रभुत्व तथा इसके हालिया विकास पर प्रकाश डाला गया है।

भारत का अनौपचारिक क्षेत्र **रोज़गार का आधार** बना हुआ है, जिसमें **असंगठित निजी उद्यमों के माध्यम से 93% कार्यबल** शामिल है। **असंगठित क्षेत्र के उद्यमों के हालिया वार्षिक सर्वेक्षण के आँकड़ों** से पता चलता है कि सत्र 2023-24 में **प्रभावशाली वृद्धि** होगी, जिसमें **प्रतिष्ठानों में 12.84% की वृद्धि,** कार्यबल में 10.01% की वृद्धि एवं GVA में 16.52% की वृद्धि होगी। भारत को अपनी **अर्थव्यवस्था के औपचारिकीकरण में तेज़ी** लाने, **सतत् विकास** सुनिश्चित करने तथा **लाखों श्रमिकों के लिये बेहतर सुरक्षा** सुनिश्चित करने के लिये इस संबंध में और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था के औपचारिकीकरण की वर्तमान स्थिति क्या है?

- अर्थव्यवस्था का औपचारिकीकरण **से तात्पर्य** अनौपचारिक आर्थिक गतिविधियों, उद्यमों और श्रमिकों को सरकार के नियामक कार्यढाँचे के अंतर्गत लाने की प्रक्रिया से है।
  - इसमें **कराधान**, श्रम कानून, **सामाजिक सुरक्षा लाभ और अन्य कानूनी प्रावधानों का अनुपालन** सुनिश्चित करना शामिल है।
  - हाल के वर्षों में भारत में विभिन्न क्षेत्रों में औपचारिकीकरण की दिशा में **क्रमिक लेकिन असमान प्रवृत्ति** देखी गई है।
- **औपचारिकीकरण के मैक्रोइकॉनोमिक संकेतक**
  - **GDP में औपचारिक हिस्सेदारी:** सिटी रिसर्च (वर्ष 2024) के अनुसार, भारत के GDP में औपचारिक क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़कर **56%** हो गई है, जो **पिछले चार दशकों में 25 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि** है, जो GST, डिजिटल भुगतान और कॉर्पोरेट विकास से उत्प्रेरित है।
  - **कर आधार का विस्तार:**
    - व्यक्तिगत करदाताओं की संख्या वर्ष 2013 में 51 मिलियन से बढ़कर **वर्ष 2022 में 90 मिलियन** हो जाएगी।
    - प्रतिवर्ष लगभग **4.4 मिलियन नये करदाता** जुड़ रहे हैं।
    - औपचारिक क्षेत्र के कर्मचारी काफी अधिक योगदान देते हैं— **शीर्ष 2% कर्मचारी कुल आयकर का 40% से अधिक का भुगतान** करते हैं।
- **श्रम बाज़ार का औपचारिकीकरण:**
  - **EPFO पंजीकरण:**
    - सितंबर 2017 से जुलाई 2024 के दौरान **6.91 करोड़** से अधिक सदस्य EPFO में शामिल हुए।
    - अकेले वित्त वर्ष 2022-23 में 1.38 करोड़ नए सदस्य जोड़े गए; **अकेले जुलाई 2024 में 20 लाख नए सदस्य** जुड़े।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- संगठित क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और युवाओं का प्रवेश, आधार के विस्तार का संकेत देते हैं।

- **विनिर्माण क्षेत्र में बदलाव:**
  - विनिर्माण क्षेत्र में औपचारिक रोज़गार वर्ष 2005 (47 मिलियन) से वर्ष 2019 (88 मिलियन) तक **लगभग दोगुना** हो गया।
  - **विनिर्माण GVA का लगभग 90%** अब औपचारिक है; हालाँकि, **विनिर्माण में लगभग 70% रोज़गार** अनौपचारिक (भारत KLEMS डेटा, 2018-19) बना हुआ है।
- **अनौपचारिक क्षेत्र अभी भी रोज़गार में हावी है:**
  - ASUSE 2023-24 के अनुसार, **अनौपचारिक गैर-कृषि क्षेत्र में लगभग 120 मिलियन श्रमिक कार्यरत** हैं, जिनमें से **केवल 0.3% ही** EPFO/ESIC के अंतर्गत आते हैं।
  - **प्रति उद्यम रोज़गार में गिरावट** आई है, जो क्षेत्रीय विकास के बावजूद विखंडन को दर्शाता है।

- **क्षेत्रीय अंतर्दृष्टि**

क्षेत्र	औपचारिकीकरण की प्रवृत्ति
उत्पादन	बड़ी कंपनियाँ अत्यधिक औपचारिक हो गई हैं; छोटी इकाइयाँ (लगभग 70% नौकरियाँ) अनौपचारिक बनी हुई हैं
निर्माण	कोविड के बाद इस क्षेत्र में स्वरोज़गार से नौकरियों में वृद्धि हुई है – अधिकतर अनौपचारिक
व्यापार और सेवाएँ	स्वयं-खाता उद्यमों का उच्च संकेंद्रण; सीमित औपचारिकता
डिजिटल और वित्तीय सेवाएँ	फिनटेक, GST, UPI और ई-इनवॉयसिंग के माध्यम से तीव्र औपचारिकीकरण

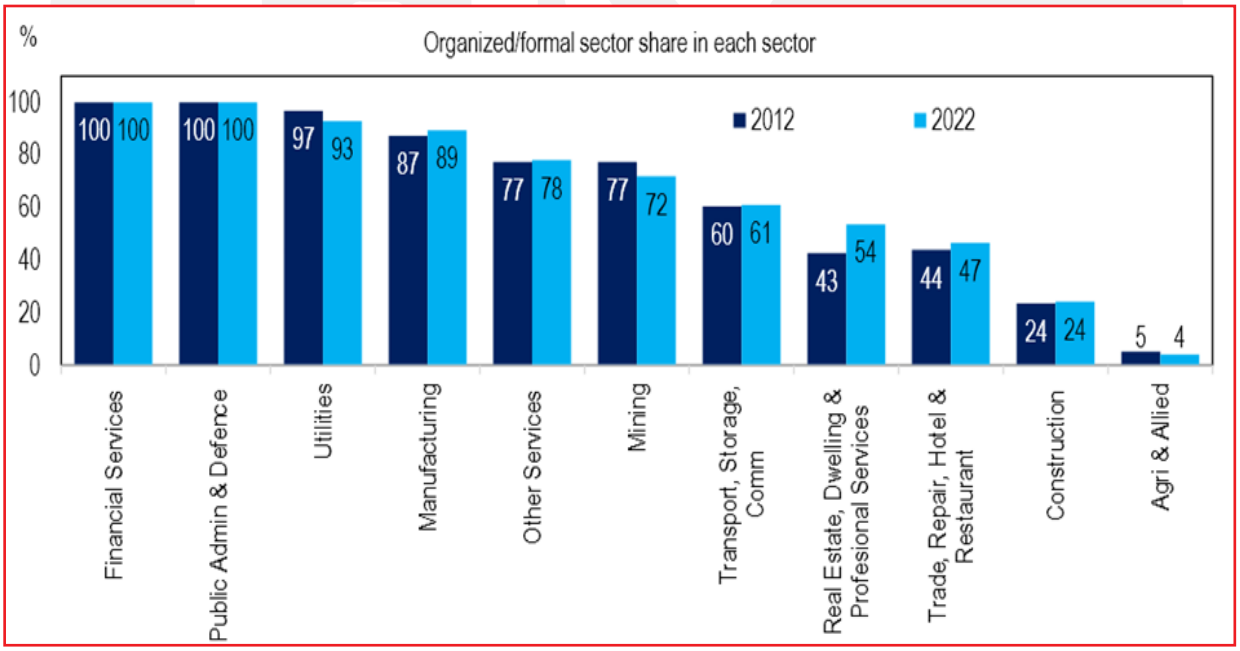

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **औपचारिकीकरण के चालक**
  - **नीति एवं नियामक हस्तक्षेप:**
    - वस्तु एवं सेवा कर (GST): पंजीकरण एवं दस्तावेज़ीकरण को प्रोत्साहित करता है।
  - **EPFO और ESIC कवरेज विस्तार**
    - आत्मनिर्भर भारत रोज़गार योजना (PMRPY): औपचारिक रोज़गार सृजन को प्रोत्साहन।
    - **श्रम संहिता:** प्रयोज्यता की सीमा बढ़ाना, अनुपालन को आसान बनाना।
  - **तकनीकी एवं वित्तीय अवसंरचना:**
    - UPI और JAM ट्रिनिटी (जन धन, आधार, मोबाइल) ने भुगतान और कल्याणकारी वितरण को डिजिटल बना दिया है।

भारतीय अर्थव्यवस्था के औपचारिकीकरण में बाधा डालने वाले प्रमुख मुद्दे क्या हैं?

- **औपचारिकीकरण के लिये कम प्रोत्साहन के साथ सूक्ष्म और लघु उद्यमों का प्रभुत्व:** भारत की **अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म इकाइयों का प्रभुत्व** है, जिनमें से **कई निर्वाह स्तर पर काम** करती हैं तथा **अनुपालन लागत और कराधान के डर** के कारण **औपचारिकीकरण से उन्हें बहुत कम लाभ होता है।**
  - **पंजीकरण, रिकार्ड रखने और औपचारिक रिपोर्टिंग** की जटिलता के कारण इन उद्यमों के लिये **परिवर्तन में बाधा** उत्पन्न होती है।
    - **औपचारिकीकरण को ऋण या लाभ तक सुनिश्चित पहुँच के बिना दृश्यता में वृद्धि** के रूप में भी देखा जाता है।
  - ASUSE 2022-23 के अनुसार, **63.2%** प्रतिष्ठान **किसी भी प्राधिकरण के तहत पंजीकृत नहीं** थे और **केवल 0.3%** किराए के श्रमिक प्रतिष्ठान **EPFO/ESIC के तहत कवर** किये गए थे।
- **कठोर श्रम कानून और सीमा प्रभाव:** हाल के श्रम संहिता सुधारों के बावजूद, अनुपालन में वृद्धि का डर, विशेष रूप से **कर्मचारी सीमा (10 या 20 श्रमिक) को पार करने वाली इकाइयों के लिये,** काम पर रखने एवं औपचारिक पंजीकरण को हतोत्साहित करता है।
  - **यद्यपि नई श्रम संहिताएँ प्रगतिशील हैं, फिर भी इन्हें अभी तक राज्यों में पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है, जिससे अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है।**
    - सीमा पार करने और विनियामक लचीलापन खोने के बीच संबंध कई फर्मों को छोटा और अनौपचारिक बना देता है। ये **'सीमा प्रभाव' धारणीयता और औपचारिकता के लिये एक संरचनात्मक बाधा** के रूप में कार्य करते हैं।
  - **10 से अधिक श्रमिकों को** रोज़गार देने वाले उद्यम अनौपचारिक विनिर्माण प्रतिष्ठानों **(सत्र 2015-16) का केवल ~7% हिस्सा** हैं, जो जानबूझकर आकार-सीमा को दर्शाता है।
    - व्यावसायिक सुरक्षा संहिता (2020) इन सीमाओं को बढ़ाती है, लेकिन **इसका क्रियान्वयन अधूरा** रहता है।
- **अनौपचारिक क्षेत्रों में सक्षम बुनियादी अवसंरचना तक अपर्याप्त पहुँच:** बिजली, डिजिटल कनेक्टिविटी और वित्त जैसे बुनियादी अवसंरचना की कमी अनौपचारिक उद्यमों (विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में) **को औपचारिक संचालन में बदलने में बाधा** डालती है।
  - **हाई-स्पीड इंटरनेट, डिजिटल कौशल और विश्वसनीय उपयोगिताओं** के बिना, अनौपचारिक व्यवसाय **GST, उद्यम या EPFO** जैसी औपचारिक प्रणालियों का प्रभावी ढंग से लाभ नहीं उठा सकते हैं।
    - इससे उत्पादकता, बाज़ार अभिगम और औपचारिक मूल्य श्रृंखलाओं में समावेशन सीमित हो जाता है। इस प्रकार डिजिटल डिवाइड अनौपचारिकता को सुदृढ़ करता है।
  - केंद्र सरकार ने स्वयं **ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोज़गारी** और **टियर-2 एवं टियर-3 शहरों** में बुनियादी अवसंरचना की कमी को उजागर किया है, जिससे औपचारिक रोज़गार सृजन में बाधा उत्पन्न हो रही है।
- **औपचारिक रोज़गार योजनाओं का अपवर्जन डिजाइन:** वर्तमान **रोज़गार-संबद्ध प्रोत्साहन (ELI) योजनाओं में**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

प्राय: EPFO ट्रैक रिकॉर्ड या औपचारिक पंजीकरण की आवश्यकता होती है, जो अनौपचारिक नियोक्ताओं के पास नहीं होता है।

- पात्रता संबंधी यह बाधा उद्यमों के एक बड़े हिस्से को औपचारिक नियुक्ति को प्रोत्साहित करने वाले प्रोत्साहनों तक अभिगम से वंचित करती है।
- औपचारिकता को प्रोत्साहित करने के स्थान पर, ये योजनाएँ केवल मौजूदा औपचारिक फर्मों को लाभ पहुँचाकर दोहरेपन को सुदृढ़ करने का जोखिम उठाती हैं।
- हाल के आँकड़ों से पता चलता है कि केवल **0.3% HWE ही EPFO के अंतर्गत** आते हैं, जिससे अधिकांश ELI के तहत **स्कीम B और C के लिये अयोग्य** हो जाते हैं। फिर भी ये उद्यम बिना किसी औपचारिक सुरक्षा के लाखों लोगों को रोज़गार देते हैं।

- **श्रम औपचारिकीकरण में लिंग आधारित बाधाएँ:** महिलाओं के लिये औपचारिक क्षेत्र (संस्थागत नौकरियों) में प्रवेश करना कठिन होता है क्योंकि एक ओर उनके पास उभरते हुए तकनीकी क्षेत्रों में उचित प्रशिक्षण की कमी है और दूसरी तरफ उन्हें अपने स्वयं के व्यवसाय स्थापित करने या उनमें भागीदारी करने से अपवर्जित कर दिया जाता है।
  - यद्यपि **कोविड के बाद महिलाओं में स्वरोज़गार बढ़ा है,** लेकिन यह ज्यादातर अनौपचारिक और घर-आधारित है।
  - ASUSE 2023–24 में **28.12% महिला कार्यबल हिस्सेदारी** दिखाई गई। फिर भी, इनमें से केवल एक **छोटा सा हिस्सा** अनौपचारिक नौकरियाँ हैं। EPFO के डेटा में महिला कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि के बावजूद, वे अभी भी कार्यबल का बड़ा हिस्सा नहीं बन पाई हैं।
    - एशिया-प्रशांत क्षेत्र में, हाल के वर्षों में इंटरनेट उपयोग में भारत में सबसे अधिक लैंगिक अंतर रहा है, जो 40.4% है, जिसमें **केवल 15% महिलाएँ इंटरनेट का उपयोग** करती हैं।
- **आर्थिक विकास और रोज़गार के औपचारिकीकरण के मध्य विसंगति:** भारत का सकल घरेलू उत्पाद तेज़ी से औपचारिक हो रहा है, लेकिन **रोज़गार सृजन अनौपचारिक रूप से वृहत बना हुआ** है।
  - **फिनटेक और डिजिटल सेवाओं** जैसे उच्च विकास क्षेत्र औपचारिक नौकरियाँ प्रदान करते हैं, लेकिन **निर्माण, व्यापार एवं विनिर्माण (प्रमुख नियोक्ता)** अभी भी अनौपचारिक श्रम पर निर्भर हैं।
    - यह विचलन ऐसी स्थिति उत्पन्न करता है, जहाँ श्रम शक्ति को पूर्ण लाभ पहुँचाए बिना ही अर्थव्यवस्था औपचारिक हो जाती है।
  - **सिटी रिसर्च (वर्ष 2024)** का मानना है कि **सकल घरेलू उत्पाद का औपचारिकीकरण 56%** है, लेकिन **श्रम बाज़ार का औपचारिकीकरण केवल 15%** है।
    - महामारी के बाद, **54 मिलियन नए रोज़गार सृजित** हुए, जिनमें से अधिकांश **स्वरोज़गार थे,** औपचारिक वेतन वाले कार्य नहीं।

अर्थव्यवस्था के औपचारिकीकरण को बढ़ाने के लिये भारत क्या उपाय अपना सकता है?

- **सूक्ष्म उद्यमों के लिये अनुपालन कार्यढाँचे को युक्तिसंगत बनाना:** परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिये, भारत को **सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिये विभेदित नियामक सीमाएँ लागू** करनी चाहिये, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि **औपचारिकीकरण दंडात्मक अनुपालन बोझ न डाले।**
  - **पंजीकरण, कर दाखिल करने और श्रम अनुपालन के लिये** सरलीकृत सिंगल-विंडो डिजिटल इंटरफेस, औपचारिक नेट में प्रक्रियागत प्रवेश को आसान बना सकता है।
  - **उद्यम, GSTN और EPFO** पोर्टल को एकीकृत बैकएंड के तहत एकीकृत करने से दोहराव कम हो सकता है। इससे स्वैच्छिक पंजीकरण को बढ़ावा मिलेगा।
- **ELI योजनाओं के दायरे और लक्ष्य का विस्तार:** मौजूदा रोज़गार-लिंक्ड प्रोत्साहन (ELI) योजनाओं को पुनर्गठित किया जाना चाहिये ताकि **अनौपचारिक क्षेत्र के नियोक्ताओं को इसमें शामिल किया जा सके** जो उत्पादकता और रोज़गार सृजन के मानदंडों को पूरा करते हैं, भले ही उनका EPFO के पास कोई पूर्व रिकॉर्ड न हो।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- प्रगतिशील नियुक्ति और औपचारिकता से जुड़ा एक श्रेणीबद्ध प्रोत्साहन मॉडल धारणीयता सुनिश्चित कर सकता है।
  - ELI के अंतर्गत स्कीम बी एंड सी को औपचारिक प्रतिष्ठानों से परे उनकी पात्रता का विस्तार करना चाहिये।
- **ELI को उद्यम और कौशल प्रमाणन प्लेटफॉर्म से जोड़ने से** अधिक उद्यम योग्य हो सकते हैं। इससे **समावेशी रोज़गार सृजन को बढ़ावा** मिलता है।

- **स्थानीयकृत क्लस्टर-आधारित औपचारिकरण रणनीति:** व्यापार, वस्त्र और खाद्य प्रसंस्करण में अनौपचारिक उद्यम केंद्रों की मैपिंग करके तथा **बुनियादी अवसंरचना, ऋण, कौशल** एवं बाज़ार संपर्क सहित क्षेत्र-विशिष्ट पैकेजों की पेशकश करके औपचारिकरण के लिये **क्लस्टर-आधारित दृष्टिकोण** अपनाने की आवश्यकता है।
  - ज़िला स्तर पर आर्थिक प्रोफाइलिंग को **प्रधानमंत्री विश्वकर्मा और SFURTI जैसी योजनाओं के माध्यम से क्लस्टर हस्तक्षेप का मार्गदर्शन** करना चाहिये।
  - स्किल इंडिया, एक ज़िला एक उत्पाद (ODOP) और डिजिटल इंडिया मिशनों के अभिसरण से ज़मीनी स्तर से औपचारिक मूल्य श्रृंखलाएँ बनाई जा सकती हैं।
    - इससे औपचारिकता के साथ **स्थानीय आर्थिक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण** होता है।
- **लिंग-संवेदनशील औपचारिकीकरण मार्ग:** विशेष रूप से **महिला-नेतृत्व वाले उद्यमों और स्व-नियोजित महिलाओं** के लिये औपचारिकीकरण रणनीतियों को डिज़ाइन किया जाना चाहिये, जिसमें अनुरूपित ऋण उत्पाद, घर-आधारित डिजिटल कौशल एवं सरलीकृत ऑनबोर्डिंग प्रक्रियाएँ शामिल हों।
  - DAY-NULM, PM SVANidhi और **फ्यूचरस्किल्स प्राइम** के बीच अभिसरण को मज़बूत करने से शहरी गरीब महिलाओं के बीच डिजिटल क्षमता का निर्माण हो सकता है।
  - क्रेच और परिवहन सुविधा जैसी सामाजिक अवसंरचना के साथ **महिला-केंद्रित औद्योगिक पार्कों** का निर्माण, औपचारिक रोज़गार को सतत् बनाए रखने में सहायक हो सकता है।
    - आर्थिक समावेशन को न्यायसंगत बनाने के लिये लिंग-स्मार्ट औपचारिकता लेंस महत्त्वपूर्ण है।
- **डिजिटल और वित्तीय पता लगाने को प्रोत्साहित करना:** GST छूट, सब्सिडी वाले POS मशीनों और अनुपालन व्यवहार के लिये ब्याज अनुदान जैसे लक्षित प्रोत्साहनों के माध्यम से अनौपचारिक उद्यमों को **डिजिटल भुगतान, चालान एवं वित्तीय बहीखाता अपनाने के लिये प्रोत्साहित** किया जाना चाहिये।
  - ऐसी **डिजिटल ट्रेसेबिलिटी को CGTMSE और मुद्रा** जैसी **MSME ऋण योजनाओं** तक ईज़ी एक्सेस के साथ जोड़ने से औपचारिकता में तेज़ी आ सकती है।
  - **बैंकों और फिनटेक द्वारा AI-संचालित जोखिम प्रोफाइलिंग** का उपयोग डिजिटल रूप से दृश्यमान उद्यमों को बेहतर वित्तीय उत्पादों से पुरस्कृत कर सकता है, जिससे अनौपचारिकता एवं औपचारिक ऋण सुलभता के बीच का अंतर कम हो सकता है।
- **औपचारिकीकरण के लिये अंतिम-बिंदु अवसंरचना को सुदृढ़ करना: अनौपचारिक उद्यमों को औपचारिक प्लेटफॉर्मों पर लाने के लिये ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी डिजिटल अवसंरचना,** बिजली आपूर्ति एवं सामान्य सेवा केंद्रों में निवेश किये जाने की आवश्यकता है।
  - राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 का विस्तार, **डिजिटल साक्षरता अभियान** के साथ अभिसरण, तथा **डिजिटल सक्षमकर्ता के रूप में स्वयं सहायता समूहों** का उपयोग, **उर्ध्वगामी समावेशन को बढ़ावा** दे सकता है।
  - पंचायत स्तर पर **टेली-लॉ, ई-पेमेंट और उद्यम पंजीकरण** को सक्षम करने से सरकारी सेवाएँ अनौपचारिक अभिनेताओं के निकट आ जाती हैं। **बुनियादी अवसंरचना को औपचारिकता के प्रवेश द्वार के रूप में देखा जाना चाहिये, न कि केवल कनेक्टिविटी के रूप में।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **सार्वजनिक खरीद सुधार के माध्यम से औपचारिकीकरण:** यह अनिवार्य किया जाए कि **सरकारी खरीद का एक हिस्सा पंजीकृत अनौपचारिक उद्यमों के लिये आरक्षित** किया जाए, **जो औपचारिक स्थिति में परिवर्तित** हो रहे हैं, विशेष रूप से स्थानीय निर्माण, विनिर्माण और सेवाओं में।
  - औपचारिक ऑनबोर्डिंग पूरी करने वाले और बुनियादी गुणवत्ता मानदंडों को पूरा करने वाले उद्यमों के लिये सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) तक तरजीही पहुँच शुरू की जानी चाहिये।
  - **औपचारिकता को स्थिर मांग पाइपलाइन** अभिगम के साथ जोड़ने से व्यवसायों को स्वैच्छिक रूप से अनुपालन करने के लिये प्रोत्साहन मिलेगा। सार्वजनिक व्यय को **औपचारिकता-आधारित क्षमता निर्माण** के लिये एक उपकरण के रूप में कार्य करना चाहिये।
- **स्केलेबल औपचारिकता को प्रोत्साहित करने के लिये श्रम संहिताओं का लाभ उठाना: नए श्रम संहिताओं को सभी राज्यों में समान रूप से सहायक दिशानिर्देशों के साथ** लागू किया जाना चाहिये, जो उद्यमों को नियामक उत्पीड़न के डर के बिना सीमा से आगे विस्तार करने की अनुमति दें।
  - इंस्पेक्टर राज की जगह स्पष्ट, डिजिटल-प्रथम प्रवर्तन तंत्र को लाना चाहिये।
  - **श्रम लचीलेपन को श्रमिकों के लिये सामाजिक सुरक्षा** तक पहुँच के साथ संतुलित किया जाना चाहिये, जैसे कि गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिये **ESIC कवरेज।**
- **अनौपचारिक श्रमिकों के लिये डिजिटल एकत्रीकरण प्लेटफॉर्मों को बढ़ावा देना:** अनौपचारिक श्रमिकों— जैसे: कारीगर, गिग वर्कर और निर्माण श्रमिक के लिये क्षेत्र-विशिष्ट **डिजिटल एकत्रीकरण प्लेटफॉर्मों का निर्माण किया जाना चाहिये ताकि उन्हें औपचारिक संरचनाओं में शामिल किया जा सके।**
  - **इन प्लेटफॉर्म को कौशल प्रमाणन, वेतन भुगतान, सामाजिक सुरक्षा** और नियोक्ता लिंकेज के लिये मॉड्यूल पेश करना चाहिये। **ई-श्रम, स्किल इंडिया और EPFO लाइट मॉडल** के साथ एकीकरण इन प्लेटफॉर्म को प्रभावी बना सकता है।
    - यह **विकेंद्रीकृत डिजिटलीकरण** दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करता है कि श्रमिकों को **औपचारिकता के लिये एक नियोक्ता से बंधे रहने की आवश्यकता नहीं** है।

निष्कर्ष:

यद्यपि **भारत ने डिजिटल भुगतान, GST और सामाजिक सुरक्षा विस्तार** के माध्यम से आर्थिक औपचारिकता में महत्त्वपूर्ण प्रगति की है, कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्र में बना हुआ है। एक संतुलित दृष्टिकोण— अनुपालन को सरल बनाना, प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना **संधारणीय एवं समावेशी विकास को बढ़ावा दे सकता है। लास्ट-माइल कनेक्टिविटी और वित्तीय प्रोत्साहन को सुदृढ़ करना लाखों श्रमिकों एवं उद्यमों को औपचारिक अर्थव्यवस्था** में एकीकृत करने के लिये महत्त्वपूर्ण होगा।

■■■

बैक्टीरिया: प्लास्टिक प्रदूषण का प्राकृतिक समाधान

यह एडिटोरियल 07/05/2024 को द हिंदू में प्रकाशित "Scientifically Speaking: How bacteria might help solve our plastic problem" पर आधारित है। इस लेख में प्लास्टिक के पर्यावरणीय खतरे को सामने लाया गया है और एक ऐसी सफलता पर प्रकाश डाला गया है जहाँ वैज्ञानिकों ने ई. कोलाई को एक सुदृढ़, बायोडिग्रेडेबल विकल्प (एक नवाचार जिसे भारत को अपनाना चाहिये) बनाने के लिये इंजीनियर किया है।

प्लास्टिक ने आधुनिक जीवन में क्रांति ला दी है, लेकिन अब यह **गंभीर पर्यावरणीय चुनौती** बन गया है, जो **सदियों से हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में बना हुआ** है और जलवायु परिवर्तन में योगदान दे रहा है। कोरिया के एडवांस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने **ई. कोलाई बैक्टीरिया (E. coli)** को एक **आशाजनक** बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक **विकल्प** बनाने के लिये इंजीनियर किया है जो **नायलॉन की तरह मज़बूती,** लेकिन **पॉलिएस्टर की तरह सरल विघटन** क्षमता के साथ संबद्ध है। भारत

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

को अपने बढ़ते **प्लास्टिक अपशिष्ट के संकट को दूर करने के लिये ऐसे अभिनव समाधानों** का अंगीकरण करने और विकसित करने के लिये कड़े प्रयासों की आवश्यकता है।

प्लास्टिक रीसाइक्लिंग में प्रमुख उभरती प्रगति क्या हैं?

- **जैव-इंजीनियरिंग द्वारा निर्मित सूक्ष्मजीवी प्लास्टिक:** सिंथेटिक जीवविज्ञान का उपयोग करते हुए, वैज्ञानिक ***ई. कोलाई*** जैसे सूक्ष्मजीवों को ग्लूकोज़ जैसे नवीकरणीय पादप-आधारित स्रोतों से जैव-निम्नीकरणीय प्लास्टिक बनाने के लिये इंजीनियर कर रहे हैं।

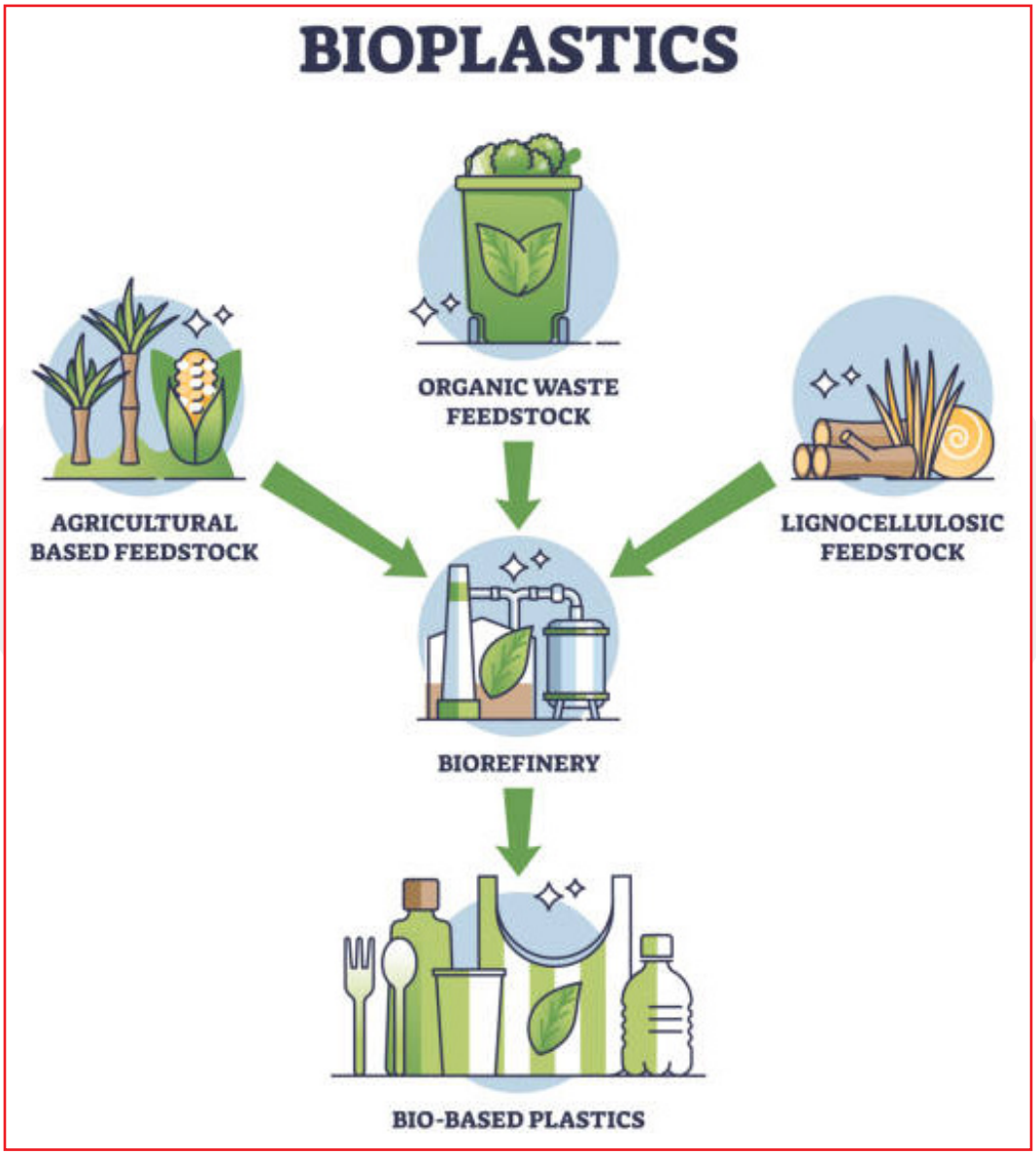

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- ये **'बायो-प्लास्टिक'** (जैसे: **आलू स्टार्च आधारित सामग्री से बनी** केरल की पर्यावरण-अनुकूल **पानी की बोतलें**) सरल **प्राकृतिक अपघटन** के लिये डिज़ाइन की गई हैं, जो संभावित रूप से पेट्रोलियम-आधारित प्लास्टिक की जगह ले सकती हैं। यह रैखिक उत्पादन से चक्रीय, जैविक रूप से एकीकृत अर्थव्यवस्थाओं की ओर बदलाव का प्रतीक है।
- वर्ष 2025 में, **कोरिया के KAIST** शोधकर्त्ताओं ने अमीनो एसिड के साथ माइक्रोबियल प्लास्टिक विकसित किया, जिसमें नायलॉन की शक्ति को बायोडिग्रेडेबिलिटी के साथ जोड़ा गया।
- इसके अलावा, जापान के शोधकर्त्ताओं ने एक क्रांतिकारी बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक तैयार किया है जो समुद्री जल में घुलनशील है।
  - इस प्लास्टिक का पदार्थ भी मज़बूत है और इसे पैकेजिंग सामग्री से लेकर चिकित्सा उपकरणों जैसे विभिन्न उपयोगों के लिये समायोजित किया जा सकता है।

- **निष्पक्ष व्यापार प्लास्टिक रीसाइक्लिंग (सामाजिक रूप से समावेशी मॉडल): प्लास्टिक फॉर चेंज** जैसे नवीन मॉडल अनौपचारिक श्रमिकों को उचित वेतन और पता लगाने योग्य आपूर्ति शृंखलाओं के साथ औपचारिक प्रणालियों में एकीकृत करके नैतिक रीसाइक्लिंग को बढ़ावा देते हैं।
  - ये मॉडल अनौपचारिक क्षेत्र को औपचारिक और उन्नत बनाकर पर्यावरणीय चिंताओं का निवारण एवं सामाजिक समानता सुनिश्चित करते हैं।
  - **प्लास्टिक फॉर चेंज** महासागरों/लैंडफिल्स से प्लास्टिक को हटाता है और **अपशिष्ट संग्रहकर्त्ताओं की आजीविका का समर्थन** करता है, जिससे चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता और **SDG12 (उत्तरदायित्वपूर्ण खपत और उत्पादन)** को प्रोत्साहन मिलता है।
- **रासायनिक पुनर्चक्रण (उन्नत डीपोलीमराइज़ेशन):** यांत्रिक पुनर्चक्रण के विपरीत, जिसमें प्लास्टिक को पुन:चक्रित किया जाता है, रासायनिक पुनर्चक्रण **पॉलिमर को उच्च गुणवत्ता वाले अनुप्रयोगों में पुन: उपयोग के लिये मोनोमर्स** में विघटित कर देता है।
  - इससे निम्न-श्रेणी या दूषित प्लास्टिक को भी प्रभावी ढंग से पुनर्चक्रित किया जा सकता है, जिससे समस्या समाप्त हो जाती है।
  - **पाइरोवेव और कार्बियोस** जैसी कंपनियाँ विश्व स्तर पर इसका नेतृत्व कर रही हैं।
- **AI-संचालित अपशिष्ट छंटाई प्रणालियाँ:** कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग का उपयोग करके, स्वचालित छंटाई प्रणालियाँ उच्च परिशुद्धता के साथ विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक की पहचान और पृथक्करण कर सकती हैं।
  - इससे संदूषण कम होता है और पुनर्चक्रण प्रक्रियाओं की दक्षता में सुधार होता है, विशेष रूप से शहरी MRF में।
  - भारत में **Recykal** और **NEPRA** स्मार्ट छंटाई प्रणालियों में अग्रणी हैं; AMP रोबोटिक्स जैसी वैश्विक कंपनियाँ वास्तविक-काल छंटाई के लिये AI का उपयोग कर रही हैं।
- **प्लास्टिक-से-ईंधन (पाइरोलिसिस प्रौद्योगिकी):** पाइरोलिसिस में प्लास्टिक अपशिष्ट को उच्च ताप और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईंधन तेल या औद्योगिक रसायनों में परिवर्तित किया जाता है।
  - यद्यपि इस पर **पर्यावरण के दृष्टिकोण से अभी भी बहस चल रही** है, लेकिन यह अपशिष्ट-से-ऊर्जा बनाने की योजनाओं में गैर-पुनर्चक्रणीय प्लास्टिक के प्रबंधन का एक तरीका प्रस्तुत करता है।
  - भारत की **GAIL और IIT दिल्ली** ने पायरोलिसिस इकाइयों का परीक्षण किया है। IIT दिल्ली ने **सिंगल-यूज़ प्लास्टिक से डीजल का उत्पादन** भी सफलतापूर्वक किया है।
- **पैकेजिंग अपशिष्ट के लिये जमा वापसी प्रणाली (DRS): DRS उपभोक्ताओं को धन वापसी** या छूट के बदले में प्रयुक्त प्लास्टिक कंटेनर **(बोतलें, दूध की थैलियाँ) वापस करने के लिये प्रोत्साहित** करती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- यह प्रणाली **बेहतर गुणवत्ता वाले प्लास्टिक** को एकत्र करने और उसे **रीसायकल करने में सहायता** करती है तथा उपभोक्ता स्तर पर व्यवहार परिवर्तन को प्रोत्साहित करती है।
- **जर्मनी की प्रणाली** इस पद्धति का उपयोग करके **98% प्लास्टिक बोतलों को रीसायकल** कर लेती है।

- **प्लास्टिक सड़कें और बुनियादी अवसंरचना:** प्लास्टिक अपशिष्ट को **सड़क निर्माण के लिये बिटुमेन मिश्रण में बाइंडर के रूप में पुन: उपयोग** किया जाता है, जिससे नागरिक बुनियादी अवसंरचना में स्थायित्व एवं पुन: उपयोग सुनिश्चित होता है।
  - इससे अपशिष्ट भार कम होता है और सड़क की गुणवत्ता बढ़ती है, विशेष रूप से उच्च वर्षण क्षेत्रों में।
  - भारत में **3 लाख किलोमीटर से अधिक सड़कों को प्लास्टिक तार सड़कों में परिवर्तित कर दिया गया** है, जिनमें सीमा पर स्थित सड़कें भी शामिल हैं।

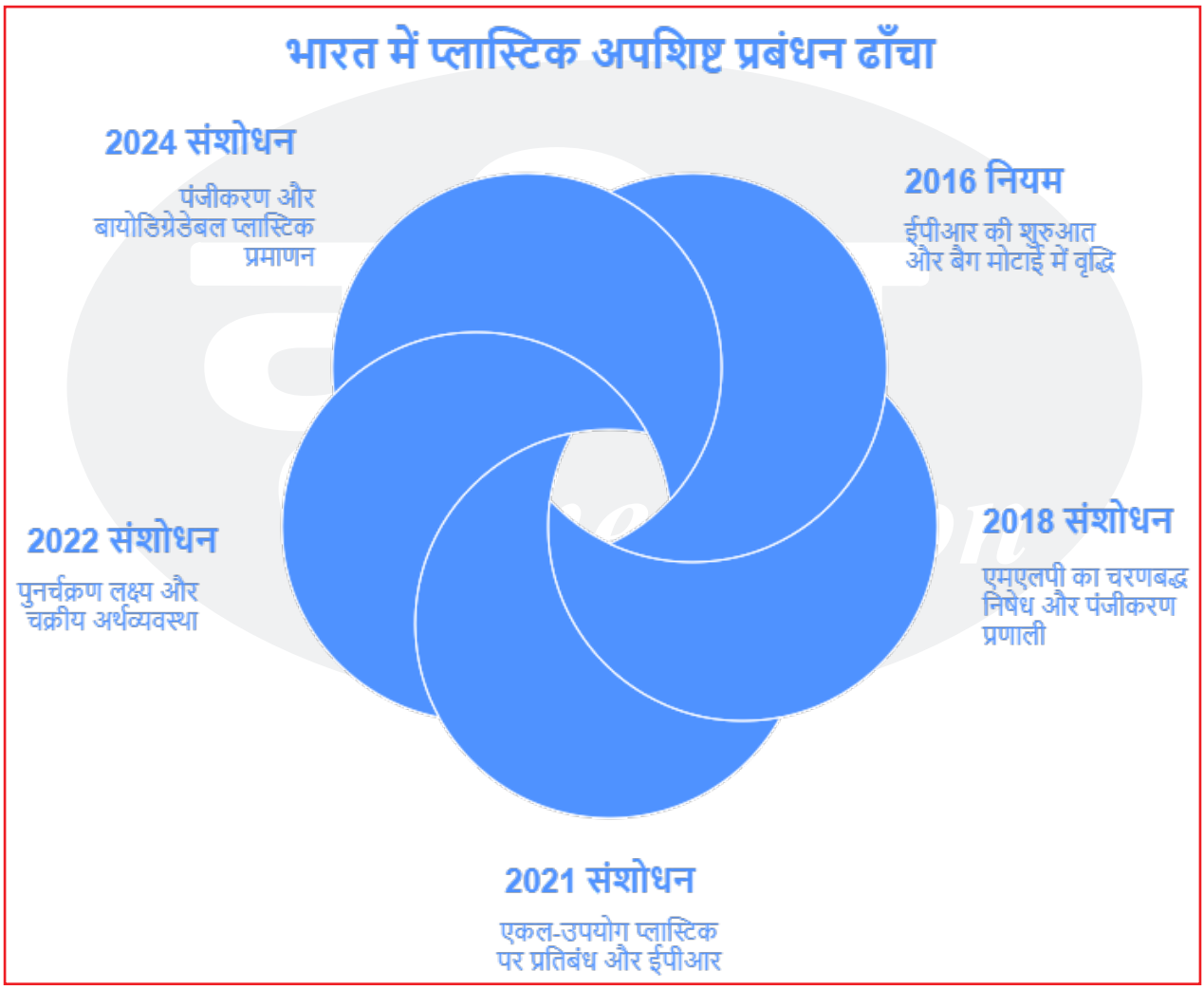

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

भारत में प्लास्टिक प्रबंधन से जुड़े प्रमुख मुद्दे क्या हैं?

- **अप्रभावी अपशिष्ट संग्रहण और कम रिपोर्ट किया गया डेटा:** उच्च अपशिष्ट संग्रहण कवरेज के दावों के बावजूद, **प्लास्टिक की एक बड़ी मात्रा एकत्रित नहीं हो पाती है,** विशेष रूप से ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में।
  - इसका परिणाम **खुले में डंपिंग और कुप्रबंधन** होता है, जो औपचारिक प्रबंधन प्रणालियों को गंभीर रूप से कमज़ोर करता है।
  - **भारत का आधिकारिक अपशिष्ट संग्रहण 95%** बताया गया है, लेकिन शोधों से पता चलता है कि **वास्तविक संग्रहण लगभग 81%** है।
    - आधिकारिक और वास्तविक संग्रह दरों के बीच विसंगति नीतिगत अस्पष्टता उत्पन्न करती है।
- **खुले में दहन और विषाक्त प्रदूषण:** प्लास्टिक अपशिष्ट को खुले में जलाने की व्यापक प्रथा **वायु प्रदूषण और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिये खतरा** उत्पन्न करती है।
  - इससे डाइऑक्सिन और फ्यूरान **जैसे अत्यधिक विषैले रसायन** उत्सर्जित होते हैं, जिससे भारत में पहले से ही गंभीर वायु गुणवत्ता की स्थिति और बदतर हो जाती है।
  - सुरक्षित निपटान विकल्पों की कमी के कारण यह समस्या विशेष रूप से **शहरी मलिन बस्तियों और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक** है।
    - भारत प्रत्येक वर्ष **5.8 मिलियन टन प्लास्टिक अपशिष्ट का दहन** करता है और 3.5 मिलियन टन पर्यावरण में छोड़ता है, जो इस मुद्दे की गंभीरता को दर्शाता है।
- **प्रतिबंध के बावजूद सिंगल-यूज़ प्लास्टिक का प्रभुत्व:** वर्ष 2022 में चुनिंदा सिंगल-यूज़ प्लास्टिक पर प्रतिबंध जैसे नियामक प्रयासों को अकुशल प्रवर्तन और सस्ती उपलब्धता के कारण न्यूनतम सफलता मिली है।
  - ये प्लास्टिक अभी भी **पैकेजिंग से लेकर कटलरी तक दैनिक उपभोग के पैटर्न पर हावी** है। व्यवहार्य एवं किफायती विकल्पों के बिना, **अनुपालन कमज़ोर** बना हुआ है।
  - उदाहरण के लिये, भारत के प्लास्टिक अपशिष्ट का **43% हिस्सा अभी भी एकल-उपयोग वाली वस्तुओं से बना** है और **वर्ष 2022 के प्रतिबंध** के बावजूद इनकी बिक्री व्यापक रूप से जारी है।
- **EPR और नीतिगत कार्यढाँचे का कमज़ोर प्रवर्तन:** भारत की विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व (EPR) व्यवस्था में प्रभावी निगरानी एवं जवाबदेही का अभाव है।
  - **छोटे निर्माता प्राय: अनुपालन से बच निकलते हैं** तथा केंद्रीकृत ट्रैकिंग के अभाव के कारण कार्यान्वयन खंडित हो जाता है।
  - प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम **(2016, 2021, 2024)** जैसे नियम व्यवहार के मुकाबले कागज़ों पर अधिक मौजूद हैं।
  - अनिवार्य EPR के बावजूद, **केवल 60% प्लास्टिक अपशिष्ट का पुनर्चक्रण** किया जाता है (अधिकतर अनौपचारिक क्षेत्रों द्वारा) और बहुस्तरीय प्लास्टिक **(MLP)** को विनियमित करना कठिन बना हुआ है।
- **पृथक्करण और प्रसंस्करण के लिये बुनियादी अवसंरचना का अभाव:** भारत का नगरपालिका ठोस अपशिष्ट बुनियादी अवसंरचना जटिल प्लास्टिक प्रकारों, **विशेष रूप से गैर-पुनर्चक्रणीय प्लास्टिकों से निपटने के लिये अपर्याप्त** है।
  - स्रोत पृथक्करण की अनुपस्थिति और **अपर्याप्त MRF (सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाएँ)** के कारण अपशिष्ट को डंप या जला दिया जाता है। अपशिष्ट प्रसंस्करण तकनीक में निवेश न्यूनतम है।
  - उदाहरण के लिये, 77% शहरी अपशिष्ट को बिना उपचारित किये लैंडफिल में डाल दिया जाता है; अनियंत्रित डंप साइटों की संख्या सैनिटरी लैंडफिल से **10:1 अधिक** (नेचर, 2024) है।
- **माइक्रोप्लास्टिक से पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधी खतरे:** प्लास्टिक अपशिष्ट अब माइक्रोप्लास्टिक में विघटित होकर **भोजन, जल और मृदा तंत्र प्रणालियों में प्रवेश** कर रहा है, जिससे नए युग का स्वास्थ्य संकट उत्पन्न हो रहा है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **कृषि और जल प्रणालियाँ तेज़ी से प्रदूषित** हो रही हैं, जिसका खाद्य सुरक्षा एवं **मानव स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक प्रभाव** पड़ रहा है।
- उदाहरण के लिये, **भारतीय नल के जल के 83% नमूनों में माइक्रोप्लास्टिक** पाए जाते हैं, और **अध्ययनों से अपशिष्ट जल के माध्यम से कृषि मृदा में उनकी उपस्थिति की पुष्टि** होती है।
  - समुद्री जीवों पर माइक्रोप्लास्टिक का प्रभाव **चिंता का विषय** है, क्योंकि इससे **समुद्री जीवों में उलझन (फँसने) और अंतर्ग्रहण की स्थिति** उत्पन्न होती है, जो **समुद्री जीवन के लिये घातक** हो सकती है।

- **संधारणीय विकल्पों के अंगीकरण में चुनौतियाँ: बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, पादप-आधारित पैकेजिंग, जूट बैग और कपड़े के बैग** जैसे पर्यावरण अनुकूल विकल्प प्राय: महंगे होते हैं, अनुपलब्ध होते हैं या उनमें धारणीयता की कमी होती है।
  - छोटे व्यवसाय और विक्रेता लागत संबंधी बाधाओं के कारण बदलाव के लिये संघर्ष करते हैं। इसके अतिरिक्त, पारंपरिक प्लास्टिक के लिये **लागत प्रभावी, संधारणीय एवं वहनीय विकल्प** विकसित करने में अपर्याप्त अनुसंधान और विकास निवेश है।
  - सस्ते विकल्पों की उपलब्धता की कमी के कारण, ई-कॉमर्स प्लास्टिक पैकेजिंग मार्केट का आकार वर्ष 2023 तक 23-34 बिलियन डॉलर रहा।
    - **खाद्य वितरण क्षेत्र** भी इसका बड़ा कारण है, जो **प्रतिवर्ष लगभग 3,50,000 टन सिंगल-यूज़ प्लास्टिक अपशिष्ट** उत्पन्न करता है।

भारत उन्नत प्लास्टिक प्रबंधन के लिये क्या उपाय अपना सकता है?

- **शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से विकेंद्रीकृत अपशिष्ट प्रबंधन:** तकनीकी प्रशिक्षण और वित्तीय संसाधनों के साथ शहरी स्थानीय निकायों को सशक्त बनाने से वार्ड स्तर पर अपशिष्ट पृथक्करण, संग्रहण एवं प्रसंस्करण को लागू करने में मदद मिल सकती है।
  - यह विकेंद्रीकरण क्षेत्र-विशिष्ट नवाचारों को सक्षम बनाता है और जवाबदेही को बढ़ाता है। इसे 15वें वित्त आयोग अनुदान और स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 **के साथ अभिसरण के माध्यम से संचालित** किया जा सकता है।
    - नगरपालिका कर्मचारियों की क्षमता में सुधार करने और **नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देने से स्थानीय स्वामित्व** सुनिश्चित होगा।
- **प्रवर्तनीय और डिजिटल रूप से ट्रैक की गई विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी: प्लास्टिक के उपयोग, पुनर्प्राप्ति और पुनर्चक्रण का पता लगाने** के लिये डिजिटल प्लेटफॉर्मों के साथ EPR को सुदृढ़ करना यह सुनिश्चित कर सकता है कि उत्पादकों को जवाबदेह ठहराया जाए।
  - क्यूआर कोड या ब्लॉकचेन-आधारित ट्रेसेबिलिटी सिस्टम का उपयोग करते हुए एक केंद्रीकृत ट्रैकिंग तंत्र तैनात किया जाना चाहिये।
  - डिजिटल इंडिया और **EPR अनुपालन के लिये राष्ट्रीय डैशबोर्ड** के साथ एकीकरण पारदर्शिता ला सकता है तथा ऑडिट को आसान बना सकता है। तृतीय पक्ष के ऑडिट और गैर-अनुपालन के लिये दंड प्रवर्तन को सुदृढ़ कर सकते हैं।
- **अनौपचारिक अपशिष्ट क्षेत्र का औपचारिकीकरण:** सहकारी समितियों या स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से अपशिष्ट बीनने वालों को औपचारिक पुनर्चक्रण श्रृंखलाओं में मान्यता देने और एकीकृत करने से संग्रहण दक्षता एवं आजीविका में सुधार होगा।
  - औपचारिकता में सामाजिक सुरक्षा **(इंदौर मॉडल)**, प्रशिक्षण और सुरक्षा गियर तक पहुँच शामिल होनी चाहिये। इस प्रयास को दीनदयाल अंत्योदय योजना (DAY-NULM) के साथ जोड़कर गरिमा और उर्ध्वगामी गतिशीलता सुनिश्चित की जा सकती है।
  - स्थानीय शासन निकाय श्रमिकों का अभिनिर्धारण और पंजीकरण में सहायता कर सकते हैं।
- **समानांतर पारिस्थितिकी-वैकल्पिक पारिस्थितिकी तंत्र के साथ प्रतिबंध का सख्त प्रवर्तन:** सिंगल-यूज़ प्लास्टिक पर नीतिगत प्रतिबंध के साथ-साथ किफायती जैव-निम्नीकरणीय विकल्पों के उत्पादन और वितरण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- सरकार को पर्यावरण अनुकूल पैकेजिंग को बढ़ावा देने के लिये MSME को अनुसंधान एवं विकास तथा विपणन सहायता उपलब्ध करानी चाहिये।
- **स्टार्ट-अप इंडिया, MSME मंत्रालय** और **KVIC को जोड़कर** हरित विकल्पों के लिये एक पूर्ण मूल्य श्रृंखला बनाई जा सकती है। यह दोहरी-पथ वाली नीति प्रतिबंध और प्रतिस्थापन दोनों को सुनिश्चित करती है।

- **घरेलू स्तर पर स्रोत पृथक्करण को प्रोत्साहित करना:** लगातार अपशिष्ट पृथक्करण के लिये परिवारों को छूट, रियायत या उपयोगिता बिल क्रेडिट के माध्यम से पुरस्कृत किया जाना चाहिये।
  - शहरी निकाय **अनुपालन करने वाली समितियों के लिये पुरस्कार-संबंधी डैशबोर्ड** विकसित कर सकते हैं।
  - **व्यवहारिक अंतर्दृष्टि इकाई (NITI आयोग)** और **SBM-शहरी 2.0 अभियान** को एकीकृत करने से अंगीकरण में तेज़ी आ सकती है। पृथक्करण प्रथाओं का तकनीक-आधारित गेमीफिकेशन जिम्मेदार अपशिष्ट व्यवहार की संस्कृति का निर्माण कर सकता है।
- **सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाओं (MRF) के लिये बुनियादी अवसंरचना को सुदृढ़ करना:** स्वचालित पृथक्करण प्रौद्योगिकी से सुसज्जित क्षेत्रीय स्तर के MRF की स्थापना से रीसाइक्लिंग दक्षता में काफी सुधार हो सकता है।
  - इन सुविधाओं का निर्माण सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल पर किया जाना चाहिये तथा इन्हें स्मार्ट सिटी परियोजनाओं से जोड़ा जाना चाहिये।
  - स्मार्ट सिटीज़ मिशन और AMRUT 2.0 ऐसे बुनियादी अवसंरचना को संयुक्त रूप से वित्तपोषित कर सकते हैं। दीर्घकालिक संधारणीयता हेतु इनको कुशलतापूर्वक संचालित करने के लिये शहरी स्थानीय निकायों को प्रशिक्षित करना महत्त्वपूर्ण है।
- **जिला स्तर पर स्थानीयकृत प्लास्टिक कार्य योजना:** प्रत्येक ज़िले को अपने आकार, भौगोलिक स्थिति और बुनियादी अवसंरचना के अनुरूप अपनी स्वयं की प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन कार्य योजना विकसित करनी चाहिये।
  - इन योजनाओं को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की देखरेख में **ज़िला पर्यावरण योजनाओं (DEP)** के अंतर्गत अनिवार्य बनाया जाना चाहिये।
  - **जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजनाओं (SAPCC)** के साथ इन्हें एकीकृत करने से प्लास्टिक प्रबंधन व्यापक स्थिरता लक्ष्यों के साथ संरेखित हो जाएगा।
- **सर्कुलर इकोनॉमी इनोवेशन हब: स्टार्टअप, शोध संस्थानों और रीसाइकिलर्स के समर्थन के साथ सर्कुलर इकोनॉमी समाधानों पर केंद्रित इनोवेशन क्लस्टर स्थापित** किया जाना चाहिये। ये **हब बायोडिग्रेडेबल सामग्रियों, अपसाइक्लिंग तकनीकों और स्केलेबल रीसाइक्लिंग मॉडल** पर अनुसंधान एवं विकास को आगे बढ़ा सकते हैं।
  - MoEFCC, DST और MSME जैसे मंत्रालय मिशन LiFE फ्रेमवर्क के तहत इनका सह-निर्माण कर सकते हैं। स्थानीय औद्योगिक संघ उभरते समाधानों को पायलट और स्केल करने में मदद कर सकते हैं।

निष्कर्ष:

भारत में प्लास्टिक अपशिष्ट की बढ़ती समस्या से निपटने के लिये अभिनव प्लास्टिक रीसाइक्लिंग तकनीकें महत्त्वपूर्ण हैं, साथ ही **चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना भी महत्त्वपूर्ण** है। **बायोइंजीनियर्ड प्लास्टिक, AI-संचालित अपशिष्ट छंटाई और उन्नत रासायनिक रीसाइक्लिंग** जैसे समाधान संधारणीय अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देकर **SDG12 (उत्तरदायित्वपूर्ण खपत और उत्पादन)** एवं **SDG 13 (जलवायु परिवर्तन कार्रवाई) के साथ संरेखित** होते हैं।

■■■

भारत की सर्विस सेक्टर अर्थव्यवस्था का भविष्य

यह एडिटोरियल 28/03/2025 को द हिंदू में प्रकाशित "Riding the new wave in services, industry" पर आधारित है। यह लेख भारत के सर्विस सेक्टर में वैश्विक क्षमता केंद्रों (GCC) की परिवर्तनकारी

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

भूमिका को सामने लाया गया है, उनके 65 बिलियन डॉलर के राजस्व एवं 1.9 मिलियन कर्मचारियों पर प्रकाश डाला गया है, जबकि क्षेत्रीय संकेंद्रण, राजकोषीय स्थिरता एवं AI के प्रभाव को संतुलित करने की आवश्यकता पर बल देता है।

भारत वैश्विक क्षमता केंद्रों (GCC) के साथ एक रणनीतिक दिशा में है जो अपने सर्विस सेक्टर **परिदृश्य को बदल रहा है।** लगभग 1,700 GCC **में 1.9 मिलियन भारतीय** कार्यरत हैं और **65 बिलियन डॉलर का राजस्व उत्पन्न** करते हैं, विश्व भर के सभी GCC में लगभग आधी हिस्सेदारी भारत की है। यद्यपि विनिर्माण क्षेत्र तेज़ी से विशेष वैश्विक नेटवर्क पर निर्भर हो रहे हैं, **सर्विस सेक्टर इन पूर्ण स्वामित्व वाली संस्थाओं के माध्यम से परिचालन को सुदृढ़ कर रहे हैं।** भारत का तकनीकी प्रतिभा पूल महत्त्वपूर्ण प्रतिस्पर्द्धी लाभ प्रदान करता है, हालाँकि नीति निर्माताओं को इस अवसर को अधिकतम करने के लिये क्षेत्रीय एकाग्रता, राजकोषीय स्थिरता और AI के प्रभाव को संतुलित करने की आवश्यकता है।

भारत के सर्विस सेक्टर के विकास के प्रमुख कारक क्या हैं?

- **वैश्विक क्षमता केंद्रों (GCC) और उच्च स्तरीय आउटसोर्सिंग का उदय:** भारत **वैश्विक क्षमता केंद्रों (GCC) के लिये शीर्ष गंतव्य** के रूप में उभरा है, जो परिचालन नियंत्रण और लागत दक्षता चाहने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित कर रहा है।
  - महामारी के बाद तृतीय पक्ष की **आउटसोर्सिंग से लेकर इन-हाउस GCC की ओर बदलाव में तेज़ी** आई है, जो डेटा सुरक्षा, एनालिटिक्स और IP-संवेदनशील सेवाओं की मांग से प्रेरित है।
  - **बंगलुरु, हैदराबाद और पुणे** जैसे शहर वित्तीय, तकनीकी एवं स्वास्थ्य देखभाल GCC के लिये वैश्विक केंद्र बन गए हैं।
    - वर्ष 2025 तक, भारत में **1,700 GCC** होंगे, जो **1.9 मिलियन लोगों को रोज़गार** देंगे तथा **65 बिलियन डॉलर के राजस्व का योगदान** देंगे (इंडस वैली रिपोर्ट, 2025)।
- **डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और AI-संचालित नवाचार का विस्तार: AI, क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर** की ओर केंद्र सरकार के प्रभावी प्रयासों ने भारत के डिजिटल सेवा परिदृश्य को अत्यधिक सक्रिय कर दिया है।
  - **फिनटेक से लेकर स्वास्थ्य सेवा तक,** सभी क्षेत्रों को **AI-आधारित स्वचालन** और **डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से नया रूप** दिया जा रहा है।
  - नेशनल डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क और AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नवाचार क्षमता को बढ़ा रहे हैं।
    - सरकार ने AI उत्कृष्टता केंद्रों के लिये **5 बिलियन रुपए देने की प्रतिबद्धता** जताई है (केंद्रीय बजट 2024-25)।
- **बढ़ता प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और नीति उदारीकरण:** उदार FDI मानदंड, बढ़ता निवेशक विश्वास और संरचनात्मक नीति परिवर्तनों ने भारत को बीमा, दूरसंचार एवं वित्तीय सेवाओं जैसी **सेवाओं में पूंजी के लिये एक आकर्षण का केंद्र** बना दिया है।
  - FDI सीमा बढ़ाने और सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं ने वैश्विक भागीदारों के लिये प्रवेश आसान बना दिया है, जबकि नियामक सैंडबॉक्स फिनटेक विकास को बढ़ावा दे रहे हैं।
  - **अप्रैल-दिसंबर 2024 के दौरान** भारत के कुल **40.67 बिलियन डॉलर के FDI प्रवाह** (DPIIT) में से सेवाओं को 7.22 बिलियन डॉलर का FDI प्राप्त हुआ।
    - केंद्रीय बजट 2025-26 **में बीमा क्षेत्र** में FDI सीमा **74% से बढ़ाकर 100% कर दी गई।**
- **उच्च मूल्य सेवा निर्यात में मज़बूत प्रदर्शन:** भारत अब IT, परामर्श और वित्तीय सेवाओं में मज़बूती के साथ **7वाँ सबसे बड़ा** वैश्विक सेवा निर्यातक है।
  - **विश्व भर में डिजिटल परिवर्तन** की बढ़ती मांग ने भारतीय फर्मों को **क्लाउड,** साइबर सुरक्षा **और उद्यम समाधान** जैसे क्षेत्रों में विस्तार करने में मदद की है। भारत का विविध सेवा निर्यात आधार इसे क्षेत्र-विशिष्ट झटकों के प्रति समुत्थानशील बनाता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

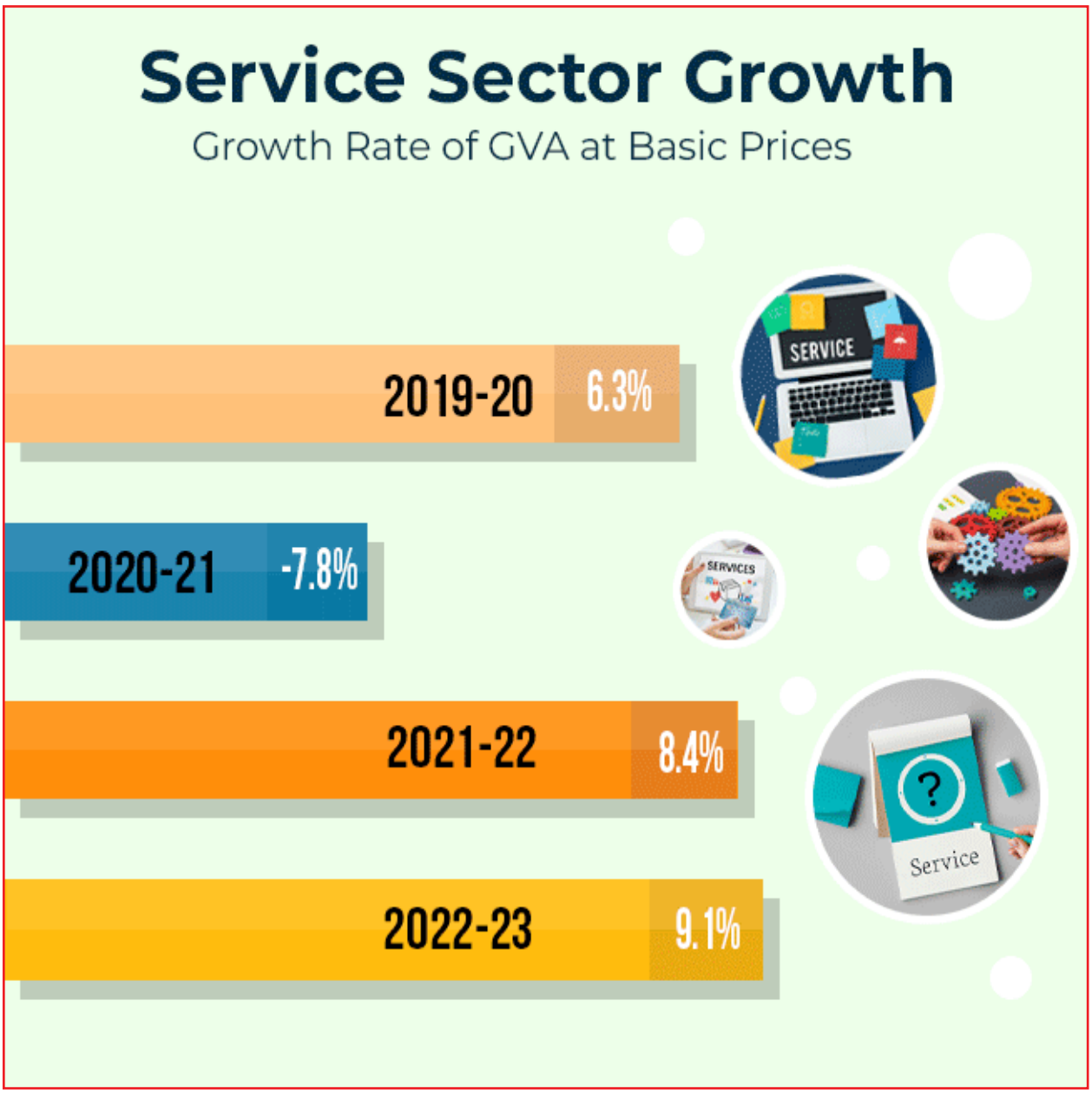

- **वैश्विक सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी** दोगुनी से अधिक होकर वर्ष 2023 में लगभग **4.3% तक पहुँच गई।**
  - दूरसंचार, **कंप्यूटर और सूचना सेवाओं के निर्यात में** भारत **विश्व में दूसरे स्थान पर** है, व्यक्तिगत, सांस्कृतिक और मनोरंजक सेवाओं के निर्यात में छठे स्थान पर है तथा **अन्य व्यावसायिक सेवाओं के निर्यात में आठवें स्थान पर** है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **सरकार द्वारा संचालित कौशल विकास और STEM शिक्षा को बढ़ावा:** सरकार ने राष्ट्रीय कौशल विकास प्रयासों को सर्विस सेक्टर की आवश्यकताओं के साथ जोड़ा है। स्किल इंडिया, PMKVY और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 जैसी योजनाएँ भविष्य के लिये तैयार प्रतिभाओं को बढ़ावा देती हैं।
  - GCC के माध्यम से कौशल के साथ निजी क्षेत्र का एकीकरण कार्यबल की रोज़गार क्षमता को बढ़ाता है।
  - भारत प्रतिवर्ष **1.5 मिलियन से अधिक इंजीनियर तैयार करता है,** जो IT और फिनटेक प्रतिभा का एक प्रमुख स्रोत है।
- **टियर 2 और टियर 3 शहरों में विस्तार:** महानगरों में उच्च संतृप्ति के साथ, कंपनियाँ **लागत लाभ और नए बाज़ार तक अभिगम के लिये बाह्य इलाकों, छोटे शहरों में विस्तार** कर रही हैं।
  - BharatNet और डिजिटल इंडिया जैसी सरकारी परियोजनाओं ने बैकएंड परिचालन एवं डिजिटल सेवाओं को वंचित क्षेत्रों में पहुँचाने में सक्षम बनाया है।
    - इससे **समावेशी विकास को भी बढ़ावा** मिलता है और **महानगरों पर प्रवास का दबाव कम** होता है।
  - उदाहरण के लिये, भारत का लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग क्षेत्र **तेज़ी से विस्तार** कर रहा है तथा देश में टियर 2 और 3 शहर प्रमुख केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं।
- **ग्रामीण भारत में घरेलू मांग में वृद्धि: बढ़ती आय, शहरीकरण और आकांक्षाओं** ने स्वास्थ्य और शिक्षा से लेकर **मनोरंजन एवं वित्तीय सेवाओं तक के लिये घरेलू बाज़ार का विस्तार** किया है।
  - यहाँ तक कि **ग्रामीण भारत में भी सेवाओं की खपत में उल्लेखनीय वृद्धि** देखी गई है, जो स्पष्ट संरचनात्मक बदलाव को दर्शाता है। घरेलू मांग में इस वृद्धि ने सेवाओं के मामले में भारत को निर्यात पर कम निर्भर बना दिया है।
  - मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय में शहरी-ग्रामीण अंतर सत्र 2011-12 में **84% से घटकर 2022-23 में 71% हो गया** है, जो मुख्य रूप से सेवाओं पर खर्च में वृद्धि के कारण है।
    - **मनोरंजन, स्वास्थ्य सेवा और डिजिटल शिक्षा** जैसे क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों में भारी वृद्धि देखी जा रही है।

भारत के सर्विस सेक्टर से संबंधित प्रमुख मुद्दे क्या हैं?

- **कौशल और कार्यबल तत्परता अंतराल:** भारत के सर्विस सेक्टर में **AI, डेटा विज्ञान, फिनटेक और साइबर सुरक्षा में उच्च-स्तरीय कौशल** की मांग बढ़ रही है लेकिन कार्यबल की आपूर्ति असमान बनी हुई है।
  - यद्यपि हमारे यहाँ बड़ी संख्या में स्नातक हैं **फिर भी उद्योग-अकादमिक संरेखण** अभी भी कमज़ोर है जिसके कारण अल्परोज़गार की स्थिति उत्पन्न हो रही है।
  - विशिष्ट विशेषज्ञता की बढ़ती आवश्यकता (विशेष रूप से टियर 2/3 शहरों में) वर्तमान कौशल प्रयासों से कहीं अधिक है।
    - उदाहरण के लिये, भारत में रोज़गार का संकट गहराता जा रहा है क्योंकि **केवल 42.6% स्नातक** ही रोज़गार के योग्य हैं, जिससे बढ़ते कौशल अंतराल पर चिंता बढ़ रही है।
- **सेवा केंद्रों में शहरी बुनियादी अवसंरचना की बाधाएँ:** प्रमुख सर्विस सेक्टर वाले शहरों में बुनियादी अवसंरचना की गंभीर समस्या (**यातायात की भीड़ से लेकर जल की कमी और अचल संपत्ति की बढ़ती लागत तक**) है।
  - ये अक्षमताएँ **व्यावसायिक लागतों** को बढ़ाती हैं, **उत्पादकता को कम** करती हैं और **कुशल श्रमिकों के लिये जीवन की गुणवत्ता को कम** करती हैं। कुछ शहरी समूहों पर अत्यधिक निर्भरता दीर्घकालिक सर्विस सेक्टर के विकास के लिये धारणीय नहीं है।
  - उदाहरण के लिये, बेंगलुरू (जो भारत में कार्यालय स्थल की मांग में शीर्ष पर है) **शहरी बाढ़ के साथ जल और बिजली की कमी** जैसी गंभीर समस्याओं का सामना कर रहा है।
- **सेवा विकास में क्षेत्रीय असंतुलन: उच्च मूल्य सर्विस सेक्टर की अधिकांश गतिविधियाँ महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु** जैसे कुछ समृद्ध राज्यों में केंद्रित हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- बड़े श्रम स्रोत वाले राज्य- जैसे **बिहार, मध्य प्रदेश और ओडिशा** अपर्याप्त कनेक्टिविटी, शिक्षा अंतराल और निवेश पारिस्थितिकी तंत्र की कमी के कारण **सेवाओं के मामले में अविकसित** बने हुए हैं।
  - इससे स्थानिक असमानता बढ़ती है और राष्ट्रीय रोज़गार सृजन की संभावना सीमित होती है।
- वित्त वर्ष 2023 में **कर्नाटक और महाराष्ट्र ने** मिलकर भारत के **कुल सर्विस सेक्टर के सकल राज्य मूल्यवर्द्धन में 25% से अधिक का योगदान** दिया, जबकि **19 राज्यों का सामूहिक रूप से** इस क्षेत्र में **केवल 25% योगदान** था।

- **उच्च निर्यात निर्भरता और भू-राजनीतिक जोखिम:** भारत का सेवा निर्यात **अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसे बाज़ारों** पर बहुत अधिक निर्भर है, जिससे यह **क्षेत्र वैश्विक असंतुलन, संरक्षणवाद और वीजा प्रतिबंधों के प्रति संवेदनशील** हो जाता है।
  - आउटसोर्सिंग के रुझानों में बदलाव, **मंदी के चक्र या व्यापार तनाव** (जैसे **संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हाल ही में टैरिफ मुद्दे**) राजस्व, रोज़गार और निवेशक विश्वास को प्रभावित करते हैं।
  - उदाहरण के लिये, भारत का लगभग **70% आईटी सेवा निर्यात अमेरिका** को होता है, जो **कि काफी निर्भरता** को दर्शाता है।
    - इसके अलावा, **अमेरिकी प्रौद्योगिकी क्षेत्र** इस समय बड़े पैमाने पर छंटनी से ग्रस्त है, जिसका भारतीय श्रमिकों पर काफी प्रभाव पड़ रहा है।
- **MSME में उभरती प्रौद्योगिकियों का कम उपयोग:** बड़ी सेवा कंपनियाँ तेज़ी से AI, स्वचालन और क्लाउड प्लेटफॉर्म को अपना रही हैं लेकिन MSME लागत बाधाओं, जागरूकता की कमी और सीमित डिजिटल बुनियादी अवसंरचनाके कारण इसमें **पीछे** हैं।
  - इससे उत्पादकता का अंतर और गहरा होता है। समावेशी विकास के लिये छोटी फर्मों में तकनीक को अपनाना ज़रूरी है।
  - 'SME डिजिटल इनसाइट्स' अध्ययन के अनुसार, **केवल 50% भारतीय MSME** वित्त वर्ष 2024 में व्यवसाय विस्तार के लिये क्लाउड अपनाने को प्राथमिकता दे रहे हैं।
  - इसके अलावा, **केवल 6% MSME** ही बिक्री के लिये ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का सक्रिय रूप से लाभ उठाते हैं, जो इस क्षेत्र में डिजिटलीकरण की सीमितता को रेखांकित करता है।
- **अवसंरचना विकास में खंडित सार्वजनिक-निजी सहयोग: सार्वजनिक अवसंरचना विस्तार (डिजिटल और भौतिक)** की गति प्राय: निजी सर्विस सेक्टर की **ज़रूरतों से कम** बनी हुई है।
  - कुछ साझेदारियों के बाद भी इसमें **समन्वय अस्थायी** बना हुआ है। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रौद्योगिकी और रसद सेवाओं में विकास सीमित होता है।
  - उदाहरण के लिये, **मुंबई तटीय सड़क परियोजना,** जिसका उद्देश्य यातायात की भीड़ को कम करना और तटीय पहुँच में सुधार करना है, में भूमि अधिग्रहण के मुद्दों और नियामक बाधाओं **के कारण बिलंब** हो रहा है।

भारत अपने सर्विस सेक्टर को बढ़ाने के लिये क्या उपाय अपना सकता है?

- **टियर-2 और टियर-3 सेवा पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना:** भारत को टियर-2 और टियर-3 शहरों में बुनियादी ढाँचे, कौशल समूहों और डिजिटल कनेक्टिविटी विकसित करके मेट्रो शहरों से परे अपने सर्विस सेक्टर के विकास को विकेंद्रीकृत करना चाहिये।
  - **इसके लिये स्मार्ट सिटी पहल, भारतनेट और** राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति के बीच समन्वय की आवश्यकता है, ताकि GCC और उच्च कौशल सेवाओं के लिये अनुकूल परिस्थितियाँ बनाई जा सकें।
  - रणनीतिक प्रोत्साहनों से इन क्षेत्रों में शिक्षा-तकनीक, स्वास्थ्य-तकनीक और परामर्श सेवाओं में निज़ी निवेश को आकर्षित किया जाना चाहिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **सार्वजनिक-निज़ी कौशल भागीदारी को सुदृढ़ करना:** **NEP- 2020 के तहत व्यावसायिक शिक्षा को स्किल इंडिया के मॉड्यूलर प्रशिक्षण कार्यक्रमों** के साथ जोड़ने के लिये एक राष्ट्रीय कार्यात्मक ढाँचा सर्विस सेक्टर के कौशल अंतर को समाप्त कर सकता है। पाठ्यक्रम का डिज़ाइन और वितरण उद्योग की भागीदारी प्रशिक्षण को मांग-संचालित, भविष्य के लिये तैयार और रोज़गारयुक्त बना सकती है।
  - सर्विस सेक्टर की उभरती मांगों को पूरा करने के लिये AI, फिनटेक, डिजिटल डिज़ाइन, कानूनी तकनीक और स्वास्थ्य तकनीक पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिये।
- **विनियामक सैंडबॉक्स और एकीकृत अनुपालन प्लेटफॉर्म:** फिनटेक, एड-टेक, गिग इकॉनमी और टेलीमेडिसिन में सेवा-उन्मुख स्टार्ट-अप को बिना किसी बाधा के बढ़ने के लिये एक **सामान्य विनियामक दृष्टिकोण की आवश्यकता** है।
  - भारत को प्रमुख सेवाओं (SEBI, RBI, IRDAI, आदि) में **विनियामक सैंडबॉक्स को** संस्थागत बनाना चाहिये और अंतर-राज्यीय नीति विखंडन को समाप्त करने, नवाचार और परिचालन मापनीयता को प्रोत्साहित करने के लिये एक **अखिल भारतीय एकल-खिड़की अनुपालन पोर्टल विकसित करना चाहिये।**
- **रणनीतिक बाज़ार पहुँच के साथ सेवा निर्यात विविधीकरण को बढ़ावा देना:** पारंपरिक निर्यात गंतव्यों पर निर्भरता को कम करने के लिये, भारत को IT, वित्तीय और शिक्षा सेवाओं के लिये अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और दक्षिण पूर्व एशिया में **उभरते बाज़ारों को सक्रिय रूप से लक्षित करना चाहिये।**
  - **चैंपियन सर्विस सेक्टर योजना को भारत के FTA और व्यापार कूटनीतिक रणनीति** के साथ जोड़ने से डिजिटल व्यापार विस्तार और सीमा पार सेवा वितरण के लिये अनुरूप समर्थन मिल सकता है।
- **क्षेत्रीय परिवर्तन के लिये AI और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर:** भारत को खुदरा, रसद, स्वास्थ्य सेवा और वित्तीय सेवाओं में उत्पादकता बढ़ाने के लिये **AI उत्कृष्टता केंद्र, ONDC** (ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स) और डिजिटल स्वास्थ्य मिशन को एकीकृत करना चाहिये।
  - इन प्लेटफार्मों को वास्तविक समय डेटा-साझाकरण कार्यात्मक ढाँचे और मज़बूत साइबर सुरक्षा प्रणालियों के साथ राज्यों में विस्तारित किया जाना चाहिये, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि लघु स्तरीय पैमाने और पहुँच के लिये DPI का लाभ उठा सकें।
- **उच्च मूल्य सेवा श्रृंखलाओं में MSME का एकीकरण:** क्लाउड प्लेटफॉर्म, स्वचालन उपकरण और साइबर सुरक्षा अवसंरचना तक विशेष प्रोत्साहन और रियायती पहुँच **MSME को** वैश्विक एवं घरेलू मूल्य श्रृंखलाओं में डिजिटल रूप से शामिल करने में मदद कर सकती है।
  - **डिजिटल MSME योजना को डिजिटल इंडिया सीड सपोर्ट और क्लस्टर-आधारित इनक्यूबेशन** के साथ एकीकृत करने से सर्विस सेक्टर के भीतर डिजिटल डिवाइड को कम किया जा सकता है और छोटे अभिकर्त्ताओं के बीच लचीलापन उत्पन्न किया जा सकता है।
- **राष्ट्रीय सेवा प्रतिस्पर्द्धात्मकता परिषद का संस्थागतकरण:** एक समर्पित अंतर-मंत्रालयी निकाय भारत के सर्विस सेक्टर के लिये **थिंक-टैंक और निगरानी एजेंसी के रूप में कार्य कर सकता है,** जो डेटा-संचालित नीतिगत जवाबदेही, नियामक समन्वय और रणनीतिक हस्तक्षेप सुनिश्चित कर सकता है।
  - इस परिषद में निज़ी क्षेत्र, शिक्षा जगत और राज्यों के हितधारकों को शामिल किया जाना चाहिये ताकि प्रवृत्तियों पर नज़र रखी जा सके, व्यवधानों का समाधान किया जा सके और नीतिगत लक्ष्यों को वास्तविक समय की क्षेत्रीय गतिशीलता के साथ संरेखित किया जा सके।

निष्कर्ष:

भारत का सर्विस सेक्टर एक महत्त्वपूर्ण मोड़ पर है, जो **वैश्विक क्षमता केंद्रों (GCC) के तेज़ी से बढ़ने, डिजिटल बुनियादी अवसंरचना के विस्तार और बढ़ते विदेशी निवेश से प्रेरित है। नीति निर्माताओं को सेवा केंद्रों का विकेंद्रीकरण करके, कौशल पहलों को बढ़ाकर और MSME डिजिटल अपनाने को बढ़ावा देकर समावेशी विकास को बढ़ावा देना चाहिये। AI, विनियामक सुधारों और विविध निर्यात का लाभ उठाने वाली** एक दूरदर्शी रणनीति की सेवाओं में निरंतर विकास और वैश्विक नेतृत्व सुनिश्चित करेगी।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

BIMSTEC के माध्यम से क्षेत्रवाद की पुनर्जीविता

यह एडिटोरियल 07/04/2025 को द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित "At BIMSTEC summit, an opportunity for India to strengthen its Act East Policy" पर आधारित है। लेख में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि बैंकॉक शिखर सम्मेलन में दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भारत की नई भागीदारी ने क्षेत्रीय सहयोग, कनेक्टिविटी और भारत के इंडो-पैसिफिक विज़न को आगे बढ़ाने के लिये BIMSTEC को एक रणनीतिक मंच के रूप में पुनर्जीवित किया है।

बैंकॉक में आयोजित 6th BIMSTEC शिखर सम्मेलन में भारत के नए प्रयासों ने **क्षेत्रीय सहयोग को पुनर्जीवित** किया है और इसके इंडो-पैसिफिक विज़न को मज़बूत किया है। **थाईलैंड के वीज़ा रियायत** और **रक्षा संबंधों को मज़बूत करने** के साथ, भारत ने बदलती **भू-राजनीति के बीच क्षेत्रवाद के प्रति अपनी प्रतिबद्धता** को प्रदर्शित किया है। BIMSTEC संपर्क को संस्थागत बनाने, राजनीतिक अस्थिरता का मुकाबला करने और सामूहिक अनुकूलन को बढ़ावा देने के लिये एक महत्त्वपूर्ण मंच के रूप में उभर रहा है। यह भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और नेबरहुड फर्स्ट **नीतियों के साथ संरेखित** है, जो रुके हुए बहुपक्षवाद के युग में दक्षिण पूर्व एशिया के साथ रणनीतिक गहन और पुनर्गठित जुड़ाव प्रदान करता है।

BIMSTEC क्या है?

- **क्षेत्रीय सहयोग मंच:** बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिये बंगाल की खाड़ी पहल (BIMSTEC) दक्षिण **और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों** के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिये एक क्षेत्रीय समूह है।
  - इसमें बंगाल की खाड़ी क्षेत्र से सात देश शामिल हैं: **बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्याँमार, नेपाल, श्रीलंका** और **थाईलैंड।**
- **गठन और विकास:** वर्ष 1997 में BIST-EC के रूप में स्थापित, उसी वर्ष **म्याँमार के इसमें शामिल होने के बाद** इसका नाम बदलकर **BIMST-EC** कर दिया गया।
  - **नेपाल और भूटान** वर्ष 2004 में इसमें शामिल हो गए, जिससे वर्तमान सदस्यता पूरी हो गई; यह औपचारिक रूप से BIMSTEC बन गया।
- **संस्थागत आधार:** कोलंबो शिखर सम्मेलन- 2022 ने BIMSTEC चार्टर का अंगीकरण किया, जिससे इसे एक कानूनी, संस्थागत क्षेत्रीय निकाय के रूप में स्थापित किया गया।
  - चार्टर में उद्देश्यों, सिद्धांतों और परिचालन संरचनाओं का उल्लेख किया गया है; सभी सदस्यों द्वारा अनुमोदन के बाद यह लागू हुआ।
- **सचिवालय और संरचना:** BIMSTEC सेक्रिटेरीयट वर्ष 2014 में **ढाका में स्थापित** किया गया था।
  - यह क्षेत्रीय कार्यों का समन्वय करता है तथा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सदस्यों के बीच **अंतर-सरकारी सहयोग** को सुविधाजनक बनाता है।
- **क्षेत्रों का विस्तार:** BIMSTEC की शुरुआत सहयोग के छह क्षेत्रों से हुई थी; समय के साथ, इसका विस्तार 14 प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्रों तक हो गया।
  - प्रत्येक सदस्य राज्य विशिष्ट क्षेत्रों का नेतृत्व करता है, जिसमें भारत **सुरक्षा,** आतंकवाद निरोध, आपदा प्रबंधन **और ऊर्जा** का नेतृत्व करता है।
- **सामरिक संपर्क सेतु:** यह समूह SAARC और ASEAN के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करता है, जो भारत-पाक तनाव के कारण SAARC की सीमाओं को दरकिनार करता है।
  - यह भारत की एक्ट ईस्ट और नेबरहुड फर्स्ट नीतियों के अनुरूप है तथा कनेक्टिविटी एवं सहयोग के माध्यम से क्षेत्रवाद को बढ़ावा देता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

बिम्सटेक

बंगाल की खाड़ी बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल

सदस्य: 7

महत्त्व: दुनिया की 22% आबादी की मेजबानी करता है, सकल घरेलू उत्पाद का 3.8 ट्रिलियन है

गठन: 6 जून 1997 (बैंकाक घोषणा)

सचिवालय: ढाका, बांग्लादेश

भूटान

- भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है
- पारस्परिक रूप से लाभकारी जलविद्युत सहयोग: मंगदेचु, खोलोंगचु, चूखा जलविद्युत परियोजनाएँ
- ग्यालसुंग परियोजना के लिये भारत की अनुदान सहायता
- भारत के राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क के साथ भूटान के ड्रुकरेन (DrukREN) का एकीकरण

नेपाल

- 5 भारतीय राज्यों (उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार) के साथ सीमा साझा करता है
- भारत के अयोध्या और नेपाल के जनकपुर को जोड़ने वाली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन
- प्रमुख मुद्दे: प्रादेशिक विवाद (कालापानी, लिंपियाधुरा और लिपुलेख)
- सैन्य अभ्यास: सूर्य किरण (सेना)

म्यांमार

- एकमात्र दक्षिण पूर्वी एशियाई देश जो उत्तर-पूर्वी भारत के साथ एक भूमि सीमा साझा करता है
- 2021 के तख्तापलट ने म्यांमार को सैन्य शासन में लौटा दिया
- भारत की विकास सहायता: भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग, कलादान मल्टी-मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट (केएमएमटीटी), सित्वे बंदरगाह
- प्रमुख मुद्दा: रोहिंग्या संकट

श्रीलंका

- भारत श्रीलंका का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है
- भारत आईएमएफ में श्रीलंका के ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम का आधिकारिक रूप से समर्थन करने वाला पहला देश है
- प्रमुख मुद्दा: समुद्री सीमा पार कर रहे मछुआरे
- महत्वपूर्ण अभ्यास: मित्र शक्ति (सेना), SLINEX (नौसेना)

बांग्लादेश

- भारत के साथ 4,096 किमी से अधिक की सबसे लंबी सीमा साझा करता है
- दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार
- जल बँटवारे संबंधी समझौते: कुशियारा नदी (2022), गंगा जल संधि (1996)
- प्रमुख मुद्दे: तीस्ता नदी जल विवाद
- सैन्य अभ्यास: संप्रीति-X (सैन्य प्रशिक्षण), बोंगोसागर (नौसेना)

थाईलैंड

- थाई भाषा दक्षिण भारतीय पल्लव वर्णमाला से प्राप्त लिपि में लिखी जाती है
- हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म - भारतीय मूल के दोनों धर्म थाईलैंड में लोकप्रिय हैं
- थाईलैंड की 'एक्ट वेस्ट' नीति के साथ भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति का अभिसरण
- सैन्य अभ्यास: मैत्री (सेना), सियाम भारत (वायु सेना), हंसा-थाई कॉर्पोट (नौसेना)

Drishti IAS

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

भारत और हिंद-प्रशांत के लिये BIMSTEC का क्या महत्त्व है?

- **हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सामरिक प्रासंगिकता:** BIMSTEC **दो भू-रणनीतिक उप-क्षेत्रों को जोड़ता है,** जिससे **भारत को हिंद-प्रशांत क्षेत्रवाद में केंद्रीय भूमिका** मिलती है।
  - **बंगाल की खाड़ी** हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री व्यापार मार्गों और क्षेत्रीय संपर्क के लिये **महत्त्वपूर्ण** है।
- **SAARC की सीमाओं का प्रतिकार:** BIMSTEC **SAARC के लिये एक विकल्प** प्रदान करता है, जो भारत-पाकिस्तान शत्रुता के कारण शक्तिहीन बना हुआ है।
  - भारत ने उरी अटैक- 2016 के बाद BIMSTEC के साथ अपने **संबंधों को बढ़ाने के लिये इसका इस्तेमाल** किया है, जो **BRICS-BIMSTEC संपर्क से स्पष्ट** है।
- **व्यापार और आर्थिक मूल्य:** BIMSTEC देश **वैश्विक जनसंख्या का 22% प्रतिनिधित्व** करते हैं, जिनका संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद 5.2 ट्रिलियन डॉलर (वर्ष 2023) है।
  - BIMSTEC मुक्त व्यापार क्षेत्र पर फ्रेमवर्क समझौता, हालाँकि वर्ष 2004 से क्रियान्वित नहीं हुआ है, लेकिन इससे अंतर-क्षेत्रीय व्यापार को वर्तमान 10% से अधिक महत्त्वपूर्ण रूप से बढ़ावा मिल सकता है।
- **भारत का क्षेत्रीय नेतृत्व:** भारत BIMSTEC के अंतर्गत चार महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों: सुरक्षा, आतंकवाद-निरोध, ऊर्जा और आपदा प्रबंधन का नेतृत्व करता है।
  - इससे भारत को क्षेत्रीय सार्वजनिक वस्तुओं को संस्थागत बनाने और विभिन्न क्षेत्रों में रणनीतिक संवाद को आयाम देने में मदद मिलेगी।
- **कनेक्टिविटी और एकीकरण लक्ष्य:** परिवहन कनेक्टिविटी पर **BIMSTEC मास्टर प्लान क्षेत्रीय रसद और आवागमन में सुधार के लिये एक ब्लूप्रिंट** है।
  - इसमें समुद्री, सड़क, रेल और विमानन क्षेत्रों की **264 परियोजनाएँ** शामिल हैं, जो **क्षेत्रीय व्यापार गलियारों को प्रगति करने में सहायता** करेंगी।
- **पूर्व और दक्षिण-पूर्व एशिया से संपर्क:** कलादान मल्टीमॉडल ट्रांज़िट और भारत-म्याँमार-थाईलैंड राजमार्ग जैसी परियोजनाएँ **ASEAN के लिये भारत का प्रवेश द्वार** हैं।
  - ये मार्ग थाईलैंड, म्याँमार और अन्य देशों के साथ भारत के आर्थिक तथा **लोगों के बीच संबंधों को मज़बूत** करते हैं।
- **BIMSTEC और भारत की कूटनीति:** भारत द्वारा BIMSTEC का उपयोग क्वाड, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA) **और ASEAN के साथ हिंद-प्रशांत क्षेत्र में इसके बहु-संरेखण** को दर्शाता है।
  - छठे शिखर सम्मेलन में IORA और संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय (UNODC) के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन से भारत की कूटनीतिक एवं कार्यात्मक उपस्थिति का विस्तार है।
- **समावेशी विकास पर ध्यान:** BIMSTEC के माध्यम से भारत सतत् विकास लक्ष्यों और क्षेत्रीय कल्याण संबंधी अनिवार्यताओं के अनुरूप **समावेशी विकास को आगे बढ़ा सकता है।**
  - सार्वजनिक स्वास्थ्य, जलवायु अनुकूलन और ब्लू इकॉनमी जैसे क्षेत्र **लक्षित, जन-केंद्रित कूटनीति के अवसर** प्रदान करते हैं।
  - **BIMSTEC एक सुगम एवं बाधा-मुक्त मंच प्रदान करता है:** भारत BIMSTEC को प्राथमिकता देता है, क्योंकि इसमें पाकिस्तान शामिल नहीं है, जिससे राजनीतिक बाधाएँ कम होंगी तथा संपर्क एवं क्षेत्रीय परियोजनाओं में **कार्यात्मक सहयोग संभव** होगा।
- **BIMSTEC भारत के रणनीतिक और नेतृत्व लक्ष्यों के अनुरूप है:** सदस्यों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों और प्रमुख क्षेत्रों में भारत की अग्रणी भूमिका के साथ, BIMSTEC **भारत की एक्ट ईस्ट नीति** तथा क्षेत्रीय एजेंडा-निर्धारण का SAARC की तुलना में अधिक प्रभावी ढंग से समर्थन करता है।

छठे BIMSTEC शिखर सम्मेलन के प्रमुख परिणाम क्या हैं?

- **बैंकॉक विज़न 2030 का अंगीकरण:** बैंकॉक विज़न- 2030 BIMSTEC का नया रणनीतिक ब्लूप्रिंट है, जो संयुक्त राष्ट्र SDG और **थाईलैंड के बायो-सर्कुलर-ग्रीन (BCG) इकॉनमी मॉडल पर आधारित** है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

भारत ने अपना ध्यान SAARC से हटाकर BIMSTEC पर क्यों केंद्रित कर लिया है?		
मानदंड	BIMSTEC	SAARC
सदस्य देश	BIMSTEC = SAARC – (पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मालदीव) + (म्याँमार, थाईलैंड)	अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका।
रणनीतिक केंद्र	हिंद-प्रशांत पुल, कनेक्टिविटी, मेरीटाइम	दक्षिण एशियाई पहचान, सामाजिक-आर्थिक मुद्दे
कार्यक्षमता	सक्रिय संस्थागत सुधार, विज़न डॉक्यूमेंट्स	राजनीतिक गतिरोध के कारण निष्क्रिय
भारत की भूमिका	अग्रणी क्षेत्रीय प्रयास (सुरक्षा, ऊर्जा)	पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय तनाव से बाधित
मुख्य अड़चन	वित्तपोषण, FTA में विलंब, संस्थागत कमज़ोरी	भारत-पाक प्रतिद्वंद्विता के कारण कार्यान्वयन में बाधा
हाल की प्रगति	बैंकॉक विज़न- 2030, समुद्री परिवहन समझौता	पिछला शिखर सम्मेलन वर्ष 2014 में हुआ था, लेकिन कोई हालिया परिणाम नहीं आया

- इसका **उद्देश्य** क्षेत्र के 1.7 बिलियन लोगों के लिये एक **समृद्ध, अनुकूल और खुले BIMSTEC को आकार देना** है।
- **प्रो BIMSTEC का परिचय:** प्रो BIMSTEC एक विषयगत कार्यढाँचा है जिसके तीन स्तंभ हैं: **समृद्धि, अनुकूलन और खुलापन।**
  - यह व्यापार और निवेश को बढ़ावा देता है, कृषि एवं स्वास्थ्य प्रणालियों को सुदृढ़ करता है तथा सतत् पर्यटन **को बढ़ावा** देता है।
- **समुद्री परिवहन सहयोग समझौता:** सदस्यों ने वस्तु परिवहन और यात्री आवागमन को बढ़ाने के लिये **समुद्री परिवहन सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर** किये।
  - यह बंगाल की खाड़ी में **समुद्री सुरक्षा, क्षेत्रीय रसद** और ब्लू इकॉनमी **के विकास का समर्थन** करता है।
- **संस्थागत सुदृढ़ीकरण के उपाय: BIMSTEC तंत्र के लिये प्रक्रिया नियम** अपनाए गए, जिससे पारदर्शिता और संस्थागत दक्षता में वृद्धि होगी।
  - ये नियम शिखर सम्मेलनों, मंत्रिस्तरीय बैठकों और कार्य समूहों के लिये प्रक्रियागत स्पष्टता सुनिश्चित करते हैं।
- **बाह्य सहयोग में वृद्धि:** अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं विषयगत अभिसरण को व्यापक बनाने के लिये **IORA और UNODC के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर** किये गए।
  - IORA साझेदारी समुद्री संपर्क को समर्थन देती है; UNODC की भागीदारी अपराध रोकथाम और प्रशासन पर केंद्रित है।
- **EPG रिपोर्ट से रणनीतिक मार्गदर्शन:** BIMSTEC की भावी दिशा पर प्रतिष्ठित व्यक्ति समूह (EPG) की रिपोर्ट को वर्ष भर के विचार-विमर्श के बाद अंतिम रूप दिया गया।
  - इसमें क्षेत्रों को प्राथमिकता देने, **संस्थागत युक्तिकरण** और प्रदर्शन-आधारित कार्यान्वयन मेट्रिक्स की अनुशंसा की गई है।
- **द्विपक्षीय कूटनीति हाशिये पर:** भारतीय प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन के दौरान म्याँमार के सैन्य नेतृत्व और बांग्लादेश के वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं के साथ वार्ता की।
  - ये वार्ताएँ भूकंप सहायता, सीमा सुरक्षा तथा राजनीतिक परिवर्तन के बाद द्विपक्षीय संबंधों के पुनर्निर्धारण पर केंद्रित रहीं।

कौन-सी प्रमुख चुनौतियाँ BIMSTEC समूह की प्रभावशीलता को कमज़ोर कर रही हैं?

- **FTA कार्यान्वयन में विलंब:** वर्ष 2004 में शुरू किया गया BIMSTEC मुक्त व्यापार क्षेत्र दो दशकों की वार्ता के बाद भी क्रियान्वित नहीं हो पाया है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- इससे **व्यापार उदारीकरण में विलंब** होता है तथा ब्लॉक के भीतर आर्थिक एकीकरण और निवेशकों का विश्वास कमज़ोर होता है।
- **अपर्याप्त वित्तपोषित सचिवालय:** ढाका स्थित सचिवालय **स्टाफ की कमी, सीमित अधिदेश और अपर्याप्त वित्तीय स्वायत्तता से ग्रस्त** है।
  - इससे इसकी परिचालन प्रभावशीलता सीमित हो जाती है, विशेष रूप से कार्यक्रम समन्वय और निगरानी में।
- **कनेक्टिविटी परियोजना में विलंब:** परिवहन कनेक्टिविटी के लिये **BIMSTEC मास्टर प्लान जैसी परिवहन कनेक्टिविटी योजनाओं** को कार्यान्वयन में विलंब और लागत में वृद्धि का सामना करना पड़ता है।
  - मंत्रालयों और देशों के बीच वित्त पोषण एवं समन्वय की कमी से बुनियादी अवसंरचना की डिलीवरी में बाधा आती है।
- **क्षेत्र में राजनीतिक अस्थिरता:** म्याँमार का नागरिक संघर्ष और बांग्लादेश में शासन परिवर्तन **क्षेत्रीय सद्भाव एवं सहयोगात्मक योजना के लिये खतरा** है।
  - ऐसी अस्थिरता आम सहमति बनाने में बाधा डालती है तथा साझा क्षेत्रीय लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को धीमा कर देती है।
- **वित्तीय तंत्र का अभाव:** समर्पित BIMSTEC कोष के अभाव का अर्थ है कि **परियोजनाएँ स्वैच्छिक राष्ट्रीय योगदान पर निर्भर** हैं।
  - इसके परिणामस्वरूप वित्तपोषण में असंतुलन उत्पन्न होता है तथा बहु-देशीय पहलों के कार्यान्वयन में अंतराल उत्पन्न होता है।
- **सर्वसम्मति से निर्णय लेने में बाधा:** समावेशी होते हुए भी, सर्वसम्मति आधारित मॉडल संवेदनशील विषयों पर प्राय: नीतिगत निष्क्रियता का कारण बनता है।
  - भिन्न-भिन्न राजनीतिक हितों के कारण **सुरक्षा, आतंकवाद-निरोध और प्रवासन सहयोग** प्रभावित होते हैं।

कौन-से रणनीतिक कदम क्षेत्र में BIMSTEC की भूमिका और प्रासंगिकता को सुदृढ़ कर सकते हैं?

- **संस्थागत क्षमता में वृद्धि:** सचिवालय को तकनीकी विशेषज्ञों, पर्याप्त वित्त पोषण और व्यापक कार्यात्मक अधिदेश के साथ सुदृढ़ किया जाना चाहिये।
  - इसे BIMSTEC कार्यक्रमों के अंतर-क्षेत्रीय एकीकरण और प्रदर्शन ट्रैकिंग का नेतृत्व करना चाहिये।
- **BIMSTEC विकास कोष का निर्माण:** कनेक्टिविटी, जलवायु अनुकूलन और डिजिटल पब्लिक गुड्स के वित्तपोषण के लिये **एक समर्पित वित्तपोषण तंत्र आवश्यक** है।
  - **सदस्य-राज्य योगदान और प्रदाता साझेदारी** दीर्घकालिक सहयोग को कायम रख सकती है।
- **त्वरित FTA और व्यापार सहयोग:** वस्तुओं, सेवाओं और निवेश को शामिल करते हुए BIMSTEC FTA कार्यान्वयन के लिये समयसीमा निर्धारित किया जाना चाहिये।
  - इससे अंतर-क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और वैश्विक उत्तरी अर्थव्यवस्थाओं पर निर्भरता कम होगी।
- **कनेक्टिविटी मास्टरप्लान में तीव्रता लाना:** परिवहन कनेक्टिविटी पर BIMSTEC मास्टर प्लान के तहत प्रमुख बुनियादी अवसंरचना नोड्स को प्राथमिकता दी जानी चाहिये।
  - नियमित अद्यतनीकरण और सीमापार सुविधा से समन्वय संबंधी विफलताओं को दूर किया जा सकता है।
- **क्षेत्रीय गहनता को व्यापक बनाना:** डिजिटल इकॉनमी, हरित प्रौद्योगिकी **और सार्वजनिक स्वास्थ्य** जैसे नए सहयोग क्षेत्रों को संस्थागत बनाया जाना चाहिये।
  - कोविड-उपरांत समुत्थानशक्ति के लिये **स्वास्थ्य और आपदा प्रणालियों में क्षेत्रीय तैयारी की आवश्यकता** है।
- **हितधारक सहभागिता को बढ़ावा देना:** ट्रैक 1.5 और 2.0 कूटनीति में **शिक्षाविदों, नागरिक समाज एवं व्यापार नेटवर्क** को शामिल किया जाना चाहिये।
  - इससे नीति निर्माण के लिये समावेशी स्वामित्व और निचले स्तर से फीडबैक सुनिश्चित होता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **नेतृत्व और आम सहमति में संतुलन:** भारत को हावी हुए बिना नेतृत्व करना चाहिये तथा छोटे सदस्यों के बीच समान सहयोग एवं विश्वास को बढ़ावा देना चाहिये।
  - नेतृत्व में क्षमता साझाकरण, मानवीय सहायता और क्षेत्रीय स्थिरता पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिये।

निष्कर्ष

BIMSTEC को **विज़न से आगे बढ़कर वास्तविक कार्रवाई की ओर** बढ़ाने की आवश्यकता है। संस्थागत सुधार, व्यापार कार्यढाँचे और समावेशी जुड़ाव इसकी विश्वसनीयता के लिये महत्त्वपूर्ण हैं। सुसंगत नेतृत्व, साझा वित्तपोषण और अनुकूल कूटनीति के साथ, समूह आकांक्षात्मक संवाद से **भारत-प्रशांत एकीकरण के कार्यात्मक स्तंभ में परिवर्तित** हो सकता है, जिससे **स्थिरता, समृद्धि एवं क्षेत्रीय सामंजस्य को बढ़ावा** मिलेगा।

■■■

सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल की चुनौतियाँ और समाधान

यह एडिटोरियल 07/04/2025 को द हिंदू में प्रकाशित "Bridging gaps, building resilience" पर आधारित है। इस लेख में भारत में बीमारियों और स्वास्थ्य सेवा असमानताओं के दोहरे बोझ को सामने लाया गया है, जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार अपर्याप्त फंडिंग और उच्च आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय के कारण लाखों लोगों को निर्धनता से जूझना पड़ रहा है। आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं के बावजूद, असमान अभिगम बना हुआ है।

भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली लगातार संचारी रोगों और बढ़ती गैर-संचारी स्थितियों के दोहरे बोझ का सामना कर रही है, जिसमें ग्रामीण-शहरी बुनियादी अवसंरचना की असमानताएँ एवं अपर्याप्त सार्वजनिक स्वास्थ्य निधियाँ शामिल हैं। आयुष्मान भारत और डिजिटल स्वास्थ्य प्लेटफॉर्म जैसी पहलों के माध्यम से प्रगति के बावजूद, असमान अभिगम एक चिंता का विषय बनी हुई है। **उच्च आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय** के कारण **प्रत्येक वर्ष 55 मिलियन भारतीयों को निर्धनता से जूझना पड़ता है**, जो **निवारक देखभाल और सार्वभौमिक कवरेज में निवेश बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता** को उजागर करता है।

भारत के स्वास्थ्य सेवा बुनियादी अवसंरचना और समुत्थानशीलन में हाल के प्रमुख विकास क्या हैं?

- **आधारभूत संरचना:**
  - **स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का विस्तार: भारत सरकार** आयुष्मान आरोग्य मंदिर की स्थापना के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार कर रही है।
    - यह विस्तार **रोग का शीघ्र पता लगाने, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य तथा गैर-संचारी रोग प्रबंधन** जैसी सेवाएँ प्रदान करके ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना में गहन अंतराल को दूर करता है।
    - फरवरी 2025 तक, पूरे भारत में **1.7 लाख से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर** संचालित किये जा चुके हैं, जिनका उद्देश्य वंचित ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली आबादी को सेवा प्रदान करना है।
  - **उन्नत चिकित्सा प्रौद्योगिकी और AI एकीकरण में निवेश:** भारत के स्वास्थ्य सेवा बुनियादी अवसंरचना में निदान, उपचार परिणामों और रोगी देखभाल में सुधार के लिये **अत्याधुनिक चिकित्सा प्रौद्योगिकियों और** कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) **को तेज़ी से एकीकृत** किया गया है।
    - इसमें AI-संचालित चिकित्सा उपकरण, रोबोटिक सर्जरी उपकरण और अस्पतालों में रोगी भर्ती एवं संसाधन आवंटन को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने के लिये पूर्वानुमानात्मक विश्लेषण शामिल हैं।
    - उदाहरण के लिये, **अपोलो हॉस्पिटल्स** AI का उपयोग करके अपने स्टाफ का कार्यभार कम करने पर ज़ोर दे रहा है, जबकि **DNA वेलनेस** ने पूरे भारत में **100 सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग लैब** स्थापित करने के लिये **200 करोड़ रुपए का निवेश** करने की घोषणा की है।
  - **मेडिकल कॉलेजों का विस्तार:** भारत में बढ़ती स्वास्थ्य देखभाल मांगों से निपटने के लिये सरकार ने **नए AIIMS और मेडिकल कॉलेजों की स्थापना में तेज़ी** लाई है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- इस कदम का उद्देश्य विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य पेशेवरों की कमी को दूर करना तथा विशेष चिकित्सा देखभाल की उपलब्धता में सुधार करना है।
- उदाहरण के लिये, सरकार की वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार, देश भर में 22 AIIMS **विकास के विभिन्न चरणों में** हैं।

- **समुत्थानशीलन:**
  - **टेलीमेडिसिन और डिजिटल स्वास्थ्य समाधान: भारत ने डिजिटल स्वास्थ्य समाधानों,** विशेष रूप से **टेलीमेडिसिन** को अपनाकर अपनी स्वास्थ्य सेवा क्षमता में उल्लेखनीय सुधार किया है।
    - आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) ने **73 करोड़ स्वास्थ्य खाते** (ABHA) बनाए हैं, जिससे संस्थानों में स्वास्थ्य रिकॉर्ड का निर्बाध, डिजिटल आदान-प्रदान संभव हो पाया है
    - 6 अप्रैल, 2025 तक, ई-संजीवनी ने वर्ष 2020 में अपनी शुरुआत के बाद से टेली-परामर्श के माध्यम से **36 करोड़ से अधिक रोगियों को सेवा** प्रदान की है।
    - भारत में **टेलीमेडिसिन मार्केट** वित्त वर्ष 2025 तक **5.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने की उम्मीद** है, जो स्वास्थ्य सेवा समुत्थानशीलन में **डिजिटल सॉल्यूशन्स के बढ़ते महत्त्व** को दर्शाता है।
  - **फार्मास्युटिकल उद्योग का विकास:** भारत का **फार्मास्युटिकल क्षेत्र** स्वास्थ्य सेवा समुत्थानशीलन के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में उभरा है, जो **टीकों और आवश्यक दवाओं की वैश्विक आपूर्ति** में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
    - देश की **अभूतपूर्व पैमाने पर** कोविड-19 टीकों का उत्पादन **और वितरण क्षमता,** साथ ही टीका निर्यात में अग्रणी होने से, उसके स्वास्थ्य समुत्थानशीलन में बहुत वृद्धि हुई है।
    - उदाहरण के लिये, **भारत ने 220 करोड़ से अधिक COVID-19 वैक्सीन खुराकें** लगाई हैं, जिनमें से **30 करोड़ खुराकें निर्यात** की गई हैं।
  - **मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं और टेली मानसिक स्वास्थ्य में निवेश:** बढ़ते मानसिक स्वास्थ्य संकट को देखते हुए, भारत ने **टेली-मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता** दी है, विशेष रूप से राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (टेली MANAS) **के माध्यम से,** जो मनोवैज्ञानिक सेवाओं तक दूरस्थ पहुँच प्रदान करता है।
    - इस पहल ने पूरे देश में, विशेष रूप से दूरदराज़ के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिये मानसिक स्वास्थ्य देखभाल तक अभिगम सुनिश्चित करके **मानसिक स्वास्थ्य समुत्थानशीलन का विस्तार** किया है।
    - 1 अप्रैल 2025 तक, 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने देश भर में मानसिक स्वास्थ्य सहायता प्रदान करने के लिये **पहले ही 53 टेली मानस प्रकोष्ठ स्थापित** कर दिये हैं।

भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली से जुड़े प्रमुख मुद्दे क्या हैं?

- **स्वास्थ्य सेवा तक असमान पहुँच:** भारत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच में महत्त्वपूर्ण असमानता से जूझ रहा है।
  - अनेक सरकारी पहलों के बावजूद, ग्रामीण भारत को **स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी अवसंरचना और चिकित्सा पेशेवरों की भारी कमी** का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण स्वास्थ्य परिणाम असमान हो रहे हैं।
  - शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल संसाधनों का संकेंद्रण इन असमानताओं को बढ़ाता है।
  - भारत की **लगभग 70% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में** रहती है, लेकिन **केवल 35-40% स्वास्थ्य सेवा बुनियादी अवसंरचना वहाँ स्थित** है।
    - इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में **प्रति 1,000 व्यक्तियों पर केवल 1.7 नर्सें** हैं, जो **प्रति 1,000 पर 3-4 के वैश्विक मानक से काफी कम** है।
- **उच्च आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय:** भारत की **स्वास्थ्य सेवा प्रणाली अभी भी** बहुत अधिक **आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय पर निर्भर** है, जो प्रत्येक वर्ष **लाखों भारतीयों के गरीबी का कारण** बनती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- यद्यपि **आयुष्मान भारत जैसी सरकारी योजनाओं** का उद्देश्य परिवारों पर वित्तीय बोझ को कम करना है, फिर भी **निजी स्वास्थ्य सुविधाओं पर समग्र निर्भरता** बढ़ती जा रही है।
- भारत के लिये राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान **(सत्र 2019-20)** के अनुसार, स्वास्थ्य देखभाल पर आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय **कुल स्वास्थ्य व्यय का 47.1%** था।
  - यह अनुमान लगाया गया है कि स्वास्थ्य देखभाल लागत के कारण **प्रत्येक वर्ष 55 मिलियन भारतीय गरीबी रेखा से नीचे चले जाते हैं।**

- **स्वास्थ्य सेवा वितरण का विखंडन:** भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली विखंडित बनी हुई है तथा सार्वजनिक एवं निजी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रों के बीच गहरा अंतर है।
  - निजी क्षेत्र अधिकांश माध्यमिक, तृतीयक और चतुर्थक देखभाल संस्थान प्रदान करता है, जिनमें से अधिकांश महानगरों, टियर-I एवं टियर-II शहरों में केंद्रित हैं, जबकि **सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा अभी भी सकल घरेलू उत्पाद के 1.9% व्यय के साथ संघर्ष** कर रही है।
  - इस विखंडन के कारण स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता में विसंगति उत्पन्न होती है, जहाँ सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएँ प्राय: अपर्याप्त वित्तपोषित होती हैं तथा उन पर अत्यधिक दबाव होता है।

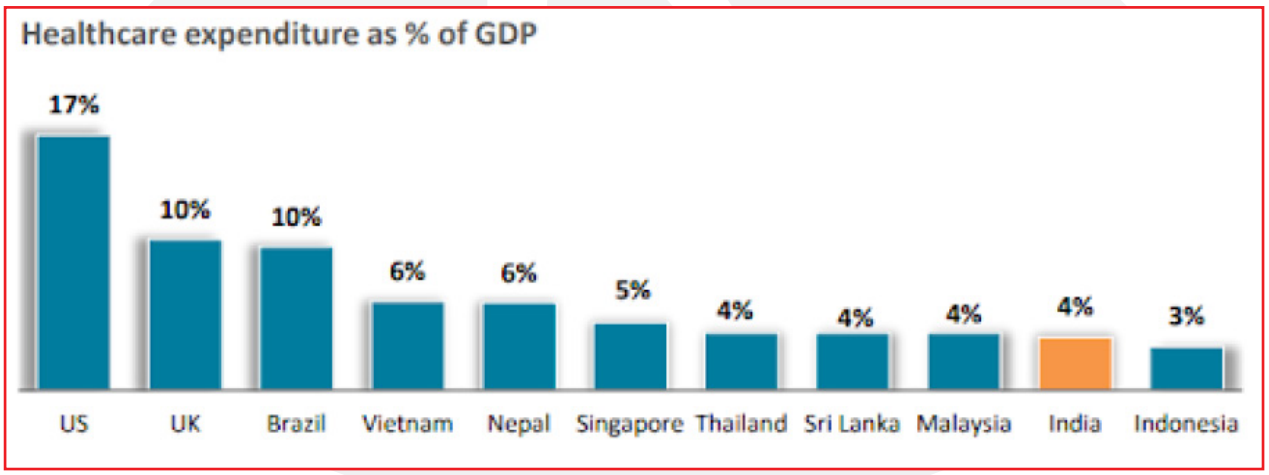

- **गैर-संचारी रोगों (NCD) का बढ़ता बोझ:** भारत **रोगों के दोहरे बोझ का सामना** कर रहा है, जिसमें **परंपरागत संचारी रोगों के साथ-साथ मधुमेह, उच्च रक्तचाप और हृदय संबंधी रोगों** जैसे गैर-संचारी रोगों **(NCD)** का प्रचलन भी बढ़ रहा है।
  - NCD के बढ़ते प्रचलन के लिये **गतिहीन जीवन शैली, अनुचित आहार-शैली व तंबाकू का सेवन** (जैसा कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में भी उद्धृत किया गया है) को जिम्मेदार ठहराया गया है, जिससे पहले से ही बोझिल स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पर और अधिक दबाव पड़ रहा है।
  - अनुमान है कि **5-6 मिलियन भारतीय** प्रतिवर्ष गैर-संचारी रोगों के कारण अपनी जान गंवाते हैं। 30 वर्ष से अधिक आयु के 22% भारतीयों को 70 वर्ष की आयु से पूर्व गैर-संचारी रोगों के कारण **मृत्यु का खतरा** होता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

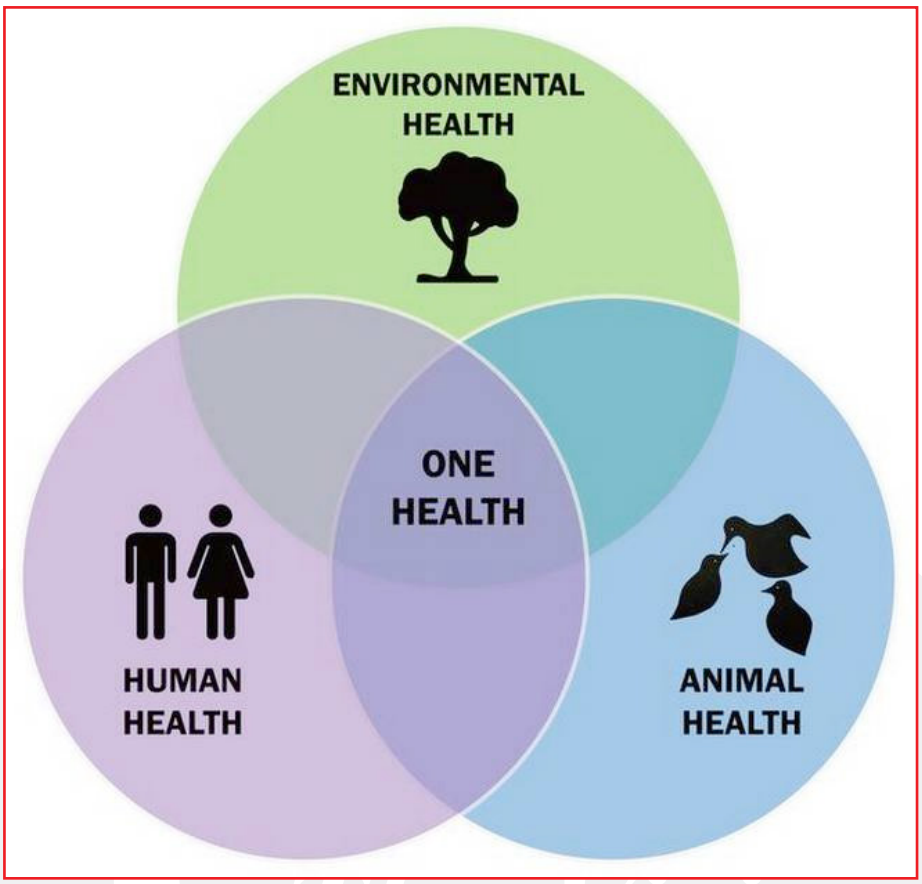

- **स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधन और प्रशासन में अकुशलता:** भारत की स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधन प्रणाली की प्राय: **अकुशलता और केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय की कमी** के लिये आलोचना की जाती है।
  - राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति- 2017 जैसे नीतिगत ढाँचों के बावजूद, कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियाँ बनी हुई हैं, विशेष रूप से **शासन, डेटा संग्रहण और गुणवत्ता आश्वासन** के संदर्भ में।
  - ये मुद्दे स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समग्र प्रभावशीलता में बाधा डालते हैं, जिसके परिणामस्वरूप सेवाएँ खंडित हो जाती हैं और उभरते स्वास्थ्य संकटों के मोचन में विलंब होता है।
  - उदाहरण के लिये, PM-JAY योजना के तहत **55 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ** मिला है, लेकिन **धोखाधड़ी का पता लगाने और सेवा वितरण की गुणवत्ता** संबंधी समस्याएँ इसकी प्रभावशीलता को कमज़ोर कर रही हैं।
    - आयुष्मान भारत योजना पर हाल ही में CAG की रिपोर्ट में **अवैध मोबाइल नंबर** और **संभावित धोखाधड़ी सहित अनियमितताओं का खुलासा** हुआ है।
- **सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज में चुनौतियाँ:** स्वास्थ्य सेवा तक अभिगम में सुधार के लिये महत्त्वपूर्ण प्रगति के बावजूद, भारत को अभी भी **सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC) प्राप्त करने में चुनौतियों** का सामना करना पड़ रहा है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा, विशेषकर ग्रामीण और आर्थिक रूप से वंचित क्षेत्रों में, औपचारिक स्वास्थ्य बीमा प्रणाली से बाहर है।
- यद्यपि **आयुष्मान भारत** ने काफी प्रगति की है, फिर भी प्रणालीगत बाधाएँ और उपलब्ध योजनाओं के बारे में जागरूकता की कमी **UHC में बाधा** बनी हुई है।
- **73 करोड़ से अधिक** आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते बनाए गए हैं, लेकिन **स्वास्थ्य बीमा का कवरेज सीमित** बना हुआ है, वित्त वर्ष **2024 में कुल स्वास्थ्य प्रीमियम** में **स्वास्थ्य बीमा की हिस्सेदारी केवल 33.33%** है।

- **पर्यावरणीय स्वास्थ्य और एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण की उपेक्षा: वायु और जल प्रदूषण** जैसे पर्यावरणीय कारकों को **प्रमुख स्वास्थ्य जोखिमों के रूप में पहचाना** जा रहा है, फिर भी इन जोखिमों को कम करने के प्रयास अपर्याप्त हैं।
  - प्रमुख शहरों में खराब वायु गुणवत्ता के कारण श्वसन संबंधी बीमारियाँ और हृदय संबंधी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं, जिससे **सार्वजनिक स्वास्थ्य पर गंभीर असर** पड़ता है।
    - प्रभावी पर्यावरणीय स्वास्थ्य नीतियों का अभाव इस समस्या को और बढ़ा देता है, विशेष रूप से उच्च प्रदूषण स्तर वाले शहरी केंद्रों में।
    - वर्ष 2019 में भारत में **1.6 मिलियन मौतों के लिये** वायु प्रदूषण जिम्मेदार था। **दिल्ली जैसे प्रमुख शहरों** में वायु की गुणवत्ता प्राय: खतरनाक स्तर तक बिगड़ जाती है।
  - इसके अलावा, **निपाह, एवियन इन्फ्लूएंज़ा जैसी** जूनोटिक बीमारियों **और बढ़ती** रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AMR) के प्रति भारत की सुभेद्यता को देखते हुए, एक एकीकृत कार्यढाँचे का अभाव एक महत्त्वपूर्ण कमी है।

स्वास्थ्य सेवा के मामले में भारत अन्य देशों से क्या सीख ले सकता है?

- **थाईलैंड: सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC)**
  - थाईलैंड का UHC एक कुशल सार्वजनिक बीमा मॉडल के माध्यम से लगभग सार्वभौमिक स्वास्थ्य पहुँच प्रदान करता है, जिससे **वित्तीय बाधाएँ न्यूनतम** हो जाती हैं।
    - **भारत सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज** प्रदान करने के लिये एक समान प्रणाली अपना सकता है जो सभी के लिये, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, किफायती देखभाल सुनिश्चित करती है
- **क्यूबा: प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा पर ध्यान**
  - क्यूबा **निवारक देखभाल** और **सुदृढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों पर ज़ोर** देता है, जिसमें प्रारंभिक पहचान के लिये समुदायों में डॉक्टरों को तैनात किया जाता है।
    - **भारत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHC)** और **निवारक सेवाओं** को बढ़ाकर इसका अनुकरण कर सकता है, ताकि स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को बढ़ने से पहले ही उनसे निपटा जा सके।
- **जर्मनी: स्वास्थ्य बीमा विस्तार**
  - जर्मनी की **दोहरी सार्वजनिक-निजी बीमा** प्रणाली **सार्वभौमिक कवरेज** प्रदान करती है, तथा सार्वजनिक पहुँच एवं **निजी विकल्प के बीच संतुलन** बनाती है।
    - भारत गुणवत्तापूर्ण देखभाल बनाए रखते हुए व्यापक कवरेज सुनिश्चित करने के लिये **हाइब्रिड प्रणाली** अपना सकता है।
- **एस्टोनिया: डिजिटल स्वास्थ्य एकीकरण**
  - एस्टोनिया की **डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली** निर्बाध स्वास्थ्य सेवा वितरण के लिये सार्वभौमिक **इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड** प्रदान करती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- भारत अपने **डिजिटल स्वास्थ्य प्लेटफॉर्मों को बढ़ाकर** सभी सेवाओं में **इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड** को एकीकृत कर सकता है।

- **स्वीडन: स्वास्थ्य सेवा वित्तपोषण**
  - स्वीडन स्वास्थ्य सेवा के वित्तपोषण के लिये **प्रगतिशील कराधान का उपयोग** करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सेवा के स्थान पर यह नि:शुल्क हो।
    - भारत भी अपनी जेब से होने वाले खर्च को कम करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल के वित्तपोषण को बढ़ाने के लिये इसी तरह की **प्रगतिशील कर प्रणाली** के बारे में सोच सकता है। **(हालाँकि स्वास्थ्य देखभाल उपकर पहले से ही मौजूद है)**
- **इथियोपिया: सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता**
  - इथियोपिया दूरदराज़ के क्षेत्रों में देखभाल उपलब्ध कराने के लिये **सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं का उपयोग** करता है, जिससे **पहुँच में सुधार** होता है।
    - **भारत ASHA जैसी सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं** को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करके उनकी भूमिका का विस्तार और सुरक्षा कर सकता है।

भारत अपनी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को बेहतर बनाने के लिये क्या उपाय अपना सकता है?

- **टेलीमेडिसिन एकीकरण के साथ ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा बुनियादी अवसंरचना को सुदृढ़ करना:** शहरी-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा विभाजन को समाप्त करने के लिये, भारत को **आयुष्मान आरोग्य मंदिर का विस्तार** करके और उन्हें **टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्मों के साथ एकीकृत** करके ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा बुनियादी अवसंरचना को महत्त्वपूर्ण रूप से बढ़ाना होगा।
  - दूरदराज़ के क्षेत्रों में विशेषज्ञ परामर्श प्रदान करने के लिये टेलीमेडिसिन का और अधिक लाभ उठाया जाना चाहिये, जिससे **शहरी केंद्रों पर निर्भरता कम हो सके।**
  - इस संयोजन से **अभिगम में सुधार** हो सकता है, **तृतीयक अस्पतालों पर बोझ कम** हो सकता है तथा **वंचित क्षेत्रों में प्राथमिक देखभाल सुनिश्चित** हो सकती है।
- **स्वास्थ्य सेवा कवरेज के विस्तार के लिये सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP):** भारत को बुनियादी अवसंरचना और स्वास्थ्य सेवा वितरण दोनों को बढ़ाने के लिये **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) के उपयोग का विस्तार** करना चाहिये।
  - सरकार निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के साथ सहयोग कर सकती है ताकि वंचित क्षेत्रों में अधिक चिकित्सा सुविधाएँ स्थापित की जा सकें तथा **आयुष्मान भारत जैसी बीमा योजनाओं के माध्यम से किफायती देखभाल** प्रदान की जा सके।
  - सार्वजनिक और निजी हितधारकों के लक्ष्यों को संरेखित करके, भारत क्षमता में वृद्धि कर सकता है, सेवाओं को सुव्यवस्थित कर सकता है तथा **संपूर्ण प्रणाली में गुणवत्ता मानकों को बनाए रखते हुए अभिगम में सुधार** कर सकता है।
- **निवारक देखभाल पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में सुधार: भारत को** गैर-संचारी रोगों (NCD) के बोझ को कम करने के लिये **प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों (PHC) के स्तर पर निवारक स्वास्थ्य देखभाल को प्राथमिकता** देनी चाहिये।
  - यह **उन्नत जाँच कार्यक्रमों, स्वास्थ्य शिक्षा** तथा मधुमेह एवं उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों का शीघ्र पता लगाने के माध्यम से किया जा सकता है।
  - प्रारंभिक हस्तक्षेपों को लागू करने और **लगातार अनुवर्ती कार्रवाई** सुनिश्चित करने से, **माध्यमिक एवं तृतीयक**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं पर दबाव कम किया जा सकता है, जिससे प्रणाली की समग्र दक्षता और लागत-प्रभावशीलता में सुधार होगा।

- **प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में मानसिक स्वास्थ्य को एकीकृत करना:** प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षण प्रदान करके मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को मुख्यधारा की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में एकीकृत किया जाना चाहिये।
  - इस एकीकरण से यह सुनिश्चित होगा कि मानसिक स्वास्थ्य सहायता सभी क्षेत्रों में, विशेषकर वंचित क्षेत्रों में आसानी से उपलब्ध हो सके।
  - सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य देखभाल को मुख्यधारा में लाकर और इसे **नियमित चिकित्सा जाँच के भाग के रूप में शामिल करके,** भारत बढ़ते **मानसिक स्वास्थ्य बोझ का अधिक प्रभावी ढंग से निवारण** कर सकता है तथा कलंक को कम कर सकता है।
- **सार्वभौमिक कवरेज के लिये स्वास्थ्य बीमा योजनाओं को सुव्यवस्थित करना: सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC)** की ओर बढ़ने के लिये, भारत को **बाह्य रोगी देखभाल को शामिल करने** हेतु कवरेज का विस्तार करके अपनी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं को सुव्यवस्थित करना होगा।
  - **क्लेम प्रोसेस को सरल बनाने तथा शीघ्र प्रतिपूर्ति समय-सीमा सुनिश्चित करने से** ये योजनाएँ कमज़ोर वर्ग के लिये अधिक सुलभ हो जाएंगी।
  - **राष्ट्रीय और राज्य स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के बीच समन्वय,** साथ ही बेहतर जागरूकता एवं अभिगम से यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि अधिकांश आबादी को व्यापक कवरेज का लाभ मिले।
- **डिजिटल स्वास्थ्य नवाचारों और डेटा एकीकरण को बढ़ावा देना: भारत को एक निर्बाध और अंतर-संचालनीय स्वास्थ्य डेटा इको-सिस्टम बनाने के लिये** इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड (EHR), आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) और टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्मों जैसे **डिजिटल स्वास्थ्य समाधानों के एकीकरण में तेज़ी** लानी चाहिये।
  - इससे स्वास्थ्य डेटा का बेहतर प्रबंधन संभव होगा, सेवा वितरण में सुधार होगा तथा यह सुनिश्चित होगा कि रोगियों को विभिन्न स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं से समन्वित देखभाल प्राप्त हो।
  - **AI-आधारित नैदानिक उपकरण तथा दूरस्थ रोगी निगरानी प्रणालियों** को लागू करने से स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता में और वृद्धि होगी, विशेष रूप से संसाधन-विहीन क्षेत्रों में।
- **राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यबल रणनीति का कार्यान्वयन:** भारत को एक **राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यबल रणनीति लागू करने की आवश्यकता** है जिसमें व्यापक कार्यबल नियोजन, कौशल विकास कार्यक्रम और प्रतिधारण रणनीतियाँ शामिल हों।
  - इसे **वंचित क्षेत्रों में काम करने के लिये पेशेवरों को प्रोत्साहन** देने तथा **आगामी शिक्षा के लिये प्रोत्साहन** देने से जोड़ा जाना चाहिये।
  - स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों के प्रशिक्षण और प्रमाणन के लिये नियामक कार्यढाँचे को सुव्यवस्थित करने से यह सुनिश्चित हो सकता है कि कार्यबल देश की विविध स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त रूप से सुसज्जित है।
- **स्वास्थ्य वित्तपोषण में वृद्धि तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिये अधिक आवंटन: भारत को 15वें वित्त आयोग** की सिफारिश के अनुसार सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल पर व्यय को **सकल घरेलू उत्पाद के 2.5% तक बढ़ाना चाहिये** तथा यह सुनिश्चित करना चाहिये कि धनराशि का आवंटन प्रभावी ढंग से हो।
  - इसमें **प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिये वित्तपोषण** बढ़ाना, **निवारक स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रमों में निवेश** करना और **राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी अवसंरचना को उन्नत करना** शामिल हो सकता है।
- **पर्यावरणीय स्वास्थ्य सुनिश्चित करना और वन हेल्थ अप्रोच को दृढ़ करना:** पर्यावरणीय स्वास्थ्य, विशेष रूप से वायु प्रदूषण को एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दे के रूप में

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

प्राथमिकता दी जानी चाहिये। भारत **सख्त प्रदूषण नियंत्रण नीतियों का अंगीकरण** कर सकता है, हरित प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहित कर सकता है एवं **वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणालियों में निवेश कर सकता है।**

- इन प्रयासों को श्वसन रोगों पर केंद्रित स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रमों के साथ जोड़ने से वायु प्रदूषण के स्वास्थ्य प्रभावों को कम करने में मदद मिलेगी।
- **जलवायु परिवर्तन और वैश्विक गतिशीलता से प्रभावित विश्व** में रोग का शीघ्र पता लगाने, प्रकोप को रोकने तथा समग्र सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिये वन हेल्थ अप्रोच **को दृढ़ करना आवश्यक** है।

निष्कर्ष:

भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली विकसित हो रही है, लेकिन अभिगम, सामर्थ्य और बुनियादी अवसंरचना में लगातार अंतर बना हुआ है। **प्राथमिक देखभाल को सुदृढ़ करना, डिजिटल स्वास्थ्य का लाभ उठाना और आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय को कम करना** एक समुत्थानशील, समावेशी प्रणाली के निर्माण के लिये महत्त्वपूर्ण है। **SDG3 (उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली)** के साथ तालमेल बिठाते हुए, भारत को लक्षित निवेश, सुदृढ़ शासन एवं समान सेवा वितरण के माध्यम से सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को प्राथमिकता देनी चाहिये।

■■■

व्यापार अनिश्चितता के दौरान कृषि-विपणन में सुधार

यह एडिटोरियल 07/04/2025 को द हिंदू बिज़नेस लाइन में प्रकाशित "The trade trap for Indian farmers" पर आधारित है। इस लेख में वैश्विक व्यापार बदलावों के बीच भारत के लघु किसानों के समक्ष बढ़ते जोखिमों को सामने लाया गया है, जो देश की वैश्विक महत्त्वाकांक्षाओं और घरेलू कृषि संकट के बीच के गंभीर अंतर को उजागर करता है।

व्यापार युद्धों, प्रतिशोधात्मक शुल्कों और नई व्यापार स्थितियों के कारण वैश्विक कृषि व्यापार में उल्लेखनीय बदलाव हो रहे हैं, जिससे **भारत के** 100 मिलियन से अधिक **लघु किसान जोखिम में** हैं। यद्यपि भारत अमेरिकन रेसिप्रोकल टैरिफ **और यूरोपीय संघ व अन्य** के साथ जटिल FTA वार्ताओं **के मुद्दों को सुलझा रहा है,** फिर भी इसे **रणनीतिक अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को आगे बढ़ाते हुए कमज़ोर किसानों की रक्षा करने** की दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। भारत को **कृषि को केवल कल्याण के बजाय एक उद्यम** के रूप में देखते हुए, राज्य-स्तरीय कृषि दृष्टिकोण विकसित करके तथा किसानों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिये तैयार करके अपना दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है।

वैश्विक व्यापार बदलाव का भारतीय कृषि क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

- **बढ़ता संरक्षणवाद और व्यापार अवरोध:** संरक्षणवाद की बढ़ती वैश्विक प्रवृत्ति (विशेष रूप से अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं द्वारा) **भारत के कृषि निर्यात के लिये महत्त्वपूर्ण चुनौतियाँ** उत्पन्न कर रही है।
  - टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं के बढ़ने से भारत के कृषि उत्पाद, जैसे **चावल, झींगा और मसाले,** बढ़ती लागत एवं कम प्रतिस्पर्द्धात्मकता का सामना कर रहे हैं।
  - उदाहरण के लिये, **अमेरिका ने भारतीय झींगा निर्यात पर 27% पारस्परिक शुल्क** लगाया, जिससे **तटीय किसानों की आजीविका पर गंभीर प्रभाव** पड़ा।
    - भारत की कृषि और सहयोगी क्षेत्र में सत्र 2021-22 में **20.79% की वृद्धि** हुई, लेकिन सत्र 2023-24 और **2024-25 के दौरान 8% की गिरावट** आई।
- **मूल्य-संवर्द्धित और प्रसंस्कृत कृषि निर्यात में पिछड़ना:** वैश्विक मांग तेज़ी से **उच्च मूल्य वाले** प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों की ओर स्थानांतरित हो रही है और भारत की कृषि निर्यात रणनीति को अभी इस प्रवृत्ति के अनुकूल होना शेष है।
  - यूरोपीय संघ और अमेरिका जैसे प्रतिस्पर्द्धियों की तुलना में भारत में अभी भी **प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात से पूर्ण लाभ** उठाने के लिये बुनियादी अवसंरचना एवं **तकनीकी क्षमता का अभाव** है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

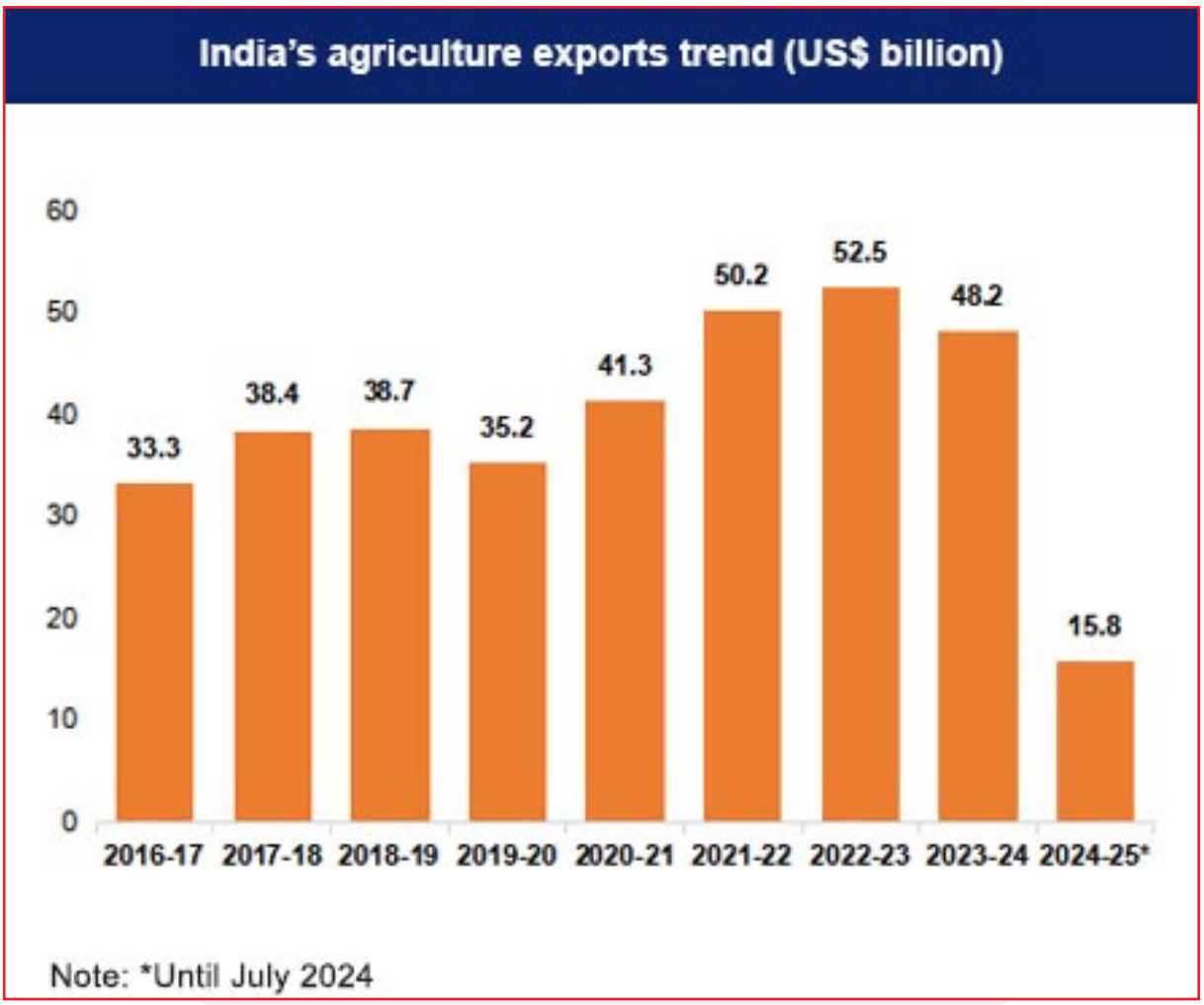

- यद्यपि पिछले दो दशकों में कृषि निर्यात का कुल मूल्य लगभग 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 37 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया है, फिर भी **मूल्य वर्द्धित उत्पादों की हिस्सेदारी में गिरावट** आई है— वर्ष 2001 में 21% से वर्ष 2020-21 में **लगभग 13%** तक, जो **-1.2% की औसत वार्षिक दर से घट रही है।**
  - कृषि निर्यात नीति (AEP)- 2018 ने **उच्च मूल्य वाले प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात को बढ़ाने** के लिये एक रोडमैप तैयार किया है, लेकिन इसका **कार्यान्वयन धीमा** रहा है।
- **कृषि इनपुट के लिये विकसित अर्थव्यवस्थाओं पर निर्भरता:** व्यापार में वैश्विक बदलाव, **उर्वरकों और मशीनरी जैसे महत्त्वपूर्ण कृषि इनपुट** के लिये बाह्य बाज़ारों पर भारत की बढ़ती निर्भरता को भी उजागर करता है।
  - यूक्रेन संघर्ष **और आपूर्ति शृंखला व्यवधानों** ने कच्चे माल के लिये आयात पर भारत की निर्भरता को उजागर किया, जिसके कारण कीमतें आसमान छूने लगीं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- उदाहरण के लिये, वर्ष 2022 में **इंडोनेशिया द्वारा पाम तेल के निर्यात पर प्रतिबंध** लगाने से **भारत में खाद्य तेल की कीमतों में 27% की वृद्धि** हुई, जिससे उपभोक्ता व किसान समान रूप से प्रभावित हुए।

- **मुक्त व्यापार समझौतों से बाधित घरेलू कृषि बाज़ार: न्यूज़ीलैंड और यूरोपीय संघ जैसे देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) पर वार्ता** भारतीय कृषि के लिये दोहरी चुनौती बन गई है।
  - एक ओर, FTA नए बाज़ारों तक बेहतर अभिगम का वादा करते हैं, लेकिन दूसरी ओर, वे **घरेलू किसानों को सस्ते आयात के लिये विवश** करते हैं, जिससे **स्थानीय उत्पादन कमज़ोर** हो सकता है।
  - उदाहरण के लिये, न्यूज़ीलैंड के साथ प्रस्तावित **FTA से भारत में सस्ते डेयरी उत्पादों की बाढ़** आ सकती है, जिससे **भारत के 100 मिलियन डेयरी किसानों की आजीविका को नुकसान** पहुँचेगा।
- **कृषि में तकनीकी उन्नति और नवाचार:** कृषि में तकनीकी नवाचार की ओर वैश्विक बदलाव भारत के लिये चुनौतियाँ और अवसर दोनों प्रदान करता है।
  - यद्यपि भारत में **कृषि संबंधी स्टार्ट-अप्स परिशुद्ध कृषि,** सिंचाई प्रौद्योगिकियों और फसल-कटाई के बाद प्रसंस्करण में नवाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, भारत के किसानों को अभी भी प्रौद्योगिकी की कमी का सामना करना पड़ रहा है जो उनकी **प्रतिस्पर्द्धात्मकता को सीमित करता है।**
    - उदाहरण के लिये, स्टार्ट-अप्स में **Waycool** भारत की **सबसे तेज़ी से बढ़ती कृषि स्टार्ट-अप और खाद्य वितरण कंपनी** है।
- **जलवायु परिवर्तन और वैश्विक आपूर्ति शृंखला जोखिम:** जलवायु परिवर्तन वैश्विक कृषि व्यापार पैटर्न में एक प्रमुख व्यवधान है, जो भारत की **कृषि उत्पादकता और वैश्विक मांग को पूरा करने की इसकी क्षमता को प्रभावित** कर रहा है।
  - **अनियमित मानसून, बदलते तापमान और फसल पैटर्न में बदलाव** भारत की कृषि आपूर्ति शृंखला को कमज़ोर कर रहे हैं, जो पहले से ही वैश्विक व्यापार परिवर्तनों के कारण दबाव में है।
  - वर्ष 2021-22 में **भारत के कृषि आयात में 50.56% की वृद्धि** हुई है, जिसका आंशिक कारण **जलवायु संबंधी कारकों के कारण स्थानीय आपूर्ति में कमी** है।
    - व्यापार विनियमों में स्थिरता की ओर वैश्विक बदलाव, जैसे कि **यूरोपीय संघ की हरित शर्तें (पर्यावरण के अनुकूल तरीके),** भारतीय किसानों पर और अधिक दबाव डाल सकती हैं, जो इन नई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये सुसज्जित नहीं हैं।
- **वैश्विक कृषि बाज़ारों में बढ़ती प्रतिस्पर्द्धा:** जैसे-जैसे कृषि व्यापार में ग्लोबल साउथ की हिस्सेदारी बढ़ रही है, भारत को पारंपरिक बाज़ारों में, विशेष रूप से **चीन और ब्राज़ील** जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं से, **बढ़ती प्रतिस्पर्द्धा का सामना** करना पड़ रहा है।
  - यद्यपि चावल के विश्व निर्यात में भारत की हिस्सेदारी वर्ष 2022 में लगभग 36% से बढ़कर वर्ष 2023 में लगभग 46% हो गई है, इसे दलहन और गेहूँ जैसे उत्पादों में तीव्र प्रतिस्पर्द्धा का सामना करना पड़ रहा है, जहाँ **रूस और कनाडा** जैसे देश प्रमुख अभिकर्त्ता हैं।

भारतीय कृषि विपणन से जुड़े संरचनात्मक मुद्दे क्या हैं?

- **खंडित एवं अकुशल आपूर्ति शृंखला:** आपूर्ति शृंखला के विखंडन से अकुशलता, उच्च अपव्यय और **लागत में वृद्धि** होती है।
  - एकीकृत आपूर्ति शृंखला अवसंरचना की कमी के कारण **विलंब, कृषि उत्पादों का क्षय** तथा वास्तविक काल में मांग एवं आपूर्ति के बीच संतुलन करने में विफलता होती है।
  - परिणामस्वरूप, उपज का एक बड़ा हिस्सा (विशेषकर **फल और सब्जियाँ जैसे उत्पाद) शीघ्र खराब होने वाली वस्तुएँ, बर्बाद** हो जाती हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- भारत में **बर्बाद होने वाले भोजन का 40% हिस्सा लगभग 92,000 करोड़/वर्ष के समतुल्य** है। यह सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 1% के बराबर है जो भारत में भोजन की बर्बादी के रूप में नष्ट हो जाता है।

- **असंगठित कृषि बाज़ार:** भारत के कृषि बाज़ार बड़े पैमाने पर असंगठित हैं, जिनमें **मध्यवर्तियों की भारी उपस्थिति** है जो **मूल्य निर्धारण में हेरफेर** करते हैं तथा **किसानों की आय को कम करते हैं।**
  - ये मध्यवर्ती प्राय: **किसानों को उनकी उपज के लिये उचित मूल्य प्राप्त करने में बाधा** उत्पन्न करते हैं तथा उन्हें **बाज़ार की गतिशीलता पर निर्भर** होना पड़ जाता है, जिसे वे नियंत्रित नहीं कर सकते।
  - कृषि उपज बाज़ार समितियों में (APMC) सुधारों के लिये सरकार के हालिया प्रयास को प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इसका उद्देश्य मध्यवर्तियों के प्रभाव को कम करना और **किसानों से उपभोक्ताओं के बीच सीधे लेन-देन को सक्षम बनाना** है।
    - RBI के एक दस्तावेज़ के अनुसार, **घरेलू बाज़ार में उपभोक्ता के रुपए का 31%-43% हिस्सा किसानों को** मिलता है।

- **कृषि भंडारण और प्रसंस्करण के लिये अपर्याप्त बुनियादी अवसंरचना:** भंडारण और प्रसंस्करण के लिये अपर्याप्त बुनियादी अवसंरचना भारत की कृषि विपणन प्रणाली में एक बड़ी बाधा बनी हुई है।
  - अपर्याप्त शीत भंडारण सुविधाओं और सीमित प्रसंस्करण इकाइयों के कारण, कृषि उपज की एक बड़ी मात्रा **कम कीमतों पर बेची जाती है।**
  - **राष्ट्रीय शीत शृंखला विकास केंद्र (NCCD)** के अनुसार, भारत को **35-40 मिलियन मीट्रिक टन शीत भंडारण की आवश्यकता** है, लेकिन उसके पास केवल 32 मिलियन मीट्रिक टन भंडारण स्थान ही उपलब्ध है।
    - बुनियादी अवसंरचना की कमी से **प्रसंस्करण के माध्यम से मूल्य संवर्द्धन की क्षमता भी कम हो जाती है,** जिससे वैश्विक बाज़ारों में प्रतिस्पर्द्धा करने की भारत की क्षमता सीमित हो जाती है।

- **सरकारी नीतियों और MSP में उतार-चढ़ाव:** न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) **और निर्यात प्रतिबंधों** के संबंध में सरकारी नीतियों में लगातार बदलाव से कृषि विपणन में अस्थिरता उत्पन्न होती है तथा **बाज़ार की गतिशीलता बाधित** होती है।
  - हाल के वर्षों में **प्याज एवं गैर-बासमती चावल जैसी फसलों पर अचानक लगाए गए निर्यात प्रतिबंधों** (हालाँकि हाल ही में इन्हें हटा लिया गया है) के कारण बाज़ार में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है तथा किसानों को नुकसान उठाना पड़ा है।
    - ये आकस्मिक नीतिगत बदलाव बाज़ार में अस्थिरता उत्पन्न करते हैं और कृषि में **दीर्घकालिक निवेश को हतोत्साहित** करते हैं।

- **बाज़ार एकाधिकार और अल्पाधिकारवादी व्यवहार:** कुछ कृषि क्षेत्रों में, बड़े कॉर्पोरेट भागीदारों द्वारा बाज़ार एकाधिकार या अल्पाधिकारवादी व्यवहार की उपस्थिति प्रतिस्पर्द्धा को गंभीर रूप से सीमित करती है तथा उचित मूल्य निर्द्धारण को प्रभावित करती है।
  - **बीज, उर्वरक और यहाँ तक कि डेयरी** जैसे क्षेत्रों में बड़ी कंपनियाँ बाज़ार के एक महत्त्वपूर्ण हिस्से को नियंत्रित करती हैं, जो **प्राय: कीमतों और मार्जिन को निर्धारित करती हैं।**
  - **वैश्विक स्तर पर** ई-कॉमर्स **और डिजिटल प्लेटफॉर्मों के उदय के बावजूद** (e-NAM धीमी गति से आगे बढ़ रहा है), भारतीय किसानों को अभी भी आधुनिक विपणन चैनलों तक पहुँच नहीं है, जो उन्हें व्यापक उपभोक्ता आधार तक पहुँचने में मदद कर सकते हैं।
    - उदाहरण के लिये, सीमांत-लघु डेयरी किसान मिलकर भारत के दूध में केवल **60% का योगदान** देते हैं, जो **विनियमन-मुक्ति से पहले 90%** था।

- **अपर्याप्त ऋण और वित्तपोषण विकल्प: किसानों,** विशेष रूप से लघु किसानों, जिनके पास परिसंपत्तियों और संपार्श्विक का अभाव है, **के लिये ऋण एवं वित्तपोषण विकल्पों तक सीमित अभिगम** के कारण कृषि विपणन गंभीर रूप से बाधित है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

न्यूनतम समर्थन मूल्य
Minimum Support Price (MSP)

वह दर जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है; किसानों द्वारा वहाँ किये गए उत्पादन लागत के कम-से-कम 1.5 गुणा की गणना के आधार पर

- **सिफारिश:**
- **'कृषि लागत और मूल्य आयोग' (CACP)** द्वारा सरकार को 22 अधिदिष्ट फसलों के लिये 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' (MSP) तथा **गन्ने के लिये 'उचित और लाभकारी मूल्य' (FRP) की सिफारिश की जाती है।**
- **22 अधिदिष्ट फसलें :**
  (14 खरीफ, 6 रबी और 2 अन्य वाणिज्यिक फसलें)
- **7 अनाज-** धान, गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी
- **5 दालें-** चना, अरहर/तूर, मूंग, उड़द और मसूर
- **7 तिलहन-** मूंगफली, सफेद सरसों/सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, कुसुंभ और रामतिल
- **कच्चा कपास**
- **कच्चा जूट**
- **नारियल/गरी (कोपरा)**

MSP वह मूल्य है जिस पर सरकार को किसानों से अधिदिष्ट फसलों की खरीद करनी होती है, यदि बाजार मूल्य इससे कम हो जाता है

- **MSP की सिफारिश में प्रयुक्त कारक:**
  - फसल की खेती में आने वाली लागत
  - फसल के लिये आपूर्ति एवं मांग की स्थिति
  - बाजार मूल्य प्रवृत्तियाँ
  - अंतर-फसल मूल्य समता
  - उपभोक्ताओं के लिये निहितार्थ (मुद्रास्फीति)
  - पर्यावरण (मिट्टी तथा पानी के उपयोग)
  - कृषि एवं गैर-कृषि क्षेत्रों के बीच व्यापार की शर्तें
  - MSP की सिफारिश करते समय **CACP** द्वारा **'A2+FL'** और **'C2'** दोनों लागतों पर विचार किया जाता है।
  - **MSP का कोई वैधानिक समर्थन प्राप्त नहीं है - कोई भी किसान अधिकार के रूप में MSP की मांग नहीं कर सकता है**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **वित्तपोषण विकल्पों की कमी किसानों को अपनी उत्पादकता और विपणन क्षमता बढ़ाने के लिये बेहतर उपकरणों, मशीनरी या भंडारण सुविधाओं में निवेश** करने से बाधित करती है।
- **सभी गैर-संस्थागत उधारकर्त्ताओं में सीमांत किसान भी लगभग 71%** हैं। पूंजी या अनौपचारिक चैनल की कमी किसानों के सामने अपनी विपणन क्षमताओं को बेहतर बनाने में आने वाली चुनौतियों को और भी बढ़ा देती है।

कृषि विपणन को बढ़ाने और वैश्विक व्यापार जटिलताओं से निपटने के लिये भारत क्या उपाय अपना सकता है?

- **कृषि अवसंरचना को सुदृढ़ बनाना:** कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिये, भारत को **कुशल शीत भंडारण, परिवहन और प्रसंस्करण सुविधाओं के विकास में भारी निवेश** करना होगा।
  - एक मज़बूत और आधुनिक बुनियादी अवसंरचना नेटवर्क स्थापित करने से **फसल-उपरांत होने वाले नुकसान को कम करने,** उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार लाने तथा किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्ति में मदद मिलेगी।
  - यह लक्ष्य **कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में सरकारी व निजी क्षेत्र के निवेश का लाभ** उठाकर प्राप्त किया जा सकता है, जिससे लघु किसानों एवं कृषि सहकारी समितियों के लिये इन सुविधाओं तक पहुँच सुनिश्चित हो सके।
- **बाज़ार संपर्क के लिये डिजिटल प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देना: e-NAM (राष्ट्रीय कृषि बाज़ार)** जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म को व्यापक रूप से अपनाने को प्रोत्साहित करना और इन **प्लेटफार्मों को क्षेत्रीय मंडियों के साथ एकीकृत करना** कृषि विपणन को सुव्यवस्थित करने में मदद कर सकता है।
  - किसानों को वास्तविक काल पर बाज़ार मूल्य उपलब्ध कराने, खरीदारों की एक विस्तृत श्रृंखला तक अभिगम और **उपभोक्ताओं से सीधे जुड़ने के अवसर** प्रदान करने से पारदर्शिता में सुधार हो सकता है तथा मध्यवर्तियों पर निर्भरता को समाप्त किया जा सकता है।
  - इन डिजिटल पहलों के दायरे का विस्तार करने और डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों की पेशकश करने से किसान सशक्त बनेंगे, जिससे वे सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम होंगे तथा उनकी लाभप्रदता बढ़ेगी।
- **कृषि निर्यात में विविधता लाना और मूल्य श्रृंखलाओं को सुदृढ़ बनाना:** भारत को अपने कृषि निर्यात में विविधता लाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये तथा चावल और मसालों जैसी पारंपरिक वस्तुओं से आगे बढ़कर **उच्च मूल्य वाले प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, जैविक उत्पाद व अन्य विशिष्ट फसलों को इसमें शामिल** करना चाहिये।
  - **किसानों, निर्यातकों और खाद्य प्रसंस्करणकर्त्ताओं** के बीच मज़बूत संबंधों को बढ़ावा देकर भारत आपूर्ति श्रृंखला के विभिन्न चरणों में मूल्य संवर्द्धन कर सकता है।
  - इसे **कृषि निर्यात नीति (AEP)** और **उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना** जैसी पहलों के माध्यम से सुगम बनाया जा सकता है, जो एक साथ मिलकर उत्पाद नवाचार का समर्थन कर सकते हैं तथा वैश्विक बाज़ार मानकों को पूरा करने में मदद कर सकते हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ सकती है।
- **कृषि बाज़ारों में सुधार और बिचौलियों के प्रभाव को कम करना: भारत को कृषि उपज बाज़ार समिति (APMC) सुधारों** का एक संशोधित संस्करण लाना चाहिये और निजी और अनुबंध कृषि बाज़ारों की स्थापना को प्रोत्साहित करना चाहिये।
  - बिचौलियों के प्रभुत्व को कम करके किसान बेहतर मूल्य प्राप्त कर सकते हैं और आय स्थिरता में सुधार कर सकते हैं।
  - राज्यों को **आदर्श APMC सुधारों को लागू करने के लिये प्रोत्साहित** करने तथा अधिक **कृषक उत्पादक संगठन (FPO)** के गठन से किसानों को अपनी उपज को एकत्रित करने, सौदाकारी शक्ति में सुधार करने एवं बड़े खरीदारों या निर्यातकों के साथ सीधे लेन-देन को सक्षम करने में मदद मिलेगी।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **संधारणीय प्रथाओं को प्रोत्साहित करना और वैश्विक मानकों का अनुपालन करना:** वैश्विक स्थिरता प्रवृत्तियों के साथ तालमेल बिठाने के लिये, भारत को किसानों को पर्यावरण अनुकूल और संधारणीय कृषि प्रथाओं को अपनाने के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।
  - इसमें **जैविक कृषि को बढ़ावा देना, कीटनाशकों के प्रयोग को कम करना और जल संरक्षण तकनीकों को बढ़ाना** शामिल है।
  - इन प्रथाओं को AEP के तहत सब्सिडी या निर्यात लाभ जैसे वित्तीय प्रोत्साहनों से जोड़कर, भारत न केवल वैश्विक पर्यावरण मानकों का अनुपालन सुनिश्चित कर सकता है, बल्कि **संधारणीय और जैविक उत्पादों के लिये विशिष्ट बाज़ार** भी स्थापित कर सकता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत की स्थिति मज़बूत होगी।
- **किसानों के लिये वित्तीय सहायता और ऋण तक अभिगम:** औपचारिक वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से किसानों को किफायती और समय पर ऋण तक पहुँच में सुधार करना कृषि विपणन को बढ़ाने के लिये महत्त्वपूर्ण है।
  - सरकार को **किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) जैसी योजनाओं की पहुँच का विस्तार** करना चाहिये तथा अधिक **सुदृढ़ ऋण गारंटी योजनाएँ** शुरू करनी चाहिये, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि किसानों को प्रौद्योगिकी, बुनियादी अवसंरचना एवं बाज़ार पहुँच में निवेश के लिये आवश्यक पूंजी उपलब्ध हो।
  - इन प्रयासों को **वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों के साथ जोड़ने** से किसानों को ऋण का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग करने में सशक्त बनाया जा सकता है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि वे उत्पादन एवं विपणन क्षमताओं को बेहतर बनाने में निवेश कर सकें।
- **कृषि व्यवसाय विकास के लिये सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) का लाभ उठाना:** कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) को प्रोत्साहित करने से अधिक कुशल एवं संधारणीय कृषि विपणन पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में मदद मिल सकती है।
  - **लॉजिस्टिक्स, प्रसंस्करण और खुदरा क्षेत्र में निजी भागीदारों** के साथ सहयोग करके सरकार बाज़ार अभिगम बढ़ा सकती है, आपूर्ति श्रृंखला दक्षता में सुधार कर सकती है तथा प्रौद्योगिकी अंतरण को सुविधाजनक बना सकती है।
  - इस साझेदारी दृष्टिकोण को बुनियादी अवसंरचना के निर्माण, **मूल्यवर्द्धित उत्पादों के विकास और बाज़ार अभिगम के विस्तार,** विशेष रूप से निर्यातोन्मुख क्षेत्रों पर केंद्रित किया जाना चाहिये।

निष्कर्ष:

वैश्विक व्यापार जटिलताओं से निपटने के लिये, भारत को **कल्याण-संचालित और उद्यम-उन्मुख कृषि मॉडल के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता** है। बुनियादी अवसंरचना को सुदृढ़ करना, निर्यात में विविधता लाना और वैश्विक मानकों के साथ तालमेल बिठाना समुत्थानशक्ति एवं प्रतिस्पर्द्धात्मकता के लिये महत्त्वपूर्ण है। **ऋण अभिगम, डिजिटल प्लेटफॉर्म और FPO के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाना** उनकी बाज़ार उपस्थिति को बढ़ाएगा। वैश्विक व्यापार अवसरों का लाभ उठाते हुए आजीविका की रक्षा के लिये एक **समग्र, किसान-केंद्रित रणनीति आवश्यक** है।

भारत की पड़ोस नीति पर पुनर्विचार की आवश्यकता

यह एडिटोरियल 03/04/2025 को हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित "Why PM's neighbourhood engagements are significant" पर आधारित है। इस लेख में म्याँमार से लेकर श्रीलंका तक कई पड़ोसी संकटों के दौरान 'ऑपरेशन ब्रह्मा' जैसी पहलों के साथ अग्रणी स्तंभ के रूप में भारत की उभरती भूमिका का उल्लेख किया गया है।

भारत के पड़ोसी क्षेत्र कई संकटों का सामना कर रहे हैं, जिनमें प्रमुख रूप से म्याँमार का भूकंप व गृह युद्ध, बांग्लादेश की राजनीतिक उथल-पुथल, नेपाल की लोकतांत्रिक चुनौतियाँ और

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

श्रीलंका की नाजुक रिकवरी शामिल हैं। **थाईलैंड में BIMSTEC नेताओं की बैठक** के दौरान, भारत ने **म्याँमार में 'ऑपरेशन ब्रह्मा' के माध्यम से नेतृत्व का प्रदर्शन** किया है, जो आपात स्थितियों के दौरान पड़ोसियों की सहायता करने की भारत की बढ़ती क्षमता को दर्शाता है। अपनी भौगोलिक केंद्रीयता और आर्थिक संसाधनों के साथ, भारत क्षेत्रीय सहयोग के आधार के रूप में कार्य कर रहा है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

समय के साथ भारत की पड़ोस नीति किस प्रकार विकसित हुई?

- **प्रारंभिक वर्ष (वर्ष 1947-1960): एकीकरण और स्थिरता पर ध्यान**
  - **स्वतंत्रता-पश्चात आदर्शवाद:** स्वतंत्रता के तत्काल बाद, भारत की विदेश नीति मुख्यत: **क्षेत्र में शांति और स्थिरता** को बढ़ावा देने पर केंद्रित थी।
    - भारत की प्राथमिकताएँ **रियासतों को एकीकृत करने, भारतीय गणराज्य की वैधता स्थापित करने और इसकी सीमाओं को सुरक्षित करने** पर केंद्रित थीं।
  - **पड़ोसी संबंध:** इस अवधि में, भारत ने क्षेत्र में नेतृत्व की भूमिका निभाई तथा **मुख्य रूप से पड़ोसी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध** स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित किया।
    - वह **चीन, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और अफगानिस्तान** जैसे अपने निकटतम पड़ोसियों को अपनी सुरक्षा एवं स्थिरता के लिये अभिन्न मानता है।
    - हालाँकि, पड़ोसी संबंधों के प्रबंधन के लिये स्पष्ट रणनीतिक दृष्टिकोण का अभाव **पाकिस्तान के साथ कश्मीर मुद्दे** तथा **तिब्बत पर चीन के दावे** जैसी घटनाओं के दौरान स्पष्ट हो गया।
- **शीत युद्ध काल और गुटनिरपेक्षता (वर्ष 1960-1980)**
  - **शीत युद्ध का प्रभाव:** शीत युद्ध के दौरान, भारत की पड़ोस नीति उसके **गुटनिरपेक्ष रुख से काफी प्रभावित** थी।
    - भारत **पश्चिमी और पूर्वी दोनों ब्लॉकों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध** बनाए रखना चाहता है तथा अपने **निकटवर्ती पड़ोस को प्रभावित करने वाली विदेशी शक्तियों से सावधान भी** रहता है।
  - **भारत-चीन तनाव:** चीन-भारत युद्ध- 1962 और उसके बाद चीन के साथ क्षेत्रीय विवाद ऐसे निर्णायक क्षण थे, जिन्होंने भारत को अपनी सीमाओं व पड़ोस के प्रति अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करने के लिये बाध्य किया।
    - चीन के साथ अनसुलझे मुद्दे, विशेषकर **तिब्बत और अक्साई चिन**, भारत की सुरक्षा नीति का **केंद्रीय विषय** बन गए।
  - **पाकिस्तान और बांग्लादेश मुक्ति युद्ध:** भारत-पाकिस्तान युद्ध-1971, जिसके परिणामस्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ, भारत की क्षेत्रीय कूटनीति में एक महत्त्वपूर्ण मोड़ था।
  - **रणनीतिक दुविधा:** श्रीलंका, मालदीव और नेपाल में अस्थिरता के प्रति भारत की प्रतिक्रिया **दुविधा से भरी** थी।
    - यद्यपि भारत ने 1980 के दशक के अंत में **श्रीलंका में सैन्य हस्तक्षेप** किया था, फिर भी उसकी नीति **गुटनिरपेक्षता तथा अपने पड़ोसियों के साथ सतर्क व्यवहार** पर आधारित थी।
- **शीत युद्धोत्तर एवं उदारीकरण युग (1990 का दशक)**
  - **आर्थिक उदारीकरण के साथ फोकस में बदलाव:** 1990 के दशक में भारत के अपने पड़ोस के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव आया, जो आर्थिक उदारीकरण और शीत युद्ध की समाप्ति से प्रभावित था।
    - भारत ने **वैश्विक अर्थव्यवस्था में स्वयं को एकीकृत** करने के साथ-साथ अपने **पड़ोसियों के आर्थिक विकास** पर भी ध्यान केंद्रित किया।
  - **'लुक ईस्ट' नीति:** 1990 के दशक के प्रारंभ में, **भारत ने** अपनी 'लुक ईस्ट' नीति **शुरू की**, जिसका **प्रारंभ में ध्यान** दक्षिण पूर्व एशिया के साथ आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को बढ़ाने पर था, लेकिन धीरे-धीरे इसे अपने निकटतम पड़ोस तक विस्तारित कर दिया गया।
    - भारत ने व्यापार, सुरक्षा और क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ाने के लिये अपने पूर्वी एवं उत्तरी पड़ोसियों पर ध्यान केंद्रित किया।
  - **पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव:** 1990 का दशक पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव से भी चिह्नित था, विशेष रूप से **1998 में परमाणु परीक्षणों के बाद।**
    - पाकिस्तान के प्रति भारत का दृष्टिकोण अधिक सतर्क हो गया तथा उसने अपनी सीमाओं की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **पड़ोस प्रथम नीति (2000 के दशक से वर्तमान तक)**
  - **पड़ोसी प्रथम की स्थापना (वर्ष 2008):** भारत की **'पड़ोसी प्रथम' नीति** औपचारिक रूप से वर्ष 2008 में सामने आई, जिसने अपने **निकटतम पड़ोसियों के साथ संबंधों को मज़बूत करने के महत्त्व** को रेखांकित किया।
    - इस नीति में **अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव** जैसे देशों के **साथ अधिक आर्थिक, कूटनीतिक व रणनीतिक सहयोग** पर ज़ोर दिया गया।
  - **क्षेत्रीय संपर्क और सहयोग:** एक महत्त्वपूर्ण बदलाव यह हुआ कि बांग्लादेश-भूटान-भारत-नेपाल (BBIN) मोटर वाहन समझौते और पूर्वोत्तर में बुनियादी अवसंरचना की कनेक्टिविटी बढ़ाने जैसी पहलों के माध्यम से क्षेत्रीय संपर्क पर ज़ोर दिया गया।
- **हालिया रुझान और समायोजन (वर्ष 2020 से वर्तमान)**
  - **पड़ोसी राजनीति में उथल-पुथल:** हाल के वर्षों में भारत के पड़ोस में महत्त्वपूर्ण बदलाव देखे गए हैं, जिनमें **नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देशों में राजनीतिक उथल-पुथल** शामिल है।
    - वर्ष 2024 में **बांग्लादेश में राजनीतिक उथल-पुथल,** मालदीव में भारत विरोधी भावना का उदय (हालाँकि अब नियंत्रण में है) और **म्याँमार में आंतरिक कलह** ने **भारत को अपनी रणनीति पर पुनर्विचार** करने के लिये विवश कर दिया है।
  - **चीन का बढ़ता प्रभाव:** भारत को अपने पड़ोस में, विशेष रूप **से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के तहत परियोजनाओं** के माध्यम से, **चीन के बढ़ते आर्थिक और सैन्य प्रभाव का सामना** करना पड़ रहा है।
    - इसने भारत को 'डायमंड ऑफ द नेकलेस' जैसी पहल के माध्यम से अपनी रणनीतिक उपस्थिति बढ़ाने के लिये प्रेरित किया है।
  - **क्षेत्रीय सहयोग पर अधिक ध्यान:** BIMSTEC, बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिये **बंगाल की खाड़ी पहल** तथा दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC) जैसी बहुपक्षीय संस्थाओं में भारत की भूमिका को प्रमुखता मिली है।

भारत के लिये पड़ोस में अस्थिरता के क्या निहितार्थ हैं?

- **सुरक्षा खतरे और सैन्य तनाव:** भारत के पड़ोस में अस्थिरता सुरक्षा चिंताओं को बढ़ाती है, विशेष रूप से **अनसुलझे क्षेत्रीय विवादों** और **बढ़ते छद्म युद्ध के कारण।**
  - उदाहरण के लिये, **पाकिस्तान से उत्पन्न आतंकवाद** से प्रेरित **जम्मू और कश्मीर में लंबे समय से चल रहा संघर्ष** भारत की सुरक्षा के लिये एक बड़ी **चुनौती** बना हुआ है।
  - इसके अतिरिक्त, **हिंद महासागर में चीन की बढ़ती उपस्थिति** और **पाकिस्तान को समर्थन** भारत के सुरक्षा परिदृश्य को जटिल बना रहा है।
  - वर्ष 2024 में, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) **जनरल अनिल चौहान** ने पश्चिमी और उत्तरी दोनों सीमाओं पर बढ़ते खतरों पर प्रकाश डाला तथा यह रेखांकित किया कि पड़ोसी देशों में अस्थिरता सीधे भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करती है।
- **आर्थिक व्यवधान और व्यापार बाधाएँ:** क्षेत्र में अस्थिरता भारत के अपने पड़ोसियों के साथ आर्थिक संबंधों (विशेष रूप से व्यापार और संपर्क में) को बहुत हद तक बाधित करती है।
  - **अगस्त 2024 में बांग्लादेश** में अचानक हुए सत्ता परिवर्तन से द्विपक्षीय व्यापार और बुनियादी अवसंरचना परियोजनाएँ बुरी तरह प्रभावित हुईं, जो पहले **भारत-बांग्लादेश संबंधों के 'स्वर्णिम अध्याय'** के तहत बढ़ रही थीं।
    - अप्रैल और अक्तूबर 2023 के दौरान बांग्लादेश को भारत का निर्यात **13.3% तक गिर गया,** जिसमें **बेनापोल-पेट्रापोल** जैसे प्रमुख स्थलीय बंदरगाहों पर व्यवधान शामिल है, जो **द्विपक्षीय व्यापार का लगभग 30%** संभालते हैं।
- **क्षेत्रीय संपर्क परियोजनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव:** म्याँमार और बांग्लादेश में अस्थिरता से भारत की **क्षेत्रीय संपर्क परियोजनाओं पर गंभीर प्रभाव** पड़ रहा है, जो **'एक्ट ईस्ट नीति'** के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।
  - भारत की कलादान मल्टी-मॉडल ट्रांज़िट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट (KMMTTP), जिसका उद्देश्य पूर्वोत्तर को बंगाल की खाड़ी तक सीधा मार्ग प्रदान करना है, को म्याँमार में सुरक्षा मुद्दों, विशेष रूप से **सीमावर्ती क्षेत्रों पर अराकान सेना के नियंत्रण** के कारण लगातार विलंब का सामना करना पड़ रहा है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- भारत के निवेश के बावजूद, **पलेत्वा-ज़ोरिनपुई राजमार्ग** जैसी **प्रमुख परियोजनाएँ अधूरी रह** गई हैं, जिससे परियोजना की परिचालन दक्षता में और देरी हो रही है।
- इसके अतिरिक्त, जारी अशांति ने **भारत-म्याँमार-थाईलैंड (IMT-TH) राजमार्ग जैसी महत्त्वपूर्ण द्विपक्षीय पहल को बाधित कर दिया** है, जिसका केवल 70% काम ही पूरा हुआ है, जिससे **क्षेत्रीय संपर्क एवं व्यापार एकीकरण पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव** पड़ा है।

- **कूटनीतिक असफलताएँ और भू-राजनीतिक अलगाव:** पड़ोस में अस्थिरता, **विशेषकर शासन परिवर्तन और आंतरिक राजनीतिक उथल-पुथल,** भारत के कूटनीतिक संबंधों को जटिल बनाती है।
  - मालदीव में **'इंडिया आउट'** कैम्पेन ने सफलतापूर्वक एक ऐसी सरकार को सत्ता में ला दिया है जो भारत के प्रभाव को कम करना चाहती है और भारत को क्षेत्रीय कूटनीति के प्रति अपने दृष्टिकोण को पुन: संतुलित करने के लिये मज़बूर कर रही है।
  - ये परिवर्तन, **क्षेत्र में बढ़ते चीनी प्रभाव** के साथ मिलकर भारत की क्षेत्रीय नेतृत्व की महत्त्वाकांक्षाओं को कमज़ोर करते हैं तथा इसकी कूटनीतिक स्थिति को कमज़ोर करते हैं।
- **मानवीय एवं शरणार्थी संकट प्रबंधन: म्याँमार और बांग्लादेश** जैसे पड़ोसी देशों में अस्थिरता के कारण प्राय: भारत के लिये महत्त्वपूर्ण मानवीय चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं।
  - रोहिंग्या **शरणार्थी संकट के कारण संसाधनों पर दबाव** बढ़ रहा है तथा इससे **सीमा पार प्रवास का दबाव बढ़ गया** है।
  - **भारत के पूर्वोत्तर राज्यों,** विशेषकर मिज़ोरम और मणिपुर में शरणार्थियों के आगमन और सीमा पर **विद्रोही गतिविधियों के कारण तनाव** बढ़ रहा है।
  - इसके अलावा, अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कार्यढाँचे में **भारत की सीमित भूमिका** इसके सीमावर्ती राज्यों पर दबाव बढ़ाती है, क्योंकि वे **शरणार्थियों की आमद के सामाजिक-आर्थिक बोझ** से जूझ रहे हैं।

- **संसाधन साझाकरण समझौतों में रुकावट:** पड़ोसी अस्थिरता ने सीमापार संसाधनों के प्रबंधन में भारत के लिये चुनौतियों को बढ़ा दिया है।
  - उदाहरण के लिये, **सिंधु जल संधि** अपने ऐतिहासिक समाधान के बावजूद, पाकिस्तान के साथ राजनीतिक तनाव के कारण तनावपूर्ण बनी हुई है, विशेष रूप से साझा नदी संसाधनों के प्रबंधन के संबंध में।
  - **तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ा बाँध बनाने की चीन की योजना** ने भारत और बांग्लादेश में जल प्रवाह, कृषि व क्षेत्रीय स्थिरता पर संभावित प्रभावों के बारे में **चिंताएँ उत्पन्न** कर दी हैं।
- **चीन के साथ बढ़ती सामरिक प्रतिस्पर्द्धा:** पड़ोस में अस्थिरता और चीन के बढ़ते प्रभाव के कारण भारत के लिये महत्त्वपूर्ण सामरिक प्रतिस्पर्द्धा उत्पन्न हो रही है।
  - **पाकिस्तान** (ग्वादर बंदरगाह), **श्रीलंका** (हंबनटोटा बंदरगाह) और **बांग्लादेश** (मोंगला और चटगाँव) में चीनी निवेश, साथ ही हिंद महासागर में इसकी बढ़ती सैन्य उपस्थिति, भारत की क्षेत्रीय सुरक्षा गणना को जटिल बनाती है।
    - यह प्रतिस्पर्द्धा भारत की सुरक्षा चिंताओं को बढ़ाती है, विशेष रूप से तब जब **चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) दक्षिण एशिया में तेज़ी से विकसित** हो रही है।
    - यह बढ़ती सामरिक प्रतिद्वंद्विता को रेखांकित करता है तथा भारत को अपनी **क्षेत्रीय सुरक्षा एवं कूटनीतिक नीतियों पर पुनर्विचार** करने के लिये बाध्य करता है।
- **दक्षिण एशियाई क्षेत्रवाद और सहयोग के लिये खतरा:** भारत के पड़ोस में अस्थिरता और बढ़ते तनाव, **SAARC और BIMSTEC जैसे क्षेत्रीय सहयोग कार्यढाँचे के लिये खतरा** उत्पन्न करते हैं, जहाँ भारत एक प्रमुख अभिकर्त्ता रहा है।
  - विशेष रूप से **SAARC** भारत व पाकिस्तान के बीच तनाव के कारण प्रभावहीन हो गया है, जबकि **BIMSTEC** की क्षमता म्याँमार के आंतरिक कलह और बांग्लादेश में बदलते राजनीतिक परिदृश्य के कारण सीमित हो गई है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- इन क्षेत्रीय मंचों पर **भारत के नेतृत्व को सदस्य देशों के बीच एकजुट कार्रवाई की कमी के कारण चुनौती** का सामना करना पड़ा है, जो राजनीतिक अस्थिरता के कारण और भी बढ़ गई है।
  - ये अवरुद्ध पहल दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय एकीकरण और आर्थिक सहयोग को सुदृढ़ करने के भारत के प्रयासों को कमज़ोर करती हैं।

भारत अपने पड़ोस में सक्रिय भागीदारी बढ़ाने के लिये क्या उपाय अपना सकता है?

- **क्षेत्रीय संपर्क और बुनियादी अवसंरचना के विकास को सुदृढ़ करना:** भारत को परिवहन और ऊर्जा बुनियादी अवसंरचना के विकास के माध्यम से **सीमा पार संपर्क को बढ़ाने को प्राथमिकता** देनी चाहिये।
  - इसमें भारत और उसके पड़ोसियों के बीच **सड़क, रेल और बंदरगाह संपर्कों का विस्तार** करना शामिल है, विशेष रूप से **BBIN मोटर वाहन समझौते और कलादान मल्टी-मॉडल ट्रांज़िट ट्रांसपोर्ट परियोजना** जैसी पहलों के माध्यम से।
  - ऐसी परियोजनाओं का समय पर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिये विदेश और गृह मंत्रालयों को शामिल करते हुए 'व्होल-ऑफ-गवर्नमेंट' अर्थात् **संपूर्ण सरकार का दृष्टिकोण** अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।
    - इससे न केवल **व्यापार और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा** मिलेगा, बल्कि **लोगों के बीच संपर्क भी बढ़ेगा**, जिससे **क्षेत्रीय अभिकर्त्ता के रूप में भारत की भूमिका** मज़बूत होगी।
- **रणनीतिक कूटनीतिक जुड़ाव और संघर्ष समाधान तंत्र:** भारत को एक अधिक सुदृढ़ और सुसंगत कूटनीतिक आउटरीच तंत्र बनाने की आवश्यकता है जो उसके पड़ोसी देशों में कुटनीतिक शासन से परे हो।
  - इसमें **BIMSTEC और SAARC जैसे मंचों के माध्यम से बहुपक्षीय कूटनीति** को बढ़ाना शामिल है, साथ ही विवादास्पद मुद्दों को सुलझाने के लिये **द्विपक्षीय वार्ता पर भी ध्यान** केंद्रित किया जाएगा।
  - **खुले संचार माध्यमों** को सुगम बनाकर भारत तनाव को कम कर सकता है तथा आतंकवाद, प्रवासन और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे सीमा पार मुद्दों का सक्रियतापूर्वक समाधान कर सकता है।
  - भारत को **सहयोगात्मक संघर्ष-समाधान कार्यढाँचे को बढ़ावा** देकर क्षेत्रीय शांति पहल को भी गति देनी चाहिये, जो स्थिरता एवं विश्वास-निर्माण को बढ़ावा दे।
- **व्यापक सुरक्षा और रक्षा सहयोग कार्यढाँचा:** भारत को अपने पड़ोसियों के साथ मज़बूत सुरक्षा साझेदारी बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये, **खुफिया जानकारी साझा करने** (हित सुरक्षित होने पर विचार करते हुए), **आतंकवाद विरोधी सहयोग** और **समुद्री सुरक्षा** पर ज़ोर देना चाहिये।
  - क्षेत्र में साझा सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिये **नेपाल, मालदीव और म्याँमार** जैसे देशों के साथ किये जा रहे **संयुक्त सैन्य अभ्यासों का विस्तार** किया जाना चाहिये।
  - इसके अतिरिक्त, भारत हिंद महासागर की सुरक्षा के लिये **साझा संसाधनों और समन्वित प्रयासों के माध्यम से समुद्री क्षेत्र जागरूकता** को बढ़ा सकता है।
    - सहयोगात्मक रक्षा समझौतों के आधार पर क्षेत्रीय सुरक्षा कार्यढाँचे को सुदृढ़ करने से भारत को इस क्षेत्र में एक प्रमुख सुरक्षा प्रदाता के रूप में अपनी स्थिति मज़बूत करने में मदद मिलेगी।
- **आर्थिक और व्यापार कूटनीति को पुनर्जीवित करना:** दक्षिण एशिया में चीन के बढ़ते आर्थिक प्रभाव का मुकाबला करने के लिये, भारत को अधिक प्रभावी आर्थिक कूटनीति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये, जिसमें पड़ोसी देशों को **व्यापार प्रोत्साहन, निवेश के अवसर और आसान ऋण की पेशकश** शामिल हो।
  - **भारत-मेकांग सहयोग** जैसे मंचों के माध्यम से व्यापार साझेदार के रूप में भारत की भूमिका को सुदृढ़ करने से क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा मिलेगा।
  - भारत को **डिजिटल और वित्तीय संपर्क (UPI) बढ़ाने** पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिये, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसके पड़ोसियों की भारत की तकनीकी एवं आर्थिक क्षमता तक अभिगम प्राप्त हो, जिससे बाह्य शक्तियों पर उनकी निर्भरता कम हो जाएगी।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

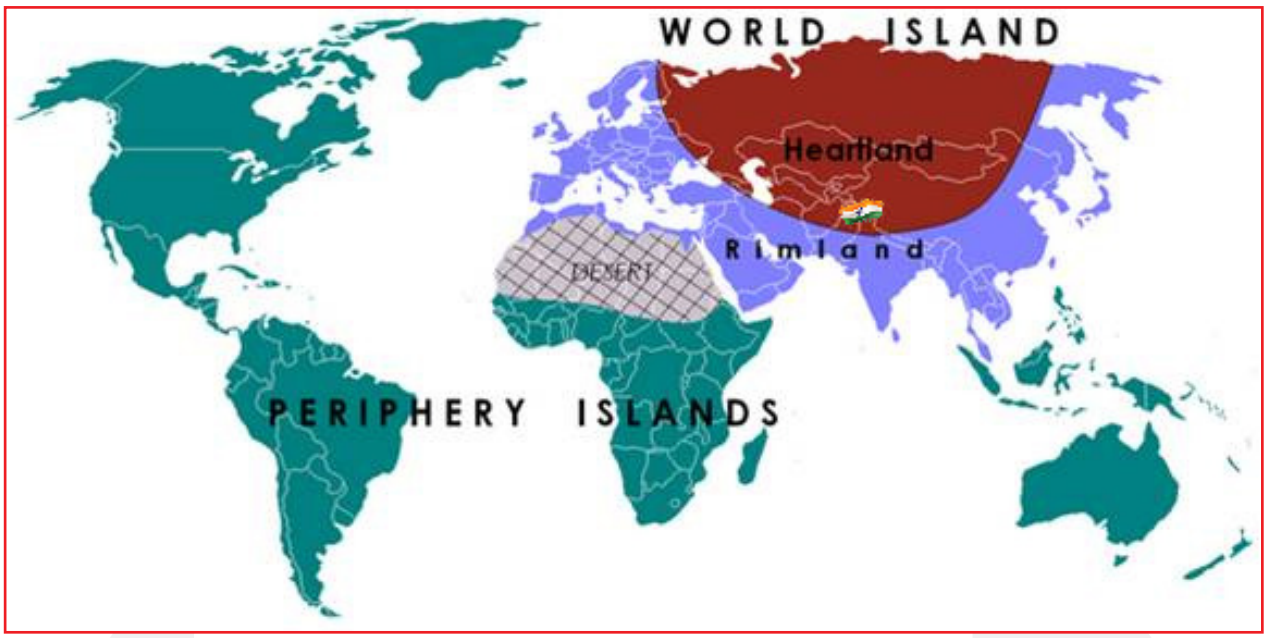

- **सांस्कृतिक समन्वय और लोगों के बीच संबंधों को बढ़ावा:** भारत को अपने पड़ोसियों के साथ संबंधों को गहरा करने के लिये अपनी सांस्कृतिक कूटनीति का विस्तार करना चाहिये तथा **सद्भावना निर्माण के लिये अपने सभ्यतागत संबंधों का लाभ** उठाना चाहिये।
  - इसमें **शैक्षिक आदान-प्रदान, पर्यटन और लोगों के बीच आपसी पहल** को बढ़ावा देना शामिल है, जिससे आपसी समझ एवं सहयोग को बढ़ावा मिले।
  - **मीडिया सहयोग, सांस्कृतिक उत्सवों और शैक्षिक आदान-प्रदान** जैसे सॉफ्ट पावर टूल्स को प्राथमिकता देकर भारत नकारात्मक धारणाओं को संतुलित कर सकता है तथा अपने पड़ोसियों के साथ दीर्घकालिक, स्थायी जुड़ाव सुनिश्चित कर सकता है।
    - **पारस्परिक सांस्कृतिक प्रशंसा को बढ़ावा** देने के लिये एक सक्रिय दृष्टिकोण स्थायी द्विपक्षीय संबंधों की नींव रखेगा।
- **क्षेत्रीय जलवायु और पर्यावरण सहयोग:** दक्षिण एशिया में **बाढ़, जल प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन** जैसी साझा पर्यावरणीय चुनौतियों को देखते हुए, भारत को सहयोगात्मक क्षेत्रीय पर्यावरणीय प्रयासों का नेतृत्व करना चाहिये।
  - इसमें **आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन शमन और सतत् विकास** के लिये एक क्षेत्रीय कार्यढाँचा स्थापित करना शामिल है।
  - **हरित प्रौद्योगिकियों के क्रियान्वयन तथा अपने पड़ोसियों के साथ जलवायु-अनुकूल अवसंरचना समाधानों** को साझा करने में भारत का नेतृत्व, साझा पर्यावरणीय मुद्दों के समाधान में गहन सहयोग को बढ़ावा देगा।
- **बहुआयामी संकट प्रबंधन तंत्र का अंगीकरण:** भारत को **प्रमुख पड़ोसी देशों में त्वरित मोचन दल** और **संकट प्रबंधन केंद्र** स्थापित करके अपनी संकट प्रबंधन क्षमताओं को बढ़ाना चाहिये।
  - इससे यह सुनिश्चित होगा कि भारत प्राकृतिक आपदाओं, राजनीतिक उथल-पुथल और सुरक्षा खतरों जैसी क्षेत्रीय चुनौतियों पर त्वरित प्रतिक्रिया दे सकेगा।
  - भारत को सामूहिक सुरक्षा चुनौतियों का बेहतर प्रबंधन करने के लिये **SAARC, BIMSTEC और ASEAN** के साथ मिलकर क्षेत्रीय संकट प्रबंधन कार्यढाँचा बनाने की दिशा में भी काम करना चाहिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

निष्कर्ष:

भारत का पड़ोस **अवसरों और अशांति दोनों का एक गतिशील रंगमंच** बना हुआ है। SAGAR (क्षेत्र में सभी के लिये सुरक्षा और विकास) **के दृष्टिकोण** से निर्देशित, भारत के **नेबरहुड-फर्स्ट दृष्टिकोण** को अब **नेबरहुड-स्मार्ट नीति** में विकसित होना चाहिये। भारत का अधिकांश पड़ोस **रिमलैंड सिद्धांत** द्वारा परिभाषित रणनीतिक दायरे में आता है, जो यह मानता है कि ***'जो रिमलैंड को नियंत्रित करता है, वह यूरेशिया पर शासन करता है, जो यूरेशिया पर शासन करता है, वह विश्व की नियति को नियंत्रित करता है।"*** यह भारत के लिये महत्त्वपूर्ण भागीदारी को रेखांकित करता है, जो न केवल क्षेत्रीय समुत्थानशक्ति बढ़ाने में, बल्कि तेज़ी से विकसित होते बहुध्रुवीय विश्व में स्वयं को **विश्व मित्र के रूप में स्थापित करने में** भी निहित है।

■■■

भारत के विकास में महिलाओं की भूमिका

यह एडिटोरियल 10/05/2025 को बिज़नेस स्टैंडर्ड में प्रकाशित "Closing the gender gap: India still has miles to go in growth story" पर आधारित है। इस लेख में महिलाओं की कार्यबल भागीदारी में 41.7% की तीव्र वृद्धि पर ध्यान केंद्रित किया गया है, फिर भी अवैतनिक घरेलू काम, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सामाजिक दृष्टिकोण में लगातार लैंगिक अंतराल बना हुआ है जो उनकी पूर्ण आर्थिक क्षमता में बाधा डालते हैं।

यद्यपि भारत में महिला श्रम शक्ति भागीदारी में 6 वर्षों में 23.2% से **41.7% तक की उल्लेखनीय वृद्धि** देखी गई है, फिर भी यह **77.2% की पुरुष दर** और **50% के वैश्विक औसत से पीछे** है। बढ़ती कार्यबल भागीदारी के बावजूद महिलाओं में **असमान रूप से** अवैतनिक घरेलू काम **करना जारी है,** जिससे दोहरा बोझ उत्पन्न होता है। हालाँकि महिला उद्यमिता और वित्तीय समावेशन बढ़ रहा है, फिर भी **18वीं लोकसभा में महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व केवल 13.6% है।** भारत को महिलाओं की पूरी आर्थिक क्षमता को अनलॉक करने और राष्ट्रीय विकास को गति देने के लिये संरचनात्मक असमानताओं, सुरक्षा चिंताओं एवं सामाजिक धारणाओं को तत्काल दूर करने की आवश्यकता है।

भारत के आर्थिक परिवर्तन में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को प्रेरित करने वाले प्रमुख कारक क्या हैं?

- **शैक्षिक उन्नति और STEM समावेशन:** महिलाओं के बीच बढ़ती शैक्षिक उपलब्धि कुशल क्षेत्रों में उनकी उपस्थिति बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण रही है।
  - **महिलाएँ** तेज़ी से STEM **क्षेत्रों में प्रवेश** कर रही हैं, **पारंपरिक रूढ़ियों को चुनौती** दे रही हैं और उच्च वेतन वाली, नवाचार-संचालित नौकरियों तक पहुँच प्राप्त कर रही हैं।
  - इससे **आकांक्षाओं, कौशल निर्माण और कार्यबल तत्परता का एक अच्छा चक्र** निर्मित हुआ है।
  - डिजिटल शिक्षा प्लेटफॉर्मों और छात्रवृत्तियों तक पहुँच ने ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अवसरों को लोकतांत्रिक बना दिया है।
  - उदाहरण के लिये, **उच्च शिक्षा में महिला नामांकन सत्र 2021-22 में बढ़कर 2.07 करोड़** हो गया, जो कुल नामांकन का **लगभग 50%** है।
    - STEM छात्रों में महिलाओं की संख्या (AISHE, 2022) 42.57% है।
- **महिला-नेतृत्व वाले विकास के लिये नीतिगत प्रयास:** महिला कल्याण से **महिला-नेतृत्व वाले विकास** की ओर उद्देश्यपूर्ण किया गया बदलाव **सभी मंत्रालयों की नीतियों में परिलक्षित** होता है।
  - पहलों को **न केवल महिलाओं को शामिल करने के लिये डिज़ाइन** किया गया है, बल्कि उन्हें **नेता, उद्यमी और निर्णयकर्त्ता के रूप में सक्षम बनाने के लिये भी तैयार** किया गया है। ये नीतियाँ ग्रामीण, जनजातीय और कम प्रतिनिधित्व वाले समुदायों को लक्षित करते हुए तेज़ी से अंतर-विभाजक बन रही हैं। अंतर-मंत्रालयी समन्वय ने प्रणालीगत चुनौतियों से अधिक सुसंगत तरीके से निपटना शुरू कर दिया है।
  - उदाहरण के लिये, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन **के तहत 10 करोड़ महिलाएँ 9 मिलियन SHG से जुड़ी** हैं। स्टैंड-अप इंडिया **ऋण का 84% महिलाओं को** जाता है (PIB, 2024)।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- प्रधानमंत्री आवास योजना-G के अंतर्गत यह निर्णय लिया गया है कि **मकान का आवंटन महिला के नाम पर** अथवा **पति-पत्नी के संयुक्त नाम पर** किया जाएगा।

- **महिला उद्यमिता और स्टार्ट-अप संस्कृति का उदय:** महिलाएँ नौकरी के अभ्यर्थियों से **रोज़गार सृजक के रूप में परिवर्तित हो रही हैं** तथा सक्रिय रूप से भारत के स्टार्ट-अप इको-सिस्टम को आकार दे रही हैं।
  - डिजिटल प्लेटफॉर्म, वित्तीय समावेशन और मार्गदर्शन ने महिलाओं को अपने उद्यम को बढ़ाने में सक्षम बनाया है।
  - महिला उद्यमियों की दृश्यता लैंगिक मानदंडों को चुनौती दे रही है और दूसरों को प्रेरित कर रही है। पारिस्थितिकी तंत्र अब **अधिक लैंगिक जागरूक** है, जो समावेशी नवाचार को बढ़ावा दे रहा है।
  - उदाहरण के लिये, **फाल्गुनी नायर की Nykaa, श्रद्धा शर्मा की YourStory** और **उपासना ताकू की MobiKwik** इस प्रवृत्ति को दर्शाती हैं।
  - **SIDBI फंड का 10% से अधिक** हिस्सा अब **महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्ट-अप के लिये निर्धारित** किया गया है (SIDBI, 2024)।

- **वित्तीय और डिजिटल समावेशन:** औपचारिक बैंकिंग और डिजिटल वित्तीय साधनों तक पहुँच ने महिलाओं को आर्थिक रूप से बहुत सशक्त बनाया है।
  - वित्तीय नियंत्रण के साथ, महिलाएँ व्यवसाय और घरेलू निर्णय लेने में अधिक आत्मविश्वासी हैं। **डिजिटल बैंकिंग, आधार-लिंक्ड सेवाओं और मोबाइल वॉलेट के उदय** ने निर्भरता को कम किया है तथा आर्थिक एजेंसी में सुधार किया है। फिनटेक अर्थव्यवस्था में व्यापक भागीदारी का प्रवेश द्वार बन गया है।
  - उदाहरण के लिये, **39.2% बैंक खाते और 39.7% जमा अब महिलाओं के पास** हैं (MoSPI, 2024)। वर्ष 2021 और 2024 के दौरान **महिलाओं के स्वामित्व वाले डीमैट खातों की संख्या तीन गुना** हो गई। साथ ही, **आर्थिक समावेशन** को अब सामुदायिक प्रयास के रूप में देखा जाता है। बैंक सखियों के मॉडल ने $40 मिलियन (वर्ष 2020) के लेनदेन को संसाधित किया।

- **कानूनी और संस्थागत सुधार:** सुदृढ़ कानूनी समर्थन से कार्यस्थल सुरक्षा में सुधार हुआ है, कार्यबल को बनाए रखने को प्रोत्साहन मिला है तथा लिंग आधारित हिंसा की समस्या से निपटा गया है।
  - **फास्ट-ट्रैक कोर्ट, वन-स्टॉप सेंटर और कार्यस्थल कानून** महिलाओं को संस्थागत आश्वासन देते हैं। यौन उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा और मज़बूत मातृत्व लाभ ड्रॉपआउट को कम करते हैं।
  - ये उपाय श्रम बल भागीदारी में दीर्घकालिक लैंगिक समानता के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।
  - उदाहरण के लिये, **750 फास्ट ट्रैक कोर्ट, 802 वन स्टॉप सेंटर कार्यरत हैं; पुलिस स्टेशनों में 14,000 से अधिक महिला सहायता डेस्क हैं** (महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, 2024)।

- **तकनीकी प्रवेश और दूरस्थ कार्य के अवसर:** डिजिटल परिवर्तन ने दूरस्थ कार्य को सक्षम किया है, जिससे महिलाओं को घरेलू जिम्मेदारियों के साथ पेशेवर भूमिकाओं को संतुलित करने में मदद मिली है।
  - गिग इकॉनमी **और प्लेटफॉर्म-आधारित नौकरियों** ने लचीले रोज़गार के नए रास्ते खोले हैं। इससे पारंपरिक गतिशीलता और समय-संबंधी बाधाओं को दूर करने में मदद मिलती है।
  - महिलाएँ अब अपने घरों से ही राष्ट्रीय और वैश्विक श्रम बाज़ार तक पहुँच बना सकती हैं।
  - उदाहरण के लिये, कॉमन सर्विस सेंटर **67,000 महिला उद्यमियों द्वारा** चलाए जा रहे हैं।

- **बदलते सामाजिक मानदंड और रोल मॉडल:** विविध क्षेत्रों में सफल महिलाओं की बढ़ती दृश्यता सामाजिक दृष्टिकोण को नया आकार दे रही है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना** भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हैं।
- रक्षा बलों से लेकर **बोर्डरूम तक,** महिला नेता युवा पीढ़ी को प्रेरित करती हैं और महत्त्वाकांक्षा को सामान्य बनाती हैं।
- उदाहरण के लिये, **15% भारतीय पायलट महिलाएँ** हैं - **वैश्विक औसत से तीन गुना।** वर्ष 2023 में, **कमांडर प्रेरणा देवस्थली भारतीय नौसेना के युद्धपोत की कमान संभालने वाली भारतीय नौसेना की पहली महिला अधिकारी** बन गईं।

भारत में महिला सशक्तीकरण में बाधा डालने वाले प्रमुख मुद्दे क्या हैं?

- **महिला श्रम बल में लगातार कम भागीदारी:** हाल के सुधारों के बावजूद, भारत की LFPR वैश्विक औसत **50% से कम** बनी हुई है।
  - **सामाजिक मानदंड, लचीली नौकरियों की कमी और देखभाल की जिम्मेदारियाँ** महिलाओं की सक्रिय आर्थिक भागीदारी को प्रतिबंधित करती हैं।
  - कई महिलाएँ **विवाह या बच्चे के जन्म के बाद नौकरी छोड़ देती हैं** तथा अनुकूल कार्य वातावरण के अभाव के कारण **पुन: प्रवेश कठिन** बना रहता है।
  - उदाहरण के लिये, **महिला LFPR** 23.3% (सत्र 2017-18) से **बढ़कर 41.7% (सत्र 2023-24)** हो गई, लेकिन **अभी भी यह 77.2% पर पुरुषों से पीछे** है और **वैश्विक महिला औसत 50% से नीचे है** (MoSPI, 2024; विश्व बैंक)।
- **अवैतनिक देखभाल कार्य और घरेलू बोझ:** महिलाएँ अनुपातहीन रूप से अवैतनिक घरेलू कार्य करती हैं, जो आधिकारिक आर्थिक मापदंडों में अदृश्य रहता है।
  - यह दोहरा बोझ शिक्षा, कौशल विकास या औपचारिक रोज़गार के लिये समय को सीमित करता है। घरेलू जिम्मेदारियों को अभी भी **महिलाओं का कर्त्तव्य** माना जाता है जो लैंगिक भूमिकाओं को सुदृढ़ करता है।
  - घरेलू कार्यों में पुरुषों की भागीदारी अत्यंत कम बनी हुई है, जो धीमी सामाजिक परिवर्तन का संकेत है।
  - उदाहरण के लिये, टाइम यूज़ सर्वे से पता चलता है कि **महिलाएँ अवैतनिक घरेलू सेवाओं पर प्रतिदिन 236 मिनट** खर्च करती हैं, जबकि **पुरुष 24 मिनट प्रतिदिन खर्च करते हैं।**
- **लिंग आधारित वेतन अंतर और अनौपचारिकता:** जब महिलाएँ काम करती हैं, तब भी उन्हें वेतन असमानताओं का सामना करना पड़ता है, विशेष रूप से अनौपचारिक और ग्रामीण क्षेत्रों में।
  - बहुत से लोग कम वेतन वाले, असुरक्षित, अनौपचारिक कामों में लगे हुए हैं, जिनमें सामाजिक सुरक्षा नहीं है। वेतन में अंतर के कारण लंबे समय तक कार्यबल में बने रहना मुश्किल हो जाता है और महिलाओं के कौशल को बढ़ाने के लिये प्रोत्साहन कम हो जाता है।
  - उदाहरण के लिये, **शहरी क्षेत्रों में पुरुष महिलाओं की तुलना में 29.4% अधिक कमाते हैं,** जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में वे 51.3% अधिक कमाते हैं। **लगभग 81% महिलाएँ अनौपचारिक क्षेत्रों में काम करती हैं (NSSO, 2023)।**
- **लिंग आधारित हिंसा और सुरक्षा संबंधी चिंताएँ:** सार्वजनिक और निजी स्थानों पर सुरक्षा संबंधी भय महिलाओं की गतिशीलता, रोज़गार एवं शिक्षा के अवसरों को गंभीर रूप से प्रतिबंधित करता है।
  - **NFHS-5 (सत्र 2019-2021)** सर्वेक्षण की रिपोर्ट बताती है कि 18-49 वर्ष की आयु की **29.3% विवाहित महिलाओं** ने पति द्वारा हिंसा का अनुभव किया है।
  - लिंग-आधारित हिंसा (GBV) मनोवैज्ञानिक और आर्थिक अशक्तता का कारण बनती है।
  - त्वरित न्याय का अभाव, कानूनों का अकुशल क्रियान्वयन तथा कम रिपोर्टिंग से स्थिति और बदतर हो जाती है।
  - उदाहरण के लिये, **भारत में हर घंटे महिलाओं के साथ होने वाले अपराध के 51 मामले दर्ज** होते हैं; वर्ष 2022 में **4.4 लाख से अधिक मामले: NCRB रिपोर्ट।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

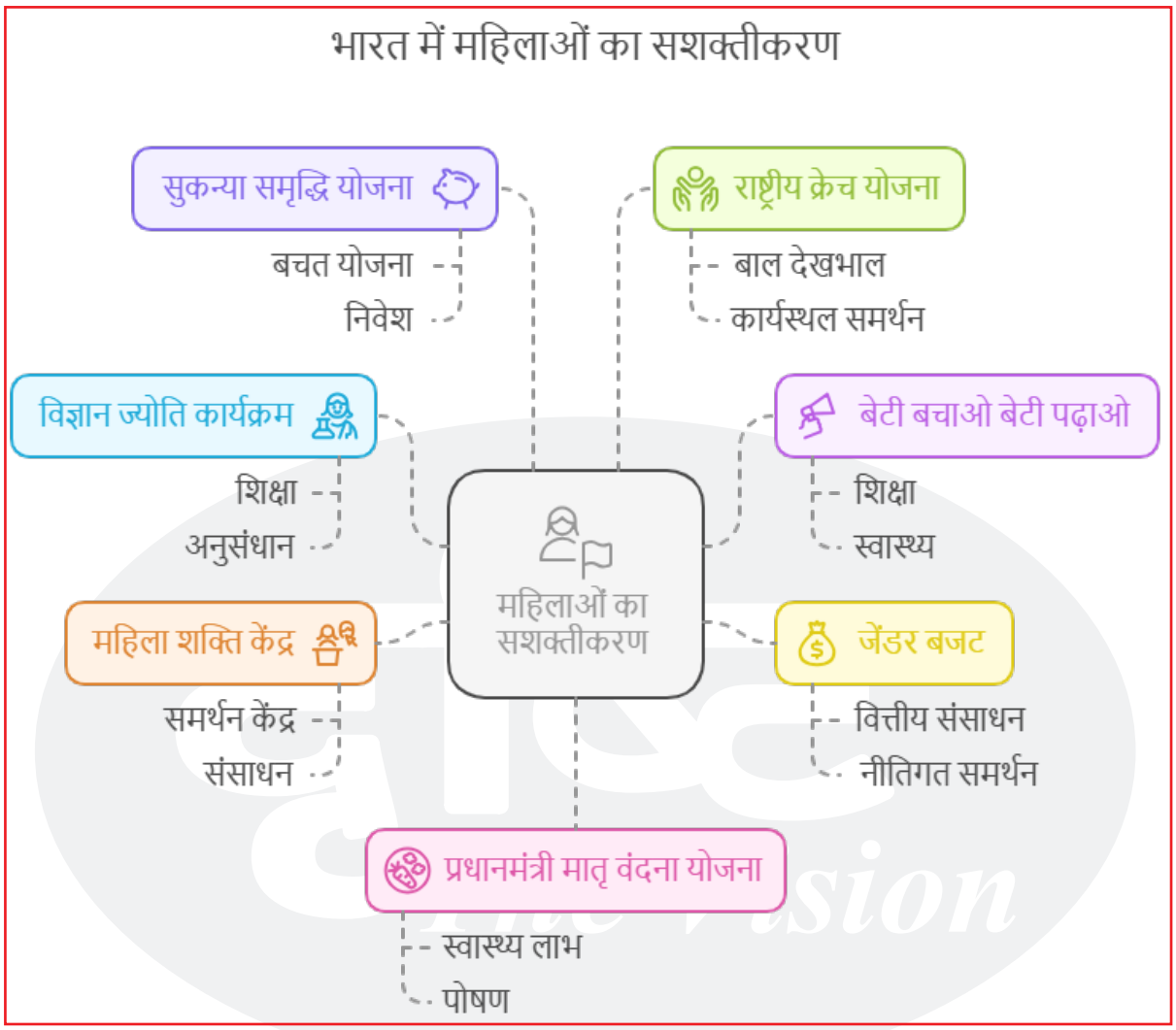

- **राजनीतिक और नेतृत्वकारी भूमिकाओं में अल्प प्रतिनिधित्व:** ज़मीनी स्तर पर संख्यात्मक लाभ के बावजूद, उच्च स्तरों पर निर्णय लेने में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अभी भी अल्प है।
  - महिलाओं को **न केवल ग्लास सीलिंग** (अदृश्य बाधाएँ जो महिलाओं को शीर्ष नेतृत्व तक पहुँचने से रोकती हैं) का सामना करना पड़ता है, बल्कि **ग्लास क्लिफ** के उदाहरणों **का भी सामना** करना पड़ता है, जहाँ **संकट के समय में उन्हें नेतृत्व की भूमिका में नियुक्त किये जाने की अधिक संभावना** होती है, जिससे सफलता प्राप्त करना कठिन हो जाता है।
  - संसद में महिलाओं की कमी **(महिला आरक्षण विधेयक का क्रियान्वयन अगले परिसीमन तक लंबित है)** और **कॉर्पोरेट बोर्ड** लिंग-संवेदनशील नीति निर्माण को कम करते हैं। पंचायतों में आरक्षण अभी तक राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर **आनुपातिक संख्या में तब्दील नहीं** हुआ है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- उदाहरण के लिये, **18वीं लोकसभा के केवल 13.6% सदस्य महिलाएँ** हैं। इसके अलावा, **निफ्टी-500 कंपनियों के निदेशकों में महिलाओं की हिस्सेदारी केवल 17.6%** है।
- **डिजिटल डिवाइड और तकनीक-पहुँच असमानता:** यद्यपि डिजिटल साक्षरता बढ़ रही है, महिलाओं की डिजिटल उपकरणों तक पहुँच, विशेष रूप से ग्रामीण भारत में, सीमित है।
  - विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में फोन, इंटरनेट और डिजिटल वित्त तक लैंगिक पहुँच उन्हें शिक्षा, नौकरी या उद्यमिता के लिये डिजिटल प्लेटफॉर्म का लाभ उठाने से रोकती है।
  - यह अपवर्जन के चक्र को और सुदृढ़ करता है। उदाहरण के लिये, **ग्रामीण क्षेत्रों की केवल 33% महिलाएँ ही इंटरनेट का उपयोग** करती हैं, जबकि **पुरुषों में यह प्रतिशत 57%** है। मोबाइल फोन का स्वामित्व अभी भी महिलाओं के पास **लगभग 54% है (NFHS-5, 2021)**।
- **कार्यस्थल पर अपर्याप्त बुनियादी अवसंरचना और सहायता: लिंग-संवेदनशील बुनियादी अवसंरचना** (जैसे: स्वच्छता, क्रेच, परिवहन) का अभाव महिलाओं को कार्यबल में शामिल होने या बने रहने से हतोत्साहित करता है।
  - इसके अलावा, **भारत में 37% संगठन अभी भी मातृत्व अवकाश** का लाभ प्रदान नहीं करते हैं और केवल **17.5% ही शिशु देखभाल सुविधाएँ** प्रदान करते हैं।
  - पर्याप्त मातृत्व लाभ, सवेतन छुट्टी या लचीले काम के घंटों के बिना, महिलाओं को काम और जीवन के बीच संतुलन बनाना मुश्किल लगता है। कई महिलाएँ देखभाल करने वाली भूमिकाओं के कारण नौकरी छोड़ देती हैं।
  - उदाहरण के लिये, **अकुशल नीतियों के कारण 4 में से 1 कामकाज़ी महिला को बच्चों की देखभाल और कॅरियर के बीच चयन** करना पड़ा।

आर्थिक विकास में महिलाओं को मुख्यधारा में लाने के लिये भारत क्या उपाय अपना सकता है?

- **स्थानीय आर्थिक पारिस्थितिकी तंत्र के साथ कौशल को एकीकृत करना: कौशल भारत, PMKVY** और **SANKALP** के तहत महिलाओं के कौशल कार्यक्रमों को स्थानीय आर्थिक मांगों तथा **ग्रीन जॉब्स, स्वास्थ्य सेवा एवं डिजिटल सेवाओं जैसे उभरते क्षेत्रों के साथ संरेखित** किया जाना चाहिये।
  - यह दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि कौशल विकास से **वास्तविक, संधारणीय आर्थिक अवसर** प्राप्त होंगे।
  - प्रशिक्षण मांग आधारित होना चाहिये तथा उसे प्लेसमेंट सेल, SHG फेडरेशन (जैसे: केरल का कुदुम्बश्री) और उद्यमिता केंद्रों जैसे प्रशिक्षण-पश्चात संपर्कों द्वारा समर्थित किया जाना चाहिये।
  - **प्रारंभिक अनुभव के लिये माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा** को शामिल किया जाना चाहिये। **ज़िला कौशल समितियों** के तहत ज़िला-स्तरीय जेंडर-स्मार्ट कौशल योजनाएँ बनाई जानी चाहिये।
- **एकीकृत वित्त मॉडल के माध्यम से महिला उद्यम को बढ़ावा देना:** नैनो और सूक्ष्म उद्यमों को समर्थन देने के लिये एकीकृत ऋण पहुँच मॉडल के तहत **MUDRA** ऋण, **स्टैंड-अप इंडिया** और **महिला उद्यमिता कोष को** जोड़ा जाना चाहिये।
  - **GeM जैसे प्लेटफॉर्मों के माध्यम से महिला उद्यमियों को व्यवसाय विकास सेवाओं,** डिजिटल ऑनबोर्डिंग और बाज़ार संपर्कों के साथ सहायता प्रदान किया जाना चाहिये।
  - स्वयं सहायता समूहों को स्थानीय महिलाओं के नेतृत्व वाले व्यवसायों के लिये **इनक्यूबेटर में परिवर्तित** किया जा सकता है।
  - **क्रेडिट जोखिम को कम करने के लिये संयुक्त देयता और सहकर्मी सलाह मॉडल** पेश किया जाना चाहिये। यह महिलाओं के लिये एक व्यवहार्य आजीविका विकल्प के रूप में उद्यमिता को मुख्यधारा में लाएगा।
- **बाल देखभाल और देखभाल अर्थव्यवस्था समर्थन को संस्थागत बनाना: सामर्थ्य** और **ICDS** के तहत एक **राष्ट्रीय क्रेच ग्रिड विकसित** किया जाना चाहिये, **कामकाज़ी माताओं को समर्थन देने के लिये आँगनवाड़ियों एवं कार्यस्थल-आधारित क्रेच** को एकीकृत किया जाना चाहिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- इससे **देखभाल संबंधी कार्य का पुनर्वितरण होगा और कार्यबल में महिलाओं की उपस्थिति** सुनिश्चित होगी।
- **नियोक्ता-प्रायोजित बाल देखभाल सुविधाएँ बनाने के लिये PPP मॉडल को** प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।
- औपचारिक कौशल और वेतन तंत्र के माध्यम से देखभाल कर्मियों को मान्यता दी जानी चाहिये और उन्हें पेशेवर बनाया जाना चाहिये।
- **पोर्टेबल देखभाल लाभ कार्यढाँचे** के माध्यम से अनौपचारिक क्षेत्र में सशुल्क मातृत्व अवकाश का विस्तार किया जाना चाहिये।

- **बुनियादी अवसंरचना और डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र परियोजनाओं में महिलाओं को मुख्यधारा में लाना:** स्वच्छता, परिवहन, जल, आवास के लिये बुनियादी अवसंरचना के निर्माण में लिंग-उत्तरदायी बजट को अनिवार्य किया जाना चाहिये ताकि महिलाओं के लिये सार्वजनिक बुनियादी अवसंरचना की उपयोगिता में सुधार हो सके।
  - **स्मार्ट सिटी और AMRUT परियोजनाओं** में जेंडर ऑडिट एवं मोबिलिटी मैपिंग को संस्थागत बनाया जाना चाहिये। इससे बुनियादी अवसंरचना अधिक समावेशी और सशक्त बनेगा।
  - महिलाओं के डिजिटल सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिये राष्ट्रीय अवसंरचना और ग्रामीण इंटरनेट परियोजनाओं में **डिजिटल साक्षरता** एवं **PMGDISHA** को शामिल किया जाना चाहिये।
  - **सामुदायिक भागीदारी मंचों** के माध्यम से बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं की योजना बनाने और निगरानी में महिलाओं को शामिल किया जाना चाहिये।
- **अनौपचारिक क्षेत्र में महिलाओं के लिये औपचारिकीकरण और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना:** महिलाओं के नेतृत्व वाले अनौपचारिक उद्यमों को औपचारिक कार्यढाँचे के तहत लाने के लिये **लिंग-स्मार्ट उद्यम पंजीकरण अभियान** बनाया जाना चाहिये।
  - इससे अनौपचारिक महिला श्रमिकों की दृश्यता, सुरक्षा और उत्पादकता बढ़ती है।
  - सरलीकृत दस्तावेज़ीकरण और मोबाइल-सक्षम नामांकन के साथ **e-SHRAM**, **ESIC** और **NPS कवरेज** का विस्तार किया जाना चाहिये।
  - मूल्य संवर्द्धन और आपूर्ति श्रृंखलाओं को औपचारिक बनाने के लिये **एक ज़िला एक उत्पाद (ODOP)** के अंतर्गत महिला-विशिष्ट क्लस्टरों को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
- **शासन और निर्णय-निर्माण में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को सशक्त करना:** सरकारी बोर्डों, स्थानीय योजना समितियों, MSME संवर्द्धन परिषदों और सहकारी समितियों में लिंग कोटा अनिवार्य किया जाना चाहिये।
  - **पंचायत प्रोत्साहनों** को आर्थिक एवं योजना भूमिकाओं में महिलाओं के समावेशन से जोड़ने की आवश्यकता है।
  - **शासन के सभी स्तरों** पर जेंडर बजट और नियोजन पर क्षमता निर्माण को संस्थागत बनाया जाना चाहिये। नेतृत्व में महिलाएँ अधिक लैंगिक-संवेदनशील नीतियाँ और संसाधन आवंटन सुनिश्चित करती हैं।
- **निजी क्षेत्र में लिंग-संवेदनशील कार्य मानदंडों का विस्तार करना: कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR)** और ESG कार्यढाँचे के तहत पितृत्व अवकाश और जेंडर ऑडिट प्रकटीकरण को अनिवार्य किया जाना चाहिये।
  - ये मानदंड, **दिखावे से आगे बढ़कर, लिंग-समावेशी मानव संसाधन प्रथाओं को मुख्यधारा में लाने में मदद** कर सकते हैं।
  - निजी कंपनियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये कि वे महिलाओं के लिये कॅरियर ब्रेक के बाद **वापसी कार्यक्रम और पुन: कौशल विकास के विकल्प** तैयार करें।
  - कंपनियों को सार्वजनिक खरीद प्राथमिकताओं से जुड़ा एक **जेंडर इक्विटी इंडेक्स** पेश करना चाहिये। सभी क्षेत्रों में **फ्लेक्सी-टाइम, घर से काम करने** और **ऑन-साइट चाइल्डकेयर सुविधाओं के अंगीकरण** को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।
- **एकीकृत महिला डिजिटल पहचान और लाभ मंच विकसित करना: आधार से जुड़ा** तथा **API-सक्षम मंच**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

महिला डिजिटल सशक्तीकरण स्टैक बनाया जाना चाहिये जो कल्याण, ऋण, कौशल एवं बीमा तक पहुँच को एकीकृत करता है।

- इस स्टैक का उपयोग प्रगति को ट्रैक करने, लीकेज को कम करने और कस्टम एडवाइस प्रदान करने के लिये किया जाना चाहिये। इसे **एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम** और **डिजिटल इंडिया** पहलों में शामिल किया जाना चाहिये।
- महिलाओं के नेतृत्व वाली CSC के माध्यम से सेवाओं की डोरस्टेप डिलीवरी के लिये फिनटेक के साथ साझेदारी की जानी चाहिये।

- **लिंग-केंद्रित स्थानीय विकास योजनाओं के माध्यम से योजना का विकेंद्रीकरण:** ग्राम पंचायत, ब्लॉक और ज़िला स्तर पर **लिंग कार्य योजनाओं** को संस्थागत बनाना, महिला सभाओं और SHG नेटवर्क से प्राप्त इनपुट को एकीकृत किया जाना चाहिये।
  - इन योजनाओं को महिलाओं के साथ मिलकर बनाया जाना चाहिये तथा वार्षिक विकास योजना चक्रों एवं वित्तपोषण में शामिल किया जाना चाहिये।
  - प्राथमिकता अंतराल की पहचान करने के लिये **MoSPI के टाइम यूज़ सर्वे, NFHS** और **SECC** से डेटा का उपयोग किया जाना चाहिये। **विकेंद्रीकृत, डेटा-संचालित लिंग नियोजन** संदर्भ-विशिष्ट और प्रभावी हस्तक्षेप सुनिश्चित करता है।

निष्कर्ष:

जैसा कि प्रसिद्ध संस्कृत कहावत है: "***राष्ट्रस्य श्रवः नारी अस्ति, नारी राष्ट्रस्य अक्षि अस्ति !***" अर्थात् महिला वह कान है जिसके माध्यम से राष्ट्र सुनता है, वह नेत्र है जिसके माध्यम से वह देखता है। भारत के जनांकिक लाभांश का सही मायने में दोहन करने के लिये, महिला सशक्तीकरण को **आकांक्षा से कार्यान्वयन की ओर स्थानांतरित करने की आवश्यकता** है। महिलाओं की समानता को बढ़ावा देने से वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में $28 ट्रिलियन की वृद्धि हो सकती है, जिसमें भारत में संभावित रूप से वर्ष 2025 तक **$770 बिलियन की वृद्धि** देखी जा सकती है। लैंगिक समानता वाली अर्थव्यवस्था न केवल समावेशी विकास को बल्कि राष्ट्रीय विकास को भी गति देती है। **ये प्रयास सीधे SDG 5** (लैंगिक समानता) और **SDG 8** (उत्कृष्ट श्रम और आर्थिक विकास) **के साथ संरेखित हैं।**

■■■

भारत के स्टार्टअप विकास को आकार देना

यह एडिटोरियल 08/04/2025 को हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित "Why Indian startup ecosystem needs a deep-tech compass" पर आधारित है। लेख में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि भारत के स्टार्टअप इको-सिस्टम को उल्लेखनीय वृद्धि हासिल करते हुए, दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता, वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता और घरेलू नवाचार सुनिश्चित करने के लिये अल्पकालिक उपक्रमों से डीप-टेक जैसे उच्च प्रभाव वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।

भारत के स्टार्टअप इको-सिस्टम ने तेज़ी से विकास किया है, जिससे यह विश्व में **तीसरे सबसे बड़े इको-सिस्टम के रूप में स्थापित** हुआ है। **1.57 लाख से अधिक** मान्यता प्राप्त (उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (DPIIT) द्वारा) **स्टार्टअप और यूनिकॉर्न की बढ़ती संख्या** के साथ, भारत **नवाचार में एक वैश्विक अग्रणी** के रूप में उभर रहा है। सरकार द्वारा समर्थित पहल, क्षेत्र-विशिष्ट नीतियों और बढ़ते निवेशक विश्वास के साथ मिलकर इस परिवर्तन को आगे बढ़ा रहे हैं। हालाँकि, पूंजी अभिगम, विनियामक जटिलता और स्केलिंग जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं, जो विकास को बनाए रखने तथा दीर्घकालिक मूल्य बनाने के लिये निरंतर सुधार एवं रणनीतिक निवेश की मांग करती हैं।

भारत में स्टार्टअप्स की स्थिति क्या है?

- **स्टार्टअप:** स्टार्टअप से तात्पर्य **नवगठित व्यवसाय** से है जिसका लक्ष्य नवाचार और प्रौद्योगिकी के माध्यम से तेज़ी से विस्तार करना है।
  - इन व्यवसायों का उद्देश्य सामान्यत: विघटनकारी उत्पादों या सेवाओं के माध्यम से बाज़ार की कमियों को पूरा करना होता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **फंडिंग परिदृश्य:** वर्ष 2025 की पहली तिमाही में, **भारतीय स्टार्टअप्स ने 2.5 बिलियन डॉलर** जुटाए, जो पिछले वर्ष की तुलना में **8.7% की वृद्धि** दर्शाता है।
  - **यह वृद्धि** भारत में बढ़ते **निवेशक विश्वास और जीवंत स्टार्टअप क्षेत्र** को दर्शाता है।
- **IPO उछाल:** भारत के स्टार्टअप क्षेत्र में इनिशियल पब्लिक ऑफर (IPO) **में वृद्धि** देखी जा रही है, जिसमें **23 स्टार्टअप** वर्ष 2025 में पब्लिक लिस्टिंग की तैयारी कर रहे हैं।
  - यह वृद्धि भारतीय मूल के नवाचारों और बाज़ार-संचालित समाधानों में **निवेशकों की व्यापक रुचि** को दर्शाता है।
- **यूनिकॉर्न विकास:** भारत में **100 से अधिक यूनिकॉर्न** हैं, जिनका मूल्य 1 बिलियन डॉलर से अधिक है।
  - ये यूनिकॉर्न फिनटेक, **हेल्थ-टेक, एडटेक** और ई-कॉमर्स जैसे विविध क्षेत्रों में फैले हुए हैं, जो स्टार्टअप इको-सिस्टम की विशाल क्षमता को सिद्ध करते हैं।
- **क्षेत्रीय विकास और समावेशिता: टियर-2 और टियर-3 शहर** अब प्रमुख भागीदार बन रहे हैं, जो **51% स्टार्टअप में योगदान** दे रहे हैं।
  - ये शहर क्षेत्रीय चुनौतियों का समाधान करते हुए **कृषि, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के क्षेत्र** में समाधान पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

स्टार्टअप के प्रकार (मूल्यांकन के आधार पर)

प्रकार	मूल्यांकन सीमा	विवरण
सीड स्टेज/प्रारंभिक चरण	10 मिलियन डॉलर से कम	नव स्थापित स्टार्टअप, प्रायः पूर्व-राजस्व चरण में, सीड फंडिंग या इनक्यूबेटर द्वारा समर्थित होते हैं।
मिनिकॉर्न्स	10 मिलियन डॉलर से लेकर 100 मिलियन डॉलर से कम	प्रारंभिक विकास चरण के स्टार्टअप्स में विस्तार और वृहत निवेश को आकर्षित करने की क्षमता दिख रही है।
सूनीकॉर्न्स	100 मिलियन डॉलर से लेकर 1 बिलियन डॉलर से कम	तेज़ी से बढ़ते स्टार्टअप्स के जल्द ही यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त करने की उम्मीद है।
यूनिकॉर्न्स	1 बिलियन डॉलर या उससे अधिक	निजी स्वामित्व वाली स्टार्टअप कंपनियाँ जिनका मूल्यांकन 1 बिलियन डॉलर या उससे अधिक है।
डेकाकॉर्न्स	10 बिलियन डॉलर या उससे अधिक	10 बिलियन डॉलर या उससे अधिक मूल्य के स्टार्टअप, महत्त्वपूर्ण बाज़ार प्रभाव का संकेत देते हैं।
हाल की प्रगति	बैंकॉक विज़न- 2030, समुद्री परिवहन समझौता	पिछला शिखर सम्मेलन वर्ष 2014 में हुआ था, लेकिन कोई हालिया परिणाम नहीं आया

प्रमुख पहलों और उनकी उपलब्धियों ने भारत के स्टार्टअप इको-सिस्टम को किस प्रकार मज़बूत किया है?

- **स्टार्टअप इंडिया पहल:** वर्ष 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया पहल **का उद्देश्य नवाचार** और **उद्यमिता** के लिये एक मज़बूत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है।
  - अनुपालन को सरल बनाने और **कर लाभ प्रदान करने से 1.57 लाख** से अधिक **स्टार्टअप** लाभान्वित हुए हैं, जिससे संसाधनों तक उनकी पहुँच बढ़ी है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **स्टार्टअप्स के लिये फंड ऑफ फंड्स (FFS):** प्रारंभिक चरण के वित्तपोषण के लिये आवंटित **10,000 करोड़ रुपए** के साथ FFS, स्टार्टअप विकास को बढ़ावा देने में आधारशिला रहा है।
  - वर्ष 2024 तक, इस फंड ने **1,173 स्टार्टअप्स में ₹21,276 करोड़ का निवेश सक्षम** किया, जिससे उनकी **वित्तीय क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि** हुई।
- **स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (SISFS):** वर्ष 2021 में लॉन्च की गई स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (SISFS), अवधारणा **के प्रमाण** (किसी विचार की क्षमता को मान्य करने के लिये व्यवहार्यता परीक्षण) और **प्रोटोटाइप विकास** (डिज़ाइन कार्यक्षमता के परीक्षण के लिये उत्पाद का प्रारंभिक संस्करण) जैसे महत्त्वपूर्ण चरणों के माध्यम से स्टार्टअप का समर्थन करती है।
  - वर्ष 2024 तक **2,622 स्टार्टअप्स को सहायता** देने और उनके विकास को बढ़ावा देने के लिये **467.75 करोड़ रुपए** आवंटित किये गए हैं।
- **स्टार्टअप्स के लिये ऋण गारंटी योजना (CGSS):** स्टार्टअप के लिये क्रेडिट गारंटी योजना (CGSS) **संपार्श्विक-मुक्त ऋण** तक पहुँच की सुविधा प्रदान करती है, जिससे स्टार्टअप्स को परिसंपत्तियों के बोझ के बिना वित्तपोषण प्राप्त करने में मदद मिलती है।
  - जनवरी 2025 तक, इस योजना ने **209 स्टार्टअप्स के लिये ₹604.16 करोड़ की गारंटी** दी है, जिसमें ₹27.04 करोड़ महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों **के लिये आवंटित** किये गए हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **महिला उद्यमियों के लिये समर्थन:** सरकार ने महिला उद्यमियों को प्राथमिकता दी है, जिसके तहत वर्ष 2024 तक **73,151 स्टार्टअप्स में कम से कम एक महिला निदेशक** थी।
  - **महिला-नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स को** वैकल्पिक निवेश कोष (AIF) के माध्यम से **3,107.11 करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त** हुआ है।
- **क्षेत्र-विशिष्ट नीतियाँ:** जैव प्रौद्योगिकी, कृषि और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों के लिये लक्षित नीतियाँ क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण रही हैं।
  - इन नीतियों ने निवेश को आकर्षित किया है, विशेष रूप से डीप-टेक में, जहाँ भारत एक वैश्विक अग्रणी के रूप में उभर रहा है।
- **क्षमता निर्माण कार्यक्रम:** महिला उद्यमिता मंच (WEP) और अटल इनोवेशन मिशन (AIM) **स्टार्टअप्स को समर्थन देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका** निभाते हैं।
  - WEP नीतियों और पुरस्कारों को एकीकृत करता है, जबकि AIM ने युवावस्था से ही उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिये **10,000** अटल टिंकरिंग लैब्स **की स्थापना** की है।
- **राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग:** वर्ष 2018 से, **वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय** के तहत DPIIT राज्यों की स्टार्ट-अप रैंकिंग **का कार्य** कर रहा है।
  - यह देश भर में स्टार्टअप्स के लिये व्यावसायिक परिवेश को बेहतर बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

भारत में स्टार्टअप इको-सिस्टम के समक्ष क्या चुनौतियाँ हैं?

- **पूंजी उपलब्धता:** कई **स्टार्टअप्स,** विशेष रूप से **टियर-2 और टियर-3 शहरों में, पर्याप्त पूंजी हासिल करने में चुनौतियों का सामना करते हैं।**
  - वर्ष 2024 में, इन **शहरों में फंडिंग में काफी गिरावट** आई है, जुलाई 2024 में ₹2,202 करोड़ से नवंबर 2024 में ₹202 करोड़ तक की गिरावट आई है, जो **फंडिंग असमानता** को उजागर करता है।
- **नियामक बाधाएँ:** भारत का **नियामक परिदृश्य** स्टार्टअप्स के लिये बहुत बड़ी चुनौतियाँ उत्पन्न करता है।
  - उदाहरण के लिये, **ओला और उबर जैसी ऐप-आधारित कैब सेवाओं को** मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत वर्गीकृत करने पर चल रही बहस से **परिचालन में अनिश्चितता** बढ़ रही है।
- **अनुपालन भार:** नया डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम-2024, स्टार्टअप्स के लिये अनुपालन बोझ बढ़ाता है।
  - हालाँकि यह **डेटा सुरक्षा के लिये आवश्यक** है, लेकिन इससे उन **स्टार्टअप्स पर अतिरिक्त दबाव** पड़ता है जो पहले से ही परिचालन दक्षता के साथ संघर्ष कर रहे हैं।
- **स्केलिंग मुद्दे:** कई स्टार्टअप्स के लिये **स्केलिंग एक महत्त्वपूर्ण बाधा** बनी हुई है, लगभग **90% स्टार्टअप्स पाँच वर्षों के भीतर विफल** हो जाते हैं।
  - बाज़ार में प्रवेश की चुनौतियाँ और परिचालन अक्षमताएँ जैसे मुद्दे इस उच्च विफलता दर में योगदान करते हैं, जिससे दीर्घकालिक विकास बाधित होता है।
- **प्रतिस्पर्द्धा और बाज़ार संतृप्ति:** कुछ क्षेत्रों में स्टार्टअप, विशेष रूप से एडटेक, तीव्र प्रतिस्पर्द्धा का सामना कर रहे हैं।
  - इन बाज़ारों की संतृप्ति तथा अस्थिर नकदी व्यय के कारण, सीमित लाभप्रदता होती है तथा स्टार्टअप्स को विकास को बनाए रखने में संघर्ष करना पड़ता है।
- **प्रतिभा पलायन और बौद्धिक संपदा:** भारत प्रतिभा पलायन **की एक बड़ी चुनौती** का सामना कर रहा है, जहाँ नवाचारों को कम मूल्य पर विदेशी कंपनियों को बेच दिया जाता है।
  - इससे **बौद्धिक पूंजी की हानि** होती है और भारत के स्टार्टअप इको-सिस्टम की **दीर्घकालिक प्रतिस्पर्द्धात्मकता कमज़ोर** होती है।
- **नवप्रवर्तन की स्थिरता:** स्टार्टअप प्राय: अल्पकालिक लाभ पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप अस्थिर मॉडल सामने आते हैं।
  - एड-टेक जैसे क्षेत्रों में, इसके परिणामस्वरूप **महामारी के बाद मंदी** आई है, जिससे दीर्घकालिक मूल्य सृजन को प्राथमिकता देने वाले स्थायी विकास मॉडल की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **बुनियादी अवसंरचना की चुनौतियाँ:** टियर-2 और टियर-3 शहरों में **विकास के बावजूद, निम्नस्तरीय बुनियादी अवसंरचना अभी भी एक बाधा** बना हुआ है।
  - अपर्याप्त कनेक्टिविटी और संसाधनों तक सीमित पहुँच स्टार्टअप्स की स्केलेबिलिटी को सीमित करती है, जिससे **वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्द्धा करना मुश्किल** हो जाता है।

भारत नवाचार और स्टार्टअप में वैश्विक अग्रणी कैसे बन सकता है?

- **डीप-टेक इको-सिस्टम को मज़बूत करना: भारत को AI, रोबोटिक्स और सेमीकंडक्टर** जैसे **डीप-टेक उद्योगों** के समर्थन पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।
  - इन महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने तथा भारत को प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वैश्विक अग्रणी के रूप में स्थापित करने के लिये **प्रारंभिक चरण के वित्तपोषण को प्रोत्साहित** किया जाना चाहिये।
- **नीतिगत सुधार और समर्थन:** सरकार को **एंजल टैक्स को समाप्त करने** जैसे **नीतिगत सुधारों को लागू करना और बढ़ाना** जारी रखना चाहिये।
  - सुरक्षित बंदरगाह नियमों का विस्तार और उच्च तकनीक क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास के लिये अतिरिक्त प्रोत्साहन की पेशकश से भारतीय स्टार्टअप्स की **वृद्धि और वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा सुनिश्चित** होगी।
- **टियर-2 और टियर-3 शहरों का विकास:** टियर-2 और टियर-3 शहरों को **नवाचार केंद्रों के रूप में विकसित करके स्टार्टअप इको-सिस्टम का विकेंद्रीकरण** आवश्यक है।
  - बुनियादी अवसंरचना में सुधार, कम भूमि दर उपलब्ध कराना और **नवाचार केंद्रों की स्थापना** से क्षेत्रीय स्टार्टअप्स को विकसित होने में मदद मिलेगी।
- **बौद्धिक संपदा संरक्षण को दृढ़ करना:** नवाचार-संचालित विकास को प्रोत्साहित करने के लिये बौद्धिक संपदा संरक्षण को सुदृढ़ किया जाना चाहिये।
  - **पेटेंट जाँच में तीव्रता** लाने और **बौद्धिक संपदा अधिकारों** के बारे में जागरूकता बढ़ाने से यह सुनिश्चित होगा कि स्टार्टअप्स के नवाचार वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्द्धी बने रहें।
- **शिक्षा जगत के साथ सहयोग:** गहन तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने के लिये **शिक्षा जगत और स्टार्टअप के बीच सहयोग** आवश्यक है।
  - विश्वविद्यालय इनक्यूबेटर के रूप में कार्य कर सकते हैं, अनुसंधान साझेदारी को बढ़ावा दे सकते हैं और स्टार्टअप्स को वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने वाली अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को विकसित करने में सहायता कर सकते हैं।
- **स्थानीय समाधानों के माध्यम से समावेशी विकास:** स्टार्टअप्स को स्थानीय चुनौतियों का समाधान करने के लिये टियर-2 और टियर-3 शहरों में अपनी उपस्थिति का लाभ उठाना चाहिये।
  - **कृषि, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा में समाधान** विकसित करने से **भारत के स्टार्टअप इको-सिस्टम के समावेशी विकास में योगदान** मिलेगा।
- **सरकारी खरीद और बाज़ार के अवसर:** अमेरिका के समान, **स्टार्टअप्स से सरकारी खरीद** के लिये नीतियाँ लागू करने से महत्त्वपूर्ण बाज़ार अवसर खुलेंगे।
  - स्टार्टअप्स के लिये सरकारी अनुबंधों का एक निश्चित प्रतिशत अनिवार्य करने से दीर्घकालिक विकास और स्थिरता सुनिश्चित होगी।

निष्कर्ष

भारत का स्टार्टअप इको-सिस्टम **उचित नीतिगत सुधारों और डीप-टेक उद्योगों पर ध्यान** केंद्रित करके आगे बढ़ने के लिये तैयार है। **चुनौतियों का समाधान** करके और **नवाचार को बढ़ावा** देकर, भारत वैश्विक स्तर पर नेतृत्व करना जारी रख सकता है, जिससे उद्यमशीलता की सफलता से प्रेरित **संधारणीय, समावेशी आर्थिक विकास** का भविष्य सुनिश्चित हो सके।

■■■

विकासशील अंतरिक्ष शस्त्रीकरण के युग में भारत

यह एडिटोरियल 11/04/2025 को द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित "India has an admirable record as a global space power. But it needs to do

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

more to close gap with China" पर आधारित है। इस लेख में भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के रणनीतिक परिवर्तन— शांतिपूर्ण अन्वेषण से लेकर शस्त्रीकरण तैयारियों की तत्काल आवश्यकता तक का उल्लेख किया गया है। बढ़ते वैश्विक प्रति-अंतरिक्ष खतरों के साथ, इसमें भारत के लिये अपने रक्षा अंतरिक्ष संरचना को सुदृढ़ करने और अपनी अंतरिक्षीय संसाधन की सुरक्षा करने की तत्काल आवश्यकता पर चर्चा की गई है।

अंतरिक्ष शक्ति के रूप में भारत का विकास **अन्वेषण से विस्तार की ओर वैश्विक बदलाव** को दर्शाता है। उपग्रह प्रक्षेपण, चंद्र मिशन और उपग्रह रोधी क्षमताओं सहित **प्रभावशाली तकनीकी उपलब्धि** हासिल करने के बावजूद, **भारत अब एक महत्त्वपूर्ण मोड़ पर** है। जैसा कि CDS जनरल अनिल चौहान ने हाल ही में ज़ोर दिया, "***Warfare increasingly depends on space dominance.***" विरोधियों द्वारा तेज़ी से जवाबी अंतरिक्ष क्षमताओं को विकसित करने के साथ, भारत को राष्ट्रीय सुरक्षा के इस नए मोर्चे में अपने रणनीतिक हितों की रक्षा के लिये अपने **अंतरिक्ष शस्त्रीकरण-कार्यक्रम को गति** देने की आवश्यकता है।

अंतरिक्ष किस प्रकार युद्ध का नया क्षेत्र बन रहा है?

- **वैश्विक शक्तियों द्वारा अंतरिक्ष का शस्त्रीकरण:** अंतरिक्ष अब अन्वेषण का निष्क्रिय क्षेत्र नहीं रह गया है; **प्रमुख शक्तियाँ सक्रिय रूप से प्रभावशाली और रक्षात्मक अंतरिक्ष क्षमताओं का विकास** कर रही हैं।
  - **समर्पित अंतरिक्ष बलों** (जैसे: यूएस स्पेस फोर्स) का गठन अंतरिक्ष को संभावित **युद्ध क्षेत्र** के रूप में देखने की दिशा में बदलाव को दर्शाता है। अब देश अंतरिक्ष परिसंपत्तियों को स्थलीय संघर्षों में रणनीतिक गुणक के रूप में देखते हैं।
  - उदाहरण के लिये, अमेरिका में **अंतरिक्ष बल के बजट का 60% से अधिक, लगभग 19.2 बिलियन डॉलर,** अनुसंधान, विकास, परीक्षण एवं मूल्यांकन पर खर्च किया जाता है।
    - चीन की PLA स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स ने अंतरिक्ष अभियानों को शस्त्रीकरण सिद्धांत में एकीकृत कर लिया है।
- **उपग्रह लक्ष्यीकरण और उपग्रह रोधी (ASAT) शस्त्र:** अंतरिक्ष का शस्त्रीकरण **उपग्रह रोधी शस्त्रों के परीक्षण में स्पष्ट** है। दुश्मन के उपग्रहों को नष्ट करने से **युद्ध के दौरान नेविगेशन, संचार और निगरानी बाधित** हो सकती है। यह **आधुनिक युद्ध के मैदान में एक नई भेद्यता** जोड़ता है।
  - वर्ष 2019 में **भारत के 'मिशन शक्ति' ने ASAT क्षमता** का प्रदर्शन किया। वर्ष 2021 में, रूस के ASAT परीक्षण से **1,500 से अधिक** ट्रैक करने योग्य **अंतरिक्ष मलबे के टुकड़े उत्पन्न** हुए, जिससे **अंतरिक्षीय सुरक्षा के लिये खतरा** उत्पन्न हो गया।
- **अंतरिक्ष प्रणालियों में साइबर युद्ध:** उपग्रह **न केवल गतिज हमलों के प्रति संवेदनशील** हैं, बल्कि साइबर अटैक के प्रति भी संवेदनशील हैं, जो कमान और नियंत्रण को बाधित कर सकते हैं।
  - अंतरिक्ष संसाधनों पर साइबर अटैक प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को निष्क्रिय कर सकते हैं या डेटा में हेरफेर कर सकते हैं। यह **युद्ध के कम लागत वाले, अस्वीकार्य मार्ग** प्रदान करता है।
  - वर्ष 2022 में, रूस-यूक्रेन युद्ध **के दौरान KA-SAT साइबर हमले** ने वायासैट उपग्रह सेवाओं को बाधित कर दिया।
- **दोहरे उपयोग वाले उपग्रह और जासूसी:** उपग्रहों का **दोहरा उपयोग** होता जा रहा है, **नागरिक और शस्त्रीकरण** दोनों **आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये,** उन्हें शांतिकाल में निगरानी एवं युद्धकाल में लक्ष्य बनाने के लिये उपकरण बनाया जा रहा है। राष्ट्र नागरिक उपयोग की आड़ में सैन्य खुफिया जानकारी के लिये **पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों का उपयोग** करते हैं।
  - उदाहरण के लिये, चीन की याओगन उपग्रह **शृंखला को आधिकारिक तौर पर 'रिमोट सेंसिंग'** नाम दिये जाने के बावजूद **सैन्य निगरानी** के लिये जाना जाता है।
  - सोवियत संघ के पतन के बाद, राष्ट्रीय टोही कार्यालय प्रणालियाँ अमेरिकी शस्त्रीकरण क्षमताओं में और अधिक एकीकृत हो गईं तथा खाड़ी युद्ध में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **शस्त्रीकरण संघर्षों में निजी क्षेत्र की भागीदारी: SpaceX और प्लैनेट लैब्स** जैसे निजी भागीदार वास्तविक काल में खुफिया जानकारी और इंटरनेट सेवाएँ प्रदान करके आधुनिक संघर्षों को सक्रिय रूप से आकार दे रहे हैं।
  - इससे नागरिक और सैन्य पक्षों के बीच का अंतर समाप्त होता जा रहा है तथा नई कानूनी और रणनीतिक दुविधाएँ उत्पन्न होती जा रही हैं।
  - **यूक्रेन युद्ध** के दौरान, **स्टारलिंक ने यूक्रेनी सेना के लिये निर्बाध संचार** को सक्षम किया। प्लैनेट लैब्स ने रूसी सेना की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिये वाणिज्यिक उपग्रह चित्र प्रदान किये।
  - वर्ष 2022 में, **जर्मनी की एनकॉन ने पूरे यूरोप में उपग्रह संचार में 'बड़ी बाधा'** की सूचना दी, जिसने **मध्य यूरोप में लगभग 5,800 पवन टर्बाइनों की दूरस्थ निगरानी एवं नियंत्रण को प्रभावित किया।**
- **अंतरिक्ष मलबा एक रणनीतिक चिंता का विषय:** बढ़ते शस्त्रीकरण के साथ, अंतरिक्ष मलबे के उद्देश्यपूर्ण या आकस्मिक उत्पादन का उपयोग ऑर्बिटल एक्सेस—निष्क्रिय-आक्रामक युद्ध का एक रूप, को रोकने के लिये किया जा सकता है। परिणामस्वरूप केसलर सिंड्रोम अंतरिक्ष बुनियादी अवसंरचना को प्रभावहीन बना सकता है।
  - यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) के अनुसार, वर्ष 2024 तक, पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए 10 सेमी. से बड़े अंतरिक्ष मलबे के लगभग 36,500 टुकड़े उत्पन्न हुए।
    - **अकेले चीन के** वर्ष 2007 के **ASAT परीक्षण से लगभग 3,000 मलबे के टुकड़े** उत्पन्न हुए थे, जो आज भी मौजूद हैं।
- **अंतरिक्ष संघर्षों के लिये नियामक कार्यढाँचे का अभाव:** बाह्य अंतरिक्ष संधि- 1967 के अलावा बाह्य अंतरिक्ष में **सैन्य व्यवहार को विनियमित करने के लिये कोई सुदृढ़ वैश्विक संधि नहीं** है।
  - बाध्यकारी प्रवर्तन तंत्रों का अभाव अनियंत्रित शस्त्रीकरण को बढ़ावा देता है।
  - बाह्य **अंतरिक्ष संधि अंतरिक्ष में सामूहिक विनाश के शस्त्रों पर प्रतिबंध** लगाती है, लेकिन **परंपरागत शस्त्रों पर नहीं।**
    - अंतरिक्ष खतरों पर संयुक्त राष्ट्र के **ओपन-एंडेड वर्किंग ग्रुप (OEWG) में** भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण **सीमित आम सहमति** बनी है।

अंतरिक्ष में बढ़ते शस्त्रीकरण से भारत के लिये प्रमुख मुद्दे क्या हैं?

- **सामरिक भेद्यता और प्रतिरोध अंतराल: चीन** जैसे प्रतिद्वंद्वियों द्वारा अंतरिक्ष का शस्त्रीकरण **भारत की सामरिक जोखिम** को बढ़ाता है, क्योंकि इसके पास आक्रामक या रक्षात्मक अंतरिक्ष बल का अभाव है।
  - यह **विषमता निवारण स्थिरता के लिये खतरा उत्पन्न** करती है, विशेष रूप से **अंतर-क्षेत्रीय संघर्षों की स्थिति में।**
  - भारत की अंतरिक्ष परिसंपत्तियाँ **संचार, निगरानी और लक्ष्य निर्धारण के लिये महत्त्वपूर्ण** हैं; इनके नष्ट होने से पारंपरिक परिचालन बाधित हो जाएगा।
  - उदाहरण के लिये, ऐसा माना जाता है कि चीन के पास कम से कम 1 और अधिकतम 3 डायरेक्ट-एसेन्ट ASAT (एंटी-सैटेलाइट) सिस्टम **या** DA-ASAT है, जबकि भारत के पास केवल एक ही **(मिशन शक्ति, 2019)** है।
    - **चीन की PLA ने अपने सामरिक सहायता बल** के माध्यम से अंतरिक्ष क्षमताओं को एकीकृत किया है, जिससे उसे **संयुक्त युद्ध में बढ़त** मिली है।
- **शस्त्रीकरण** से अंतरिक्ष में शस्त्रों की दौड़ में तेज़ी आती है, जिससे प्रतिकूल क्षमताएँ बढ़ती हैं, जिससे **गलत अनुमान और संकट अस्थिरता का खतरा** बढ़ जाता है।
  - भारत को गति बनाए रखने के लिये **असंगत संसाधनों का आवंटन करने के लिये बाध्य** होना पड़ सकता है, जिससे **पारंपरिक और परमाणु स्थिति पर दबाव** पड़ेगा।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

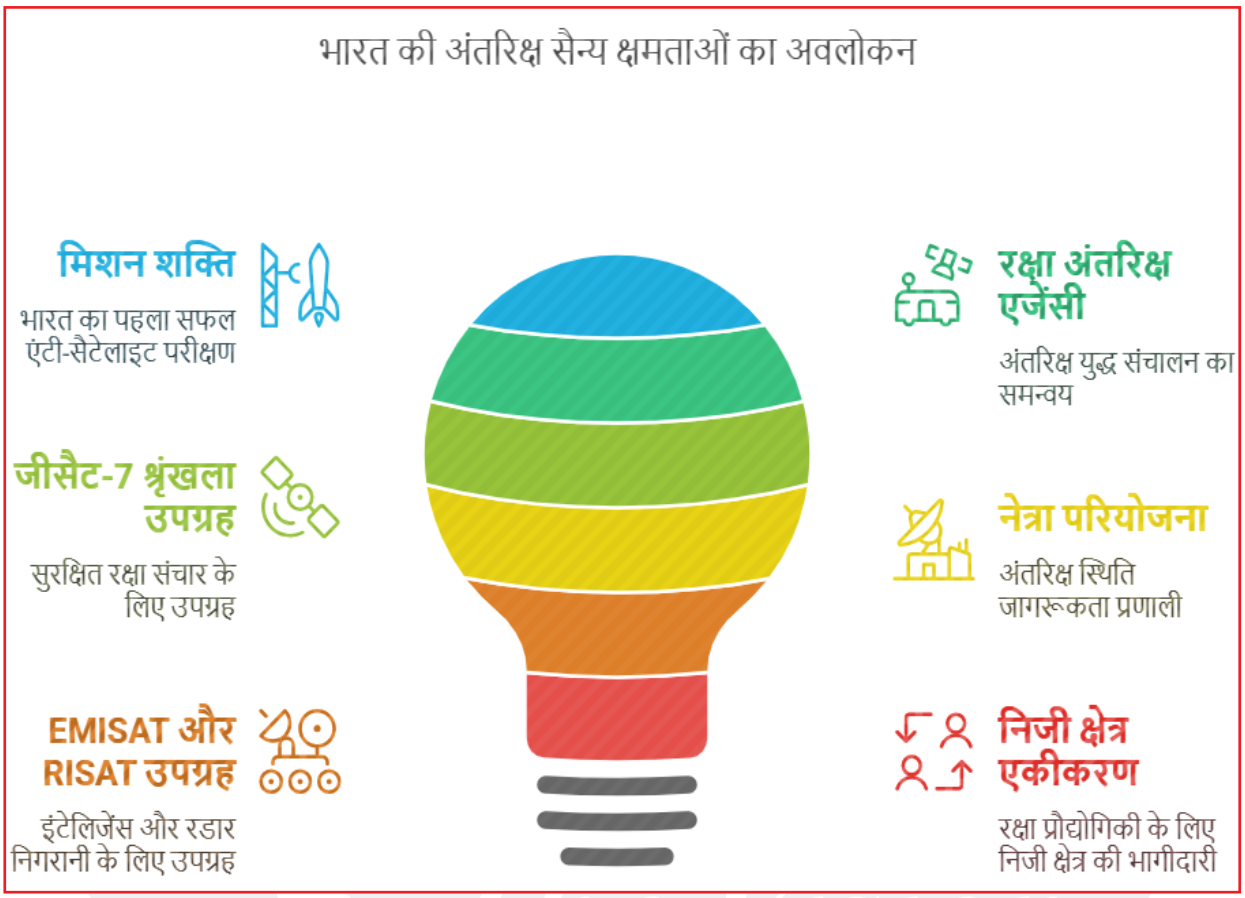

- साइबर या स्थलीय जैसे किसी एक क्षेत्र में वृद्धि जल्दी ही अंतरिक्ष में फैल सकती है। उदाहरण के लिये, चीन के हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल (वर्स 2021) ने प्रक्षेप पथ को छिपाने के लिये अंतरिक्ष का उपयोग किया, जिससे मिसाइल और अंतरिक्ष खतरों के बीच का अंतर कम हो गया है।

- **आर्थिक एवं वाणिज्यिक व्यवधान:** अंतरिक्ष शस्त्रों की दौड़ भारत की तेज़ी से बढ़ती वाणिज्यिक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था, विशेषकर इसके उपग्रह प्रक्षेपण और डेटा सेवा क्षेत्रों के लिये खतरा है।
  - शस्त्रीकरण से **बीमा लागत बढ़ती है, विदेशी सहयोग में बाधा** आती है तथा **उपग्रह समूहों को खतरा** होता है।
  - मलबा उत्पन्न करने वाला कोई भी संघर्ष या दुर्घटना भारत के मूल्य-संवेदनशील मिशनों को असंगत रूप से प्रभावित करेगी। यह ISRO के नागरिक ध्यान को रक्षा आवश्यकताओं की ओर भी मोड़ सकता है।
  - उदाहरण के लिये, भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्ष 2025 तक **13 बिलियन डॉलर तक पहुँचने का अनुमान** है, जिसमें अंतरिक्ष **तकनीक क्षेत्र दो वर्षों में 235% की वृद्धि** करेगा। इसमें **कोई भी व्यवधान भारत की आर्थिक प्रगति में बाधा** डाल सकता है।
- **पर्यावरणीय और अंतरिक्षीय मलबे का खतरा:** अंतरिक्ष के शस्त्रीकरण से टकराव, मलबे की उत्पत्ति और **दीर्घकालिक अंतरिक्षीय अस्थिरता का खतरा** बढ़ जाता है, जिससे प्रमुख अंतरिक्षीय स्थानों तक भारत की पहुँच प्रभावित होती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **स्थलीय प्रदूषण** के विपरीत, अंतरिक्ष मलबा लगभग स्थायी है और इससे कैस्केडिंग हो सकती है। भारत, **LEO में 29 से अधिक परिचालन उपग्रहों के साथ** (जनवरी 2024 तक), **मामूली मलबे की घटनाओं के प्रति भी अत्यधिक संवेदनशील** रहा है। संधारणीय और सुरक्षित मिशन लॉन्च करने की इसकी क्षमता **अब सवालों के घेरे में** है।
  - एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, **ISRO को अपने उपग्रहों को** अंतरिक्ष मलबे से होने वाले नुकसान से बचाने के लिये वर्ष 2023 में **23 टकराव निवारण युद्धाभ्यास (CAM) करने पड़े,** जो इस **मुद्दे की गंभीरता** को उजागर करता है।
- **तकनीकी पिछड़ापन और क्षमता अंतराल: भारत अंतरिक्ष आधारित लेज़र, जैमिंग-रोधी उपग्रहों** या **AI-संचालित SSA** जैसी अत्याधुनिक काउंटर-स्पेस प्रणालियों को विकसित करने में पीछे है।
  - यह अंतर भारत की शत्रुओं को रोकने तथा अपने **अंतरिक्षीय संसाधनों की सक्रिय रूप से सुरक्षा करने की क्षमता** को कम करता है।
  - **स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास** को समकक्ष प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में **कम वित्त पोषित** किया जाता है और **DRDO/ISRO का रक्षा-नागरिक तालमेल अभी भी विकसित हो रहा है।** विदेशी घटकों पर निर्भरता साइबर-भेद्यता को भी बढ़ाती है।
  - **ISRO का वर्तमान वार्षिक बजट लगभग 1.6 बिलियन डॉलर** है जो अन्य प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसियों की तुलना में **काफी कम** है।
    - **NASA 25 बिलियन डॉलर से अधिक के बजट के साथ** काम करता है, और **चीन की CNSA को 18 बिलियन डॉलर से अधिक** मिलता है।

भारत अपनी अंतरिक्ष क्षमताओं और युद्ध क्षमता को बढ़ाने के लिये क्या उपाय अपना सकता है?

- **एक समर्पित अंतरिक्ष कमान की स्थापना:** भारत को अंतरिक्ष आधारित निगरानी, पूर्व चेतावनी और आक्रामक क्षमताओं को केंद्रीकृत करने के लिये अपने **एकीकृत रक्षा कार्यढाँचे के तहत एक पूर्ण अंतरिक्ष कमान** की स्थापना करनी चाहिये।
  - इससे **संघर्ष के दौरान** वास्तविक काल में **तीनों सेनाओं के बीच समन्वय, सिद्धांत विकास और संसाधन तैनाती** को सुचारू बनाया जा सकेगा।
  - यह अंतरिक्ष युद्ध को विशुद्ध वैज्ञानिक मिशनों से अलग करने में भी मदद करता है।

प्रमुख अंतरिक्ष सम्मेलन और संधियाँ क्या हैं?

- **आउटर स्पेस ट्रीटी (वर्ष 1967): अंतरिक्ष में परमाणु शस्त्रों की स्थापना पर प्रतिबंध** लगाती है तथा **बाह्य अंतरिक्ष को सभी के अन्वेषण के लिये स्वतंत्र** घोषित करती है।
- **रेस्क्यू अग्रीमेंट (वर्ष 1968):** इसमें यह प्रावधान है कि **संकट में फँसे अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित वापस लाया जाना चाहिये** तथा अंतरिक्ष वस्तुओं को उनके मालिकों को लौटाने का प्रावधान है।
- **लायबिलिटी कन्वेंशन (वर्ष 1972):** इसमें प्रावधान है कि **प्रक्षेपण करने वाला राज्य** पृथ्वी की सतह पर अपने अंतरिक्ष पिंडों या वायुयानों के कारण हुई **क्षति के लिये क्षतिपूर्ति देने के लिये पूर्णतया उत्तरदायी** होगा, तथा अंतरिक्ष में **अपने दोषों के कारण हुई क्षति के लिये भी उत्तरदायी** होगा।
- **मून अग्रीमेंट (वर्ष 1984):** चंद्रमा और अन्य **खगोलीय पिंडों को 'मानव जाति की साझा विरासत' घोषित करता है** और उनके **दोहन को प्रतिबंधित** करता है (व्यापक रूप से अनुसमर्थित नहीं)।
- **UN COPOUS (बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग पर समिति):** यह **कोई संधि नहीं** है, बल्कि **शांतिपूर्ण अंतरिक्ष अन्वेषण में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिये जिम्मेदार** संयुक्त राष्ट्र निकाय है।
- **आर्टेमिस अकॉर्ड्स (वर्ष 2020):** जिम्मेदार चंद्र अन्वेषण के लिये **अमेरिका के नेतृत्व वाली फ्रेमवर्क**, पारदर्शिता, शांतिपूर्ण उपयोग, अंतरसंचालनीयता और संसाधन साझाकरण पर ज़ोर देती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- परिचालन नियंत्रण में **ज़मीनी और अंतरिक्षीय** दोनों तरह के **काउंटर-स्पेस उपकरण** शामिल होने चाहिये। इसे साइबर और मिसाइल कमांड के साथ पूरी तरह से इंटर-ऑपरेबल होना चाहिये।

- **स्वदेशी काउंटर-स्पेस तकनीक को बढ़ावा देना:** भारत को **सह-अंतरिक्षीय ASAT सिस्टम,** इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, निर्देशित-ऊर्जा शस्त्र और सैटेलाइट जैमर जैसी स्केलेबल **काउंटर-स्पेस क्षमताओं में तत्काल निवेश** करना चाहिये।
  - फोकस **मॉड्यूलर, लागत प्रभावी और दोहरे उपयोग की उपयोगिता वाले पुन: प्रयोज्य प्लेटफॉर्म** पर होना चाहिये। मिशन-मोड प्रोग्राम के तहत DRDO, स्टार्टअप और शिक्षाविदों के साथ सहयोग करके तकनीकी अंतर को जल्दी से समाप्त किया जा सकता है।
    - इन उपकरणों को केवल प्रतिक्रियात्मक रक्षा ही नहीं, बल्कि **स्तरीकृत निरोधक कार्यढाँचे में भी एकीकृत** किया जाना चाहिये।

- **अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता (SSA) को बढ़ाना:** प्रतिकूल गतिविधियों की निगरानी, मलबे का पता लगाने और उपग्रह सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये एक सुदृढ़, रियल टाइम **SSA नेटवर्क** आवश्यक है।
  - भारत को **भूमि-आधारित राडार** एवं **अंतरिक्ष-आधारित ऑप्टिकल** ट्रैकिंग प्रणाली, दोनों विकसित करनी होंगी।
  - इस प्रणाली को एक एकीकृत खतरा-चेतावनी ग्रिड में शामिल किया जाना चाहिये जो रक्षा, इसरो और वाणिज्यिक ऑपरेटरों के लिये सुलभ हो।
    - मित्र राष्ट्रों के साथ **क्षेत्रीय SSA सहयोग स्थापित करने से कवरेज का विस्तार** हो सकता है।

- **राष्ट्रीय अंतरिक्ष सिद्धांत तैयार करना:** भारत को **लाल रेखाओं, निवारक मुद्रा, वृद्धि की सीमाओं और संलग्नता के नियमों** को परिभाषित करने के लिये एक स्पष्ट, **सार्वजनिक रूप से व्यक्त अंतरिक्ष सुरक्षा सिद्धांत** तैयार करना चाहिये, यह **भारत अंतरिक्ष नीति- 2023 का पूरक** हो सकता है।
  - इससे क्षमता विकास, अनुसंधान एवं विकास निवेश तथा सैन्य-औद्योगिक संरेखण को दिशा मिलेगी।
  - यह सहयोगियों और विरोधियों को **रणनीतिक उद्देश्य का संकेत** भी देता है, जिससे **गलत अनुमान लगाने से बचा जा सकता है।** इस सिद्धांत को परमाणु और साइबर सिद्धांतों के साथ संरेखित किया जाना चाहिये, जिससे क्रॉस-डोमेन तालमेल सुनिश्चित हो सके।
    - एक **मज़बूत नीतिगत आधार वित्तपोषण** और **संस्थागत सुधारों** को वैध बनाता है।

- **अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में नागरिक-सैन्य-निजी एकीकरण को बढ़ावा देना: भारत को ISRO और IN-SPACe** के भीतर रक्षा-केंद्रित वर्टिकल बनाकर **नागरिक-सैन्य-निजी तालमेल** को संस्थागत बनाना चाहिये जो स्टार्टअप एवं शिक्षाविदों के साथ सहयोग करते हैं।
  - शस्त्र उपयोगकर्त्ताओं को **मिशन की योजना और डिज़ाइन** में शुरू से ही शामिल किया जाना चाहिये। निजी भागीदारों को सुरक्षित प्रोटोकॉल के तहत **दोहरे उपयोग वाले प्लेटफॉर्म और लॉन्च सेवाएँ** विकसित करने के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।
  - एक **समर्पित अंतरिक्ष नवाचार निधि, प्रौद्योगिकी अंतरण योजनाएँ** और रक्षा खरीद प्रोत्साहन तीव्र क्षमता वृद्धि को उत्प्रेरित कर सकते हैं।

- **अंतरिक्ष सुरक्षा में वैश्विक मानदंडों और आम सहमति निर्माण का नेतृत्व करना:** भारत को शस्त्रों की दौड़ की गतिशीलता को रोकने के लिये **वैश्विक मानदंडों और नियमों को आकार देने में सक्रिय रूप से शामिल** होना चाहिये और अपने हितों की रक्षा करते हुए अंतरिक्ष परिसंपत्तियों के रचनात्मक उपयोग की दिशा में आगे बढ़ना चाहिये।
  - **जिम्मेदार ASAT परीक्षण, मलबा शमन मानदंडों और अंतरिक्ष यातायात प्रबंधन** को बढ़ावा देने से इसकी विश्वसनीयता बढ़ेगी।
  - इससे **भारत को अमेरिका-चीन प्रतिद्वंद्विता में एक संतुलनकर्त्ता के रूप में स्थान** मिलेगा तथा मध्यम शक्तियों के साथ रणनीतिक सहयोग का मार्ग खुलेगा।
    - अंतरिक्ष सुरक्षा में कूटनीतिक नेतृत्व, केवल शक्ति पर निर्भर हुए बिना समुत्थानशीलन को बढ़ाएगा।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **अंतरिक्ष-आधारित साइबर सुरक्षा और क्वांटम संचार में निवेश:** उपग्रह पर बढ़ती निर्भरता के साथ, भारत को **अंतरिक्ष साइबर सुरक्षा** को **रक्षा के मुख्य क्षेत्रक के रूप में** मानना चाहिये।
  - **साइबर अटैक** के खिलाफ **ग्राउंड स्टेशनों, उपग्रह लिंक और अंतर-उपग्रह संचार को सुरक्षित करना आवश्यक** है।
  - **अनब्रेकेबल एन्क्रिप्शन** प्राप्त करने के लिये **स्वदेशी क्वांटम संचार प्रयोगों** को तेज़ी से आगे बढ़ाया जाना चाहिये।
  - साइबर-अनुकूल **कमांड और नियंत्रण प्रणालियों** को शून्य-विश्वास आर्किटेक्चर के साथ विकसित किया जाना चाहिये।
    - वास्तविक काल खतरे की निगरानी क्षमताओं के साथ **संयुक्त DRDO-ISRO साइबर सेल** बनाए जाने चाहिये।

निष्कर्ष:

अंतरिक्ष **भू-राजनीति के अगले युद्धक्षेत्र** के रूप में उभर रहा है, इसलिये **भारत को निष्क्रिय पर्यवेक्षक से मुखर अंतरिक्ष शक्ति में परिवर्तित** होना होगा। **घरेलू काउंटर-स्पेस तकनीक** को सुदृढ़ करना, एक समर्पित अंतरिक्ष कमान की स्थापना करना और **बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग पर संयुक्त राष्ट्र समिति** के आधार पर ग्लोबल स्पेस गवर्नेंस को आकार देना महत्त्वपूर्ण है। जैसे-जैसे अंतरिक्ष उपकरणों की दौड़ का जोखिम बढ़ता जा रहा है, **भारत की रणनीतिक स्वायत्तता** अंतिम सीमांत (अर्थात् अंतरिक्ष) **को सुरक्षित करने पर निर्भर** होती जा रही है।

■■■

लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता

यह एडिटोरियल 15/04/2025 को बिज़नेस स्टैंडर्ड में प्रकाशित "Road map for efficiency: India must rethink its transport strategy" पर आधारित है। इस लेख में भारत में उच्च रसद/लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने और माल ढुलाई को सड़कों से रेल जैसे अधिक कुशल परिवहन साधनों पर स्थानांतरित करने के लिये एकीकृत परिवहन योजना की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है।

भारत **परिवहन के विभिन्न साधनों के बीच के अंतराल को कम करने** के लिये एक एकीकृत परिवहन नियोजन तंत्र की दिशा में अग्रसर हो रहा है। वर्तमान में, **सड़क परिवहन माल ढुलाई में प्रमुख भूमिका (70%)** निभाता है, जबकि क्रॉस-सब्सिडी के उच्च टैरिफ के कारण **रेलवे का योगदान कम (30% से नीचे)** है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जैसी मल्टीमॉडल परिवहन पहल ने दक्षता बढ़ाने में आशाजनक परिणाम दिखाया है। सफल कार्यान्वयन के लिये अंतर-मंत्रालयी सहयोग और राज्यों के साथ प्रभावी समन्वय की आवश्यकता है ताकि आर्थिक विकास की संभावनाएँ प्रबल हो सकें।

भारत के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के प्रमुख विकास चालक क्या हैं?

- **सरकार के नेतृत्व वाली नीति और नियामक सुधार: लॉजिस्टिक्स क्षेत्र का विस्तार** राष्ट्रीय रसद नीति (NLP) और PM गति शक्ति जैसे ऐतिहासिक नीतिगत हस्तक्षेपों से काफी प्रेरित है।
  - इनका उद्देश्य **बुनियादी अवसंरचना की योजना में विखंडन को दूर करना** तथा विभिन्न **परिवहन साधनों को एकीकृत करके रसद लागत को कम करना** है।
  - GST ने अंतर-राज्यीय आवागमन को सुव्यवस्थित किया है, परिवहन अड़चनों को दूर किया है और **भारत** को **एकल राष्ट्रीय बाज़ार** बनाया है।
  - आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार, वित्त वर्ष 2014 और वित्त वर्ष 2022 के दौरान **लॉजिस्टिक्स लागत में सकल घरेलू उत्पाद का 0.8-0.9% की गिरावट** आई है।
    - ULIP (यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म) **पर 614 से अधिक संस्थाएँ पंजीकृत** हैं।
- **तीव्र अवसंरचना विस्तार और मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी:** लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में मूल्य का सृजन भौतिक अवसंरचना में महत्त्वपूर्ण निवेश के माध्यम से किया जा रहा है, जैसे कि **मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क, समर्पित माल ढुलाई गलियारे (DFC) और बंदरगाह संपर्क में सुधार।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- ये परियोजनाएँ माल के कुशल आवागमन को बढ़ावा देती हैं, टर्नअराउंड टाइम को कम करती हैं तथा माल ढुलाई लागत को कम करती हैं। इसे सागरमाला, भारतमाला और NIP (राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन) फ्रेमवर्क **द्वारा पूरक** बनाया गया है।
- उदाहरण के लिये, 50,000 करोड़ रुपए की लागत से **35 मल्टी-मॉडल पार्क** विकसित किये जा रहे हैं।

- **डिजिटल परिवर्तन और तकनीक अंगीकरण:** डिजिटलीकरण विज़िबिलिटी बढ़ाकर, विलंब में कटौती करके और आपूर्ति श्रृंखलाओं को स्वचालित करके **लॉजिस्टिक्स विकास को गति** दे रहा है।
  - RFID, **GPS ट्रैकिंग, ब्लॉकचेन, डिजिटल ट्विन्स** और **आइसगेट एवं ई-लॉग्स जैसे सरकारी** पोर्टल पारंपरिक प्रणालियों को बदल रहे हैं।
  - ये नवाचार **लेन-देन लागत को कम** करते हैं, **कार्गो की पूर्वानुमानशीलता में सुधार** करते हैं तथा वास्तविक काल में रसद प्रबंधन को समर्थन प्रदान करते हैं।
  - उदाहरण के लिये, **विश्व बैंक के** लॉजिस्टिक्स परफॉरमेंस इंडेक्स **(वर्ष 2023)** में **भारत** 6 रैंक से प्रगति कर **38वें स्थान पर** पहुँच गया।
- **मेक इन इंडिया और PLI योजनाओं के माध्यम से विनिर्माण-आधारित मांग: वैश्विक विनिर्माण केंद्र** बनने की **भारत की आकांक्षा** आधुनिक, **दक्ष लॉजिस्टिक्स नेटवर्क की नई मांग** उत्पन्न कर रही है।
  - उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन **(PLI) योजनाएँ** विदेशी और घरेलू **निवेश आकर्षित कर रही** हैं, जिसके लिये निर्बाध **एंड-टू-एंड आपूर्ति श्रृंखला सेवाओं की आवश्यकता** है। इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा और टेक्सटाइल जैसे क्षेत्र विशेष रूप से लॉजिस्टिक्स-गहन हैं।
  - उदाहरण के लिये, **भारत के विनिर्माण ने** वित्त वर्ष 2022 में **सकल घरेलू उत्पाद में 15.3% का योगदान दिया** और **चाइना प्लस वन** जैसे वैश्विक बदलावों के साथ इसके **तेज़ी से विस्तार होने का अनुमान** है।
    - हालिया आँकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2030 तक **भारत का सकल घरेलू उत्पाद** 6 ट्रिलियन डॉलर और **वित्त वर्ष 2048 तक 26 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँच जाएगा**– इसमें **लॉजिस्टिक्स क्षेत्र प्रमुख भूमिका** निभाएगा।
- **तेज़ी से बढ़ता ई-कॉमर्स और लास्ट-माइल डिलीवरी इको-सिस्टम:** ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों की तेज़ी से बढ़ती संख्या ने लॉजिस्टिक्स की मांग को नए सिरे से परिभाषित किया है, विशेष रूप से **टियर II और III शहरों में।**
  - तेज़ी से **डिलीवरी, रिटर्न लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग** अब **ग्राहक संतुष्टि के अभिन्न अंग** हैं, जिससे हाइपर-लोकल लॉजिस्टिक्स, माइक्रो-वेयरहाउसिंग और तकनीक-सक्षम ट्रैकिंग में **निवेश को बढ़ावा** मिल रहा है।
    - इससे **रिवर्स लॉजिस्टिक्स** और वास्तविक काल आपूर्ति श्रृंखला जवाबदेही की मांग भी बढ़ रही है।
  - उदाहरण के लिये, भारतीय ई-कॉमर्स बाज़ार वर्ष 2026 तक 200 बिलियन डॉलर तक पहुँचने की उम्मीद है। **लॉजिस्टिक्स सेक्टर के** वित्त वर्ष 2027 तक **बढ़कर 591 बिलियन डॉलर तक पहुँचने का अनुमान** है, जो वित्त वर्ष 2022 में 435 बिलियन डॉलर (EY) से अधिक है।
- **कौशल, औपचारिकीकरण और रोज़गार के अवसर:** अनौपचारिक से औपचारिक लॉजिस्टिक्स की ओर एक संरचित परिवर्तन ने कौशल, रोज़गार सृजन और बेहतर कार्यबल उत्पादकता को उत्प्रेरित किया है।
  - सरकार द्वारा समर्थित **कर्मचारी-लिंक्ड प्रोत्साहन (ELI) योजनाएँ** और **लॉजिस्टिक्स एवं वेयरहाउसिंग नौकरियों के लिये प्रशिक्षण** पर ध्यान केंद्रित करने से इस **परंपरागत असंगठित क्षेत्र में बदलाव** आ रहा है। यह **भारत के जनांकिक लाभांश में भी योगदान** देता है।
  - इस क्षेत्र में वर्तमान में **22 मिलियन लोग कार्यरत** हैं तथा वर्ष 2027 तक **10 मिलियन से अधिक नौकरियाँ सृजित होने की उम्मीद** है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **संगठित भागीदार**, जो वित्त वर्ष 2022 में **लॉजिस्टिक्स बाज़ार में 5.5-6% हिस्सेदारी** रखते हैं, वित्त वर्ष 2027 तक **32% CAGR की दर से बढ़ने का अनुमान** है।

- **संधारणीयता और ESG-आधारित आपूर्ति शृंखला परिवर्तन:** बढ़ती **पर्यावरणीय चेतना और वैश्विक ESG** मानदंड भारतीय लॉजिस्टिक्स को नया आकार दे रहे हैं, जिससे **इलेक्ट्रिक बेड़े, तटीय शिपिंग, ऊर्जा-कुशल बंदरगाहों** और कार्बन-ट्रैक आपूर्ति **शृंखलाओं की ओर परिवर्तन** हो रहा है।
  - भारत **संधारणीय शिपिंग के लिये कार्बन इंटेंसिटी रेटिंग** और **EEXI** जैसे **वैश्विक मानकों के अनुरूप** काम कर रहा है। इससे **ESG-संवेदनशील पूंजी** को आकर्षित करने में भी मदद मिलती है।
    - उत्सर्जन और लॉजिस्टिक्स लागत में कटौती के लिये **फ्रेट विलेज और तटीय शिपिंग कॉरिडोर** (जैसे: सागर सेतु पोर्टल) **का विस्तार** किया जा रहा है।

भारत के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र से जुड़े प्रमुख मुद्दे क्या हैं?

- **सकल घरेलू उत्पाद के हिस्से के रूप में उच्च रसद लागत:** भारत की रसद लागत **वैश्विक मानदंडों की तुलना में काफी अधिक** बनी हुई है, जिससे निर्यात और **घरेलू उत्पादन की प्रतिस्पर्द्धात्मकता प्रभावित** हो रही है।
  - विखंडित आपूर्ति शृंखला, सड़कों पर अत्यधिक निर्भरता तथा मॉडल एकीकरण का अभाव लागत को बढ़ा देता है।
  - इससे **MSME सबसे अधिक प्रभावित** होते हैं, जिससे उनका **मार्जिन कम** हो जाता है तथा **वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा सीमित** हो जाती है।
  - उदाहरण के लिये, **भारत की लॉजिस्टिक्स लागत** सकल घरेलू उत्पाद (GDP) **का 14-18% होने का अनुमान** है (**आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23**), जबकि **वैश्विक बेंचमार्क लगभग 8%** है।

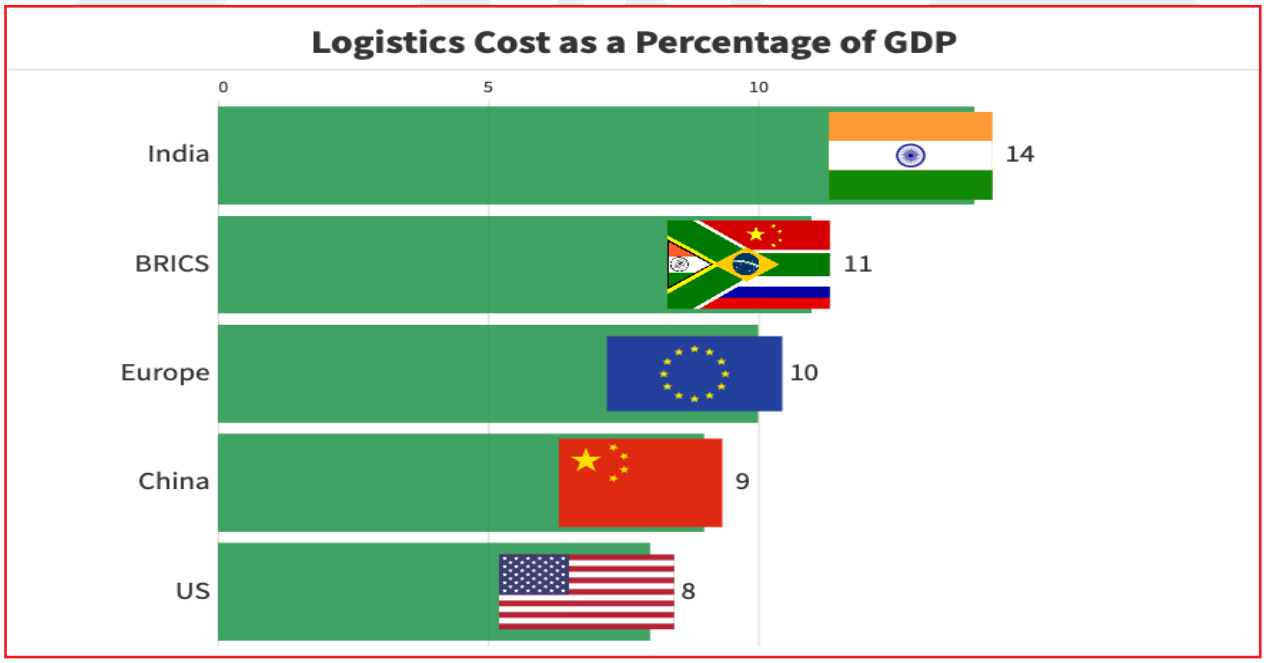

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **माल ढुलाई में मॉडल असंतुलन:** भारत में माल ढुलाई की निर्भरता मुख्यत: **सड़क मार्ग पर** है, जिससे **लागत-दक्षता और पर्यावरणीय संधारणीयता प्रभावित** होती है।
  - **मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स अभी भी अविकसित** है, रेल, बंदरगाहों और अंतर्देशीय जलमार्गों के बीच सीमित संपर्क है। इससे पैमाने की अर्थव्यवस्था सीमित हो जाती है तथा राजमार्गों पर भीड़भाड़ हो जाती है।
  - उदाहरण के लिये, **सड़कें 66% माल ढुलाई का काम संभालती** हैं, जबकि **रेलवे 31%** और **शिपिंग/नौ-परिवहन केवल 3% का योगदान** देती है (EY रिपोर्ट)।
    - अंतर्देशीय जलमार्ग, सड़क मार्ग की तुलना में **60% सस्ता होने के बावजूद,** बुनियादी अवसंरचना की कमी के कारण **कम उपयोग में लाया जाता है।**
- **बुनियादी अवसंरचना का घाटा और परियोजना क्रियान्वयन में विलंब:** नीतिगत प्रयासों के बावजूद, बुनियादी अवसंरचना का विकास भूमि अधिग्रहण के मुद्दों, पर्यावरणीय अनुमोदन में विलंब और प्रशासनिक बाधाओं के कारण बाधित है।
  - इन विलंबों के कारण **लागत बढ़ जाती है** और **निजी क्षेत्र की भागीदारी सीमित** हो जाती है। कई लॉजिस्टिक्स पार्क, DFC और बंदरगाह संपर्क **परियोजनाएँ धीमी गति से क्रियान्वयन का सामना कर रही** हैं।
  - उदाहरण के लिये, **दीर्घकालिक लक्ष्यों के मुकाबले केवल 1,724 किमी, DFC का काम पूरा हुआ** है; कई मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क अभी प्रारंभिक चरण में हैं।
  - यद्यपि प्रमुख बंदरगाहों के लिये औसत टर्नअराउंड टाइम में काफी कमी आई है, फिर भी यह अभी भी **(सत्र 2023-24) अधिक– 48 घंटे है।**
- **विनियामक विखंडन और अनुपालन जटिलता:** लॉजिस्टिक्स पारिस्थितिकी तंत्र कई मंत्रालयों और विभागों द्वारा शासित होता है, जिसके परिणामस्वरूप विनियामक ओवरलैप एव्न अकुशलताएँ होती हैं।
  - नियमों, परमिटों और करों में अंतर-राज्यीय अंतर के कारण **माल के आवागमन में विलंब होता है तथा लेन-देन की लागत बढ़ जाती है।** PM गति शक्ति के शुभारंभ के बावजूद, **केंद्र-राज्य समन्वय में कमी** बनी हुई है।
  - उद्यमों को व्यवसाय के आकार और भौगोलिक पदचिह्न के आधार पर कई सौ अधिनियमों एवं नियमों का पालन करना पड़ता है। इनमें **कैरिज बाय रोड एक्ट, 2007** और **कैरिज बाय रोड रूल्स, 2011** तथा **वेयरहाउसिंग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 शामिल** हैं।
    - इसके अलावा, कुछ प्रकार की **लॉजिस्टिक्स कंपनियों को** विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 तथा विदेशी व्यापार (विनियमन) नियम, 1993 में निहित **अतिरिक्त अनुपालन को भी संतुलित करने की आवश्यकता** होती है।
  - उद्योग के अनुमान के अनुसार, **भारत में लॉजिस्टिक्स में विलंब के लिये अनुपालन बोझ 20-25% जिम्मेदार** है।
- **डिजिटल डिवाइड और न्यून तकनीकी दक्षता:** लॉजिस्टिक्स में डिजिटल परिवर्तन आगे बढ़ रहा है, लेकिन असमान रूप से, क्योंकि लघु स्तरीय भागीदारों के पास RFID, IoT, ब्लॉकचेन और पूर्वानुमान विश्लेषण जैसे **तकनीकी उपकरणों तक अभिगम या ज्ञान की कमी** है।
  - इससे विशेष रूप से वेयरहाउसिंग, कार्गो ट्रैकिंग और डिलीवरी रूटिंग में अक्षमताएँ उत्पन्न होती हैं। ULIP और ई-लॉग्स के लाभ संगठित भागीदारों तक ही सीमित रहते हैं।
  - उदाहरण के लिये, वित्त वर्ष 2022 (EY) तक **लॉजिस्टिक्स बाज़ार का केवल 5.5-6% हिस्सा संगठित, तकनीक-संचालित भागीदारों के पास** था।
- **कौशल और मानव संसाधन चुनौतियाँ:** भारत के लॉजिस्टिक्स कार्यबल में आधुनिक आपूर्ति श्रृंखला प्रौद्योगिकियों, मल्टीमॉडल परिवहन समन्वय और ESG अनुपालन के प्रबंधन में **संरचित प्रशिक्षण का अभाव** है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **लॉजिस्टिक्स उद्योग का 90% से अधिक हिस्सा असंगठित** है, जिसकी वजह से **उत्पादकता कम** है, **काम करने की स्थिति असुरक्षित** है और **कॅरियर में गतिशीलता सीमित** है। बड़े पैमाने पर औपचारिक कौशल कार्यक्रमों की अनुपस्थिति अकुशलता को बढ़ाती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- हालिया आँकड़ों से पता चलता है कि इस क्षेत्र में वर्ष 2024 और वर्ष 2030 के दौरान **4.3 मिलियन अतिरिक्त श्रमिकों की आवश्यकता** होगी तथा **मुख्य मांग पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु एवं महाराष्ट्र जैसे राज्यों में केंद्रित होगी**।

- **संधारणीयता और पर्यावरण संबंधी चिंताएँ:** भारत का लॉजिस्टिक्स क्षेत्र मुख्य रूप से कार्बन-प्रधान है, जिसमें **डीज़ल-आधारित ट्रकिंग, सीमित विद्युतीकरण और अपर्याप्त हरित गलियारे** प्रमुख हैं।
  - यद्यपि ESG पर ध्यान बढ़ रहा है, अनुपालन अभी भी कमज़ोर है, विशेषकर छोटे ऑपरेटरों के बीच। तटीय शिपिंग और अंतर्देशीय जलमार्ग (जो कि ग्रीन मोड) का अभी भी कम दोहन हो रहा है।
  - उदाहरण के लिये, परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र **भारत के कुल CO_2 उत्सर्जन का लगभग 14% हिस्सा** है।
    - NLP मरीन और ऊर्जा दक्षता सूचकांक जैसी नीतियों के अंगीकरण के बावजूद, **संवहनीय परिवहन की दिशा में संक्रमण धीमा** है।

लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की दक्षता बढ़ाने के लिये भारत क्या उपाय अपना सकता है?

- **एकीकृत मल्टीमॉडल परिवहन अवसंरचना का संचालन:** भारत को विभागीय अवरोधों को समाप्त करने तथा सड़कों, रेलवे, बंदरगाहों और हवाई माल ढुलाई में निवेश को समन्वित करने के लिये **राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (NLP) के साथ मिलकर PM गति शक्ति के कार्यान्वयन में तेज़ी** लानी चाहिये।
  - राष्ट्रीय मास्टर प्लान के माध्यम से **लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर की मैपिंग करके,** सरकार एंड-टू-एंड निर्बाध कार्गो आवागमन को सक्षम कर सकती है। प्रारंभिक और अंतिम बिंदु की कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने से **समर्पित माल एवं तटीय गलियारों** का पूरा उपयोग सुनिश्चित होगा।
  - बिबेक देबरॉय समिति की सिफारिशों के आधार पर, **बहु-विभागीय कार्यों को एक एकीकृत लॉजिस्टिक्स नीति में परिवर्तित करने की आवश्यकता** है।
    - लॉजिस्टिक्स मूल्य श्रृंखला में पेपरलेस (कागज़ रहित) वातावरण की सुविधा के लिये एक **एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म का निर्माण** और **क्षेत्रीय आउटपुट के आवधिक निदान** एवं बेंचमार्किंग के लिये एक तंत्र स्थापित किया जाना चाहिये।

- **लॉजिस्टिक्स हब के क्लस्टर-आधारित विकास को बढ़ावा देना: औद्योगिक गलियारों** और SEZ के पास **मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (MMLP)** विकसित करने से कुशल कार्गो एकत्रीकरण एवं वितरण प्रणाली का निर्माण होगा।
  - इन केंद्रों को एक ही स्थान पर वेयरहाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज एवं सीमा शुल्क निकासी जैसी **एकीकृत सेवाएँ** प्रदान करनी चाहिये।
  - उन्हें **फ्रेट विलेज और EXIM ज़ोन** के साथ सह-स्थान देने से पैमाने की अर्थव्यवस्थाएँ उत्पन्न हो सकती हैं। सरकार **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) के माध्यम से रणनीतिक नोड्स को प्राथमिकता** दे सकती है।

- **डिजिटल लॉजिस्टिक्स अवसंरचना को सुदृढ़ करना:** भारत को ULIP, ICEGATE और **ई-लॉग्स** जैसे प्लेटफॉर्मों के माध्यम से लॉजिस्टिक्स परिचालनों के **पूर्ण पैमाने पर डिजिटलीकरण पर ज़ोर** देना चाहिये, ताकि लघु एवं मध्यम लॉजिस्टिक्स ऑपरेटरों द्वारा इसे सार्वभौमिक रूप से अपनाया जा सके।
  - वास्तविक काल कार्गो दृश्यता, डिजिटल दस्तावेज़ विनिमय और प्रक्रिया स्वचालन को प्रोत्साहन तथा अनिवार्य मानकों के माध्यम से बढ़ाया जाना चाहिये।
  - एकीकृत लॉजिस्टिक्स डेटा एक्सचेंज आर्किटेक्चर आपूर्ति श्रृंखलाओं को जोखिम मुक्त करने में मदद कर सकता है। साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता उपायों को बढ़ाने से हितधारकों के बीच विश्वास का निर्माण होगा। यह पूर्वानुमानात्मक विश्लेषण और AI-आधारित लॉजिस्टिक्स योजना को भी सक्षम करेगा।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **लंबी दूरी के माल ढुलाई के लिये रेल और जलमार्ग का उपयोग बढ़ाना:** सड़क से **रेलवे और अंतर्देशीय जलमार्गों पर थोक माल को स्थानांतरित करने** के लिये नीतिगत प्रोत्साहन पेश किये जाने चाहिये, विशेष रूप से सीमेंट, इस्पात, कोयला एवं उर्वरक जैसे क्षेत्रों के लिये।
  - लघु रेल संपर्कों का विद्युतीकरण और अंतर्देशीय जल टर्मिनलों का विस्तार मॉडल शेयर को बढ़ा सकता है।
  - **सागरमाला और भारतमाला** योजनाओं को रसद योजना से जोड़ने से कम उपयोग में लाए जा रहे समुद्री एवं सड़क बुनियादी अवसंरचना को बढ़ावा मिलेगा।
- **राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स कार्यबल विकास मिशन का निर्माण:** गोदाम संचालन, मल्टीमॉडल हैंडलिंग और डिजिटल उपकरणों में क्षमता निर्माण के लिये **स्किल इंडिया** और **लॉजिस्टिक्स सेक्टर स्किल काउंसिल** के तहत एक समर्पित कौशल मिशन शुरू किया जाना चाहिये।
  - प्रमाणन और रोज़गारपरक प्रोत्साहन से जुड़े मॉड्यूलर प्रशिक्षण से क्षेत्रीय उत्पादकता बढ़ सकती है।
  - उभरती प्रौद्योगिकियों और ESG अनुपालन में अनौपचारिक श्रमिकों के कौशल उन्नयन पर विशेष ज़ोर दिया जाना चाहिये।
- **असंगठित लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को औपचारिक बनाना:** भारत को **अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल** बनाना चाहिये तथा **लघु बेड़े संचालकों, स्थानीय वेयरहाउसिंग एजेंटों और ट्रक चालकों के लिये** पंजीकरण, उन्नयन एवं अपने परिचालन को औपचारिक बनाने हेतु **सक्षम वातावरण** बनाना चाहिये।
  - एकीकृत लॉजिस्टिक्स पंजीकरण पोर्टल, कम लागत वाला वित्त और सरलीकृत GST फाइलिंग इस परिवर्तन को आसान बना सकते हैं।
  - लॉजिस्टिक्स प्रदाता परिचालन को सुव्यवस्थित करने, मार्गों को अनुकूलित करने और विभिन्न विक्रेताओं से शिपमेंट को समेकित करने के लिये **ONDC प्लेटफॉर्म का लाभ** उठा सकते हैं।
- **लॉजिस्टिक्स अनुकूलन के लिये भू-स्थानिक खुफिया और AI का लाभ उठाना: गति शक्ति मास्टरप्लान के साथ GIS और AI-बेस्ड एनालिटिक्स** को एकीकृत करने से यातायात पैटर्न, बुनियादी अवसंरचना के उपयोग एवं माल परिवहन की बाधाओं की वास्तविक काल पर निगरानी संभव हो सकती है।
  - ऐसी जानकारियों से बेहतर लॉजिस्टिक्स नेटवर्क डिज़ाइन, निवेश प्राथमिकता और भीड़ प्रबंधन के बारे में जानकारी मिल सकती है।
  - पूर्वानुमानात्मक विश्लेषण आपूर्ति शृंखला व्यवधानों को रोकने में भी मदद कर सकता है। **ISRO, NIC और MoRTH के बीच सहयोग** तैनाती का समर्थन कर सकता है।

निष्कर्ष:

भारत का लॉजिस्टिक्स क्षेत्र **एकीकृत परिवहन योजना, डिजिटल नवाचार और बुनियादी अवसंरचना के आधुनिकीकरण के माध्यम से एक परिवर्तनकारी बदलाव** के दौर से गुजर रहा है। मॉडल असंतुलन को संतुलित करना और केंद्र-राज्य समन्वय सुनिश्चित करना लागत दक्षता एवं वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता को साकार करने के लिये महत्त्वपूर्ण है। यह दृष्टिकोण समुत्थानशील बुनियादी अवसंरचना और संवहनीय शहरी लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा देकर **SDG9 (उद्योग, नवाचार एवं बुनियादी सुविधाएँ) एवं SDG11 (सतत् शहर एवं संतुलित समुदाय) के साथ संरेखित** है।

भारतीय शिक्षा प्रणाली का पुनर्निर्देशन

यह एडिटोरियल 15/03/2024 को हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित "Education in India: Why NEP has so far failed to move the needle" पर आधारित है। इसमें भारत की शिक्षा प्रणाली में व्याप्त समस्या पर प्रकाश डाला गया है कि NEP 2020 के बावजूद, सार्वजनिक और निजी दोनों ही क्षेत्र निम्न परिणामों के साथ प्रणालीगत अक्षमताओं का सामना क्यों कर रहे हैं।

भारत की शिक्षा प्रणाली में चिंताजनक आँकड़े (**कक्षा 3 के 75% छात्र ग्रेड 2 की पाठ्य पुस्तकें** पढ़ने में असमर्थ हैं) बने हुए है। नई शिक्षा नीति, 2020 के बावजूद, मामूली सुधार ही हुए हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

सरकारी स्कूलों में प्रणालीगत अक्षमताओं, अपर्याप्त संसाधनों तथा निम्न शिक्षण परिणामों से संबंधित समस्याएँ बनी हुई हैं। **निजी शिक्षा क्षेत्र नियामक बाधाओं** के तहत कार्य करता है जिससे अक्सर गुणवत्ता में सुधार के बजाय जटिल प्रथाओं को जन्म मिलता है। भारत को अपने शिक्षा परिदृश्य को बदलने तथा अपने भविष्य की मानव पूंजी को सुरक्षित करने के क्रम में इन मूलभूत संरचनात्मक चुनौतियों का तत्काल समाधान करना चाहिये।

भारत की शिक्षा प्रणाली से संबंधित प्रमुख विकास क्या हैं?

- **डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा का विकास:** भारत की शिक्षा प्रणाली में **तीव्र गति से डिजिटलीकरण (विशेष रूप से महामारी के बाद)** को अपनाया गया है।
  - **ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मिश्रित शिक्षण मॉडल** की ओर कदम से शिक्षा तक पहुँच को बढ़ावा (विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों के लिए) मिला है।
  - एडटेक कंपनियों के उदय और **PM ईविद्या जैसी सरकारी पहलों से शैक्षिक पहुँच** का काफी विस्तार हुआ है।
    - वित्त वर्ष 22 तक **भारतीय एडटेक बाजार में 3.94 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश** हुआ है और ऑनलाइन शिक्षा क्षेत्र में **20% की CAGR के साथ वर्ष 2021-2025 के बीच 2.28 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि** होने का अनुमान है।
- **व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास का एकीकरण:** राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020 भारत में रोज़गार चुनौतियों से निपटने के क्रम में **कौशल विकास तथा व्यावसायिक शिक्षा** के महत्त्व पर केंद्रित है।
  - **कौशल-आधारित शिक्षा को मुख्यधारा की शिक्षा** में एकीकृत करके, भारत का लक्ष्य अपने युवाओं को उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना है।
  - इसके अलावा, **कौशल भारत मिशन** के तहत लाखों लोगों को प्रशिक्षित किया गया है तथा **केंद्रीय बजट 2025-26 में शिक्षा के लिए AI में उत्कृष्टता केंद्र हेतु 500 करोड़ रुपए** आवंटित किए गए हैं, जिससे उन्नत तकनीकी कौशल को बढ़ावा मिलेगा।
- **निजी निवेश तथा FDI हेतु नीतिगत समर्थन:** भारत सरकार ने **शिक्षा में निजी निवेश को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित** किया है, जिससे इस क्षेत्र के बुनियादी ढाँचे और नवाचार को काफी मज़बूती मिली है।
  - **शिक्षा क्षेत्र में 100% FDI** की अनुमति से इस ओर अंतर्राष्ट्रीय हितधारक आकर्षित होने से प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा मिला है।
  - भारत में शिक्षा क्षेत्र का बाज़ार **वित्त वर्ष 2025 तक 225 बिलियन अमेरिकी डॉलर** तक पहुँचने का अनुमान है और अप्रैल 2000 से सितंबर 2024 के बीच शिक्षा में **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्रवाह 83,550 करोड़ रुपए** रहा है।
- **उच्च शिक्षा संस्थानों का विस्तार:** हाल के वर्षों में भारत के उच्च शिक्षा क्षेत्र का काफी विस्तार हुआ है जिससे **विश्वविद्यालयों और नामांकित छात्रों की संख्या में वृद्धि** हुई है।
  - वित्त वर्ष 2025 में **भारत में 52,538 कॉलेज और 1,362 विश्वविद्यालय** थे, जो पिछले **पाँच वर्षों की तुलना में 10% की वृद्धि** का सूचक है।
  - **उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (GER) बढ़कर 28.4%** हो गया है, जो इस क्षेत्र में बढ़ते अवसरों का परिचायक है।
- **क्षेत्रीय भाषा शिक्षा का उत्थान:** बहुभाषावाद और क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का बल भारत के शैक्षिक परिदृश्य में एक परिवर्तनकारी कदम सिद्ध हुआ है।
  - **शिक्षा के माध्यम के रूप में क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग को प्रोत्साहित करते हुए,** यह नीति क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने और सांस्कृतिक पहचान को सुदृढ़ करने में सहायक होती है।
  - सरकार ने **PM विद्या पहल के तहत बहु-भाषी संसाधनों** और विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में डिजिटल शिक्षण उपकरणों के विकास के लिये **500 करोड़ रुपए आवंटित किये** हैं, जिससे शहरी और ग्रामीण छात्रों के बीच की खाई को पाटने में सहायता मिलेगी।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **अनुसंधान और नवाचार पर बढ़ता हुआ ध्यान:** भारत धीरे-धीरे **अनुसंधान-आधारित शिक्षा मॉडल** की ओर बढ़ रहा है, जिसमें नवाचार और उद्योग सहयोग पर जोर दिया जा रहा है।
  - उच्च शिक्षा संस्थानों में अनुसंधान के लिये सरकार के प्रयासों को अटल इनोवेशन मिशन (AIM) जैसी पहलों और **उच्च शिक्षा में अनुसंधान और नवाचार (RISE) कार्यक्रम** के माध्यम से वित्तपोषण द्वारा समर्थन प्राप्त हुआ है।
  - अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने तथा अनुसंधान और नवाचार की संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिये अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (ANRF) की स्थापना की गई है।
- **STEM शिक्षा में निवेश: STEM (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित)** शिक्षा भारत में गति पकड़ रही है, और कौशल विकास तथा भविष्य के उद्योगों के लिये प्रतिभा पूल बनाने पर ध्यान केंद्रित करने वाली पहलों की संख्या बढ़ रही है।
  - **नीति आयोग द्वारा प्रायोजित** अटल टिंकरिंग लैब्स (ATL) जैसी पहलों के तहत पूरे भारत में 8,000 से अधिक प्रयोगशालाएँ स्थापित की जा चुकी हैं, जिनका उद्देश्य रचनात्मकता और नवाचार को बढ़ावा देना है।
  - इसके अलावा, **भारतीय एडटेक बाज़ार, विशेष रूप से STEM शिक्षा में**, वित्तीय वर्ष 2022 में कुल 3.94 बिलियन अमेरिकी डॉलर का पर्याप्त निवेश देखा गया।

भारत में शैक्षिक सुधारों की प्रभावशीलता में बाधा डालने वाले प्रमुख मुद्दे क्या हैं?

- **ग्रामीण और दूरदराज़ के क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे की कमी:** समावेशी शिक्षा के लिये महत्त्वपूर्ण नीतिगत प्रयासों के बावजूद, **शहरी और ग्रामीण स्कूलों के बीच बुनियादी ढाँचे में एक बड़ा अंतर बना हुआ है।**
  - ग्रामीण स्कूलों में, विशेषकर दूरदराज़ के क्षेत्रों में, अक्सर **स्वच्छ जल, बिजली और कार्यशील शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव** होता है।
  - समग्र शिक्षा अभियान जैसे सरकारी प्रयासों से प्रगति हुई है, लेकिन **400,000 से अधिक अल्प-संसाधन वाले स्कूलों में बुनियादी ढाँचा अभी भी कमज़ोर** है।
    - वर्ष 2023 की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि **भारत में केवल 47% स्कूलों में पेयजल सुविधा उपलब्ध है** और **केवल 53% स्कूलों में लड़कियों के लिये अलग शौचालय** हैं।
- **शिक्षकों की कमी और शिक्षकों की गुणवत्ता:** भारत में प्रभावी शैक्षिक सुधारों में बाधा डालने वाले सबसे महत्त्वपूर्ण मुद्दों में से एक **योग्य शिक्षकों की कमी, विशेष रूप से ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में है।**
  - वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक, पूरे भारत में स्वीकृत शिक्षण पदों में पर्याप्त कमी आई है, जो लगभग 6% घट गई है।
  - **4,500 से अधिक माध्यमिक विद्यालय शिक्षकों** के पास समुचित शिक्षा का अभाव है, जिनमें से 25% से भी कम को नौकरी प्रशिक्षण प्राप्त है, और STEM क्षेत्रों में विषय-विशेषज्ञ शिक्षकों की भारी कमी है।
- **अपर्याप्त वित्तपोषण और संसाधन आवंटन:** जबकि भारत के शिक्षा क्षेत्र में निवेश में वृद्धि देखी गई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा वचन किये गए व्यापक परिवर्तनों को लागू करने के लिये **वित्तपोषण का स्तर अपर्याप्त बना** हुआ है।
  - भारत शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय के रूप में सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 4% तथा निजी व्यय के रूप में **सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 2.5% खर्च** कर रहा है।
  - यह वित्तपोषण अंतर, शिक्षकों के वेतन से लेकर बुनियादी ढाँचे के विकास और डिजिटल शिक्षण उपकरणों तक, सभी पहलुओं को प्रभावित करता है।
- **शिक्षा तक पहुँच में सामाजिक-आर्थिक असमानताएँ:** आर्थिक और सामाजिक असमानताएँ समावेशी शिक्षा प्राप्त करने में एक बड़ी बाधा बनी हुई हैं।
  - आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों, विशेषकर ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के बच्चों को अक्सर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच प्राप्त नहीं हो पाती।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

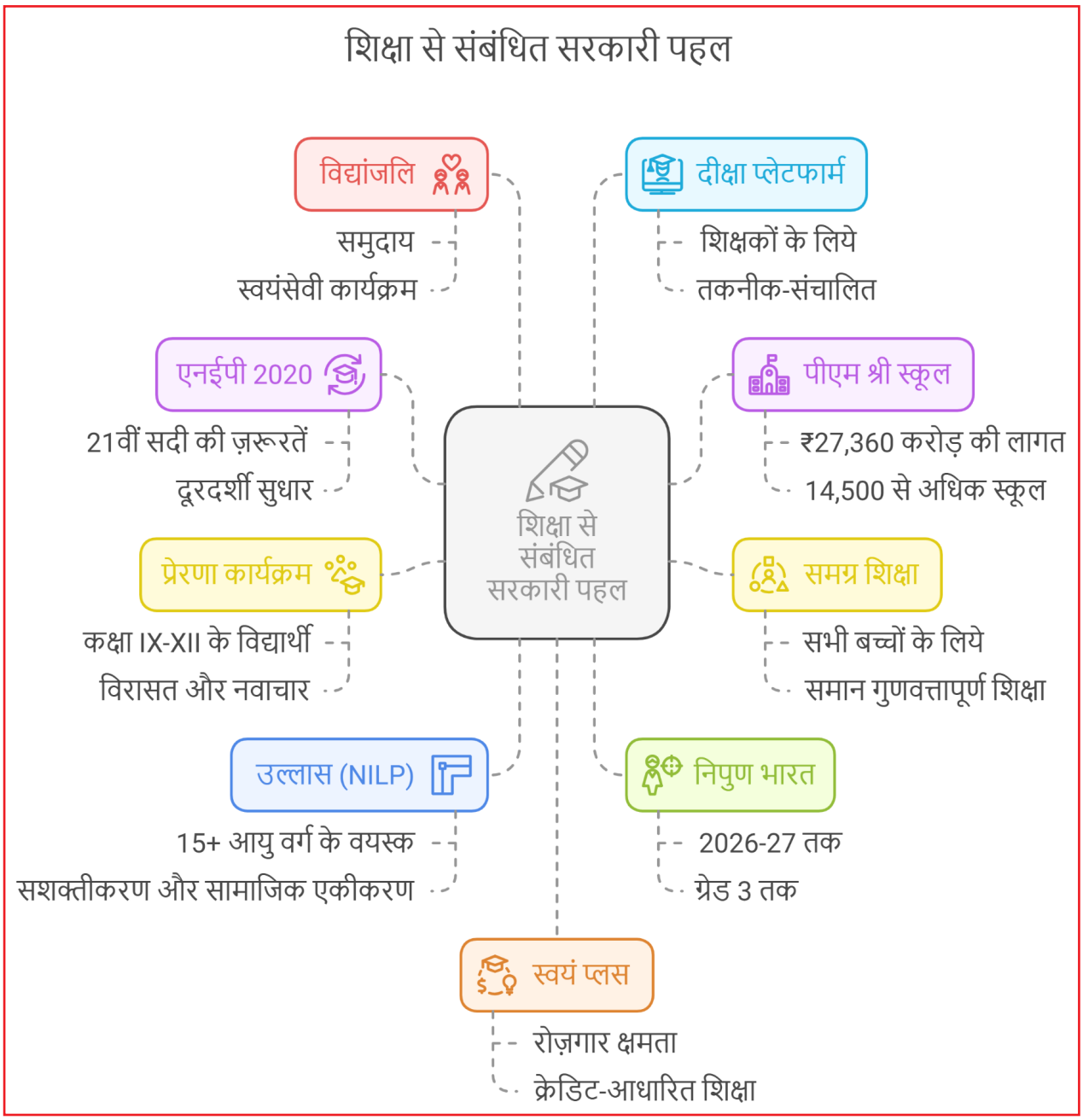

- उदाहरण के लिये, **एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (EMRS)** में आदिवासी छात्र भाषा संबंधी बाधाओं का सामना कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षक अंग्रेज़ी या तेलुगु के बजाय हिंदी में पढ़ाते हैं, जो सतत् शैक्षिक विभाजन को रेखांकित करता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **रटकर याद करना और पाठ्यक्रम में धीमा परिवर्तन:** भारत की शिक्षा प्रणाली रटकर याद करने पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करती है, जो आलोचनात्मक सोच और समस्या-समाधान कौशल को कमज़ोर करती है।
  - NEP 2020 में **योग्यता-आधारित शिक्षा** पर ज़ोर दिये जाने के बावजूद, **स्कूल और विश्वविद्यालय पारंपरिक परीक्षा प्रणालियों से संक्रमण में धीमी गति** से आगे बढ़ रहे हैं।
  - हाल के सर्वेक्षणों से पता चलता है कि **कक्षा 3 के 75% छात्र ग्रेड 2 के स्तर की बुनियादी पाठ्य सामग्री नहीं पढ़ सकते हैं,** जिससे यह स्पष्ट होता है कि उनका ध्यान ज्ञान की समझ और अनुप्रयोग के बजाय याद करने पर केंद्रित रहता है।
- **डिजिटल विभाजन और तकनीकी बाधाएँ:** यद्यपि महामारी के कारण डिजिटल शिक्षा की ओर बदलाव में तेज़ी आई है, फिर भी एक महत्त्वपूर्ण डिजिटल विभाजन प्रभावी शैक्षिक सुधारों में बाधा उत्पन्न कर रहा है।
  - **विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में विश्वसनीय इंटरनेट कनेक्टिविटी का अभाव है,** जिससे ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करना कठिन हो गया है।
  - यद्यपि **PM ई-विद्या और स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म** जैसी पहलों ने इस अंतर को पाटने का प्रयास किया है, फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में **केवल 47% छात्रों के पास ही हाई-स्पीड इंटरनेट तक पहुँच है।**
- **राजनीतिक और नौकरशाही स्तर पर सुधारों का विरोध:** केंद्रीय स्तर पर प्रबल राजनीतिक इच्छाशक्ति मौजूद है, फिर भी **भारत में कई शैक्षिक सुधारों को राज्य और स्थानीय स्तर पर नौकरशाही जटिलताओं** के कारण विरोध का सामना करना पड़ता है।
  - राज्य सरकारें और स्थानीय प्राधिकरण प्राय: उन सुधारों का विरोध करते हैं जिन्हें वे अपने अधिकार को चुनौती देने वाला या अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता वाला मानते हैं। उदाहरण के लिये, **NEP 2020** का एक प्रमुख घटक **विद्यालयों का एकीकरण** है, जो विभिन्न राज्य सरकारों के विरोध के कारण बहुत धीमी गति से प्रगति कर रहा है।
- **शिक्षा में लैंगिक बाधाएँ:** यद्यपि भारतीय शिक्षा प्रणाली में लैंगिक समावेशिता एक प्रमुख लक्ष्य है, फिर भी लैंगिक बाधाएँ शैक्षिक सुधारों की प्रभावशीलता में बाधा उत्पन्न करती हैं।
  - **ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से लड़कियों** को बाल विवाह, पारिवारिक ज़िम्मेदारियों और सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण अधिक ड्रॉपआउट दर का सामना करना पड़ता है।
  - ASER रिपोर्ट के अनुसार पिछले दशक में भले ही लड़कियों का नामांकन बढ़ा है, लेकिन माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों की स्कूल छोड़ने की दर लड़कों की तुलना में अब भी काफी अधिक है।
    - संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (UNICEF) द्वारा भारत में कराये गये एक सर्वेक्षण के अनुसार, **भारत में 33% लड़कियाँ घरेलू कार्यों** के कारण स्कूल छोड़ देती हैं।

शिक्षा सुधार के संदर्भ में भारत अन्य देशों से क्या सीख सकता है?

- **शिक्षकों की स्वायत्तता और व्यावसायिक विकास (फिनलैंड):** फिनलैंड में, शिक्षकों को **अत्यधिक सम्मानित पेशेवर माना जाता है, जिन्हें कक्षा में महत्त्वपूर्ण स्वायत्तता प्राप्त होती है।**
  - उन्हें छात्र की आवश्यकताओं के आधार पर पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियाँ स्वयं तय करने की स्वतंत्रता होती है। भारत इससे यह सीख सकता है कि शिक्षकों को अधिक स्वायत्तता दी जाये और उनके लिये निरंतर व्यावसायिक विकास में निवेश किया जाये।
- **परियोजना-आधारित शिक्षण (सिंगापुर):** सिंगापुर की शिक्षा प्रणाली में परियोजना आधारित शिक्षण (PBL) को विभिन्न विषयों में समाहित किया गया है, जो वास्तविक जीवन की चुनौतियों पर केंद्रित है।
  - छात्र दीर्घकालिक परियोजनाओं पर कार्य करते हैं, जिनमें समालोचनात्मक सोच, रचनात्मकता और सहयोग की आवश्यकता होती है। भारत रट्टा आधारित शिक्षण से आगे बढ़ने के लिये PBL को अपनाकर छात्रों की समस्या-समाधान क्षमता और रचनात्मकता को बढ़ा सकता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **डिजिटल शिक्षण ढाँचा (एस्तोनिया):** एस्तोनिया ने अपनी शिक्षा प्रणाली में डिजिटल उपकरणों और प्लेटफॉर्म का समावेश किया है, जिससे व्यक्तिगत शिक्षण अनुभव संभव हो सके हैं।
  - **वर्ष 2001 में ही एस्तोनिया के सभी स्कूलों को इंटरनेट की सुविधा प्रदान कर दी गयी** थी और अब भी स्कूलों के डिजिटल ढाँचे को लगातार उन्नत किया जा रहा है।
  - भारत समान रूप से तकनीकी पहुँच सुनिश्चित करके और ऑनलाइन शिक्षण उपकरणों को मुख्यधारा की शिक्षा प्रणाली में शामिल करके डिजिटल परिवर्तन को गति दे सकता है।
- **द्वैध शिक्षा प्रणाली (जर्मनी):** जर्मनी की द्वैध प्रणाली कक्षा शिक्षण को उद्योगों में व्यावहारिक प्रशिक्षण के साथ जोड़ती है।
  - यह मॉडल छात्रों को पढ़ाई के दौरान कार्य अनुभव प्राप्त करने का अवसर देता है, जिससे उनकी रोज़गार-योग्यता में सुधार होता है।
  - **भारत इस मॉडल को अपनाकर अधिक व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों और अप्रेंटिसशिप को शिक्षा में समाहित कर सकता है,** जिससे शिक्षा और उद्योग की आवश्यकताओं के बीच की दूरी को समाप्त किया जा सकता है।
- **छात्र-केंद्रित शिक्षा (दक्षिण कोरिया):** दक्षिण कोरिया की शिक्षा प्रणाली छात्र-केंद्रित शिक्षण पर विशेष ध्यान देती है, जिसमें छात्रों की आवश्यकताएँ और रुचियाँ उनके सीखने की प्रक्रिया को निर्देशित करती हैं।
  - भारत भी एकसमान प्रणाली के बजाय अधिक लचीले और व्यक्तिगत शिक्षण मार्गों को अपनाकर छात्रों की विभिन्न क्षमताओं और रुचियों के अनुरूप शिक्षा प्रदान कर सकता है।

भारतीय शिक्षा प्रणाली की प्रभावशीलता को सुदृढ़ करने के लिये क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं?

- **उन्नत शिक्षक प्रशिक्षण और पेशेवर विकास:** शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिये **शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में व्यापक सुधार** आवश्यक है, ताकि **शिक्षक आधुनिक शिक्षण कौशलों से सुसज्जित** हो सकें।
  - **निरंतर पेशेवर विकास जैसे कि नवीन शिक्षण विधियों का ज्ञान, तकनीकी समावेशन और विषयगत विशेषज्ञता** को शिक्षक की करियर प्रगति का अनिवार्य हिस्सा बनाया जाना चाहिये।
- **ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में ढाँचा विकास:** शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिये **ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे को उन्नत बनाने में भारी निवेश** की आवश्यकता है।
  - **इसमें स्कूलों में स्वच्छ जल, विद्युत वितरण, क्रियाशील शौचालय और डिजिटल शिक्षण संसाधनों** की व्यवस्था शामिल है।
  - साथ ही, सुरक्षित खेल मैदान और उपयुक्त कक्षाओं जैसे छात्र-अनुकूल वातावरण तैयार करने से सीखने का अनुभव बेहतर होगा और स्कूल छोड़ने की दर घटेगी।
- **डिजिटल विभाजन को कम करना:** समान शिक्षण अवसर सुनिश्चित करने के लिये, डिजिटल अंतर को कम करना अनिवार्य है।
  - इसके लिये **ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का विस्तार करना** और आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्रों को सस्ते डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराना आवश्यक है।
  - इसके अलावा, **छात्रों और शिक्षकों दोनों के बीच डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना, ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म के प्रभावी उपयोग को संभव बनाएगा** और समावेशी तथा तकनीकी रूप से उन्नत शिक्षा प्रणाली का निर्माण करेगा।
- **व्यावसायिक और कौशल-आधारित शिक्षा का एकीकरण:** शिक्षा का भविष्य **व्यावहारिक कौशल विकसित** करने की ओर उन्मुख होना चाहिये अर्थात जो उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप हो (फिनलैंड मॉडल)।
  - **व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल-आधारित शिक्षा** को मुख्यधारा के पाठ्यक्रम में शामिल करने से छात्रों को ऐसी दक्षताएँ प्राप्त होंगी, जिससे उनकी रोज़गार-क्षमता बढ़ेगी।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **प्रासंगिक पाठ्यक्रम,** इंटर्नशिप और प्रशिक्षुता कार्यक्रम तैयार करने के लिये उद्योगों के साथ सहयोग से यह सुनिश्चित होगा कि छात्र स्नातक होने पर कार्यबल के लिये तैयार हों।
  - इस दृष्टिकोण से न केवल बेरोज़गारी कम होगी बल्कि युवाओं में उद्यमशीलता की मानसिकता भी विकसित होगी।
- **सार्वजनिक-निजी भागीदारी को मज़बूत करना:** वित्त पोषण, बुनियादी ढाँचे और नवाचार में अंतराल को दूर करने के लिये **शिक्षा में प्रभावी सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP)** को बढ़ावा देना महत्त्वपूर्ण है।
  - ये साझेदारियाँ **उच्च गुणवत्ता वाली शैक्षिक सामग्री बनाने,** स्कूल के बुनियादी ढाँचे में सुधार करने और आधुनिक शिक्षण पद्धतियों को लागू करने में मदद कर सकती हैं।
  - सरकार को **स्पष्ट नियामक ढाँचे के माध्यम** से निजी संस्थाओं को शिक्षा में निवेश करने के लिये प्रोत्साहित करना चाहिये, तथा यह सुनिश्चित करना चाहिये कि लाभ की मंशा से शैक्षिक मानकों से समझौता न हो।
  - सरकारी स्कूलों के विकास में सामुदायिक भागीदारी को शामिल करना तथा **कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR)** कार्यक्रमों को शामिल करना।
- **आलोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करने के लिये पाठ्यक्रम में संशोधन:** पारंपरिक रूप से रटने की प्रणाली को योग्यता-आधारित शिक्षा की ओर बदलने की आवश्यकता है।
  - **आलोचनात्मक चिंतन, समस्या समाधान, सृजनात्मकता और अंत:विषयक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के लिये पाठ्यक्रम** को अद्यतन और संशोधित करने से विद्यार्थी आधुनिक विश्व की चुनौतियों के लिये बेहतर ढंग से तैयार हो सकेंगे।
  - पाठ्यक्रम **अनुकूलनीय होना चाहिये,** जिससे छात्रों को सैद्धांतिक ज्ञान के व्यावहारिक अनुप्रयोगों में संलग्न होने का अवसर मिले।
- **शैक्षिक प्रशासन और जवाबदेही में सुधार:** सुधारों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिये शैक्षिक संस्थानों के भीतर प्रशासनिक संरचनाओं को मज़बूत करना महत्त्वपूर्ण है।
  - **स्पष्ट दिशा-निर्देश, पारदर्शी प्रक्रियाएँ और विकेंद्रीकृत निर्णय-प्रक्रिया** से अधिक स्थानीय जवाबदेही सुनिश्चित हो सकती है।
  - नियमित ऑडिट, निष्पादन मूल्यांकन और फीडबैक तंत्र से अंतराल की पहचान करने और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिलेगी।
- **परीक्षा एवं मूल्यांकन प्रणाली में सुधार:** छात्रों पर अनुचित दबाव को कम करने के लिये मौजूदा परीक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है।
  - **उच्च-स्तर की परीक्षाओं से सतत्, रचनात्मक मूल्यांकन (NEP 2020 के तहत परख) की** ओर बदलाव, जो व्यावहारिक कौशल और परियोजना-आधारित सीखने पर ध्यान केंद्रित करता है, छात्र की क्षमताओं को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करेगा।
  - सहकर्मी समीक्षा और स्व-मूल्यांकन सहित बहुविध मूल्यांकन पद्धतियों को लागू करने से समग्र विकास को बढ़ावा मिलेगा।

निष्कर्ष:

भारत की शिक्षा प्रणाली एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है, जहाँ डिजिटल प्रगति और नीतिगत सुधार आशाजनक हैं, लेकिन गहरी चुनौतियाँ बनी हुई हैं। रटकर सीखने और **शिक्षकों की कमी से लेकर असमानता और बुनियादी ढाँचे** की कमियों तक के मुद्दों को हल करने के लिये प्रणालीगत बदलाव आवश्यक है। नवाचार, समावेशन और कौशल-आधारित शिक्षा का उपयोग करके एक लचीला, भविष्य के लिये तैयार भारत विकसित किया जा सकता है। आगे का मार्ग **"नवोन्मेष" (नवोन्मेष = नवाचार और उत्थान)** की भावना से निर्देशित होना चाहिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

भारतीय जनजातियों के लिये भविष्य सुरक्षित करना

यह एडिटोरियल 17/04/2025 को द हिंदू में प्रकाशित "Call for permanent settlement for tribals" पर आधारित है। इस लेख में 50,000 विस्थापित गोंड जनजातियों की लंबे समय से चली आ रही दुर्दशा को सामने लाया गया है तथा नए क्षेत्रों में उनकी मान्यता और अधिकारों की कमी को उजागर किया गया है। यह भारत भर में जनजातीय समुदायों की सुरक्षा और पुनर्वास के लिये समावेशी नीतियों की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है।

वर्ष 2005 में, माओवादी विद्रोह से निपटने के लिये भारत सरकार की **'रणनीतिक बस्ती' पहल के कारण छत्तीसगढ़ से लगभग 50,000 गोंड जनजातियों** को पड़ोसी राज्यों में विस्थापित होना पड़ा। लगभग **दो दशक बीत जाने के बाद भी** ये समुदाय अब भी **प्रशासनिक अनिश्चितता** का सामना करना पड़ रहा है — न **तो उन्हें उनके नए बसे राज्यों** (जहाँ उनका पुनर्वास हुआ है) में **जनजातीय दर्जा मिला** है और **न ही वे अपने पूर्वजों की भूमि पर लौट पाने में सक्षम** हैं। पूरे भारत में, जनजातीय समुदाय **भूमि अधिग्रहण, सांस्कृतिक क्षरण, सेवाओं की अपर्याप्त सुगम्यता और प्रशासनिक उदासीनता** को झेल रहे हैं। **मूल अधिकारों की रक्षा, प्रभावी पुनर्वास** सुनिश्चित करने **और राष्ट्रीय मुख्यधारा** में उनके सार्थक एकीकरण को सक्षम करने के लिये **व्यापक कार्यढाँचे की तत्काल आवश्यकता** है।

भारत के सामाजिक-सांस्कृतिक और विकासात्मक कार्यढाँचे को आकार देने में जनजातियों की क्या भूमिका है?

- **सांस्कृतिक संरक्षण और समृद्ध विरासत:** जनजातीय समुदायों ने **भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता को संरक्षित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका** निभाई है, तथा देश की लोककथाओं, परंपराओं और कलात्मक अभिव्यक्तियों में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है।
  - प्रकृति और विशिष्ट रीति-रिवाजों के साथ उनका गहरा संबंध आधुनिकीकरण की समरूपकारी शक्तियों के लिये एक महत्त्वपूर्ण प्रतिसंतुलन का काम करता है।
  - उदाहरण के लिये, **गोंड और भील जनजातियाँ अपनी जीवंत कला के लिये प्रसिद्ध** हैं, जो अब **वैश्विक मान्यता प्राप्त कर रही है।**
    - अपनी **विशिष्ट लोक कला के लिये प्रसिद्ध** वारली जनजाति, दैनिक जीवन और प्रकृति को दर्शाने वाली अपनी **जटिल भित्ति-चित्रकलाओं के माध्यम से भारत के सांस्कृतिक संरचना में भी योगदान** देती है।
- **पर्यावरण संरक्षण और जैवविविधता संरक्षण:** जनजातीय समुदाय, **विशेष रूप से वन क्षेत्रों में,** पर्यावरण संरक्षण **में अग्रणी** रहे हैं तथा **पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों** के माध्यम से **जैवविविधता का संरक्षण** करते रहे हैं।
  - संसाधन प्रबंधन में उनकी **संधारणीय प्रथाओं ने महत्त्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्रों के अस्तित्व को सुनिश्चित किया** है।
  - वनों के संरक्षक के रूप में जनजातियों की भूमिका **बस्तर (छत्तीसगढ़)** जैसे क्षेत्रों में देखी जा सकती है, जहाँ स्थानीय जनजातीय समुदायों ने उत्खनन के लिये निर्वनीकरण का सक्रिय रूप से विरोध किया है।
  - इसके अलावा, **ओडिशा में** डोंगरिया कोंध जनजाति नियमगिरि पहाड़ियों की रक्षा के लिये अपने प्रयासों के लिये प्रसिद्ध है, जो **बॉक्साइट उत्खनन परियोजना के खिलाफ लड़ रही है, जिससे उनकी पवित्र भूमि को खतरा उत्पन्न हो गया था।**
- **भारत के कृषि परिदृश्य में योगदान: जनजातीय समुदायों** ने भारत की **कृषि पद्धतियों के विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान** दिया है, तथा प्राय: वे ही **जैविक कृषि पद्धतियों का अंगीकरण करने में अग्रणी** रहे हैं।
  - **भूमि, फसलों और प्राकृतिक उर्वरकों के बारे में उनके गहन ज्ञान** ने संधारणीय कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित किया है, जो **विषम परिस्थितियों में भी धारणीय** सिद्ध हुई हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

भारत में प्रमुख जनजातियाँ

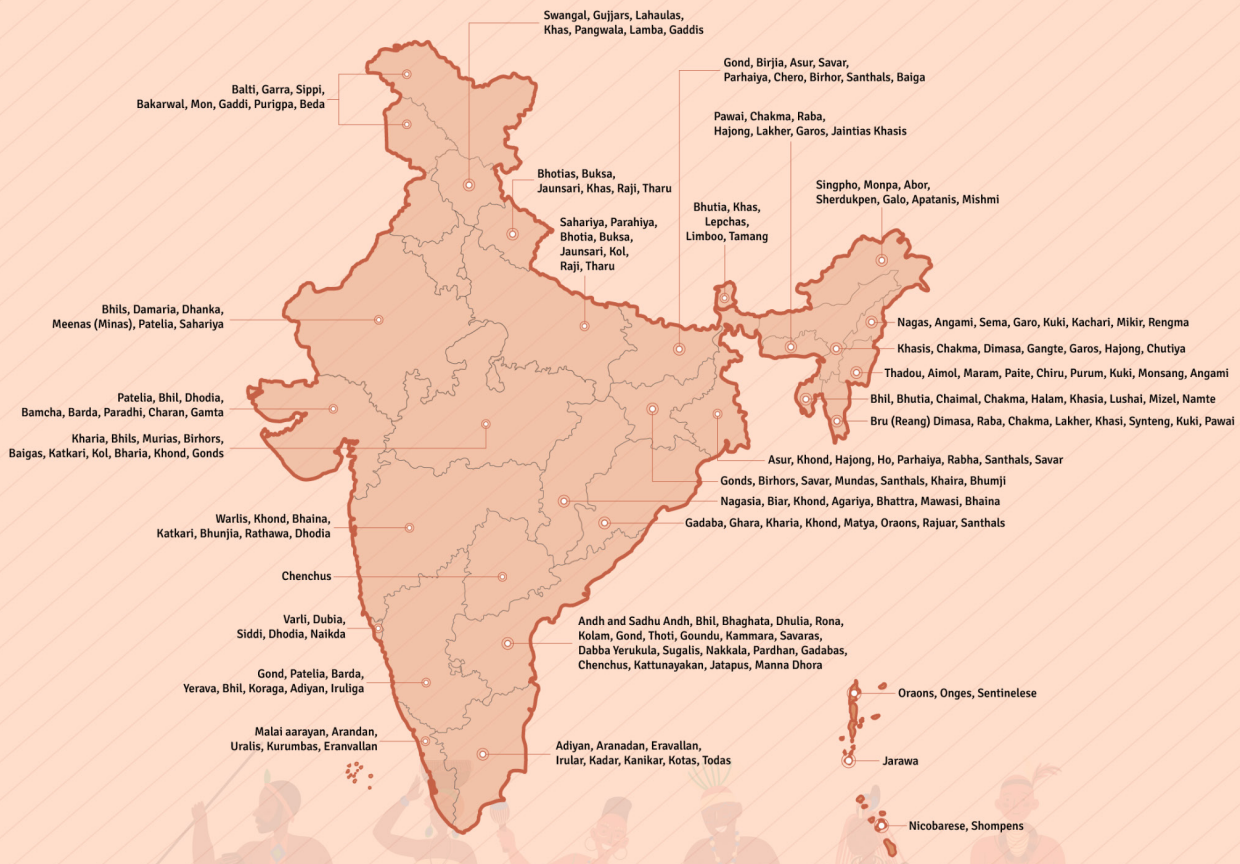

- अनुसूचित जनजाति **भारत की जनसंख्या का 8.6%** है (जनगणना 2011)। **मसौदा राष्ट्रीय जनजातीय नीति, 2006 में भारत की 698 अनुसूचित जनजातियाँ** दर्ज हैं।
- **विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह** (PVTGs) ऐसी जनजातियों का समूह है जो जनजातीय समूहों के बीच अधिक असुरक्षित/सुभेद्य हैं। **75 सूचीबद्ध** PVTGs में से **सबसे अधिक संख्या ओडिशा में** पाई जाती है।
- **गोंड के बाद भील सबसे बड़ा आदिवासी समूह** (भारत की **कुल अनुसूचित जनजातीय आबादी का 38%** है।
- भारत की **सबसे अधिक जनजातीय आबादी मध्य प्रदेश** में पाई जाती है (जनगणना 2011)।
- **संथाल भारत की सबसे पुरानी जनजाति** है। संथालों की शासन प्रणाली, जिसे **मांझी-परगना** के नाम से जाना जाता है, की तुलना स्थानीय स्वशासन से की जा सकती है।
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सूची (परिशोधन आदेश), 1956 के अनुसार, **लक्षद्वीप** के ऐसे निवासी जो स्वयं और जिनके माता-पिता दोनों इन द्वीपों में पैदा हुए थे, उन्हें अनुसूचित जनजाति के रूप में माना जाता है।
- संविधान का **अनुच्छेद 342** अनुसूचित जनजातियों के विनिर्देशन के लिये अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का निर्धारण करता है।
- **अनुच्छेद 275** अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने और उन्हें बेहतर प्रशासन प्रदान करने के लिये केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को **विशेष धन देने का प्रावधान** करता है।

- उदाहरण के लिये, **झारखंड में मुंडा जनजाति** एक और उदाहरण है, जो अपनी पारंपरिक कृषि पद्धतियों, जैसे **मिश्रित फसल, के लिये** जानी जाती है, जो मृदा की उर्वरता एवं स्थिरीकरण सुनिश्चित करती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **जनजातीय उद्यमिता के माध्यम से आर्थिक योगदान:** जनजातीय आबादी भारत की अर्थव्यवस्था में तेज़ी से योगदान दे रही है, विशेष रूप से **उद्यमिता और स्थानीय उद्योगों जैसे हस्तशिल्प, वस्त्र एवं हर्बल दवाओं** के माध्यम से।
  - TRIFED (भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ) जैसी सरकार की पहलों ने जनजातीय उत्पादों के लिये बाज़ार सुगम्यता को आसान बना दिया है।
    - इससे न केवल जनजातीय समुदायों को आर्थिक संबल मिला है, बल्कि उनके **स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बाज़ारों में भी पहचान** मिली है।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास में योगदान:** जनजातीय समुदायों ने राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है, विशेषकर उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में।
  - उदाहरण के लिये, **छत्तीसगढ़ से पुन: भर्ती हुए विस्थापित जनजाति आतंकवाद विरोधी अभियानों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं** तथा सुरक्षा बलों को बहुमूल्य **स्थानीय ज्ञान एवं सहायता** प्रदान कर रहे हैं।
  - ये जनजाति, जो प्रारंभ में **'स्ट्रेटेजिक हेमलेट' कार्यक्रम के दौरान विस्थापित** हुए थे, अब इस क्षेत्र में **माओवादी विद्रोहियों के खिलाफ लड़ाई में महत्त्वपूर्ण सहयोगी** के रूप में काम कर रहे हैं।
- **राष्ट्रीय पहचान और विविधता को बढ़ावा देने में जनजातीय आबादी:** जनजातीय समुदाय, अपने विशिष्ट रीति-रिवाजों, भाषाओं और परंपराओं के साथ, **भारत की बहुलवादी राष्ट्रीय पहचान को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण** हैं।
  - उनके त्यौहार, रीति-रिवाज और कलाएँ राष्ट्र की **सांस्कृतिक समृद्धि में योगदान** देती हैं। **जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान का सम्मान** करने के लिये **15 नवंबर को 'जनजातीय गौरव दिवस' का उत्सव** भारत के **स्वतंत्रता आंदोलन में जनजातियों की ऐतिहासिक भूमिका** की बढ़ती मान्यता का उदाहरण है।
  - हाल ही में **सरकार द्वारा पूरे भारत में जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालयों** के निर्माण के माध्यम से **जनजातीय विरासत का जश्न** मनाने पर ध्यान केंद्रित करना, राष्ट्रीय पहचान तथा सांस्कृतिक संरक्षण में उनके योगदान का एक और उदाहरण है।

भारत में जनजातीय समुदायों के सामने प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

- **भूमि हस्तांतरण और विस्थापन:** भूमि हस्तांतरण भारत में जनजातीय समुदायों के समक्ष सबसे गंभीर मुद्दों में से एक है, **बढ़ते औद्योगीकरण, शहरीकरण और विकास परियोजनाओं** के कारण उनके **पैतृक भूमि का नुकसान** हो रहा है।
  - उदाहरण के लिये, **छत्तीसगढ़ और ओडिशा में उत्खनन के कारण जनजातियों को बड़े पैमाने पर विस्थापन का सामना करना पड़ा है,** जिसके परिणामस्वरूप सामुदायिक संरचनाएँ टूट गई हैं तथा **आर्थिक अस्थिरता** उत्पन्न हुई है।
    - इसके अलावा, **थोट्टीपम्पु के कोया जनजातियों** ने धीरे-धीरे अपनी भूमि गैर-जनजाति साहूकारों और जमींदारों के हाथों गँवा दी हैं, जिससे उनकी स्थिति **अपने ही खेतों में काम करने वाले मज़दूरों जैसी** हो गई है।
- **शिक्षा और कौशल विकास का अभाव:** विभिन्न सरकारी पहलों के बावजूद, जनजातीय समुदायों के लिये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल विकास तक अभिगम अपर्याप्त बनी हुई है, जिससे **गरीबी और सामाजिक अपवर्जन का चक्र जारी** है।
  - एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS) जैसी पहलों का उदय उत्साहजनक है, लेकिन **जनजातीय युवाओं** का एक बड़ा हिस्सा अभी भी **आधुनिक नौकरी बाज़ार में प्रतिस्पर्द्धा करने के लिये कौशल से वंचित** है।
    - इसके अलावा, हाल के सरकारी आँकड़ों से पता चलता है कि **EMRS को 5% PVTG कोटा पूरा करने में संघर्ष** करना पड़ रहा है तथा बीच में **पढ़ाई छोड़ने वालों की संख्या भी बढ़ रही है।**
- **स्वास्थ्य असमानताएँ और कुपोषण:** जनजातीय समुदायों को खराब स्वास्थ्य परिणामों का सामना करना पड़ता है, जो **स्वास्थ्य देखभाल तक अपर्याप्त अभिगम, स्वच्छता की कमी और कुपोषण के उच्च भार के कारण और भी बदतर** हो जाता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि **15-49 वर्ष की आयु की जनजातीय महिलाओं में एनीमिया** 59.9% से **बढ़कर 64.6% हो गया** है।
  - इसके अतिरिक्त, यह भी बताया गया है कि **5 वर्ष से कम आयु के लगभग 40% जनजातीय बच्चे अविकसित** हैं तथा उनमें से **16% गंभीर रूप से अविकसित** हैं।
- **आर्थिक शोषण और गरीबी:** जनजातीय समुदायों को आर्थिक शोषण का सामना करना पड़ता है, जिनमें से कई लोग जीविका के लिये कृषि या उच्च जोखिम एवं कम वेतन वाले क्षेत्रों में शारीरिक श्रम पर निर्भर हैं।
  - वन उत्पादों जैसे संसाधनों के माध्यम से **देश की अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण योगदान देने के बावजूद,** जनजातियों को प्राय: उनके **श्रम के लिये न्यूनतम मुआवज़ा मिलता है।**
  - TRIFED जैसी योजनाओं के माध्यम से जनजातीय उद्यमिता को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों को बाज़ार पहुँच और संसाधनों की कमी के कारण **सीमित सफलता** मिली है।
    - झारखंड जैसे **राज्यों में खनन और निर्माण उद्योगों में जनजाति श्रमिकों के बढ़ते शोषण** ने गरीबी को बरकरार रखने में योगदान दिया है।
- **सांस्कृतिक क्षरण और पहचान संकट:** भारत में जनजातीय समुदायों को **मुख्यधारा की संस्कृति और शहरीकरण के बढ़ते प्रभाव** के कारण अपनी सांस्कृतिक पहचान के क्षरण का सामना करना पड़ रहा है।
  - महाराष्ट्र में **वारली जनजाति इस परिघटना का एक उदाहरण** है, जहाँ युवा पीढ़ी तेज़ी से पारंपरिक कला रूपों से दूर होकर आधुनिक व्यवसायों की ओर बढ़ रही है।
    - यह बदलाव **जनजातीय परंपराओं, लोककथाओं और रीति-रिवाजों की निरंतरता को खतरे में डालता है।**
- **पर्यावरणीय क्षरण और संसाधनों की कमी:** वनों की कटाई, खनन और औद्योगिक गतिविधियों से होने वाला **पर्यावरणीय क्षरण,** जनजातीय समुदायों के लिये **एक बड़ा खतरा** बन गया है, **जिनकी आजीविका प्राकृतिक पर्यावरण से जटिल रूप से जुड़ी हुई है।**
  - 50% से अधिक **जनजातीय आबादी जंगलों में रहती है** (भारत सरकार, TRIFED, 2019) तथा भूमि और वन संसाधनों से अपनी आजीविका प्राप्त करते हैं, फिर भी महुआ एवं तेंदू पत्ते जैसे संसाधनों की उपलब्धता में सालाना गिरावट आ रही है।
  - **बस्तर (छत्तीसगढ़)** जैसे क्षेत्रों में खनन और औद्योगिक उद्देश्यों के लिये वनों की कटाई से वन संसाधनों में कमी आई है, जिसका सीधा असर गैर-काष्ठीय वन उत्पादों से होने वाली जनजातियों की आय पर पड़ा है।
- **वन अधिकार अधिनियम (FRA) का कमज़ोर कार्यान्वयन:** वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 एक ऐतिहासिक कानून था जिसका उद्देश्य **जनजातीय समुदायों के उन वन भूमियों पर अधिकारों को मान्यता देना था जिन पर वे परंपरागत रूप से निवास करते रहे हैं।**
  - हालाँकि, इसका **कार्यान्वयन अभी भी कमज़ोर** है तथा कई जनजातीय समूह अभी भी अपने दावों को मान्यता दिलाने के लिये संघर्ष कर रहे हैं।
  - उदाहरण के लिये, वन अधिकार अधिनियम **(FRA) के तहत जनजातियों के 40% से अधिक दावे** गुजरात सरकार द्वारा खारिज़ कर दिये गए हैं।
    - आलोचकों का तर्क है कि FRA में दिये गए साक्ष्यों की सूची का पालन किये बिना, **उपग्रह चित्रों पर अत्यधिक निर्भरता के कारण 'उचित दावों को गलत तरीके से अस्वीकार कर दिया गया।'**

जनजातीय कल्याण से संबंधित प्रमुख सरकारी पहल क्या हैं?

- **कानूनी आधार: वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006** और **PESA, 1996** ने **संसाधनों पर स्वामित्व** प्रदान करके और **स्व-शासन को मज़बूत करके सामुदायिक सशक्तीकरण के लिये आधार** तैयार किया है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- जनजातीय उप-योजना से अनुसूचित जनजातियों के लिये **विकास कार्य योजना (DAPST)** तक का विकास, गहन वित्तीय और रणनीतिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- **प्रमुख प्रमुख पहल:**
  - **धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान**
- ₹79,150 करोड़ के निवेश से 63,000 जनजाति गाँवों को कवर करता है।
- 17 मंत्रालयों में 25 हस्तक्षेपों को एकीकृत करता है।
- बुनियादी अवसंरचना, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका पर ध्यान केंद्रित करता है।
- **PM-जनमन (प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान)**
  - विद्युतीकरण, जल सुलभता, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल के लिये केंद्रित समर्थन के साथ PVTG को लक्षित करता है।
  - जनजातीय उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिये मोबाइल चिकित्सा इकाइयों का संचालन और वन धन केंद्रों का निर्माण।
- **एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS)**
  - नवोदय विद्यालयों के साथ समानता की परिकल्पना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सांस्कृतिक संरक्षण के साथ सम्मिश्रित करना।
- **स्वास्थ्य और पोषण: समग्र हस्तक्षेप**
  - **सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन (वर्ष 2023):** इसका उद्देश्य कमज़ोर जनजातीय क्षेत्रों में सार्वभौमिक जाँच और उपचार करना है।
  - **स्वास्थ्य पोर्टल:** जनजातीय स्वास्थ्य परिणामों पर डिजिटल रूप से नज़र रखता है तथा डेटा-आधारित नीति निर्माण में सहायता करता है।
  - **मिशन इंद्रधनुष एवं निक्षय मित्र:** पहुँच से दूर जनजाति क्षेत्रों में टीकाकरण एवं टी.बी. उन्मूलन हेतु देखभाल सुनिश्चित करना।
- **सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण: लक्ष्य के रूप में आत्मनिर्भरता**
  - **वन धन विकास योजना और लघु वनोपज के लिये MSP:** वन उपज के लिये मूल्य श्रृंखला बनाना, बाज़ार पहुँच और उचित आय सुनिश्चित करना।
  - **NSTFDC, TRIFED, आदि महोत्सव:** जनजातीय उद्यमशीलता, कारीगरी और सांस्कृतिक निर्यात को बढ़ावा देना।

जनजातीय समुदायों को मुख्यधारा में लाने और सशक्त बनाने के लिये भारत क्या उपाय अपना सकता है?

- **गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण तक पहुँच बढ़ाना:** जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाने के लिये, उनके सांस्कृतिक संदर्भ के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच बढ़ाना महत्त्वपूर्ण है।
  - इसमें **एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (EMRS) को मज़बूत करना शामिल है,** ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे **न केवल अकादमिक शिक्षा प्रदान करें, बल्कि स्थानीय आर्थिक परिदृश्य के अनुरूप व्यावसायिक प्रशिक्षण भी प्रदान करें।**
  - इसके अतिरिक्त, जनजातीय भाषाओं और सांस्कृतिक प्रथाओं को पाठ्यक्रम में शामिल करने से उनकी विरासत को संरक्षित करने में मदद मिलेगी, साथ ही यह सुनिश्चित होगा कि छात्र आधुनिक नौकरी बाज़ार में प्रतिस्पर्द्धी बने रहें।
- **सुदृढ़ भूमि सुधार और वन अधिकारों को लागू करना:** जनजातीय समुदायों के भूमि और वन अधिकारों को मान्यता देने के लिये वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 को पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिये। **टीएन गोदावर्मन मामले** में **सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों को** अक्षरश: लागू किया जाना चाहिये
  - **वन भूमि पर जनजातियों के दावों को कानूनी मान्यता दिलाने के लिये** एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाने से विस्थापन को रोका जा सकेगा और उन्हें अपनी पारंपरिक प्रथाओं को जारी रखने के लिये सुरक्षा प्रदान की जा सकेगी।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- इसके अलावा, वन अधिकार अधिनियम की प्रक्रियाओं और निर्णय लेने **में महिलाओं की प्रभावी भागीदारी** सुनिश्चित करने की आवश्यकता है, तथा वनों के साथ उनके घनिष्ठ संबंध को मान्यता प्रदान की जानी चाहिये **(ज़ाक्सा समिति)**

- **जनजातीय उद्यमिता के माध्यम से आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना:** जनजातीय उद्यमिता को **लक्षित वित्तीय सहायता के माध्यम से बढ़ावा दिया जाना चाहिये, जिसमें आसान ऋण, अनुदान और क्षमता निर्माण पहल शामिल हैं।**
  - सरकार जनजातीय व्यवसायों के लिये **डिजिटल प्लेटफार्मों और सहकारी समितियों** के माध्यम से **उन्हें व्यापक बाजारों से जोड़कर एक मज़बूत बुनियादी ढांचा तैयार कर सकती है,** विशेष रूप से हस्तशिल्प, जैविक उत्पादों और टिकाऊ वन-आधारित उत्पादों के लिये।
  - **ढेबर आयोग** की सिफारिश के अनुसार **विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) पर** विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये।

- **जनजातीय शासन और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को मज़बूत करना:** बेहतर राजनीतिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाना महत्त्वपूर्ण है।
  - इसमें यह सुनिश्चित करना शामिल है कि जनजातीय क्षेत्रों का शासन ऐसे जनजातीय नेताओं द्वारा किया जाए **जिन्हें स्थानीय आवश्यकताओं, मूल्यों और शासन प्रणालियों की गहरी समझ हो।**
  - **पंचायतों** (पंचायतों को अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम, 1996 के अंतर्गत) **जैसी विकेंद्रीकृत शासन निकायों को सुदृढ़ करना** तथा जनजातीय परिषदों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करना, स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया को सुनिश्चित कर सकता है।
    - इस दृष्टिकोण से संसाधन प्रबंधन से लेकर कल्याणकारी योजनाओं तक जनजातीय मुद्दों को अधिक कुशलतापूर्वक हल करने में मदद मिलेगी।

- **समावेशी स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों को बढ़ावा देना:** जनजातीय आबादी के समक्ष आने वाली गंभीर स्वास्थ्य देखभाल असमानताओं से निपटने के लिये, भारत को एक **समावेशी स्वास्थ्य देखभाल मॉडल** अपनाना होगा जो **जनजातीय स्वास्थ्य आवश्यकताओं को राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल कार्यढाँचे में शामिल करे।**
  - इसमें जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं तक अभिगम में सुधार, सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील प्रथाओं में स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षण देना तथा सिकल सेल एनीमिया और कुपोषण जैसे जनजातीय लोगों के गंभीर स्वास्थ्य मुद्दों का समाधान करना शामिल है।
  - टेलीमेडिसिन सेवाओं का उपयोग **दूरदराज़ के जनजाति क्षेत्रों को शहरी केंद्रों के विशेषज्ञों से जोड़ने के लिये किया जा सकता है** (भारतनेट की मदद से) और मोबाइल स्वास्थ्य देखभाल इकाइयाँ आवश्यक सेवाएँ प्रदान करने में मदद कर सकती हैं।

- **सांस्कृतिक संरक्षण और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना:** जनजातीय समुदायों को मुख्यधारा में लाते समय उनकी सांस्कृतिक पहचान और विरासत को संरक्षित करना आवश्यक है।
  - **जनजातीय कलाओं, भाषाओं और परंपराओं के संरक्षण के लिये समर्पित संस्थानों की स्थापना** से यह सुनिश्चित होगा कि जनजातीय संस्कृतियाँ वैश्वीकरण के कारण नष्ट न हो जाएँ।
  - सरकार राष्ट्रीय समारोहों और पर्यटन में जनजातीय सांस्कृतिक उत्सवों, कला रूपों एवं प्रथाओं को शामिल करने में सहायता कर सकती है, जिससे **भारत के सांस्कृतिक संरचना में उनके योगदान की गहन समझ** को बढ़ावा मिलेगा।

- **जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान देना:** भारत के लिये जलवायु-अनुकूल रणनीतियों को अपनाना महत्त्वपूर्ण है जो **विशेष रूप से जनजातियों की जरूरतों को पूरा करती हैं, जिसमें संधारणीय कृषि, वन प्रबंधन और जल संरक्षण प्रथाओं को बढ़ावा** देना शामिल है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **पर्यावरण संरक्षण में जनजातियों को प्रत्यक्ष भूमिका प्रदान करने** तथा वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने से उनकी आजीविका को सुरक्षित रखते हुए उनके प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करने में मदद मिल सकती है।
- जलवायु परिवर्तन पर केंद्रित गैर सरकारी संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोगात्मक प्रयास, जनजातियों को पर्यावरणीय चुनौतियों को कम करने के लिये उपागम और ज्ञान प्रदान कर सकते हैं।

- **शोषण और भेदभाव के विरुद्ध कानूनी संरक्षण:** अनुसूचित क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिये पूर्व सूचित सहमति की आवश्यकता की पूर्ति के लिये **PESA में संशोधन की आवश्यकता** है, जैसा कि **Xaxa समिति द्वारा अनुशंसित** किया गया है।
  - इसमें **भूमि अधिग्रहण के खिलाफ सख्त कानून लागू करना,** विस्थापन के लिये समय पर मुआवज़ा सुनिश्चित करना और खनन, कृषि तथा अन्य क्षेत्रों में **जनजातियों को शोषण से बचाना** शामिल है।
    - वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 और **PESA, 1996 के प्रभावी कार्यान्वयन** के साथ-साथ इनके **क्रियान्वयन में विलंब करने वाले अधिकारियों पर दंड का प्रावधान** किया गया है।
  - **जनजातीय सलाहकार परिषदों की भूमिका को मज़बूत करने** और शासन में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता है।

निष्कर्ष:

भारत के जनजातीय समुदाय इसके **सामाजिक-सांस्कृतिक विविधता एवं पारिस्थितिक संतुलन का अभिन्न अंग** हैं, फिर भी उन्हें लगातार हाशिये पर रखा जाता है और उपेक्षा का सामना करना पड़ता है। उन्हें वास्तविक रूप से सशक्त बनाने के लिये, भारत को **समावेशी विकास, शिक्षा और भूमि अधिकारों के माध्यम से SDG1 (गरीबी उन्मूलन), SDG4 (सर्वोत्तम शिक्षा), SDG10 (असमानताएँ कम करना) और SDG15 (थलीय जीवों की सुरक्षा)** को बनाए रखने की आवश्यकता है। स्थायी **जनजातीय** उत्थान के लिये अधिकार-आधारित, सांस्कृतिक रूप से **संवेदनशील और सहभागी दृष्टिकोण** महत्त्वपूर्ण है।

■■■

भारत का परमाणु ऊर्जा रोडमैप

यह एडिटोरियल 15/04/2025 को हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित "India's long pursuit of nuclear power" पर आधारित है। इस लेख में भारत की परमाणु ऊर्जा महत्त्वाकांक्षाओं और वास्तविक प्रगति के बीच के अंतर को उजागर किया गया है तथा 2047 तक 100,000 मेगावाट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये निजी भागीदारी एवं नवाचार की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है।

भारत का परमाणु विकास क्रम **महत्त्वाकांक्षा और चुनौती दोनों** को दर्शाती है, हाल ही में वित्त वर्ष 2026 के केंद्रीय बजट में वर्ष 2047 तक 100,000 मेगावाट परमाणु क्षमता का लक्ष्य रखा गया है, जो देश के **औद्योगिक विकास** एवं **वर्ष 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन लक्ष्य** दोनों के लिये महत्त्वपूर्ण है। **होमी भाभा की वर्ष 1954 की दूरदर्शी तीन-चरणीय योजना के बावजूद,** वास्तविक घोषित उपलब्धियाँ लगातार लक्ष्य से कम रही हैं, **वर्तमान क्षमता केवल 8,180 MW** है। भारत को अपनी प्रबल विद्युत ऊर्जा मांगों को पूरा करने और ऊर्जा सुरक्षा हासिल करने के लिये **निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी, तकनीकी नवाचार और केंद्रित कार्यान्वयन** के माध्यम से इस संबंध में प्रयासों को तीव्र करने की आवश्यकता है।

भारत के ऊर्जा परिवर्तन को आगे बढ़ाने और आर्थिक विकास को गति देने में परमाणु ऊर्जा की क्या भूमिका है?

- **जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना और शुद्ध-शून्य लक्ष्य प्राप्त करना: जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने** और वर्ष 2070 तक अपने शुद्ध-शून्य उत्सर्जन लक्ष्य **को पूरा करने** की भारत की रणनीति में **परमाणु ऊर्जा एक महत्त्वपूर्ण भूमिका** निभाती है।
  - **वर्ष 2047 तक 100,000 मेगावाट** परमाणु क्षमता के महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ, परमाणु ऊर्जा देश के स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण में आधारशिला बनने के लिये तैयार है।
  - उदाहरण के लिये, **सत्र 2031-32 तक भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता** 8,180 मेगावाट से बढ़कर **22,480 मेगावाट हो जाएगी।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

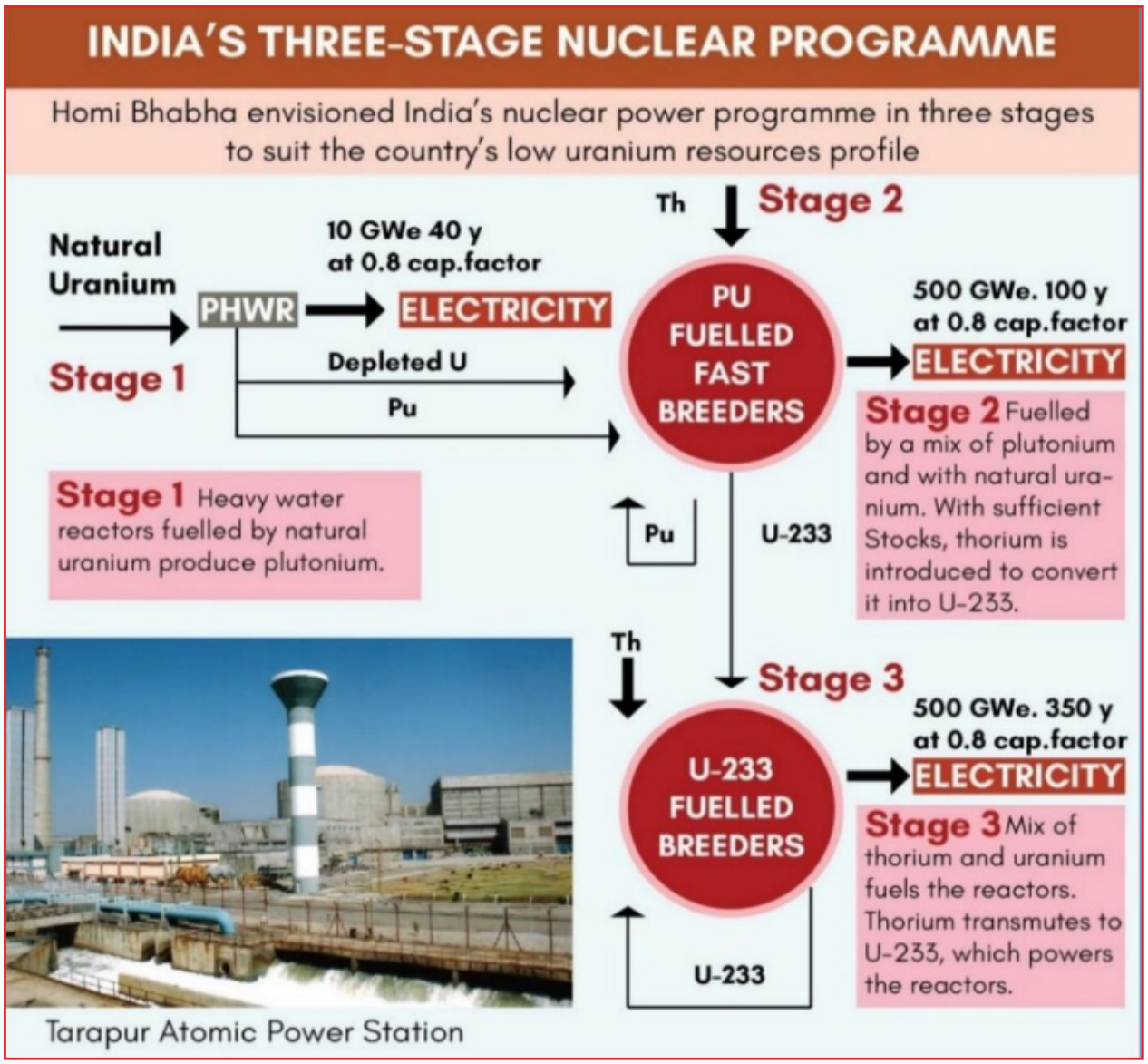

- **ऊर्जा सुरक्षा और स्थिर आपूर्ति के लिये डाउनलोड:** परमाणु ऊर्जा स्थिर, परमाणु ऊर्जा आपूर्ति प्रदान करने के लिये **ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये नवीनतम नियम। ऊर्जा सुरक्षा और स्थिर आपूर्ति के लिये उत्प्रेरक:** परमाणु ऊर्जा स्थिर, निर्बाध बिजली आपूर्ति प्रदान करके ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये एक अभिन्न अंग है।
  - पवन और सौर जैसे नवीकरणीय स्रोतों के विपरीत, जो ऊर्जा के अस्थिर नवीकरणीय स्रोत हैं, **परमाणु संयंत्र 24/7 संचालित** हो सकते हैं, जिससे एक सुसंगत ऊर्जा उत्पादन सुनिश्चित होता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- चूँकि **भारत की बिजली की मांग सालाना 6-8% की दर से बढ़ रही है,** इसलिये **परमाणु ऊर्जा** ग्रिड को स्थिर करने में मदद करती है। सरकार **सत्र 2031-32 तक 18 रिएक्टर जोड़ने की योजना** बना रही है, जो बढ़ती मांग के बीच **सतत् बिजली आपूर्ति बनाए रखने में परमाणु ऊर्जा की महत्त्वपूर्ण भूमिका** को रेखांकित करता है।

तथ्य

- वर्तमान में, भारत के 6 राज्यों में 6780 मेगावाट इलेक्ट्रिक (MWe) की स्थापित क्षमता के साथ 22 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर संचालित हैं।
- परमाणु सुविधाओं की स्थापना व उपयोग और रेडियोधर्मी स्रोतों के उपयोग से **संबंधित गतिविधियाँ भारत में परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 के अनुसार** की जाती हैं।
- परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (AERB) **परमाणु एवं विकिरण सुविधाओं तथा गतिविधियों को नियंत्रित** करता है।
- **नवीनतम और सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र:** कुडनकुलम पावर प्लांट, तमिलनाडु
- **पहला और सबसे पुराना परमाणु ऊर्जा संयंत्र:** तारापुर पावर प्लांट, महाराष्ट्र

Drishti IAS

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **औद्योगिक डीकार्बोनाइज़ेशन के माध्यम से आर्थिक विकास:** परमाणु ऊर्जा, **इस्पात, एल्यूमीनियम और सीमेंट** जैसे ऊर्जा-गहन उद्योगों में डीकार्बोनाइज़ेशन को सक्षम करके **आर्थिक विकास में महत्त्वपूर्ण** योगदान देती है।
  - भारत स्मॉल रिक्टर (BSR) जैसी प्रौद्योगिकियों के माध्यम से विश्वसनीय कैप्टिव पावर प्रदान करके, परमाणु ऊर्जा **कार्बन कटौती लक्ष्यों को पूरा करने में औद्योगिक क्षेत्रों का समर्थन** करती है।
  - BSR परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी इसे और सुदृढ़ करती है, सरकार ने **वर्ष 2033 तक ऊर्जा बुनियादी अवसंरचना में विविधता लाने और आधुनिकीकरण के लिये** स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टरों (SMR) हेतु 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किये हैं।
- **तकनीकी नवाचार और अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना:** परमाणु ऊर्जा **तकनीकी नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा** देती है, विशेष रूप से **फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों (FBR)** में प्रगति के माध्यम से।
  - ये प्रौद्योगिकियाँ **न केवल परमाणु दक्षता में सुधार** करती हैं, बल्कि **यूरेनियम पर निर्भरता कम करने की** भारत की **दीर्घकालिक ऊर्जा रणनीति के अनुरूप भी** हैं।
  - प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (PFBR), जो वर्ष 2024 में कोर लोडिंग तक पहुँच जाएगा, **थोरियम आधारित परमाणु ऊर्जा** विकसित करने की दिशा में **भारत की प्रगति का उदाहरण** है।
- **सामरिक अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियाँ और ऊर्जा कूटनीति:** परमाणु ऊर्जा **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा** देकर भारत की **ऊर्जा कूटनीति** को बढ़ाती है।
  - वर्ष 2005 के **अमेरिका-भारत असैन्य परमाणु समझौते** ने **वैश्विक यूरेनियम बाज़ारों** तक अभिगम को सक्षम किया है, जिससे भारत को अपने बढ़ते परमाणु रणनीति के लिये महत्त्वपूर्ण यूरेनियम आपूर्ति हासिल करने में मदद मिली।
  - **भारत और फ्राँस** ने नेक्स्ट जनरेशन के परमाणु रिएक्टरों के विकास पर सहयोग करने पर सहमति व्यक्त की है, जिसमें उन्नत मॉड्यूलर रिएक्टर और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर शामिल हैं।
- **रोज़गार सृजन और कौशल विकास:** परमाणु ऊर्जा **रोज़गार सृजन और कौशल विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका** निभाती है, जो भारत की **आर्थिक वृद्धि के लिये महत्त्वपूर्ण** हैं।
  - परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के विस्तार से **निर्माण, संचालन, प्रबंधन और प्रौद्योगिकी विकास क्षेत्र में रोज़गार के अवसर** उत्पन्न होते हैं।
  - परमाणु ऊर्जा, **पवन ऊर्जा की तुलना में प्रति यूनिट बिजली पर लगभग 25% अधिक रोज़गार का सृजन** करती है, जबकि परमाणु उद्योग में काम करने वाले श्रमिक अन्य नवीकरणीय क्षेत्रों की तुलना में एक तिहाई अधिक (**अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, 2005 के अनुसार**) कमाते हैं।
    - यह भविष्य की ऊर्जा मांगों को पूरा करने के लिये अपने **औद्योगिक कार्यबल को बढ़ाने के भारत के व्यापक लक्ष्य के अनुरूप** है।
- **दूरदराज़ के क्षेत्रों में विकेंद्रीकृत ऊर्जा उत्पादन को समर्थन:** परमाणु ऊर्जा **विकेंद्रीकृत बिजली उत्पादन के लिये एक व्यवहार्य समाधान** प्रदान करती है, विशेष रूप से **दूरदराज़ और ऑफ-ग्रिड क्षेत्रों में।**
  - **स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर (SMR)** अपने **मॉड्यूलर डिज़ाइन के कारण ऐसे स्थानों के लिये आदर्श** होते हैं, जो **कारखाना-आधारित विनिर्माण और निर्माण हेतु न्यून समयसीमा की अनुमति** देता है।
  - औद्योगिक क्लस्टरों के निकट स्थापित किये जाने के लिये डिजाइन किये गए **भारत स्मॉल रिएक्टर (BSR)** न केवल इन क्षेत्रों की सेवा करेंगे, बल्कि **संधारणीय स्थानीय ऊर्जा अर्थव्यवस्थाओं को भी बढ़ावा** देंगे।

विश्व भर में परमाणु ऊर्जा की वर्तमान स्थिति क्या है?

- **परमाणु ऊर्जा के संदर्भ में:** 1950 के दशक से बिजली उत्पादन के लिये विकसित परमाणु ऊर्जा, वर्तमान में **वैश्विक बिजली का लगभग 9% योगदान** देती है और यह **न्यून कार्बन उत्सर्जन वाली विद्युत ऊर्जा का दूसरा**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

सबसे बड़ा स्रोत है, जो विश्व की न्यून कार्बन बिजली का लगभग एक **चौथाई हिस्सा** प्रदान करता है। यह **स्वच्छ ऊर्जा और सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये महत्त्वपूर्ण** है।

- **मुख्य आँकड़े:**
  - **विश्व स्तर पर 440 रिएक्टर संचालित** हैं, जिनसे वर्ष 2023 तक **2602 TWh विद्युत ऊर्जा का उत्पादन** किया गया।
  - 14 देश अपनी **बिजली का 25% से अधिक** उत्पादन **परमाणु ऊर्जा से** करते हैं **(फ्राँस~70%)**
  - **शीर्ष उत्पादक: संयुक्त राज्य अमेरिका** (779.2 TWh), **चीन** (406.5 TWh), **फ्राँस** (323.8 TWh)
  - **वर्ष 2025 में रिएक्टर निर्माण: लुफेंग 1** (चीन), **लेनिनग्राड 2-4** (रूस)
  - **शटडाउन: डोएल 1 (बेल्जियम)**
  - **उभरते परमाणु राष्ट्र: बांग्लादेश, तुर्की** (पहले संयंत्र निर्माणाधीन)।

भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े प्रमुख मुद्दे क्या हैं?

- **परियोजना कार्यान्वयन की धीमी गति:** यद्यपि भारत अपनी परमाणु क्षमता को महत्त्वपूर्ण रूप से बढ़ाने का लक्ष्य रखता है, फिर भी परियोजनाओं में काफी विलंब हुआ है।
  - **प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (PFBR),** जिसका निर्माण वर्ष 2004 में शुरू हुआ था, वर्ष 2024 में ही **कोर लोडिंग हासिल** किया और **वाणिज्यिक रूप से संचालन अभी भी बहुत विलंबित** है।
  - यह विलंब **भारत के परमाणु लक्ष्यों–** जैसे कि वर्ष 2047 तक 100,000 मेगावाट का लक्ष्य, **को समय पर प्राप्त करने में बाधा** उत्पन्न कर सकता है, जो **परियोजना प्रबंधन में अकुशलता** को उजागर करता है।
- **यूरेनियम आपूर्ति की बाधाएँ:** परमाणु प्रौद्योगिकी में प्रगति के बावजूद, **यूरेनियम आपूर्ति की बाधाएँ** एक **गंभीर चुनौती** बनी हुई हैं।
  - **भारत का यूरेनियम उत्पादन सीमित** है, **वैश्विक उत्पादन में इसका योगदान केवल 1-2%** है।
  - वर्ष 2005 के **अमेरिका-भारत असैन्य परमाणु समझौते ने** अंतर्राष्ट्रीय यूरेनियम बाज़ारों तक पहुँच सुनिश्चित करके कुछ दबाव कम किया है, लेकिन भारत को अभी भी ईंधन के लिये **बाह्य स्रोतों पर निर्भरता का सामना** करना पड़ रहा है, जिससे भू-राजनीतिक जोखिम उत्पन्न हो सकता है।
    - इसके अलावा, **आयातित यूरेनियम का उपयोग करने वाले रिएक्टरों को IAEA सुरक्षा उपायों का अनुपालन करने की आवश्यकता** है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि **इन घटकों का उपयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिये** किया जाए, जिससे भारत पर अनुपालन का अतिरिक्त बोझ पड़ता है।
- **थोरियम उपयोग में तकनीकी अड़चनें:** भारत का महत्त्वाकांक्षी **त्रि-चरणीय परमाणु कार्यक्रम थोरियम आधारित रिएक्टरों पर निर्भर** है, लेकिन **द्वितीय और तृतीय चरण में प्रगति अवरुद्ध** बनी हुई है।
  - थोरियम में परिवर्तन के लिये आवश्यक फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों (FBR) को लगातार तकनीकी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है।
  - इस बीच, वर्ष 2003 में भारत की प्रस्तावित **त्वरक-चालित सबक्रिटिकल प्रणाली (ADSS)** अभी तक मूर्त रूप नहीं ले सकी है, जिससे थोरियम की ओर बदलाव में विलंब हो रहा है।
- **वित्तीय बाधाएँ और निवेश चुनौतियाँ:** परमाणु ऊर्जा से संबद्ध **उच्च पूंजीगत लागत और वित्तीय बाधाएँ** मिलकर इस क्षेत्र के विकास में बाधा डाल रही हैं।
  - यद्यपि **केंद्रीय बजट 2025-26 में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टरों (SMR) के लिये 20,000 करोड़ रुपए आवंटित** किये गए हैं, फिर भी परमाणु क्षेत्र को **पर्याप्त निवेश आकर्षित करने में चुनौतियों का सामना** करना पड़ रहा है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- CEA (केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण) के अनुसार, भारत में एक PHW परमाणु ऊर्जा संयंत्र की पूंजीगत लागत लगभग **117 मिलियन रुपए** है।
  - बड़े पैमाने पर परमाणु परियोजनाओं में **लागत वृद्धि और विलंब को दूर करने के लिये वित्तपोषण प्राय: अपर्याप्त** होता है।
- **सुरक्षा संबंधी चिंताएँ और सार्वजनिक धारणा:** मज़बूत सुरक्षा प्रोटोकॉल के बावजूद, **परमाणु ऊर्जा के संदर्भ में सार्वजनिक धारणा** एक महत्त्वपूर्ण बाधा बनी हुई है।
  - **फुकुशिमा आपदा** जैसी घटनाओं ने परमाणु सुरक्षा के बारे में **वैश्विक चिंताएँ** बढ़ा दी हैं, जिससे कुछ क्षेत्रों में प्रतिरोध को बढ़ावा मिला है।
  - यद्यपि भारत के संयंत्रों में **विकिरण का स्तर वैश्विक सुरक्षा सीमा से काफी नीचे** है, फिर भी जनता चिंतित है।
  - उदाहरण के लिये, वर्ष 2014 में कुडनकुलम का विकिरण स्तर **0.081 माइक्रो-सीवर्ट** से घटकर 0.002 **माइक्रो-सीवर्ट** हो गया है, लेकिन इससे परमाणु सुरक्षा पर जनता की आशंका पूरी तरह से दूर नहीं हुई है, जिससे **भूमि अधिग्रहण और सामुदायिक समर्थन जटिल** हो गया है।
- **पर्यावरण एवं अपशिष्ट प्रबंधन मुद्दे: परमाणु अपशिष्ट प्रबंधन** भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र के लिये एक **चुनौतीपूर्ण मुद्दा** बना हुआ है।
  - यद्यपि भारत ने **परमाणु अपशिष्ट के प्रबंधन के लिये प्रणालियाँ स्थापित की हैं**, जिनमें **साइट पर भंडारण** के बाद **दीर्घकालिक भंडारण भी** शामिल है, फिर भी **केंद्रीकृत अपशिष्ट भण्डारों की कमी चिंता का विषय** बनी हुई है।
  - भारत के परमाणु संयंत्र अपशिष्ट को भंडारण सुविधाओं में स्थानांतरित करने से पहले **पाँच से सात वर्षों तक संग्रहीत रखते हैं, लेकिन प्रयुक्त ईंधन के दीर्घकालिक प्रबंधन का मुद्दा अभी भी अनसुलझा** है।

परमाणु ऊर्जा क्षेत्र की प्रभावशीलता और उत्पादकता बढ़ाने के लिये भारत क्या उपाय अपना सकता है?

- **परियोजना अनुमोदन और कार्यान्वयन में तेज़ी:** भारत को परमाणु परियोजनाओं के लिये **अनुमोदन प्रक्रिया में तेज़ी** लानी चाहिये और **नियामक मंज़ूरी को सुव्यवस्थित** करना चाहिये।
  - **एकल खिड़की मंज़ूरी प्रणाली** स्थापित करके, भारत विलंब को कम कर सकता है और **परियोजना की समय-सीमा में सुधार** कर सकता है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि वर्ष 2047 तक **100,000 मेगावाट का लक्ष्य बिना किसी बाधा के पूरा** हो जाए।
  - **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP)** का लाभ उठाने से भारत के परमाणु क्षेत्र में **पूंजी और नवाचार को बढ़ावा** मिलेगा।
  - **परमाणु ऊर्जा अधिनियम में संशोधन** के माध्यम से **निजी क्षेत्र के निवेश** को प्रोत्साहित करने से **रिएक्टरों की तीव्र स्थापना के लिये अनुकूल वातावरण** तैयार होगा।
- **स्वदेशी प्रौद्योगिकी और अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना: स्वदेशी परमाणु प्रौद्योगिकी** में भारी निवेश से **विदेशी आपूर्तिकर्त्ताओं पर निर्भरता कम होगी** और **ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित होगी।**
  - **स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टरों (SMR)** और **फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों (FBR)** में भारत की प्रगति को **केंद्रित अनुसंधान एवं विकास** प्रयासों के साथ संपूरित किये जाने की आवश्यकता है।
  - इससे **तकनीकी बाधाओं को दूर करने** तथा परमाणु ऊर्जा में **आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने में मदद** मिलेगी।
- **यूरेनियम अन्वेषण और आपूर्ति श्रृंखला को मज़बूत करना: यूरेनियम आपूर्ति की कमी** को दूर करने के लिये, भारत को **घरेलू यूरेनियम अन्वेषण** और **खनन परियोजनाओं में तेज़ी** लानी चाहिये।
  - **जादुगुड़ा खदान में हाल ही में हुए अन्वेषण** से **परमाणु रिएक्टरों के लिये भंडार बढ़ाने का अवसर मिला** है।
  - **अमेरिका, रूस** एवं **फ्राँस** जैसे देशों के साथ संबंधों को गहरा करके, भारत **दीर्घकालिक आपूर्ति अनुबंध** हासिल कर सकता है और अगली पीढ़ी की परमाणु प्रौद्योगिकियों पर **साझा अनुसंधान से लाभान्वित** हो सकता है।
    - इन **साझेदारियों से स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टरों (SMR) के** तेज़ी से अंगीकरण में मदद मिलेगी तथा परमाणु क्षेत्र में क्षमता निर्माण में तेज़ी आएगी।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **कुशल कार्यबल और क्षमता निर्माण पर ध्यान:** भारत के परमाणु क्षेत्र की उत्पादकता बढ़ाने के लिये **मानव पूंजी में निवेश करना महत्त्वपूर्ण** है।
  - **परमाणु शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार** करके, भारत उन्नत परमाणु रिएक्टरों के संचालन एवं प्रबंधन में सक्षम **कुशल कार्यबल** विकसित कर सकता है।
  - वैश्विक संस्थानों के साथ सहयोग और **परमाणु विश्वविद्यालयों की स्थापना से भावी पीढ़ियों को परमाणु ऊर्जा परिदृश्य** की उभरती मांगों के प्रबंधन के लिये आवश्यक विशेषज्ञता से लैस किया जा सकेगा।
- **परमाणु अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों का अनुकूलन:** भारत को व्ययित ईंधन के **संधारणीय प्रबंधन को** सुनिश्चित करने के लिये एक **केंद्रीकृत परमाणु अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा** स्थापित करनी चाहिये।
  - यद्यपि साइट पर भंडारण और **दीर्घकालिक अपशिष्ट निपटान का प्रयास** किया जा रहा है, लेकिन **अपशिष्ट के पुन: उपयोग और पुनर्चक्रण** के लिये एक व्यापक समाधान संधारणीयता के लिये महत्त्वपूर्ण है।
  - **उन्नत पुनर्प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों में निवेश** से पर्यावरणीय जोखिम कम होंगे तथा परमाणु ऊर्जा की **सार्वजनिक स्वीकृति में सुधार** होगा।

निष्कर्ष:

परमाणु ऊर्जा भारत के स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण, ऊर्जा सुरक्षा और औद्योगिक डीकार्बोनाइज़ेशन लक्ष्यों के लिये महत्त्वपूर्ण है। वर्ष 2047 तक 100,000 मेगावाट का लक्ष्य हासिल करने और **पेरिस समझौते और SDG7 (सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा) के साथ तालमेल** बिठाने के लिये, भारत को **परियोजना में विलंब** एवं **यूरेनियम की कमी को दूर करना होगा।** भारत के विकास क्रम में परमाणु ऊर्जा की पूरी क्षमता का सदुपयोग करने के लिये **रणनीतिक अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी और सार्वजनिक विश्वास महत्त्वपूर्ण** होगा।

■■■

लोकतांत्रिक व्यवस्था में संवैधानिक शक्तियों का संतुलन

यह एडिटोरियल 14/04/2025 को इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित "Tamil Nadu governor case: Judicial overreach, not constitutional interpretation" पर आधारित है। इस लेख में संवैधानिक पदाधिकारियों, विशेष रूप से राष्ट्रपति और राज्यपालों के बीच विकसित होते संबंधों एवं उनकी जिम्मेदारियों और समयसीमाओं को निर्धारित करने में न्यायपालिका की भूमिका पर प्रकाश डाला गया है।

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के उस निर्णय ने संवैधानिक प्रमुखों, राष्ट्रपति और राज्यपालों को **'उचित समय' के भीतर विधेयकों पर कार्रवाई करने का निर्देश** दिया है, जिसने शक्तियों के संतुलन पर समयोचित बहस को जन्म दिया है। हालाँकि कई लोगों ने इसे जानबूझकर किये जाने वाले कार्यकारी विलंब के खिलाफ सुधारात्मक कदम के रूप में सराहना की है, लेकिन इस निर्णय ने संवैधानिक पदाधिकारियों के विवेकाधीन क्षेत्र में न्यायिक अतिक्रमण के बारे में चिंता भी जताई है। ***तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल* का मामला** सहकारी संघवाद, विधायी प्रक्रियाओं की अखंडता और न्यायिक सक्रियता की सीमाओं के लिये **एक लिटमस टेस्ट** बन गया है।

राज्य विधेयकों में राष्ट्रपति और राज्यपाल की भूमिका पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय क्या है?

- **मामले की पृष्ठभूमि:** तमिलनाडु के राज्यपाल ने 10 विधेयकों पर अपनी स्वीकृति रोक दी, जिससे अनुच्छेद 200 (राज्य विधानमंडल के विधेयकों पर स्वीकृति देने की राज्यपाल की शक्ति) के तहत कार्रवाई में विलंब हुआ।
  - राज्यपाल द्वारा अनुमति न दिये जाने के बाद तमिलनाडु विधानसभा ने विधेयकों को पुन: पारित कर वापस भेज दिया। राज्यपाल ने अनुमति देने या टिप्पणियों के साथ उन्हें वापस भेजने के बजाय उन्हें राष्ट्रपति के पास भेज दिया।
  - राज्य सरकार ने संवैधानिक उल्लंघन और शासन में

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

व्यवधान का हवाला देते हुए इस विलंब को चुनौती दी।

- **राज्य विधेयकों में राज्यपालों की भूमिका पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय:** सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा पुन: अधिनियमित विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजने को '**कानूनी रूप से त्रुटिपूर्ण**' बताया।
  - न्यायालय ने निर्णय सुनाया कि अनुच्छेद 200 के अंतर्गत '**पूर्ण वीटो**' या '**पॉकेट वीटो' की कोई अवधारणा नहीं** है तथा यह कहा कि राज्यपाल विधेयकों पर कार्रवाई को अनिश्चित काल तक विलंबित नहीं कर सकते।
    - सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि **राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह** मानने के लिये बाध्य हैं।
  - सर्वोच्च न्यायालय ने विधेयकों पर विचार करते समय **राज्यपालों के लिये स्पष्ट समय-सीमा निर्धारित** की है, जिसमें **एक माह के भीतर स्वीकृति रोकने, राज्य मंत्रिमंडल की सलाह के विरुद्ध कार्य करने पर तीन माह** तथा **पुनर्विचार के बाद पुन: प्रस्तुत किये गए विधेयकों के लिये एक माह का समय** दिया गया है।
- **राज्य विधेयकों में राष्ट्रपति की भूमिका पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय:**
  - सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि **अनुच्छेद 201 में राष्ट्रपति की मंज़ूरी के लिये कोई विशिष्ट समयसीमा नहीं** दी गई है, और इस तरह की विलंबित विधायी प्रक्रियाओं को रोक सकती है, जिससे **राज्य विधेयक 'अनिश्चित और अनिश्चित स्थगित'** हो सकते हैं।
  - इसने इस बात पर बल दिया कि निष्क्रियता सत्ता के प्रयोग में **मनमानी न करने के संवैधानिक सिद्धांत का उल्लंघन** करती है।
  - **समय सीमा:** सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि राष्ट्रपति अनिश्चित काल तक **स्वीकृति में विलंब करके 'पूर्ण वीटो' का प्रयोग नहीं कर सकते।** निर्णय **तीन महीने के भीतर किया जाना चाहिये** तथा किसी भी विलंब का कारण बताना चाहिये और राज्य को सूचित करना चाहिये।
    - **सहमति रोकने का कारण** ठोस और **विशिष्ट आधार पर** होना चाहिये, **मनमाने ढंग से नहीं** किया जाना चाहिये।
    - यदि राष्ट्रपति समय-सीमा के भीतर **कार्रवाई करने में विफल** रहते हैं, तो **राज्य** न्यायालय से **आदेश प्राप्त** करने के लिये रिट याचिकाएँ दायर कर सकते हैं।
    - इसके अतिरिक्त, **सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 143 के तहत, यदि राज्यपाल द्वारा किसी विधेयक को** असंवैधानिक होने के आधार पर सुरक्षित रखा जाता है, तो **राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय की राय लेनी चाहिये।**
- यद्यपि यह **अनिवार्य नहीं है,** फिर भी ऐसे मामलों में सर्वोच्च न्यायालय का संदर्भ अत्यधिक प्रेरक महत्त्व रखता है।
  - सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि **राज्यपाल के विपरीत, जिन्हें राज्य विधेयक को** वापस भेजे जाने के बाद दोबारा पारित किये जाने पर उसे मंज़ूरी देनी होती है, **राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत ऐसा करने के लिये बाध्य नहीं** हैं।
- ऐसा इसलिये है क्योंकि अनुच्छेद 201 केवल उन विशिष्ट मामलों में लागू होता है जहाँ राज्य के कानून के संभावित राष्ट्रीय निहितार्थ होते हैं।
  - **संदर्भ:** सर्वोच्च न्यायालय ने गृह मंत्रालय द्वारा जारी **वर्ष 2016 के कार्यालय ज्ञापन** का हवाला दिया, जिसमें राष्ट्रपति के लिये आरक्षित राज्य विधेयकों पर निर्णय लेने के लिये तीन महीने की समयसीमा निर्धारित की गई थी।
    - न्यायालय ने **सरकारिया आयोग (वर्ष 1988)** और **पुंछी आयोग (वर्ष 2010) की सिफारिशों को लागू किया,** जिनमें **आरक्षित विधेयकों पर समयबद्ध निर्णय** लेने की बात कही गई थी।
    - **पुंछी आयोग:** किसी राज्य की विधान सभा द्वारा पारित विधेयक के संबंध में **राज्यपाल को छह महीने के भीतर निर्णय लेना चाहिये** कि उसे स्वीकृति दी जाए या राष्ट्रपति के विचार के लिये आरक्षित रखा जाए।

राज्य विधेयकों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या हैं?

- **अनुच्छेद 200:**
  - जब **किसी राज्य की विधान सभा** (या विधान परिषद होने पर दोनों सदनों) द्वारा **कोई विधेयक** पारित कर दिया जाता है, तो उसे **अनुमोदन के लिये राज्यपाल के पास** भेजा जाना चाहिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **राज्यपाल के पास तीन विकल्प** हैं: विधेयक पर **अनुमति देना** (इसे अनुमोदित करना); **अनुमति न देना** (इसे अस्वीकार करना); **विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिये सुरक्षित रखना** (इसे अंतिम निर्णय के लिये राष्ट्रपति के पास भेजना)।
- **यदि विधेयक धन विधेयक नहीं** है, तो राज्यपाल **विधेयक को विधानमंडल** को इस संदेश के साथ वापस भेज सकते हैं कि वे **इस पर पुनर्विचार करें** या राज्यपाल द्वारा सुझाए गए किसी भी परिवर्तन को प्रस्तुत करें।
  - विधानमंडल द्वारा विधेयक पर पुनर्विचार करने और उसे पुन: पारित करने के बाद (संशोधनों के साथ या बिना संशोधनों के), **यदि विधेयक राज्यपाल के पास पुन: भेजा जाता है तो उसे उस पर अपनी सहमति देनी होगी।**
- **यदि विधेयक उच्च न्यायालय की शक्तियों को प्रभावित करता हो तो** राज्यपाल को उसे **राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित** रखना चाहिये।

अनुच्छेद 201:

- यदि राज्यपाल **राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक** भेजता है, तो **राष्ट्रपति के पास दो विकल्प** होते हैं: विधेयक पर **अनुमति देना** (अनुमोदन करना) **या अनुमति न देना** (अस्वीकार करना)।
- यदि **विधेयक धन विधेयक नहीं** है, **तो राष्ट्रपति विधेयक को राज्यपाल के पास** इस संदेश के साथ **वापस भेज सकता है** कि **विधानमंडल इस पर पुनर्विचार करे**, जैसा कि **राज्यपाल ने अनुच्छेद 200 में किया** था।
- राष्ट्रपति का संदेश प्राप्त होने की तिथि से **छह माह के भीतर विधानमंडल को विधेयक पर पुनर्विचार** करना होगा।
- यदि विधानमंडल विधेयक को **पुन: पारित** कर देता है (परिवर्तनों के साथ या बिना परिवर्तन के), तो विधेयक को **अंतिम अनुमोदन के लिये राष्ट्रपति के पास** वापस भेज दिया जाता है।

राज्य विधेयकों में राष्ट्रपति और राज्यपाल की भूमिका पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के क्या निहितार्थ हैं?

सकारात्मक प्रभाव:

- **शासन में जवाबदेही को मज़बूत करना:**
  - राज्यपालों और राष्ट्रपति को राज्य विधेयकों पर उचित समय के भीतर कार्रवाई करने का सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश **लोकतांत्रिक जवाबदेही को सुदृढ़ करता है।**
    - इससे यह सुनिश्चित होता है कि **निर्वाचित प्रतिनिधियों** को अनावश्यक विलंब से परेशानी न हो, जिससे विधायी प्रक्रिया अधिक कुशल बन जाती है।
  - **संवैधानिक प्रावधान,** विशेषकर **अनुच्छेद 200 और 201,** विधेयकों पर कार्यकारी निर्णयों के लिये एक संरचना प्रदान करते हैं तथा संवैधानिक पदाधिकारियों के कामकाज़ में पारदर्शिता सुनिश्चित करते हैं।
- **संघीय कार्यढाँचे का संरक्षण:**
  - यह सुनिश्चित करके कि **राज्यपाल अनिश्चित काल तक सहमति नहीं रोक सकते,** सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय **संघीय संतुलन की पुष्टि** करता है तथा राज्य विधायी कार्यों पर **केंद्र के अनुचित प्रभाव** डालने की संभावना को कम करता है।
    - यह निर्णय **राजनीतिक उद्देश्यों के लिये गवर्नर की शक्तियों के दुरुपयोग पर रोक** लगाने का काम कर सकता है।
  - **अनुच्छेद 200** में यह **प्रावधान** है कि **राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों को या तो स्वीकृत कर दिया जाएगा** या **राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखा जाएगा,** जिससे राज्य विधानसभाओं की स्वायत्तता सुरक्षित रहेगी।
- **विधायी स्वतंत्रता में वृद्धि:**
  - यह निर्णय **कार्यपालिका (राज्यपाल) के अतिक्रमण को रोकता है,** तथा यह सुनिश्चित करता है कि **राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों को बिना उचित कारण के अवरुद्ध नहीं किया जा सकेगा।**
    - यह **शक्तियों के पृथक्करण** को कायम रखता है, जो संविधान का एक मुख्य सिद्धांत है (***इंदिरा गांधी***

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

बनाम राज नारायण केस मामले, 1975 में मूल संरचना घोषित किया गया) और यह सुनिश्चित करता है कि **कार्यपालिका शाखा विधायिका को अनुचित रूप से प्रभावित न करे।**

- **कानून बनाने का अधिकार अब अधिक सुरक्षित** हो गया है, जिससे राज्य सरकारों को राज्यपाल कार्यालय के अनावश्यक हस्तक्षेप के बिना अपने नीतिगत एजेंडे को क्रियान्वित करने का अधिकार मिल गया है।

- **सुरक्षा के रूप में न्यायिक निगरानी:**
  - सर्वोच्च **न्यायालय का हस्तक्षेप** यह सुनिश्चित करता है कि **राज्यपाल और राष्ट्रपति मनमाने ढंग से कार्य न करें** तथा **जहाँ आवश्यक हो वहाँ न्यायिक जाँच** (*परमादेश* रिट) उपलब्ध कराता है।
    - यह कार्यपालिका द्वारा की जाने वाली **कार्रवाई की समयबद्धता** को स्पष्ट करता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि **संवैधानिक नैतिकता कायम रहे।**
  - **अनुच्छेद 200 और 201** को बरकरार रखते हुए, इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि **कार्यपालिका को लोकतांत्रिक और संघीय सिद्धांतों के अनुरूप कार्य करना चाहिये,** तथा *रामेश्वर प्रसाद मामले* (वर्ष 2006) **में सर्वोच्च न्यायालय ने पुष्टि की** है कि **राज्यपाल की अनुमति रोकने की शक्ति, यदि मनमाने ढंग से प्रयोग की जाती है, तो न्यायिक समीक्षा के अधीन है।**

नकारात्मक प्रभाव:

- **कार्यकारी कार्यों में न्यायिक हस्तक्षेप:**
  - राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिये समयसीमा निर्धारित करने में **सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप** को **न्यायिक अतिक्रमण** के रूप में देखा जा सकता है, जो संभवत: **शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन** करता है।
    - निर्दिष्ट समय के भीतर कार्रवाई को अनिवार्य बनाने से, न्यायालय को **कार्यकारी और संवैधानिक कार्यों में हस्तक्षेप** करने के रूप में देखा जा सकता है, जो मूल रूप से न्यायिक नियंत्रण से परे थे।
    - **अनुच्छेद 212** के प्रकाश में, **विधायी कार्यवाही न्यायिक जाँच से मुक्त है।** चूँकि **कानून बनाने में राज्यपाल की भूमिका** इस प्रक्रिया का हिस्सा है, इसलिये **यह भी इसी तरह संरक्षित है।** राज्यपाल की जो भूमिका कानून बनाने की प्रक्रिया में होती है, वह भी संविधान द्वारा सुरक्षित है। इसलिये यदि न्यायपालिका राज्यपाल या राष्ट्रपति को किसी कार्य के लिये समयसीमा तय करने का निर्देश देती है, तो यह **'न्यायिक अतिक्रमण'** (अर्थात् न्यायपालिका का अपनी सीमा से बाहर जाकर दखल देना) माना जा सकता है।
  - आलोचकों का तर्क है कि **राज्यपाल का विवेकाधिकार,** विशेष रूप से विवादास्पद मुद्दों से जुड़े मामलों में, **न्यायिक समयसीमा के अधीन नहीं होना चाहिये,** क्योंकि इससे **कार्यालय की स्वतंत्रता बाधित** हो सकती है।

- **संवैधानिक कार्यालय को कमज़ोर करना:**
  - **सर्वोच्च न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने संविधान को प्रभावी ढंग से पुन: लागू किया** तथा इसमें वे शर्तें लगा दीं, जिन्हें संविधान निर्माताओं ने जानबूझकर टाला था।
  - **अनुच्छेद 142** का आह्वान करके, न्यायालय ने **राज्यपाल और राष्ट्रपति की भूमिकाओं को न्यायिक जाँच के अधीन** कर दिया है, जिससे राष्ट्रपति के खिलाफ रिट जारी करने की अनुमति मिल गई है, जो मूल संवैधानिक संरचना के विपरीत है।
  - यह निर्णय इन संवैधानिक पदों की **स्वतंत्रता और निष्पक्षता को कमज़ोर करता है,** जिनका उद्देश्य राजनीतिक दबावों से ऊपर उठकर कार्य करना था।
  - इस निर्णय से **राज्यपाल और राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियों** में न्यायिक हस्तक्षेप का खतरा उत्पन्न हो गया है, जिससे उनकी स्वायत्तता खत्म हो सकती है तथा संविधान में **शक्ति संतुलन में बदलाव** आ सकता है।

- **शक्ति पृथक्करण को कमज़ोर करना:**
  - सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णय ने **राज्यपाल और राष्ट्रपति** पर विधेयकों पर सहमति के लिये निश्चित समयसीमा लागू करके **संविधान में प्रभावी संशोधन** किया है। यह **अनुच्छेद 200** और **अनुच्छेद 201** के

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

प्रक्रियात्मक कार्यढाँचे को बदल देता है, जो परंपरागत रूप से इन संवैधानिक **कार्यालयों को विवेकाधिकार की अनुमति** देता था।

- ऐसा करके न्यायालय ने संसद द्वारा निर्धारित मूल प्रक्रियाओं को संशोधित करते हुए **अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन** करने की **संसद की शक्ति का अतिक्रमण** किया है।

- **विवाद और समस्या का कारण बनना:**
  - सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने **विधायी मामलों में न्यायिक निगरानी** की शुरुआत की है, जिसके परिणामस्वरूप **केंद्र-राज्य विवादों और विवेकाधीन शक्तियों से संबंधित इसी प्रकार के मामलों में वृद्धि** हो सकती है, जैसा कि केरल, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना एवं पंजाब जैसे राज्यों में हुआ, जहाँ राज्यपालों ने विधेयकों को अनुमोदन देने में विलंब किया है।
  - इससे पहले से ही **बोझ से दबी न्यायपालिका** (सर्वोच्च न्यायालय में 80,000 से अधिक लंबित मामले) **पर अतिरिक्त भार** पड़ सकता है, जिससे **अधिक आवश्यक कानूनी मुद्दों से ध्यान हट सकता है** और विधायी कार्यों में न्यायिक हस्तक्षेप के लिये एक मिसाल कायम हो सकती है।

राज्य विधेयकों में राज्यपाल की भूमिका के संबंध में संरचनात्मक उपाय क्या हो सकते हैं?

- **राज्यपालों के लिये महाभियोग प्रक्रिया:** वर्तमान में, राज्यपालों को केवल **राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है,** जो **राज्य-स्तरीय जवाबदेही को सीमित करता है।**
  - पुंछी आयोग ने जवाबदेही में सुधार के लिये राज्य स्तर पर महाभियोग प्रक्रिया *(यथोचित परिवर्तनों सहित)* शुरू करने का सुझाव दिया।
  - इसके अतिरिक्त, ***बीपी सिंघल बनाम भारत संघ मामले (वर्ष 2010)*** में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में इस बात पर ज़ोर दिया गया कि **राज्यपाल को हटाने का निर्णय वैध कारणों पर आधारित** होना चाहिये, ताकि प्रक्रिया में निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके।

- **अनुच्छेद 163 में संशोधन:** अनुच्छेद 163 **राज्यपालों को विवेकाधीन शक्तियाँ** प्रदान करता है, जिससे कभी-कभी राजनीतिक पूर्वाग्रह उत्पन्न हो सकता है।
  - संशोधन द्वारा यह स्पष्ट किया जा सकता है कि **इन शक्तियों का प्रयोग केवल असाधारण परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिये,** जो सीधे राष्ट्रीय हित या संवैधानिक अखंडता को प्रभावित करती हों, **जिससे दुरुपयोग की गुंजाइश कम हो जाएगी।**

- **राज्यपाल के आचरण की आवधिक समीक्षा: न्यायिक आयोगों के माध्यम से आवधिक समीक्षा प्रणाली** स्थापित करने से यह आकलन किया जा सकता है कि राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग किस प्रकार करते हैं।
  - इससे यह सुनिश्चित होगा कि **उनके कार्य संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप** हों, राज्य शासन में **हस्तक्षेप न्यूनतम** हो तथा **पारदर्शिता बढ़े।**

- **राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिये स्पष्ट दिशानिर्देश:** दुरुपयोग से बचने के लिये, **राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करने में राज्यपाल के विवेक को वस्तुनिष्ठ मानदंडों द्वारा सख्ती से निर्देशित** किया जाना चाहिये और न्यायिक समीक्षा के अधीन होना चाहिये, जैसा कि एस.आर. बोम्मई मामले **(वर्ष 1994)** में ज़ोर दिया गया था।
  - सरकारिया आयोग **ने सिफारिश की थी कि यह अंतिम उपाय** होना चाहिये तथा इसका प्रयोग तभी किया जाना चाहिये **जब अन्य सभी संवैधानिक उपचार समाप्त हो गए हों।**

- **मंत्रिपरिषद की सलाह की प्रधानता:**
  - ***शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य मामले (वर्ष 1974)*** में, सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि **राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना चाहिये,** सिवाय उन परिस्थितियों को छोड़कर जहाँ संविधान स्पष्ट रूप से राज्यपाल को अपने विवेक से कार्य करने की अपेक्षा करता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- वर्तमान निर्णय में भी यही रुख दोहराया गया है, जिसमें इस बात पर बल दिया गया है कि **राज्यपाल के कार्य निर्वाचित सरकार की सलाह के अनुरूप** होने चाहिये, **ताकि लोकतांत्रिक शासन और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।**

निष्कर्ष

स्वीकृति प्रक्रिया में **राज्यपाल और राष्ट्रपति की भूमिका** पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय **लोकतांत्रिक जवाबदेही को सुदृढ़ करता** है, लेकिन **न्यायिक अतिक्रमण एवं शक्तियों के पृथक्करण के संदर्भ में चिंताएँ** बढ़ाता है। यद्यपि **यह विधायी दक्षता को बढ़ाता है,** फिर भी **संवैधानिक कार्यालयों की स्वतंत्रता के साथ जवाबदेही को संतुलित करना महत्त्वपूर्ण** है।

भविष्य के सुधारों में **राज्यपालों के लिये महाभियोग प्रक्रिया** शुरू करने, **विवेकाधीन शक्तियों के दायरे** को स्पष्ट करने और **पारदर्शिता और संवैधानिक संतुलन** सुनिश्चित करने के लिये **समीक्षा तंत्र स्थापित करने पर ध्यान** केंद्रित किया जाना चाहिये।

भारत-चीन संबंधों की बदलती दिशा एवं विकास

यह एडिटोरियल 21/04/2025 को हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित "India-China relations at 75: An uncertain thaw" पर आधारित है। इस लेख में भारत-चीन संबंधों में लगातार संरचनात्मक चुनौतियों का उल्लेख किया गया है, जिसमें LAC से जुड़े अनसुलझे विवाद और रणनीतिक अविश्वास शामिल हैं। भले ही दोनों देशों के बीच 75 वर्षों से राजनयिक संबंध बने हुए हैं, फिर भी आज भी वैश्विक परिस्थितियों में हो रहे बदलावों के बीच तनाव बना हुआ है।

हाल ही में कूटनीतिक गर्मजोशी के बावजूद, **भारत-चीन संबंध संरचनात्मक समस्याओं से बुनियादी रूप से चुनौतीपूर्ण** बने हुए हैं। वर्ष 2020 के **उल्लंघनों के बाद** अधूरे डी-एस्केलेशन के साथ LAC पर अनसुलझे सीमा विवाद, एक फ्लैशपॉइंट बना हुआ है। अमेरिका के साथ भारत की बढ़ती साझेदारी के संदर्भ में चीन की चिंताएँ, इसे **'रणनीतिक स्वायत्तता' को त्यागने के रूप** में देखते हुए, द्विपक्षीय संबंधों को और जटिल बनाती हैं। भले ही दोनों देश अप्रैल 2025 में **राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे कर रहे हों,** लेकिन ये निरंतर मुद्दे यह सुनिश्चित करते हैं कि **वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच तनाव उनके संबंधों को परिभाषित करना जारी** रखेगा।

भारत और चीन के बीच सकारात्मक विकास के प्रमुख क्षेत्र कौन-से हैं?

- **राजनयिक वार्ता की बहाली:** वर्ष 2020 के बाद तनावपूर्ण संबंधों के बावजूद, दोनों देशों ने तनाव को प्रबंधित करने और वृद्धि को रोकने के लिये **संवाद तंत्र को पुनर्जीवित किया** है।
  - **विशेष प्रतिनिधि (SR) तंत्र** जैसी संरचित वार्ता का पुनरुद्धार, राजनयिक सामान्य स्थिति बहाल करने में आपसी रुचि को दर्शाता है।
    - **23वीं SR बैठक (दिसंबर 2024) 5 वर्ष के अंतराल के बाद पुनः शुरू** हुई।
  - रचनात्मक संलग्नता अब केवल सैन्य रुख के बजाय राजनीतिक परिप्रेक्ष्य पर केंद्रित है।
- **LAC पर गश्त समझौता:** भारत और चीन LAC के टकराव बिंदुओं पर **विनियमित गश्त पर एक सीमित लेकिन महत्त्वपूर्ण समझौते** पर पहुँचे।
  - हालाँकि **पूर्ण तनाव कम होना अभी बाकी** है, लेकिन यह टकराव से प्रबंधन की ओर बदलाव को दर्शाता है। यह कदम आकस्मिक संघर्ष के जोखिम को कम करने के उद्देश्य से एक सामरिक बदलाव को दर्शाता है।
    - **अक्तूबर 2024** में, दोनों पक्षों ने कई फ्लैशपॉइंट्स पर गश्त प्रोटोकॉल पर सहमति व्यक्त की, जिससे गलवान (वर्ष 2020) **के बाद से चार वर्ष का गतिरोध टूट गया।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **भारतीय विदेश मंत्री** ने हाल ही में दोहराया कि ***"सीमा पर शांति और सौहार्द पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता"*** और वर्ष 2020 के बाद संबंधों का पुनर्निर्माण 'पारस्परिक हित' में है।

- **लोगों के बीच आदान-प्रदान:** वर्षों के व्यवधान के बाद, दोनों देशों ने तनावपूर्ण संबंधों को सुधारने के लिये **सांस्कृतिक और पारस्परिक जुड़ाव को पुनर्जीवित करने का काम** किया है।
  - सामाजिक स्तर पर विश्वास को पुन: स्थापित करने के लिये **वीज़ा, तीर्थयात्रा वार्ता और शैक्षणिक संपर्क** बहाल किये जा रहे हैं।
  - उदाहरण के लिये, चीन ने जनवरी-अप्रैल वर्ष 2025 के दौरान **भारतीय नागरिकों को 85,000 से अधिक वीज़ा** जारी किये हैं। साथ ही, कैलाश मानसरोवर यात्रा वर्ष 2025 के तौर-तरीकों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
- **तनाव के बावजूद व्यापार निरंतरता:** यद्यपि भू-राजनीतिक संघर्ष कायम है, **द्विपक्षीय व्यापार लचीला** बना हुआ है, जो मज़बूत आर्थिक अंतरनिर्भरता दर्शाता है।
  - भारत ने **चीन से पूरी तरह अलग हुए बिना गलवान के बाद** आर्थिक प्रतिक्रिया को संतुलित किया है, जो व्यावहारिकता का संकेत है। आर्थिक संबंध रणनीतिक प्रतिस्पर्द्धा को रोकने के लिये एक बफर के रूप में काम करते हैं।
  - उदाहरण के लिये, **वित्त वर्ष 2024** में भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार **118.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया।** तकनीकी आयात पर अंकुश के बावजूद चीन भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना हुआ है।
- **जलवायु और वैश्विक विकास मुद्दे:** दोनों **राष्ट्र जलवायु न्याय, हरित वित्तपोषण और दक्षिण-दक्षिण सहयोग** की आवश्यकता पर सहमत हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **पश्चिमी देशों के कार्बन टैरिफ और वैश्विक जलवायु शासन में असमानताओं** के संदर्भ में साझा चिंताएँ नीतिगत अभिसरण का क्षेत्र बनाती हैं। इससे **बहुपक्षीय जलवायु मंचों पर चीन के साथ भारत का नेतृत्व** बढ़ता है।
- उदाहरण के लिये, भारत और चीन ने अनुचित प्रतिस्पर्द्धा और आर्थिक प्रभाव संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए **COP29 में यूरोपीय संघ के कार्बन सीमा कर के खिलाफ एकजुट** हुए।

भारत और चीन के बीच विवाद के प्रमुख क्षेत्र कौन-से हैं?

- **चीन की 'ICAD' रणनीति (अवैध, बलपूर्वक, आक्रामक, भ्रामक):** बीजिंग की संकर रणनीति—**मानचित्रण आक्रामकता, जल-राजनीति और बुनियादी अवसंरचना का निर्माण,** ज़मीनी तथ्यों को बदलने के लिये एक **मुखर ICAD सिद्धांत** को दर्शाता है। भारत इसे **क्षेत्रीय संप्रभुता के लिये एक उद्देश्यपूर्ण चुनौती** के रूप में देखता है।
  - उदाहरण के लिये, चीन ने **अरुणाचल प्रदेश में 30 स्थानों के नाम बदलकर चीनी और तिब्बती** नाम रख दिये हैं, जो कि पूर्वोत्तर भारतीय राज्य पर अपना दावा जताने का उसका निरंतर प्रयास है।
    - इसके अलावा, **चीन अरुणाचल सीमा के पास यारलुंग-त्सांगपो** पर एक विशाल बांध बनाने की योजना बना रहा है।
- **चीन-पाकिस्तान गठजोड़ और CPEC:** चीन की पाकिस्तान के साथ बढ़ती रणनीतिक साझेदारी, विशेष रूप से **चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) के माध्यम से, PoK में भारत के संप्रभुता के दावों का सीधे तौर पर उल्लंघन** करती है और दो मोर्चों पर सुरक्षा चिंताओं को बढ़ाती है।
  - CPEC **गिलगित-बाल्टिस्तान** से होकर गुजरता है। इसके अलावा, **ग्वादर बंदरगाह में चीन की मौजूदगी और पाकिस्तान को हथियारों का अंतरण** भारतीय सुरक्षा हलकों के लिये चिंता का विषय बना हुआ है।
- **व्यापार असंतुलन और आर्थिक निर्भरता:** भारत को चीन के साथ बड़े पैमाने पर **व्यापार घाटे का सामना** करना पड़ रहा है, जिससे आर्थिक कमज़ोरी उत्पन्न हो रही है। भू-राजनीतिक जोखिमों के बावजूद चीनी तकनीक एवं हार्डवेयर पर निर्भरता बनी हुई है।
  - उदाहरण के लिये, **भारत ने वित्तीय वर्ष 2024-25** में **चीन के साथ 99.2 बिलियन डॉलर का व्यापार घाटा** दर्ज किया है।
- **सीमा विवाद और LAC सैन्यीकरण:** अनसुलझा सीमा विवाद **केंद्रीय दोष** बना हुआ है, LAC पर प्रोटोकॉल के बार-बार उल्लंघन से विश्वास कम हो रहा है।
  - भागों में विघटन के बावजूद, पूर्ण **डी-एस्केलेशन और डी-इंडक्शन** नहीं हुआ है। चीन की **ग्रे-ज़ोन रणनीति ने टकराव के क्षेत्र का विस्तार** किया है।
- **दक्षिण एशिया और समुद्री प्रतिस्पर्द्धा: BRI परियोजनाओं और बंदरगाह अवसंरचना के माध्यम से भारत के पड़ोस** में चीन की बढ़ती उपस्थिति भारत की क्षेत्रीय प्रधानता को चुनौती देती है। इससे **दक्षिण एशिया एवं IOR में सीधी प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा** मिलता है।
  - **चीन ने श्रीलंका, पाकिस्तान और मालदीव** में बंदरगाहों में निवेश किया है। उदाहरण के लिये, हंबनटोटा बंदरगाह का बीजिंग द्वारा पट्टा और **मालदीव के साथ सैन्य समझौता** बढ़ती निकटता का संकेत है।
- **रणनीतिक गठबंधन की धारणा: चीन भारत के अमेरिका और क्वाड** के साथ बढ़ते संबंधों को **'रणनीतिक स्वायत्तता'** से दूर जाने के रूप में देखता है। यह **भारत के इंडो-पैसिफिक गठबंधन को नियंत्रण** के रूप में देखता है।
  - इसके अलावा, **फरवरी 2024 में भारत द्वारा ताइवान के साथ श्रम गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर करने** से चीन का ध्यान आकर्षित हुआ, जो इस तरह के समझौतों को संवेदनशीलता के साथ देखता है।

चीन भारत की आपूर्ति शृंखलाओं में किस प्रकार महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है?

- **हाई-टेक हार्डवेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स:** भारत महत्त्वपूर्ण हार्डवेयर इनपुट के लिये चीन पर बहुत अधिक निर्भर है, विशेषकर **इलेक्ट्रॉनिक्स और IT क्षेत्रों** में, जो आपूर्ति शृंखला संप्रभुता को कमज़ोर करता है। यह **निर्भरता बीजिंग से रणनीतिक रूप से अलग होने की भारत की क्षमता** को बाधित करती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- उदाहरण के लिये, **अप्रैल और अगस्त 2024 के दौरान चीन से भारत में आयात लगभग 11% बढ़कर** 46.6 बिलियन डॉलर हो गया, जो मुख्य रूप से **कंप्यूटर, दूरसंचार उपकरण और घटकों पर आधारित** है।

- **सक्रिय औषधीय अवयव (API):** फार्मा हब होने के बावजूद, भारत अपनी अधिकांश **थोक दवाओं और मध्यवर्ती सामग्रियों का आयात चीन से** करता है, जिससे इसका स्वास्थ्य क्षेत्र भू-राजनीतिक व्यवधान के प्रति संवेदनशील हो जाता है।
  - उदाहरण के लिये, **भारत पिछले कई वर्षों से अपनी थोक दवाओं और औषधि मध्यवर्ती सामग्रियों की कुल आपूर्ति** का **औसतन 68% हिस्सा** प्रतिवर्ष चीन से आयात करता रहा है।
- **अक्षय ऊर्जा आपूर्ति शृंखला:** भारत का हरित परिवर्तन **सौर और बैटरी विनिर्माण में चीनी प्रभुत्व पर निर्भर** करता है, जो इसकी स्वच्छ ऊर्जा स्वायत्तता को सीमित करता है। यह राष्ट्रीय जलवायु लक्ष्यों को भी प्रभावित करता है।
  - उदाहरण के लिये, **सत्र 2023-24** में भारत ने **7 बिलियन अमेरिकी डॉलर** मूल्य के **सौर उपकरण** आयात किये, जिसमें से **62.6% की आपूर्ति** चीन द्वारा की गई।
- **भारी मशीनरी और पूंजीगत सामान:** भारत के बुनियादी अवसंरचना और विनिर्माण क्षेत्र अभी भी प्रमुख **पूंजीगत सामान एवं मशीनरी** चीन से खरीदते हैं, जिससे **'मेक इन इंडिया' के तहत प्रयास** धीमे हो रहे हैं।
  - उदाहरण के लिये, मशीनरी क्षेत्र में चीन का योगदान 19 बिलियन डॉलर है, जो **इस क्षेत्र में भारत के आयात का 39.6%** है।

चीन के साथ रणनीतिक संबंध मज़बूत करने के लिये भारत क्या उपाय अपना सकता है?

- **स्थायी सीमा स्थिरता और विश्वास-निर्माण तंत्र की स्थापना:** भारत को एक **समर्पित संस्थागत तंत्र का प्रस्ताव करना चाहिये** जो पूरी तरह से सीमा स्थिरता के प्रबंधन और **सैन्य-से-सैन्य पूर्वानुमान को बढ़ावा देने पर केंद्रित** हो।
  - यह WMCC के समानांतर कार्य कर सकता है, लेकिन इसमें एक स्थायी सचिवालय और **मौसमी विवाद निवारण, रसद समन्वय एवं पूर्व चेतावनी प्रणालियों पर विशेषज्ञ कार्य** समूह होंगे।
  - इस तरह की **सक्रिय व्यवस्था, टकराव के समय पूर्वानुमानित संलग्नता** सुनिश्चित करेगी, आकस्मिक वृद्धि के जोखिम को कम करेगी तथा संकट कूटनीति को मज़बूत करेगी।
- **तटस्थ क्षेत्रों में आपूर्ति शृंखला अवसंरचना का सह-विकास:** पूरी तरह से अलग होने के बजाय, भारत **तीसरे देश के आर्थिक क्षेत्रों में (विशेष रूप से अफ्रीका या दक्षिण पूर्व एशिया** में) संयुक्त रूप से लॉजिस्टिक्स हब, कृषि-प्रसंस्करण इकाइयों या डिजिटल अवसंरचना का विकास करने के लिये चीन के साथ जुड़ सकता है।
  - सहयोग का यह तटस्थ क्षेत्र **दोनों शक्तियों को गैर-विवादास्पद भौगोलिक क्षेत्रों में आपसी हित** बनाने की अनुमति देगा, जिससे द्विआधारी प्रतिस्पर्द्धा कम होगी।
  - यह **नियम-आधारित विकास मॉडल** में भी योगदान देता है जिसे **BRICS या G77 के माध्यम से बहुपक्षीय** बनाया जा सकता है।
- **रणनीतिक स्वायत्तता वार्ता ट्रैक को संस्थागत बनाना:** भारत को चीन के साथ **ट्रैक 1.5 रणनीतिक स्वायत्तता वार्ता** शुरू करनी चाहिये, जो गुट-केंद्रित राजनीति से दूर, **बहुध्रुवीय विश्व और बहुध्रुवीय एशिया के लिये दृष्टिकोण को संरेखित करने पर केंद्रित** हो।
  - इस वार्ता से दीर्घकालिक धारणाओं, क्षेत्रीय व्यवस्था कार्यढाँचे और **रणनीतिक हेजिंग मॉडलों पर विचार** किया जा सकता है, जो शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व सुनिश्चित कर सकें।
  - शिक्षाविदों, सेवानिवृत्त राजनयिकों और नीति सलाहकारों को इसमें शामिल करके, यह विशेष रूप से हिंद-प्रशांत क्षेत्र में **उद्देश्यों की पूर्व-समझ को बढ़ावा** देता है।
- **द्विपक्षीय हरित संक्रमण और ऊर्जा सुरक्षा संधि का शुभारंभ:** भारत विशेष रूप से ग्लोबल साउथ के लिये स्वच्छ

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

ऊर्जा निवेश, बैटरी भंडारण सहयोग और जलवायु-अनुकूल बुनियादी अवसंरचना पर संरेखित करने के लिये एक **संयुक्त हरित संक्रमण कार्यढाँचे का प्रस्ताव** कर सकता है।

- इससे रणनीतिक भागीदारी को **गैर-शून्य-योग कार्यढाँचे में स्थापित** किया जा सकेगा, जहाँ दोनों देश अपने-अपने बदलावों को आगे बढ़ाते हुए वैश्विक समाधानों का सह-निर्माण करेंगे।
- समझौते में **विवाद-मुक्त प्रौद्योगिकी-साझाकरण तंत्र भी शामिल होना चाहिये** तथा स्थायित्व पर **सार्वजनिक-निजी सहयोग को प्रोत्साहित** किया जाना चाहिये।

- **समन्वित हिंद-प्रशांत समुद्री वार्ता का प्रस्ताव:** समुद्री असुरक्षा को कम करने के लिये, भारत **द्विपक्षीय हिंद-प्रशांत समुद्री विश्वास-निर्माण वार्ता** शुरू कर सकता है, जो नेविगेशन की स्वतंत्रता, अंतरराष्ट्रीय अपराध, आपदा प्रबंधन एवं समुद्री पारिस्थितिकी जैसे मुद्दों पर केंद्रित होगी।
  - यह सैन्य दृष्टीकोण से आगे बढ़कर **साझा जल क्षेत्र में सह-अस्तित्व के लिये कार्यात्मक मानदंड** निर्धारित करने में मदद करेगा।
  - यह टकराव के बजाय **समावेशी समुद्री प्रशासन को बढ़ावा** देने में भारत के नेतृत्व का भी संकेत देता है।
- **उभरती प्रौद्योगिकियों और AI एथिक्स के लिये भारत-चीन परिषद की स्थापना:** जैसे-जैसे **AI, जैव प्रौद्योगिकी और क्वांटम कंप्यूटिंग** विकसित हो रही है, **भारत जिम्मेदार प्रौद्योगिकी शासन के लिये द्विपक्षीय परिषद** बनाने में अग्रणी भूमिका निभा सकता है।
  - यह परिषद दोहरे उपयोग वाली प्रौद्योगिकियों में **नीतिगत सामंजस्य, नैतिक कार्यढाँचे और साइबर सुरक्षा मानदंडों** को सुगम बना सकती है।
  - प्रौद्योगिकी से संबंधित सुरक्षा-व्यवस्था बनाने से गलत धारणाओं से बचने में मदद मिलेगी तथा वैश्विक दक्षिण के लिये **डिजिटल मानदंडों को आकार देने में साझा नेतृत्व को प्रोत्साहित** किया जा सकेगा।
- **ब्लू-इकॉनमी और तटीय अनुकूलन परियोजनाओं में संयुक्त निवेश:** भारत और चीन मात्स्यिकी, समुद्री संरक्षण, तटीय अनुकूलन और बंदरगाह सुरक्षा में संयुक्त परियोजनाएँ शुरू करने के लिये **हिंद महासागर रिम में विशिष्ट तटीय क्षेत्रों का अभिनिर्धारण** कर सकते हैं।
  - इससे संप्रभुता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ब्लू-इकॉनमी के क्षेत्र में **कार्यात्मक सहयोग का निर्माण** होगा।
  - **साझा कमज़ोरियों** (जैसे: जलवायु परिवर्तन, अत्यधिक मत्स्यन) पर ध्यान केंद्रित करने से महासागरीय क्षेत्र को संघर्ष के रंगमंच से **सहकारी प्रबंधन के रंगमंच** में बदलने में मदद मिल सकती है।
- **वित्तीय और विकास संस्थानों में बहुपक्षीय समन्वय का विस्तार:** भारत को न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) या एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (AIIB) जैसे मंचों के माध्यम से **दक्षिण-दक्षिण विकास पहलों के सह-वित्तपोषण** में चीन को शामिल करना चाहिये।
  - इससे संवेदनशील क्षेत्रों में **स्वच्छ जल, स्वास्थ्य प्रणाली और डिजिटल बुनियादी अवसंरचना** जैसे **'संयुक्त वैश्विक वस्तुओं'** का निर्माण संभव हो सकेगा।
  - ऐसे क्षेत्रों में साझा नेतृत्व से **द्विपक्षीय संघर्ष की भावना खत्म** हो जाएगी तथा ध्यान साझा जिम्मेदारियों पर केंद्रित हो जाएगा।

निष्कर्ष:

यद्यपि बुनियादी चुनौतियाँ बनी हुई हैं, **भारत-चीन संबंध धीरे-धीरे टकराव से सतर्क जुड़ाव की ओर** बढ़ रहे हैं। **जलवायु कार्रवाई, व्यापार व्यावहारिकता और क्षेत्रीय स्थिरता** जैसे अभिसरण के क्षेत्रों का लाभ उठाकर दोनों देश वृद्धिशील विश्वास का निर्माण कर सकते हैं। **कूटनीतिक धैर्य, रणनीतिक स्वायत्तता और सहकारी बहुपक्षवाद** महत्त्वपूर्ण बने हुए हैं। एक **संतुलित, हित-आधारित दृष्टिकोण** एशिया में एक स्थायी एवं नियम-आधारित संतुलन सुनिश्चित कर सकता है।

■■■

विकास इंजन के रूप में भारतीय शहर

यह एडिटोरियल 21/04/2025 को हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित "Urban development must shed

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

masterplan system" पर आधारित है। इस लेख में भारतीय शहरीकरण के विकास को दर्शाया गया है— स्वतंत्रता के बाद के सीमित औद्योगिक केंद्रों से लेकर उदारीकरण के बाद के ऐसे विकास केंद्रों तक, जो क्षेत्रीय विकास को आगे बढ़ा रहे हैं।

स्वतंत्रता के बाद के भारत में **प्रारंभिक शहरीकरण केवल औद्योगीकरण पर आधारित** था, जिससे ऐसे आर्थिक केंद्र बने जो **अलग-थलग** थे और जिनके **क्षेत्रीय संपर्क कमज़ोर** थे। हाल के उदारीकरण ने प्रमुख शहरों को **'विकास केंद्रों' में बदल** दिया है जो आसपास के क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देते हैं, **सघन श्रम बाज़ारों और विशेष आपूर्ति शृंखलाओं के साथ उत्पादक शहरी समूहों का निर्माण** करते हैं। वर्ष 2024 के **केंद्रीय बजट ने आर्थिक विकास को गति देने के लिये भारत के 474 शहरी समूहों** की क्षमता को पहचानते हुए इस सिटी-ऐज़-ग्रोथ-हब कॉन्सेप्ट **को औपचारिक रूप** दिया। हालाँकि, इन केंद्रों को मिश्रित भूमि उपयोग नियोजन, अधूरे परिवहन नेटवर्क, खंडित उपयोगिताओं और राजस्व सृजन में **महत्त्वपूर्ण चुनौतियों** का सामना करना पड़ता है।

भारतीय शहर क्षेत्रीय विकास के इंजन के रूप में किस प्रकार काम करते हैं?

- **क्षेत्रीय क्लस्टरों और उपग्रह शहरों का उदय:** उपग्रह शहरों और शहरी समूहों का विकास **मेट्रो शहरों के क्षेत्रीय आर्थिक प्रभाव** को बढ़ा रहा है।
  - **दिल्ली NCR और बेंगलुरु के परिधीय शहरों** जैसे क्षेत्रों में **आर्थिक वृद्धि** देखा गया है, जिससे आसपास के क्षेत्र गतिशील व्यापार केंद्रों में बदल गए हैं।
  - उदाहरण के लिये, **दिल्ली NCR में नोएडा और ग्रेटर नोएडा** जैसे क्षेत्र औद्योगिक पावरहाउस बन गए हैं।
- **ज्ञान और नवाचार पारिस्थितिकी:** भारत के शहरी क्षेत्र **नवाचार एवं ज्ञान-संचालित विकास को बढ़ावा** दे रहे हैं तथा विश्वविद्यालय, अनुसंधान केंद्र और प्रौद्योगिकी पार्क **विकास के केंद्र** के रूप में उभर रहे हैं।
  - **पुणे, हैदराबाद और चेन्नई** जैसे शहर अनुसंधान एवं विकास तथा स्टार्टअप के लिये समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र विकसित कर रहे हैं।
  - उदाहरण के लिये, हैदराबाद की जीनोम वैली, **जहाँ 200 से अधिक बायोटेक कंपनियाँ** स्थित हैं, जीव विज्ञान नवाचार के लिये एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित है, जो **क्षेत्रीय आर्थिक विकास** में महत्त्वपूर्ण योगदान दे रहा है।
- **मेट्रो शहरों में सेवा-आधारित आर्थिक विकास:** भारत के मेट्रो शहर, विशेषकर **बेंगलुरु, दिल्ली और हैदराबाद,** सेवा-आधारित आर्थिक विकास को बढ़ावा दे रहे हैं।
  - ये शहर **IT, वित्त और सेवाओं** में प्रचुर रोज़गार अवसरों के कारण **कुशल एवं अकुशल दोनों प्रकार के श्रमिकों को आकर्षित** करते हैं।
  - **सघन श्रम बाज़ार ने उत्पादकता बढ़ाई है,** स्टाफिंग में विलंब को कम किया है तथा **आय के स्तर में वृद्धि** की है।
  - उदाहरण के लिये, **बेंगलुरु भारत के 150 बिलियन डॉलर के तकनीकी क्षेत्र का केंद्र** है, जो देश के **सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 10%** हिस्सा है। इस सेवा वृद्धि को **तेज़ी से शहरीकरण और बेहतर भौतिक बुनियादी अवसंरचना द्वारा समर्थित** किया जाता है।
- **अवसंरचना विकास से क्षेत्रीय संपर्क में वृद्धि:** शहरी अवसंरचना का उन्नयन, जैसे **मेट्रो प्रणाली और स्मार्ट सड़क नेटवर्क,** शहरों को विकास के इंजन में बदल रहा है।
  - **पुणे और अहमदाबाद** जैसे शहरों में मेट्रो परियोजनाओं के माध्यम से कनेक्टिविटी में सुधार हुआ है, जिससे **वस्तु परिवहन एवं लोगों के आवागमन की गति तेज़** हुई है।
  - उदाहरण के लिये, हाल के आँकड़ों से पता चलता है कि **चेन्नई मेट्रो के अंगीकरण से यातायात में 15-20% की कमी** आई है। इसी तरह, **दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे,** जो शहरों के बीच यात्रा के समय को आधे से कम करने का वादा करता है से **क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा मिलने** की उम्मीद है।
- **भावी विकास के लिये स्थिरता और हरित अवसंरचना:** भारत में शहरी विकास में स्थिरता एक आधारशिला बनती जा रही है, जिसमें **हरित अवसंरचना, जल संरक्षण और अपशिष्ट प्रबंधन** पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है।
  - **चेन्नई और मुंबई** जैसे शहरों में वर्षा जल संचयन, **अपशिष्ट-से-ऊर्जा परियोजनाएँ** और **हरित भवन एकीकृत** किये गए हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **स्मार्ट मीटर और पाइपलाइन उन्नयन के माध्यम से जल रिसाव को 30% तक कम करने** की मुंबई की पहल एक बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाती है।
  - **100 शहर अब स्मार्ट सिटीज़ मिशन का हिस्सा** हैं, जो शहरी नियोजन में हरित प्रथाओं को एकीकृत करते हैं।

- **शहरी रियल एस्टेट में वित्तीयकरण और निवेश:** रियल एस्टेट क्षेत्र शहरी क्षेत्रों में आर्थिक विकास का एक प्रमुख चालक रहा है, जिसमें **संपत्ति के मूल्यों में वृद्धि और आवासीय एवं वाणिज्यिक स्थानों की मांग में वृद्धि** हुई है।
  - मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में **रियल एस्टेट में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI)** बढ़ रहा है, जिससे क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल रहा है।
  - उदाहरण के लिये, **भारतीय रियल एस्टेट में संस्थागत निवेश वर्ष 2024 में 6.5 बिलियन डॉलर को पार कर गया।** इसके अलावा, रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 और GST जैसे कर सुधारों ने पारदर्शिता एवं निवेश प्रवाह को बढ़ाया है।
- **क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने वाले नीतिगत सुधार:** अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (AMRUT) **और** नेशनल ट्रांजिट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट पॉलिसी 2017 सहित हाल के नीतिगत सुधार, शहरी नियोजन को क्षेत्रीय एकीकरण की दिशा में पुन: उन्मुख करने में महत्त्वपूर्ण रहे हैं।
  - ये सुधार परिवहन, जल आपूर्ति, स्वच्छता में सुधार तथा सतत्, निवास योग्य शहरों के निर्माण पर केंद्रित हैं।
  - उदाहरण के लिये, शहरी विकास के लिये अमृत योजना के 77,640 करोड़ रुपए के **आवंटन से भोपाल एवं वाराणसी** जैसे शहरों को बुनियादी अवसंरचना और शहरी सेवाओं में सुधार करने में मदद मिली है, जिससे उनकी क्षेत्रीय आर्थिक भूमिका बढ़ी है।

भारतीय शहरों की स्थिरता और प्रभावशीलता में बाधा डालने वाले प्रमुख मुद्दे क्या हैं?

- **शहरी बुनियादी अवसंरचना की कमी और अकुशल योजना:** कई भारतीय शहर पुराने और खंडित बुनियादी अवसंरचना से जूझ रहे हैं, जो **तेज़ी से हो रहे शहरीकरण को सहारा देने में विफल** हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के अनुसार, **वर्ष 2031 तक शहरी आबादी 600 मिलियन** तक पहुँचने का अनुमान है, जिसके लिये **तत्काल बुनियादी अवसंरचना के उन्नयन की आवश्यकता** है।
  - **भारत को शहरी बुनियादी अवसंरचना के लिये ₹4.6 लाख करोड़** के वार्षिक निवेश की आवश्यकता है, फिर भी वर्तमान वित्तपोषण ₹1.3 लाख करोड़ तक सीमित है।

- **वायु प्रदूषण और पर्यावरण क्षरण:** वायु प्रदूषण भारतीय शहरों के लिये एक **गंभीर चिंता का विषय** है तथा कई शहर लगातार **विश्व में सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में शुमार** हैं।
  - **उद्योगों, वाहनों और निर्माण गतिविधियों पर कड़े नियमों के अभाव** के कारण प्रदूषण का स्तर चिंताजनक स्तर पर पहुँच गया है।
  - वर्ष 2024 में **भारत विश्व भर में पाँचवें सबसे प्रदूषित देश के रूप में स्थान पर** है, जिसमें **मेघालय का बर्नीहाट विश्व स्तर पर सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र** होगा।
    - दिल्ली में **वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) प्रायः खतरनाक स्तर तक** पहुँच जाता है, जिससे लाखों लोग प्रभावित होते हैं।

- **आवास की कमी और अनौपचारिक बस्तियाँ:** शहरी क्षेत्रों में आवास की कमी **तेज़ी से हो रहे प्रवास एवं भूमि की बढ़ती लागत के कारण और भी बढ़ गई है,** जिसके परिणामस्वरूप अनौपचारिक बस्तियाँ विकसित हो रही हैं।
  - भारत में वर्ष 2011 में की गई सबसे हालिया व्यापक मलिन बस्तियों की जनगणना से पता चला कि **शहरी क्षेत्रों में 65 मिलियन लोग झुग्गी-झोपड़ियों में** रहते हैं; यह आँकड़ा तब से लगातार बढ़ रहा है।
  - प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत बड़ी संख्या में मकान स्वीकृत होने के बावजूद, निर्माण पूरा होने और अधिभोग दर लक्ष्य से कम है।
    - उदाहरण के लिये, इस योजना का लक्ष्य वर्ष 2022 तक 1.12 करोड़ घर बनाना था, जिसमें से 1.08 करोड़ को मंज़ूरी दी गई। हालाँकि, **केवल 60.5 लाख घर ही पूरे (लक्ष्य का 60%) हुए।**

- **जल की कमी और अकुशल संसाधन प्रबंधन:** जल की कमी भारतीय शहरों में एक बढ़ता हुआ संकट है, जो **अत्यधिक दोहन, खराब जल प्रबंधन एवं बढ़ती मांग के कारण और भी बदतर** हो गया है।
  - कई शहर घटते भूजल भंडार **पर निर्भर** हैं, जबकि यमुना और गंगा जैसी नदियाँ गंभीर प्रदूषण का सामना कर रही हैं।
    - उदाहरण के लिये, **बंगलुरु और दिल्ली को वर्ष 2024 में गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ा।**
  - अनुमान है कि वर्ष 2030 तक देश की **जल मांग उपलब्ध आपूर्ति से दोगुनी** हो जाएगी, जिसका अर्थ है कि करोड़ों लोगों के लिये जल की गंभीर कमी होगी, जो स्थायी जल प्रबंधन की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

- **यातायात भीड़भाड़ और अकुशल सार्वजनिक परिवहन:** भारतीय शहरों में यातायात भीड़भाड़ एक गंभीर समस्या है, जो उत्पादकता और जीवन की गुणवत्ता को कम कर रही है।
  - अकुशल सार्वजनिक परिवहन प्रणाली **और निजी वाहनों की बढ़ती संख्या** इस चुनौती में योगदान देती है।
  - उदाहरण के लिये, वर्ष 2021 में **मुंबई का भीड़भाड़ का स्तर 53%** था, उसके बाद बेंगलुरु, नई दिल्ली (48%) और पुणे (42%) का स्थान था।

- **अकुशल अपशिष्ट प्रबंधन और ठोस अपशिष्ट संकट:** भारत के शहरों में भारी मात्रा में ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है, लेकिन अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियाँ बहुत हद तक अप्रभावी हैं।
  - **अकुशल पृथक्करण, अपर्याप्त पुनर्चक्रण और जागरूकता की कमी** प्रमुख मुद्दे हैं।
  - उदाहरण के लिये, **दिल्ली नगर निगम ने** इस वर्ष की शुरुआत में भारत के सर्वोच्च न्यायालय को **सूचित किया था कि शहर में प्रतिदिन 10,000 टन से अधिक अपशिष्ट उत्पन्न होता है,** जिसमें से अधिकांश को **गाज़ीपुर, भलस्वा और ओखला** में पहले से ही भरे हुए **लैंडफिल स्थलों में फेंक दिया जाता है।**

- **अप्रभावी शासन और प्रशासनिक बाधाएँ:** कमज़ोर शासन संरचनाएँ, खंडित निर्णय-प्रक्रिया और प्रशासनिक विलंब भारतीय शहरों में कुशल शहरी प्रबंधन में बाधा डालते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **राजनीतिक और प्रशासनिक विखंडन** के कारण प्राय: शहरी विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलंब होता है।
  - उदाहरण के लिये, मुंबई में **तटीय सड़क और मेट्रो विस्तार** जैसी चल रही बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं में **नियामक बाधाओं के कारण विलंब** हो रहा है।
- **जलवायु परिवर्तन की संवेदनशीलता:** भारतीय शहर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों, जैसे **अत्यधिक उष्मा** (नगरीय ऊष्मा द्वीप प्रभाव), **बाढ़ और समुद्र के बढ़ते स्तर के प्रति तेज़ी से सुभेद्य** होते जा रहे हैं।
  - IPE-ग्लोबल और Esri-इंडिया के एक नए अध्ययन से पता चला है कि **भारत के 85% से अधिक ज़िले चरम जलवायु घटनाओं के प्रति सुभेद्य** हैं।
  - भारत में हाल की शहरी बाढ़ की घटनाएँ, जैसे वर्ष 2020 और 2023 की **मुंबई बाढ़,** वर्ष 2015 में **चेन्नई बाढ़** तथा जुलाई 2023 की **दिल्ली बाढ़,** चरम मौसमी घटनाओं के प्रति भारतीय शहरों की भेद्यता को उजागर करती हैं।

भारतीय शहरों के सतत् विकास और वृद्धि को बढ़ावा देने के लिये क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं?

- **स्मार्ट विकास सिद्धांतों के साथ एकीकृत शहरी नियोजन:** शहरी नियोजन एकीकृत, अनुकूलनीय और **दूरदर्शी होना** चाहिये तथा **आवासीय, वाणिज्यिक एवं हरित स्थानों के संतुलित मिश्रण पर ध्यान केंद्रित** करना चाहिये।
  - गतिशील शहरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये **सख्त क्षेत्रीयकरण कानूनों के स्थान पर अनुकूल भूमि-उपयोग नीतियों को अपनाया जाना चाहिये** तथा कुशल शहरी प्रबंधन के लिये GIS जैसी आधुनिक प्रौद्योगिकियों को एकीकृत किया जाना चाहिये।
    - **भारत पोर्टलैंड, ओरेगन शहर** से सीख ले सकता है जो मिश्रित उपयोग ज़ोनिंग पर विशेष ज़ोर देते हुए अनुकूली भूमि उपयोग नीतियों का उपयोग करता है।
- **सार्वजनिक परिवहन अवसंरचना और गतिशीलता समाधान को बढ़ाना:** शहरों में भीड़भाड़ कम करने और संधारणीय गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिये बहुविध सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क में निवेश करना महत्त्वपूर्ण है।
  - **मेट्रो रेल प्रणाली, बस रैपिड ट्रांज़िट (BRT)** और साइकिल लेन जैसी गैर-मोटर चालित परिवहन अवसंरचना का विस्तार करके **यातायात की भीड़** एवं निजी वाहनों पर निर्भरता को कम किया जा सकता है।
  - **मोबिलिटी-एज़-ए-सर्विस (MaaS) प्लेटफॉर्म** को लागू करने से शहरी निवासियों के लिये निर्बाध, **अंतर-संबद्ध परिवहन विकल्प** उपलब्ध हो सकते हैं, जिससे दक्षता को बढ़ावा मिलेगा और **कार्बन उत्सर्जन में कमी** आएगी।
    - भारत **बोगोटा, कोलंबिया से प्रेरणा** ले सकता है, जिसने **विश्व प्रसिद्ध बस रैपिड ट्रांज़िट (BRT) प्रणाली** को लागू किया, जिससे यातायात की भीड़ कम हुई और संधारणीय परिवहन को बढ़ावा मिला।
- **जल संसाधन प्रबंधन और संरक्षण पहल:** शहरों को बढ़ती जल कमी को दूर करने के लिये **वर्षा जल संचयन, भू-जल पुनर्भरण और अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण** जैसी सुदृढ़ जल संरक्षण तकनीकों को लागू करना चाहिये।
  - **शहर-व्यापी जल प्रबंधन कार्यढाँचे की स्थापना,** जिसमें निगरानी, डेटा विश्लेषण और पूर्वानुमान मॉडलिंग को एकीकृत किया जाए, बेहतर जल वितरण एवं संसाधन प्रबंधन में मदद कर सकता है।
  - तूफानी जल के प्रबंधन तथा जलभृतों को पुन: भरने के लिये **पारगम्य फुटपाथों और शहरी आर्द्रभूमियों** जैसे हरित बुनियादी अवसंरचना को बढ़ावा दिया जाना चाहिये, जिससे बाढ़ के जोखिम को कम किया जा सके।
    - भारत इस संबंध में **सिंगापुर की जल प्रबंधन रणनीतियों** को अपना सकता है।
- **अपशिष्ट प्रबंधन में चक्रीय अर्थव्यवस्था पद्धतियाँ:** अपशिष्ट प्रबंधन में चक्रीय अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण के अंगीकरण से **प्रदूषण और संसाधनों की बर्बादी** को कम किया जा सकता है।
  - शहरों को **स्रोत पर ही अपशिष्ट को पृथक् करने पर ध्यान** देना चाहिये, पुनर्चक्रण दरों में वृद्धि करनी चाहिये तथा लैंडफिल पर निर्भरता को कम करने के लिये **अपशिष्ट-से-ऊर्जा बनाने वाले संयंत्रों में निवेश** करना चाहिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **निर्माताओं के लिये विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व (EPR) को बढ़ावा** दिया जाना चाहिये, ताकि जिसके तहत उन्हें **उपभोग के बाद अपने उत्पाद वापस लेने की आवश्यकता** हो, यह संसाधन लूप को बंद कर सकता है।
  - भारत **स्वीडन के वेस्ट-टू-एनर्जी मॉडल** से लाभ उठा सकता है, जहाँ अपशिष्ट को पुनर्चक्रित करके ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है।
- **किफायती और समावेशी आवास नीतियाँ:** सतत् शहरी विकास के लिये किफायती, समुत्थानशील और समावेशी आवास पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है।
  - **लैंड पूलिंग, सार्वजनिक-निजी भागीदारी और किफायती आवास योजनाओं में बढ़ते निवेश** के संयोजन से शहरी आवास की कमी को दूर किया जा सकता है।
  - शहरी नवीकरण परियोजनाओं को उचित स्वच्छता, बुनियादी अवसंरचना और सुविधाओं तक अभिगम के साथ मलिन बस्तियों वन अनौपचारिक बस्तियों के उन्नयन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि शहर के सभी निवासी आर्थिक विकास से लाभान्वित हों।
- **जलवायु अनुकूलन और आपदा मोचन हेतु तैयारी को सुदृढ़ करना:** शहरों को जलवायु संबंधी जोखिमों से बचाने के लिये, शहरी विकास योजनाओं में जलवायु अनुकूलन को एकीकृत करना आवश्यक है।
  - **बाढ़ अवरोधक, तापरोधी भवन और ग्रीन रूफ मॉडल आधारित जलवायु अनुकूल बुनियादी अवसंरचना** का निर्माण करने से चरम मौसमी घटनाओं के प्रति सुभेद्यता कम हो सकती है।
  - शहरी वानिकी और हरित स्थानों जैसी **नगरीय ऊष्मा द्वीप शमन रणनीतियाँ शीतलन प्रभाव प्रदान कर सकती हैं** तथा शहरों में **जीवन की गुणवत्ता में सुधार** कर सकती हैं।
- **स्मार्ट शहरों के लिये तकनीकी एकीकरण:** स्मार्ट शहर प्रौद्योगिकियों की प्रभावी तैनाती से शहरी प्रबंधन और सेवा वितरण में सुधार हो सकता है।
  - वास्तविक काल निगरानी और निर्णय लेने के लिये IoT, AI एवं डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करके यातायात प्रवाह, अपशिष्ट प्रबंधन, ऊर्जा उपयोग व सार्वजनिक सुरक्षा को अनुकूलित किया जा सकता है।
  - स्मार्ट ग्रिड, स्मार्ट मीटर और विवेकपूर्ण परिवहन प्रणालियाँ परिचालन दक्षता बढ़ा सकती हैं तथा लागत कम कर सकती हैं।
    - **भारत स्मार्ट शहरों के लिये स्पेन के बार्सिलोना दृष्टिकोण** को अपना सकता है, जहाँ अपशिष्ट, यातायात और ऊर्जा खपत के वास्तविक काल प्रबंधन के लिये IoT सेंसर का उपयोग किया जाता है।
- **शासन सुधार और विकेंद्रीकरण:** सतत् शहरी विकास के लिये **प्रभावी शासन महत्त्वपूर्ण** है। **स्थानीय सरकारों को शक्तियों का विकेंद्रीकरण संसाधनों के बेहतर प्रबंधन,** उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने और शहरी निर्णय लेने में नागरिक भागीदारी को बढ़ाने में सक्षम होगा।
  - **शहरी स्थानीय निकायों को सुदृढ़ बनाने** तथा प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण के माध्यम से शहरी योजनाकारों को सशक्त बनाने से नीति कार्यान्वयन और जवाबदेही में सुधार होगा।
  - एक **अधिक पारदर्शी और सहभागितापूर्ण शासन मॉडल (पुणे की तरह)** विभिन्न शहरों के समक्ष आने वाली विशिष्ट चुनौतियों का समाधान करने में मदद करेगा तथा शहरी लाभों का न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करेगा।

निष्कर्ष:

यद्यपि **भारतीय शहर क्षेत्रीय विकास के महत्त्वपूर्ण इंजन के रूप में विकसित हुए** हैं, फिर भी बुनियादी अवसंरचना, संधारणीयता और शासन में **महत्त्वपूर्ण चुनौतियाँ बनी हुई** हैं। दीर्घकालिक विकास सुनिश्चित करने के लिये, **स्मार्ट शहरी नियोजन को एकीकृत करना, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ाना और संधारणीय संसाधन प्रबंधन को लागू करना आवश्यक** है। **सतत् शहर एवं संतुलित समुदाय** (SDG11), **जलवायु परिवर्तन कार्रवाई** (SDG13) **को बढ़ावा** देना और **असमानताओं को कम करना** (SDG10) आवश्यक है ताकि शहरी विकास से सभी नागरिक समान रूप से लाभान्वित हो सकें।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

भारत की आर्कटिक नीति: ध्रुवीय कूटनीति में उभरती शक्ति

यह एडिटोरियल 23/04/2025 को द हिंदू में प्रकाशित "Exploring India's potential in the Arctic region" पर आधारित है। इस लेख में आर्कटिक के पिघलने के कारण उत्तरी समुद्री मार्ग से उभरने वाले रणनीतिक व्यापार अवसर पर प्रकाश डाला गया है।

जैसे-जैसे वैश्विक व्यापार के स्वरूप भू-राजनीतिक तनावों और जलवायु परिवर्तन के बीच परिवर्तित हो रहे हैं, आर्कटिक क्षेत्र की पिघलती बर्फ 'नॉर्दर्न सी रूट'/उत्तरी समुद्री मार्ग (NSR) को खोल रही है, जो यूरोप और एशिया को जोड़ने वाला एक संभावित परिवर्तनकारी मार्ग बन सकता है। यह मार्ग समय और लागत, दोनों की उल्लेखनीय बचत की संभावना प्रस्तुत करता है। **स्वालबार्ड संधि** और अनुसंधान आधार **हिमाद्री के माध्यम से** आर्कटिक में अपनी प्रारंभिक भागीदारी के साथ, भारत ने अपनी **आर्कटिक नीति- 2022** में इस अवसर को पहचाना है, लेकिन अब उसे विषम आर्कटिक परिस्थितियों के अनुकूल जहाज़ निर्माण क्षमताओं सहित व्यावहारिक कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। बजट (2025-26) **के बजट में 3 बिलियन डॉलर का समुद्री विकास कोष** और **जहाज़ निर्माण क्लस्टरों को बढ़ावा** देना एक सकारात्मक कदम है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

भारत के लिये आर्कटिक क्षेत्र का क्या महत्त्व है?

- **जलवायु परिवर्तन और भारत के मॉनसून पर प्रभाव:** आर्कटिक **वैश्विक जलवायु प्रणालियों में महत्त्वपूर्ण भूमिका** निभाता है और इसका तेज़ी से गर्म होना भारत के **मॉनसून पैटर्न** को सीधे प्रभावित करता है, जो इसकी **कृषि एवं जल सुरक्षा के लिये महत्त्वपूर्ण** है।
  - आर्कटिक क्षेत्र में **तापमान में वृद्धि से वायुमंडलीय परिसंचरण बाधित** होता है, जिसके परिणामस्वरूप अप्रत्याशित मॉनसून होता है, जिससे खाद्य उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
  - उदाहरण के लिये, हालिया शोध से पता चला है कि **मध्य आर्कटिक में समुद्री बर्फ कम होने के कारण पश्चिमी और प्रायद्वीपीय भारत में कम वर्षा** होती है, लेकिन **मध्य एवं उत्तरी भारत में अधिक वर्षा** होती है।
    - पिछले 40 वर्षों के दौरान आर्कटिक **क्षेत्र पृथ्वी के शेष हिस्से की तुलना में लगभग 4 गुना तेज़ी से गर्म** हुआ है तथा भविष्य में और अधिक गर्मी पड़ने से मॉनसून पैटर्न में ये बदलाव और भी तीव्र हो सकते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **आर्कटिक हाइड्रोकार्बन एक्सेस:** भारत की ऊर्जा सुरक्षा आर्कटिक संसाधनों, **विशेष रूप से तेल और प्राकृतिक गैस से गहराई से जुड़ी हुई है,** इस क्षेत्र में **विश्व के 13% अज्ञात पेट्रोलियम और 30% गैस भंडार** मौजूद हैं।
  - चूँकि **भारत अपने ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने पर विचार कर रहा है,** इसलिये वैश्विक ऊर्जा कीमतों में उतार-चढ़ाव के बीच इन **संसाधनों तक अभिगम अत्यंत महत्त्वपूर्ण** हो गया है।
  - **सखालिन-1** और **वैंकोर्नेफ्ट परियोजनाएँ सहित रूस के साथ भारत के ऊर्जा समझौते** आर्कटिक हाइड्रोकार्बन अन्वेषण में बढ़ती भागीदारी को दर्शाते हैं।
    - **रूस ने अपने विशाल आर्कटिक भंडार के साथ** पहले ही भारत को महत्त्वपूर्ण मात्रा में तेल की आपूर्ति शुरू कर दी है, जिसके साथ ही वह **भारत का शीर्ष आपूर्तिकर्त्ता बन** गया है।
- **सामरिक समुद्री मार्ग और शिपिंग:** बर्फ पिघलने के कारण **उत्तरी समुद्री मार्ग (NSR)** के खुलने से यूरोप और एशिया के बीच **एक छोटा व अधिक लागत प्रभावी मार्ग** उपलब्ध हो गया है, जो **भारत के व्यापारिक हितों के लिये महत्त्वपूर्ण** है।
  - यह मार्ग, स्वेज नहर जैसे पारंपरिक अवरोध बिंदुओं को दरकिनार करते हुए, शिपिंग समय और लागत को महत्त्वपूर्ण रूप से कम कर सकता है तथा बेहतर आर्थिक संबंधों को बढ़ावा दे सकता है।
  - **NSR यातायात में वृद्धि,** जो वर्ष 2024 में बढ़कर **37.9 मिलियन टन** हो गई, वैश्विक व्यापार के लिये इसके बढ़ते महत्त्व को रेखांकित करती है।
    - INSTC (अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा), जो **रूस के माध्यम से भारत को आर्कटिक से जोड़ता है,** यूरोपीय और मध्य एशियाई बाज़ारों के साथ भारत के व्यापार को बढ़ाने के लिये भी तैयार है।
- **महत्त्वपूर्ण खनिजों तक पहुँच:** दुर्लभ मृदा तत्त्वों सहित आर्कटिक की खनिज संपदा भारत की **'मेक इन इंडिया'** और तकनीकी महत्त्वाकांक्षाओं के लिये महत्त्वपूर्ण हो सकती है।
  - इस क्षेत्र **में दुर्लभ मृदा** जैसे **क्रिटिकल मिनरल्स के भंडार** हैं, जो **इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा प्रणालियों के लिये महत्त्वपूर्ण** हैं।
  - **ग्रीनलैंड में दुर्लभ खनिज पाए जाने के कारण,** भारत का भावी आर्थिक विकास, विशेष रूप से नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन के माध्यम से तकनीक और रक्षा के क्षेत्र में, इन संसाधनों तक पहुँच से संबद्ध हुआ है।
- **वैज्ञानिक सहयोग और अनुसंधान के अवसर: स्वालबार्ड में भारत का हिमाद्री अनुसंधान केंद्र** और आर्कटिक देशों के साथ बढ़ते वैज्ञानिक सहयोग, भारत को **वैश्विक जलवायु अनुसंधान में एक प्रमुख अभिकर्त्ता** के रूप में स्थापित करते हैं।
  - **हिमालय क्षेत्र,** जिसे प्राय: **'तीसरा ध्रुव'** कहा जाता है, आर्कटिक क्षेत्र के साथ उल्लेखनीय समानताएँ साझा करता है, जो **भारत को अपने उच्च तुंगता वाले पारिस्थितिकी तंत्रों के संदर्भ में बहुमूल्य सूचनाएँ** प्रदान करता है।
  - जलवायु परिवर्तन अनुसंधान पर हाल ही में **भारत-नॉर्वे सहयोग, आर्कटिक क्षेत्र में बर्फ पिघलने और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों,** विशेष रूप से भारतीय उपमहाद्वीप में जलवायु विसंगतियों के दौरान **संबंधों की खोज़ में भारत की सक्रिय भूमिका** को दर्शाता है।

वर्तमान में आर्कटिक क्षेत्र को प्रभावित करने वाले महत्त्वपूर्ण मुद्दे क्या हैं?

- **जलवायु परिवर्तन और तीव्र पर्यावरणीय क्षरण:** आर्कटिक क्षेत्र वैश्विक औसत की तुलना में 4 गुना अधिक तेज़ी से गर्म हो रहा है, जिससे **बर्फ तेज़ी से पिघल रही है और समुद्र का स्तर बढ़ रहा है,** जिसके **वैश्विक पर्यावरणीय परिणाम बहुत गंभीर** होते जा रहे हैं।
  - यह तापवृद्धि उन **प्रतिक्रियात्मक चक्रों को भी तीव्र करती है** (जैसे पर्माफ्रॉस्ट (हिममूल) से मीथेन गैस का उत्सर्जन) **जो जलवायु परिवर्तन को और अधिक घातक बना देते हैं।**
  - **NASA के हालिया आँकड़ों** से पता चलता है कि **आर्कटिक सागर की बर्फ अब प्रति दशक 12.2% की दर से संकुचित हो रही है** और वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि वर्ष 2050 तक **आर्कटिक गर्मियों में बर्फ रहित हो सकता है।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- पर्माफ्रॉस्ट के पिघलने से बड़ी मात्रा में ग्रीनहाउस गैसें उत्सर्जित हो रही हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग में तेज़ी आ रही है।

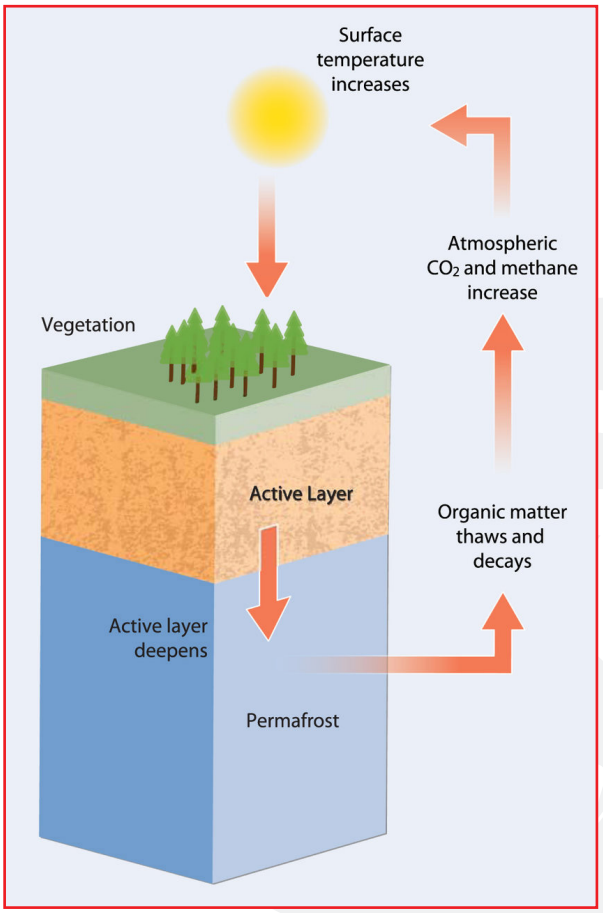

- **भू-राजनीतिक तनाव और क्षेत्रीय विवाद:** आर्कटिक एक प्रमुख भू-राजनीतिक आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है, जहाँ संसाधन निष्कर्षण अधिकारों और समुद्री मार्गों को लेकर **आर्कटिक राज्यों के बीच क्षेत्रीय विवाद** बढ़ रहे हैं।
  - जलवायु परिवर्तन के कारण नए नौ-परिवहन मार्ग खुलने के साथ ही **रूस, कनाडा और अमेरिका जैसे देशों के बीच प्रतिस्पर्द्धा** बढ़ गई है, विशेष रूप से उत्तरी समुद्री मार्ग (NSR) और महाद्वीपीय शेल्फ पर।
  - अमेरिका और रूस के बीच **उत्तर पश्चिमी मार्ग** (नॉर्थवेस्ट पैसेज) **को लेकर लगातार मतभेद** बने हुए हैं, जिसे **कनाडा अपनी 'आंतरिक जलसीमा' के रूप में दावा करता है।**
    - आर्कटिक में **रूस की सैन्य उपस्थिति बढ़ गई है,** जिससे **NATO देशों और अन्य आर्कटिक देशों के साथ तनाव** बढ़ गया है।
- **संसाधन निष्कर्षण और पर्यावरणीय जोखिम:** आर्कटिक में **अप्रयुक्त संसाधनों का विशाल भंडार** है, जिसके कारण यह **आर्थिक शोषण का प्रमुख लक्ष्य** बन गया है।
  - हालाँकि, इस क्षेत्र के सुभेद्य पारिस्थितिकी तंत्र का अर्थ है कि इसके **दोहन से तेल रिसाव और पर्यावास विनाश सहित कई गंभीर खतरे** जुड़े हैं।
  - जैसे-जैसे **आर्कटिक समुद्री मार्ग** खुलते जाएंगे, संसाधनों का दोहन बढ़ेगा, क्योंकि **एक्सॉनमोबिल जैसी कंपनियाँ पहले से ही भारी मात्रा में निवेश कर रही हैं,** जिससे स्थायित्व को लेकर **चिंताएँ बढ़ रही हैं।**
- **व्यापक अंतर्राष्ट्रीय शासन का अभाव:** आर्कटिक के महत्त्व के बावजूद, इस क्षेत्र के संसाधनों और **पर्यावरण संरक्षण** को व्यापक रूप से नियंत्रित करने के लिये कोई व्यापक **अंतर्राष्ट्रीय कानूनी कार्यढाँचा नहीं** है।
  - **आर्कटिक परिषद** यद्यपि महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेकिन इसमें **प्रवर्तन शक्तियों का अभाव** है तथा **क्षेत्रीय विवाद अभी भी अनसुलझे** हैं।
  - **संयुक्त राष्ट्र समुद्र विधि समझौता (UNCLOS)** कुछ संरचना प्रदान करता है, लेकिन कई आर्कटिक राज्य परस्पर विरोधी क्षेत्रीय दावों पर ज़ोर देना जारी रखते हैं, जिससे **वैश्विक शासन के प्रयास जटिल** हो जाते हैं।
- **चीन की बढ़ती उपस्थिति और आर्कटिक महत्त्वाकांक्षाएँ: चीन ने तेज़ी से स्वयं को 'निकट-आर्कटिक राज्य' के रूप में स्थापित किया** है और आर्कटिक देशों के साथ निवेश एवं साझेदारी के माध्यम से **आर्कटिक मामलों में अपनी भागीदारी को बढ़ाया** है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- इससे भारत और पश्चिमी देशों में इस क्षेत्र में चीन की रणनीतिक महत्त्वाकांक्षाओं, विशेषकर **आर्कटिक संसाधनों एवं शिपिंग मार्गों तक पहुँच के संबंध में चिंताएँ** उत्पन्न हो गई हैं।
- चीन की **पोलर सिल्क रोड इनिशिएटिव,** मलक्का जलडमरूमध्य जैसे **पारंपरिक अवरोध बिंदुओं को दरकिनार करते हुए उत्तरी समुद्री मार्ग तक पहुँच सुनिश्चित करने की कोशिश** करती है, जिससे **क्षेत्र में शक्ति संतुलन बदल गया** है।

- **आर्कटिक सहयोग पर यूक्रेन युद्ध का प्रभाव:** यूक्रेन में चल रहे संघर्ष ने आर्कटिक में सहयोग को बाधित कर दिया है, विशेष रूप से **आर्कटिक परिषद के भीतर,** जहाँ प्रमुख सदस्य राज्यों ने रूस के आक्रमण के बाद उसके साथ सहयोग निलंबित कर दिया है।
  - इसके कारण **कई संयुक्त वैज्ञानिक अनुसंधान परियोजनाएँ** और पर्यावरण संबंधी पहल रुक गई हैं, जो **जलवायु परिवर्तन को समझने तथा उसके शमन के लिये महत्त्वपूर्ण** हैं।
  - **आर्कटिक परिषद से रूस के अलग-थलग होने से** महत्त्वपूर्ण **डेटा साझाकरण और वैज्ञानिक अनुसंधान में बाधा** उत्पन्न हुई है (विशेष रूप से पर्माफ्रॉस्ट और आर्कटिक वार्मिंग पर) जो वैश्विक जलवायु मॉडल के लिये आवश्यक हैं।

आर्कटिक क्षेत्र में सतत् और जिम्मेदार अन्वेषण को बढ़ावा देने में भारत क्या भूमिका निभा सकता है?

- **आर्कटिक वैज्ञानिक अनुसंधान और सहयोग को मज़बूत करना:** भारत आर्कटिक में सहयोगात्मक अनुसंधान को बढ़ाकर अपनी भूमिका का विस्तार कर सकता है, विशेष रूप से **जलवायु परिवर्तन, हिमनद विज्ञान और पारिस्थितिकी तंत्र निगरानी** के क्षेत्रों में।
  - ध्रुवीय अनुसंधान अवसंरचना में निवेश बढ़ाकर, जैसे कि हिमाद्री अनुसंधान केंद्र **का विस्तार** करके, भारत **वैश्विक वैज्ञानिक समझ में सक्रिय रूप से योगदान** दे सकता है।
  - **आर्कटिक देशों और अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक निकायों के साथ साझेदारी** करने से भारत को पर्यावरणीय परिवर्तनों पर **डेटा एकत्र करने एवं साझा करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका** निभाने का अवसर मिलेगा।

- **आर्कटिक संसाधन शासन कार्यढाँचे को समर्थन:** भारत आर्कटिक संसाधनों के सतत् और जिम्मेदार दोहन के लिये एक **बाध्यकारी, नियम-आधारित शासन कार्यढाँचे को सुनिश्चित करने में नेतृत्व की भूमिका** निभा सकता है।
  - **आर्कटिक परिषद** के तहत पर्यावरणीय संधारणीयता को प्राथमिकता देते हुए **संसाधन निष्कर्षण को विनियमित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर ज़ोर** देकर, भारत यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है कि आर्कटिक विकास में क्षेत्र के **विशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र एवं मूलनिवासी समुदायों के अधिकारों का सम्मान** किया जाए।
  - **पर्यावरण अनुकूल खनन प्रथाओं** और **कार्बन-शून्य ऊर्जा परियोजनाओं के संदर्भ में सक्रिय रूप से वार्ता** करने से **दीर्घकालिक संरक्षण के लिये आम सहमति** बनाने में मदद मिल सकती है।

- **आर्कटिक में हरित ऊर्जा पहल को बढ़ावा देना:** भारत **सौर और पवन ऊर्जा** में अपनी विशेषज्ञता का लाभ उठाकर आर्कटिक में नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के प्रयासों का नेतृत्व कर सकता है।
  - आर्कटिक देशों के साथ सहयोग के माध्यम से **भारत हरित ऊर्जा समाधान प्रस्तुत करने में सहायता** कर सकता है, जो संसाधन निष्कर्षण और परिवहन के पर्यावरणीय प्रभाव को न्यूनतम करेगा।
  - आर्कटिक समुदायों और अनुसंधान स्टेशनों के लिये **संयुक्त नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएँ** स्थापित करने जैसी पहल न केवल सतत् विकास में योगदान कर सकती है, बल्कि पेरिस समझौते **के तहत** भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं **का भी समर्थन** कर सकती है।

- **जलवायु अनुकूलन के लिये पर्यावरण कूटनीति को बढ़ावा देना:** भारत आर्कटिक जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय नीति

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

को प्रभावित करने के लिये अन्य गैर-आर्कटिक राज्यों, विशेष रूप से **BRICS, ASEAN और G20 के साथ गठबंधन बनाकर पर्यावरण कूटनीति को बढ़ावा** दे सकता है।

- आर्कटिक अनुकूलन पर बहुपक्षीय मंचों की सुविधा प्रदान करके, भारत यह सुनिश्चित कर सकता है कि **वैश्विक जलवायु वार्ताओं में क्षेत्र की पर्यावरणीय चिंताओं पर ध्यान** दिया जाए।
- भारत की मज़बूत कूटनीतिक पहुँच का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय जलवायु कार्यढाँचे में **आर्कटिक-विशिष्ट अनुकूलन रणनीतियों को शामिल करने के लिये** किया जा सकता है।

- **आर्कटिक-अनुकूलित संधारणीयता मानकों को लागू करना:** भारत **आर्कटिक-अनुकूलित संधारणीयता मानकों के निर्माण का समर्थन** कर सकता है जो जिम्मेदार अन्वेषण को सक्षम करते हुए सुभेद्य पारिस्थितिकी तंत्रों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
  - ये मानक **हिम आच्छादित जल में नौ-परिवहन,** संसाधनों का सुरक्षित दोहन तथा आर्कटिक जैवविविधता के संरक्षण जैसे क्षेत्रों को प्रबंधित कर सकते हैं।
- **आर्कटिक मूलनिवासी अधिकार संरक्षण पर अग्रणी पहल:** भारत आर्कटिक शासन के कार्यढाँचे के भीतर **सुदृढ़ मूलनिवासी अधिकार संरक्षण** के लिये प्रयास कर सकता है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि **आर्कटिक संसाधनों के सतत् उपयोग में मूलनिवासी समुदायों की भी भागीदारी** हो।
  - **लोकतांत्रिक शासन** और **समावेशी नीति निर्माण** में भारत के अनुभव का उपयोग **आर्कटिक विकास के हिस्से के रूप में उचित मुआवज़े, भूमि अधिकार और सांस्कृतिक संरक्षण** का समर्थन करने के लिये किया जा सकता है।
  - मूल-निवासियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच साझेदारी को बढ़ावा देकर, भारत **आर्कटिक में संसाधनों के उपयोग के लिये न्यायसंगत एवं सम्मानजनक मार्ग बनाने में सहायता** कर सकता है।
- **सतत् आर्कटिक अवसंरचना विकास को समर्थन:** भारत सतत् आर्कटिक अवसंरचना विकास को बढ़ावा देने में संलग्न हो सकता है, जो **हरित भवन प्रौद्योगिकियों** और **निम्न-कार्बन परिवहन प्रणालियों को एकीकृत करता है।**
  - आर्कटिक राज्यों और उद्योगों के साथ सहयोग करके भारत ऐसे बुनियादी अवसंरचना के निर्माण में सहायता कर सकता है जो पर्यावरणीय प्रभाव को न्यूनतम करेगा तथा आर्कटिक समुदायों के लिये **आर्थिक अवसरों को बढ़ाएगा।**
  - इसमें इको-टूरिज़्म पहलों को समर्थन देना, **संधारणीय बंदरगाह विकास** तथा सुदूर आर्कटिक क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता के लिये **स्मार्ट ग्रिड प्रणालियों का कार्यान्वयन** शामिल हो सकता है।

निष्कर्ष:

मॉनसून पैटर्न को आकार देने से लेकर ऊर्जा और व्यापार मार्गों को खोलने तक, **आर्कटिक का भारत के लिये बहुत ही रणनीतिक, पर्यावरणीय और आर्थिक महत्त्व** है। जैसे-जैसे वैश्विक रुचि बढ़ती जा रही है, भारत को **ध्रुवीय अनुसंधान, हरित प्रौद्योगिकी परिनियोजन और बहुपक्षीय पर्यावरणीय कूटनीति** को बढ़ाकर **संधारणीयता के साथ अपनी आकांक्षाओं को संतुलित करने की आवश्यकता** है। संस्थागत क्षमताओं को सुदृढ़ करना और नियम-आधारित आर्कटिक शासन कार्यढाँचे को सुनिश्चित करने की दिशा में प्रयास करना महत्त्वपूर्ण होगा।

आतंकवाद और भारत का सुरक्षा परिदृश्य

यह एडिटोरियल 24/04/2025 को द हिंदू में प्रकाशित "Unity and resolve: On the Pahalgam terror attack" पर आधारित है। इस लेख में कश्मीर में आतंकवाद के स्थायी खतरे को सामने लाया गया है, जैसा कि पहलगाम हमले में देखा गया है, साथ ही भारत द्वारा खुफिया जानकारी, प्रौद्योगिकी और वैश्विक आतंकवाद विरोधी सहयोग को बढ़ाने की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है।

कश्मीर में हाल ही में हुआ पहलगाम हमला, भारत की सुरक्षा और सामाजिक संरचना के लिये आतंकवाद के लगातार खतरे की एक गंभीर याद दिलाता है। वर्ष 2019 के बाद से **आतंकवाद विरोधी उपायों** में महत्त्वपूर्ण प्रगति के बावजूद, जिसमें **कश्मीर में**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

बुनियादी अवसंरचना का विकास और क्षेत्रीय एकीकरण के प्रयास शामिल हैं, ऐसे हमले आतंकवादी रणनीति की बदलती प्रकृति एवं निरंतर सतर्कता की आवश्यकता को दर्शाते हैं। आगे की राह के रूप में भारत को **उन्नत खुफिया समन्वय, तकनीकी क्षमताओं और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी** के माध्यम से अपनी **आतंकवाद विरोधी सुरक्षा पहलों को मज़बूत करने की नितांत आवश्यकता** है।

आतंकवाद किस प्रकार भारत की आंतरिक सुरक्षा और भू-राजनीतिक हितों को चुनौती दे रहा है?

- **सीमा पार आतंकवाद (पाकिस्तान प्रायोजित):** भारत को **पाकिस्तान से सीमा पार आतंकवाद** का लगातार खतरा बना रहता है, जहाँ आतंकवादी **कश्मीर और अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों से घुसपैठ** करते हैं। इन समूहों को प्राय: पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों का समर्थन प्राप्त होता है।
  - वर्ष 2019 का पुलवामा हमला **और** हाल ही में हुआ **पहलगाम नरसंहार,** जिसमें पर्यटकों को उनके धर्म के आधार पर निशाना बनाया गया, इन हमलों की दृढ़ता व क्रूरता को दर्शाता है।

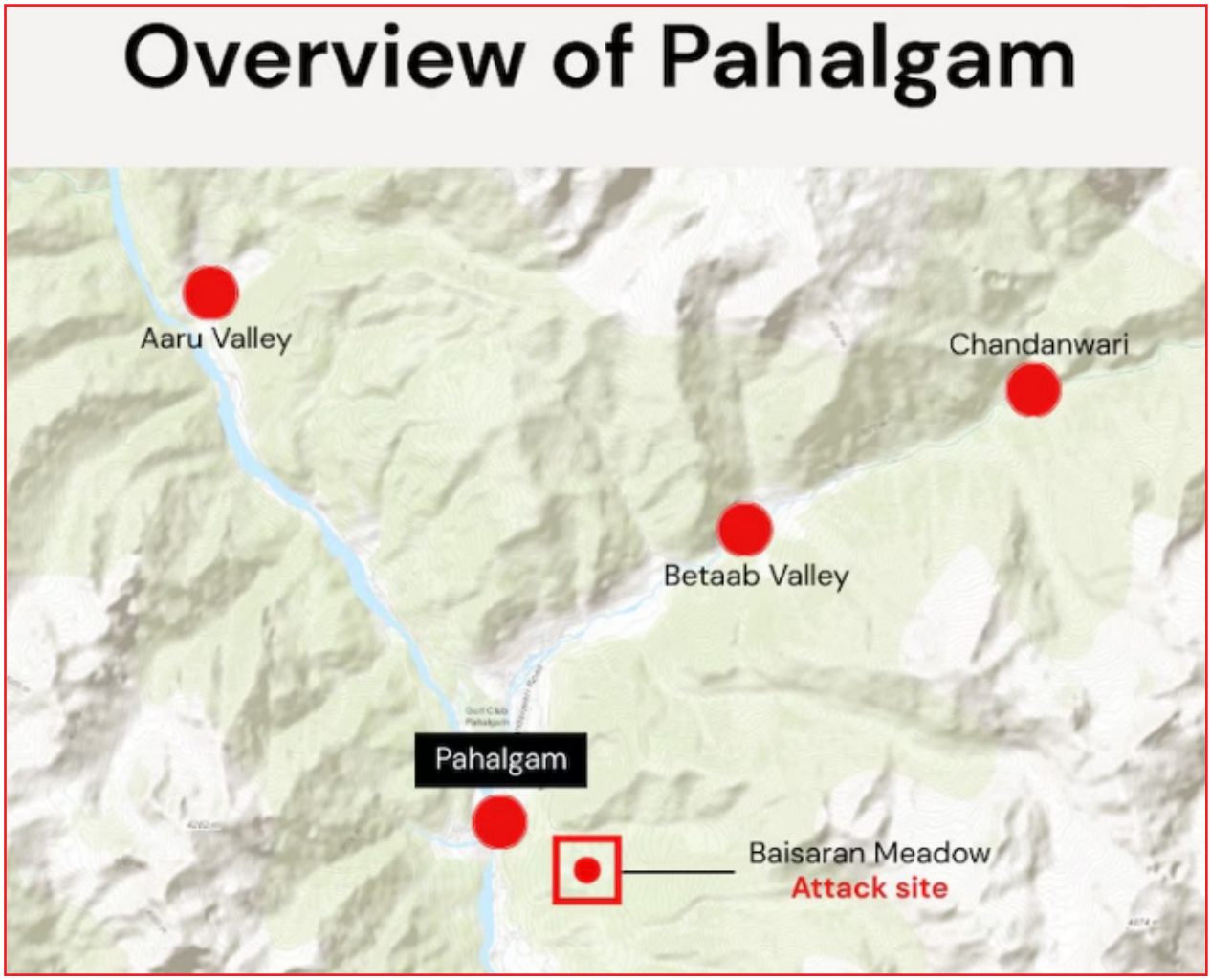

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **स्थानीय आबादी का कट्टरपंथीकरण:** स्थानीय आबादी का कट्टरपंथीकरण, विशेष रूप से **कश्मीर जैसे संघर्ष क्षेत्रों में,** एक **गंभीर चिंता का विषय** बना हुआ है।
  - **इन क्षेत्रों में युवा,** राज्य से निराश होकर या चरमपंथी विचारधाराओं से प्रभावित होकर, **तेज़ी से आतंकवादी समूहों में शामिल** हो रहे हैं।
  - **ऑनलाइन कट्टरपंथ एवं** टेलीग्राम जैसे **सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के माध्यम से चरमपंथी प्रचार-प्रसार** के साधनों के बढ़ने से यह समस्या और भी गंभीर हो गई है, जिससे आंतरिक आतंकवाद को रोकना और भी कठिन हो गया है।
- **साइबर आतंकवाद:** साइबर आतंकवाद खतरे के एक आधुनिक रूप के रूप में उभरा है, जहाँ आतंकवादी समूह भर्ती, प्रचार और यहाँ तक कि महत्त्वपूर्ण बुनियादी अवसंरचना पर **हमले करने के लिये इंटरनेट का उपयोग** करते हैं।
  - सरकारी वेबसाइटों, वित्तीय संस्थाओं और बिजली ग्रिडों को निशाना बनाकर किये जाने वाले साइबर हमले बढ़ रहे हैं।
  - भारत विश्व में **साइबर हमलों के मामले में दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश** बनकर उभरा है, क्योंकि वर्ष **2024 में 95 भारतीय संस्थाएँ डेटा चोरी के हमलों की चपेट में** आईं।
- **वामपंथी उग्रवाद (नक्सलवाद):** वामपंथी उग्रवाद, मध्य और पूर्वी भारत में एक **महत्त्वपूर्ण आंतरिक आतंकवाद का मुद्दा** बना हुआ है। ये समूह, मुख्य रूप से **जनजाति बहुल क्षेत्रों में सक्रिय** हैं, राज्य को चुनौती देने और अपनी क्रांतिकारी विचारधाराओं का प्रचार करने के लिये **गुरिल्ला रणनीति** अपनाते हैं।
  - उदाहरण के लिये, वर्ष 2019 में, माओवादी विद्रोहियों द्वारा किये गए बम विस्फोट के कारण **महाराष्ट्र में कई कमांडो की जान चली गई।**
  - हमलों में कमी के बावजूद, ये समूह **प्रभावित क्षेत्रों में शासन और विकास को बाधित करना** जारी रखे हुए हैं।
- **पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवाद:** भारत के पूर्वोत्तर राज्यों, विशेषकर **मणिपुर और नगालैंड में उग्रवाद** के **बड़े आतंकवादी नेटवर्कों के साथ संबंध** बढ़ रहे हैं।
  - उदाहरण के लिये, मणिपुर में कुकी-मेइती संघर्ष, जो विशेष रूप से वर्ष 2023 और 2024 के दौरान तीव्र हो गया है, गंभीर हिंसा में बदल गया है, **जिसमें गहरी जातीय एवं राजनीतिक पृष्ठभूमि** है।
    - **म्याँमार के साथ सुभेद्य सीमा का फायदा** उठाने और चीन जैसे बाह्य स्रोतों से हथियार प्राप्त करने की विद्रोहियों की क्षमता इस मुद्दे को हल करने के प्रयासों को जटिल बनाती है।
  - दूरदराज़ के क्षेत्रों में **कमज़ोर प्रशासन इन समूहों को पनपने का मौका देता है,** जिससे **आतंकवाद-रोधी प्रयास जटिल** हो जाते हैं।
- **संगठित अपराध नेटवर्क का कायम रहना:** भारत में **(विशेषकर शहरी क्षेत्रों में)** संगठित अपराध **आतंकवाद के साथ जुड़ गया है।**
  - **तस्करी, जबरन वसूली और मादक पदार्थों की तस्करी** जैसी गतिविधियों में संलिप्त आपराधिक गिरोह प्राय: अपने कार्यों के वित्तपोषण के लिये आतंकवादी संगठनों के साथ सहयोग करते हैं।
    - उदाहरण के लिये, जनवरी 2025 में, **पंजाब पुलिस ने सीमा पार से मादक पदार्थ और हथियार तस्करी गिरोह को ध्वस्त करने की घोषणा की।**
  - **अपराध और आतंकवाद के बीच गठजोड़** दिल्ली व मुंबई जैसे प्रमुख शहरों में कई **हाई-प्रोफाइल बम विस्फोटों एवं आतंकवादी हमलों के लिये जिम्मेदार** रहा है, जिससे **आतंकवाद पर अंकुश लगाने के प्रयास जटिल** हो गए हैं।

भारत में आतंकवाद से निपटने के लिये वर्तमान सुरक्षा कार्यढाँचा क्या है?

- **राष्ट्रीय स्तर की आतंकवाद निरोधी एजेंसियाँ**
  - राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA): आतंकवाद से संबंधित मामलों की जाँच और मुकदमा चलाने के लिये **प्राथमिक**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

एजेंसी, विशेष रूप से सीमा पार आतंकवाद और संगठित आतंकी नेटवर्क से जुड़े मामलों की जाँच एवं मुकदमा चलाने के लिये प्राथमिक एजेंसी।

- उच्च-स्तरीय आतंकवादी मामलों से निपटना, ऑपरेशन का संचालन तथा **अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय करके राष्ट्रीय सुरक्षा** सुनिश्चित करना।

- **रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (R&AW):** भारत की बाह्य खुफिया एजेंसी जो सीमा पार आतंकवाद, विशेष रूप से पाकिस्तान आधारित समूहों से आतंकवाद का मुकाबला करने के लिये जिम्मेदार है।

- **विधायी संरचना**
  - **ऑस्ट्रियाई कैथेड्रल (रोकथम) अधिनियम (UAPA), 1967:** आतंकवादी अपराधियों पर **मुकदमा दायर करने के लिये कानूनी आधार** प्रदान किया जाता है तथा **अपराधियों को नामित करने की अनुमति** दी जाती है।
    - कानून प्रवर्तन निदेशालय को किसी भी **लंबी अवधि तक आरोप के बिना, संपत्ति को ज़ब्त करने और संदेहों पर नजर रखने का अधिकार** देता है।
  - **राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA), 1980:** एक **निवारक निरोध कानून** जो अधिकारियों को आतंकवादियों से संबंधित गुटों में शामिल करता है, उन्हें प्रदर्शनकारियों के बिना घोषित अवधि के लिये हिरासत में रखने की अनुमति देता है।
    - संदिग्ध आतंकवादियों को हिरासत में लेकर और उन्हें **जमानत पर रिहा होने से रोककर आतंकवाद से संबंधित गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिये** इसका इस्तेमाल किया जाता है।

- **सुरक्षा बल एवं विशेष इकाई**
  - **सशस्त्र पुलिस बल (CAPF):** CRPF, BSF, ITBP, और SSB जैसी एजेंसियाँ आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिये महत्त्वपूर्ण हैं, विशेष रूप से सीमावर्ती एवं संघर्ष क्षेत्रों में।
    - घुसपैठ को रोकने, **सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और आतंकवाद विरोधी अभियानों का समर्थन** करने के लिये **संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात** हैं।
  - **राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG):** आतंकवाद विरोधी अभियानों में विशेषज्ञता रखने वाली एक विशिष्ट विशेष बल इकाई, **विशेष रूप से बंधकों को बचाने जैसी उच्च जोखिम वाली स्थितियों के लिये।**
    - बड़े पैमाने पर आतंकवादी हमलों से जुड़ी स्थितियों को संभालता है, जैसे कि मुंबई-शैली के हमले या आतंकवादी घेराबंदी।

- **तकनीकी और खुफिया अवसंरचना**
  - **राष्ट्रीय खुफिया नेटवर्क (NatGrid):** एकीकृत खुफिया कार्यढाँचा जो रियल-टाइम थ्रेट एनालिसिस प्रदान करने के लिये कई एजेंसियों से डेटा को जोड़ता है।
    - विभिन्न क्षेत्रों (बैंकिंग, आव्रजन, फोन रिकॉर्ड) में आतंकवादी गतिविधियों की निगरानी करता है ताकि पैटर्न का पता लगाया जा सके।

भारत अपने आतंकवाद-रोधी प्रयासों को बढ़ाने के लिये क्या उपाय अपना सकता है?

- **इंटेलिजेंस जानकारी के साझाकरण और एकीकरण को सुदृढ़ करना:** भारत को कार्रवाई योग्य सूचना के निर्बाध प्रवाह को बनाने के लिये **NIA, IB, RAW एवं राज्य पुलिस बलों जैसी विभिन्न एजेंसियों के बीच खुफिया जानकारी के एकीकरण को और बढ़ाया जाना** चाहिये।
  - **आतंकी समूहों और उनकी गतिविधियों की त्वरित पहचान** करने तथा गंभीर परिस्थितियों में प्रतिक्रिया समय को कम करने के लिये **शीघ्र हस्तक्षेप करने में सहायता की आवश्यकता** है।
  - **अंतर्राष्ट्रीय खुफिया एजेंसियों के साथ सहयोग को बढ़ावा** देने से आतंकवाद विरोधी अभियानों की सटीकता एवं समयबद्धता में और सुधार होगा।
- **उन्नत निगरानी और AI-संचालित निगरानी प्रणालियों का कार्यान्वयन:** निगरानी के लिये **AI-संचालित तकनीकों को अपनाने से भारत के आतंकवाद-रोधी प्रयासों में उल्लेखनीय सुधार** हो सकता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **उन्नत चेहरे की पहचान प्रणाली, पूर्वानुमान विश्लेषण और डेटा माइनिंग टूल** की तैनाती से संभावित **आतंकवादी खतरों एवं नेटवर्क की पहचान करने में सहायता** मिल सकती है, इससे पहले कि वे हमला कर सकें।
- ये प्रौद्योगिकियाँ **वित्तीय लेनदेन, संचार और सोशल मीडिया गतिविधि में असामान्य पैटर्न का पता लगाने में सहायता** कर सकती हैं जो प्राय: आतंकवादी गतिविधियों से पहले होती हैं।

- **स्मार्ट फेंसिंग और ड्रोन के माध्यम से सीमा सुरक्षा में वृद्धि:** आतंकवादी समूहों द्वारा सीमा पार से घुसपैठ को रोकने के लिये भारत को संवेदनशील सीमाओं पर **'स्मार्ट फेंसिंग' में निवेश** करना चाहिये, **जिसमें सेंसर, निगरानी कैमरे और मानव रहित हवाई वाहन (UAV) शामिल** हों, ताकि एक व्यापक एवं उत्तरदायी निगरानी प्रणाली बनाई जा सके।
  - **सीमाओं पर गश्त करने और वास्तविक काल में आवागमन को ट्रैक करने के लिये ड्रोन** का उपयोग करने से **घुसपैठियों के लिये बिना पकड़ में आए सीमा पार करना मुश्किल** हो जाएगा।
  - **यह पहल, जब BSF और अन्य स्थानीय सुरक्षा बलों के बीच बेहतर संचार एवं समन्वय के साथ मिलकर काम करेगी,** तो सीमा पार आतंकवाद व तस्करी में काफी कमी आएगी।
- **सामुदायिक सहभागिता और कट्टरपंथ विरोधी कार्यक्रम:** भारत को **ज़मीनी स्तर पर कट्टरपंथ विरोधी मज़बूत रणनीतियों पर ध्यान** केंद्रित करना चाहिए। **स्थानीय समुदायों को शामिल करके,** विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर एवं पूर्वोत्तर जैसे संघर्ष क्षेत्रों में, अधिकारी विश्वास का निर्माण कर सकते हैं तथा चरमपंथी विचारधाराओं के प्रसार को रोक सकते हैं।
  - **कमज़ोर युवाओं के लिये शैक्षिक कार्यक्रम, व्यावसायिक प्रशिक्षण और सामाजिक एकीकरण पहलों** को लागू करने से संभावित भर्तियों को आतंकवादी समूहों से दूर करने में मदद मिलेगी।
- **आतंकवाद से संबंधित कानून को संशोधित और मज़बूत करना:** भारत को साइबर आतंकवाद और हाइब्रिड युद्ध जैसे उभरते खतरों का सामना करने के लिये अपने आतंकवाद विरोधी कानूनों को संशोधित करने पर विचार करना चाहिये।
  - अकेले हमला करने वाले और स्वतंत्र रूप से काम करने वाले कट्टरपंथी व्यक्तियों जैसे **आतंकवाद के नए रूपों से निपटने के लिये UAPA एवं NSA के तहत प्रावधानों को मज़बूत करने से** सरकार को अधिक सक्रिय रूप से जवाब देने में मदद मिलेगी।
- **व्यापक आतंकवाद-रोधी साइबर सुरक्षा अवसंरचना:** चूँकि साइबर युद्ध आधुनिक आतंकवाद का एक महत्त्वपूर्ण पहलू बन गया है, इसलिये भारत को **आतंकवाद से संबंधित साइबर खतरों का मुकाबला करने पर केंद्रित एक विशेष साइबर सुरक्षा प्रभाग** स्थापित करना चाहिये।
  - इस प्रभाग को महत्त्वपूर्ण अवसंरचना, वित्तीय संस्थानों और संचार प्रणालियों को लक्षित करने वाले साइबर हमलों का पता लगाने तथा उन्हें रोकने के लिये **NIA व अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर काम** करना चाहिये।
  - **सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से समुत्थानशक्ति** सुनिश्चित करने से डिजिटल आतंकवाद के खिलाफ बेहतर बचाव संभव होगा और **महत्त्वपूर्ण डेटा अवसंरचना की सुरक्षा के लिये राष्ट्रव्यापी प्रयास से कमज़ोरियाँ कम होंगी।**
- **जन जागरूकता और खुफिया जानकारी से प्रेरित नागरिक भागीदारी: जागरूकता अभियानों और सामुदायिक सतर्कता कार्यक्रमों के माध्यम से संभावित क्षेत्रों में आतंकवाद विरोधी प्रयासों में जन भागीदारी** को प्रोत्साहित करना बल गुणक के रूप में कार्य कर सकता है।
  - नागरिकों को **संदिग्ध गतिविधियों की पहचान करने और प्रतिशोध के डर के बिना उनकी रिपोर्ट करने के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिये।** यह नियमित कार्यशालाओं, मीडिया अभियानों और एक सतर्क समाज बनाने के उद्देश्य से **आउटरीच कार्यक्रमों के माध्यम से** किया जा सकता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- इस संबंध में, ग्राम रक्षा गार्ड (जम्मू और कश्मीर में 1990 के दशक के मध्य में शुरू किया गया) को पुनर्जीवित एवं सुदृढ़ करना ज़मीनी स्तर पर सुरक्षा प्रयासों को और मज़बूत कर सकता है।

- **आतंकवाद से निपटने के लिये आर्थिक और कूटनीतिक लाभ का उपयोग:** भारत को अपनी व्यापक आतंकवाद विरोधी रणनीति के हिस्से के रूप में **आर्थिक और कूटनीतिक लाभ के उपयोग का विस्तार** करना चाहिये, **ऐसे देशों को लक्षित करना चाहिये जो आतंकवादी समूहों को पनाह देते हैं** या प्रायोजित करते हैं।
  - इसका एक **हालिया उदाहरण** भारत द्वारा अप्रैल 2025 में **पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि (IWT) को निलंबित करना** है, जिसे पाकिस्तान द्वारा सीमा पार आतंकवाद को लगातार समर्थन दिये जाने के प्रत्यक्ष जवाब के रूप में देखा गया था।
  - हालाँकि, यह आवश्यक है कि **भारत पाकिस्तानी राज्य तंत्र, विशेष रूप से उसके सैन्य-खुफिया प्रतिष्ठान की नीतियों और कार्रवाइयों के प्रति लक्षित एवं आनुपातिक प्रतिक्रिया के रूप में ऐसे उपायों को स्पष्ट करे।**
    - यह सुनिश्चित करता है कि सरकार और पाकिस्तान के लोगों के बीच अंतर बना रहे, जिससे **भारत की सैद्धांतिक शासन कला एवं जिम्मेदार कूटनीति के प्रति प्रतिबद्धता को बल** मिले।

निष्कर्ष:

पहलगाम हमले से उजागर हुआ **आतंकवाद का जारी रहना भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिये खतरों की उभरती और बहुआयामी प्रकृति** को रेखांकित करता है। भारत को खुफिया सहयोग, तकनीकी सतर्कता और सामुदायिक सहभागिता को बढ़ाना जारी रखना चाहिये। जैसा कि आतंकवादी उद्देश्यों के लिये **नई और उभरती प्रौद्योगिकियों के उपयोग का मुकाबला करने पर दिल्ली घोषणा में पुष्टि** की गई है, आतंकवादी नेटवर्क को खत्म करने तथा शांति बनाए रखने के लिये **शून्य-सहिष्णुता दृष्टिकोण एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अनिवार्य** है।

■■■

वैश्विक अनिश्चितताओं के मध्य भारत की आर्थिक संवृद्धि

यह एडिटोरियल 22/04/2025 को बिज़नेस स्टैंडर्ड में प्रकाशित "India amid global strain: Rate cut relief versus trade war challenges" पर आधारित है। यह लेख भारत की सीमित व्यापार निर्भरता के बावजूद उसकी आर्थिक सशक्तता को रेखांकित करता है, किन्तु वैश्विक तनावों तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) में गिरावट के चलते आर्थिक संवृद्धि की मंदी की चेतावनी भी देता है।

भारत की अर्थव्यवस्था, जो अपेक्षाकृत रूप से बाह्य व्यापार पर कम निर्भर है, वैश्विक व्यापार तनावों के बढ़ने के बीच वित्त वर्ष 2024-25 में 6.5% तथा वित्त वर्ष 2025-26 में 6.2% की वृद्धि दर तक सीमित हो सकती है। अमेरिका द्वारा लगाये गये शुल्कों का प्रत्यक्ष प्रभाव सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का मात्र 0.2-0.3% है, किन्तु वैश्विक वृद्धि में कमी एवं पूँजी प्रवाह के घटने जैसे अप्रत्यक्ष प्रभाव अधिक चिंता का विषय हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) में वर्ष-दर-वर्ष $11.5 बिलियन से घटकर केवल $1.4 बिलियन रह गया है। भारत इन चुनौतियों से पार पाने के लिये सुधारों में तीव्रता, घरेलू माँग को सशक्तीकरण तथा वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं में आये बदलावों का लाभ उठाने हेतु प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि कर सकता है, साथ ही बाह्य झटकों के विरुद्ध अपनी संवेदनशीलता को भी कम कर सकता है।

वैश्विक अनिश्चितताओं के मध्य भारत की आर्थिक संवृद्धि के प्रमुख चालक क्या हैं?

- **ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार के कारण मज़बूत घरेलू मांग:** घरेलू खपत भारत का सबसे मज़बूत विकास स्तंभ बना हुआ है, जिसे **ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार, कल्याणकारी योजनाओं और मुद्रास्फीति नियंत्रण से मदद मिली है।**
  - पीएमजीकेएवाई, कर कटौती और बेहतर ग्रामीण आय जैसी सरकारी हस्तांतरण योजनाओं ने शहरी खपत में कमी के बावजूद **समग्र मांग के अनुरक्षण में मदद की है**
  - उदाहरण के लिये, वित्त वर्ष 2025 में निजी अंतिम उपभोग व्यय **(पीएफसीई) में 7.3%** की वृद्धि का अनुमान है

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

और ग्रामीण गिनी गुणांक घटकर **0.237 रह गया है** तथा **सीपीआई में 3.3% (मार्च 2025)** तक की नरमी ग्रामीण आशावाद को समर्थन प्रदान करती है।

- **निजी निवेश में कमी के बीच सार्वजनिक पूंजीगत व्यय वृद्धि का आधार: वैश्विक चुनौतियों** के कारण निजी निवेश में संकोच की स्थिति बनी हुई है, लेकिन सार्वजनिक पूंजीगत व्यय ने वृद्धि, बुनियादी अवसंरचना के निर्माण और रोज़गार सृजन को गति देने में अग्रणी भूमिका निभाई है। यह प्रति-चक्रीय निवेश एक स्थिर विकास आधार रेखा सुनिश्चित करता है।
  - उदाहरण के लिये, केंद्र का पूंजीगत व्यय **साल-दर-साल (जुलाई-नवंबर 2024) 8.2% बढ़ा** और वित्त वर्ष 2025 में **11.1 लाख करोड़ रुपए आवंटित किये गए।**
  - इसके अलावा, प्रमुख बुनियादी अवसंरचना कार्यक्रमों में पीएम गति शक्ति, स्मार्ट सिटी मिशन, **अमृत भारत स्टेशन योजना** और **राज्यों को 50 साल का ब्याज मुक्त ऋण शामिल हैं।**
- **सेवा क्षेत्र की गति एवं आईटी निर्यात की स्थिरता:** भारत का सेवा क्षेत्र अब भी विकास की रीढ़ बना हुआ है, जो देश के भीतर सशक्त प्रदर्शन तथा निर्यात में तीव्र गति दर्शाता है।
  - आईटी, वित्तीय सेवाएँ तथा व्यावसायिक सेवाएँ **रोज़गार, मूल्य संवर्द्धन तथा बाह्य स्थिरता** को समर्थन प्रदान करती रही हैं, भले ही विनिर्माण निर्यात की गति धीमी रही हो।
  - उदाहरण के लिये, **वित्त वर्ष 2024-25 में सेवा क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन (GVA) 7.2% अनुमानित है तथा अप्रैल-नवंबर 2024-25** के दौरान सेवा निर्यात में 12.8% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है।
    - भारत सेवा निर्यात **में विश्व स्तर पर 7वें स्थान पर है** और **जीसीसी (वैश्विक क्षमता केन्द्र) हेतु एक वैश्विक केंद्र है।**
- **उत्पादन क्षेत्र को गति: पीएलआई, चीन+1 रणनीति तथा डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से** भारत की औद्योगिक वृद्धि अब उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना (PLI), बेहतर लॉजिस्टिक्स तथा 'चीन+1' रणनीति के अंतर्गत बढ़ते निवेशक हित द्वारा सशक्त बनायी जा रही है।
  - हालाँकि कुछ चुनौतियाँ बनी हुई हैं, फिर भी **इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा तथा रक्षा** उत्पादन जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखी गयी है।
  - उदाहरणस्वरूप, **पीएलआई योजना को 14 क्षेत्रों में लागू किया गया; स्मार्टफोन निर्यात $15 अरब का आँकड़ा पार कर गया** और भारत **वर्ष 2024 में कुल 327 आईपीओ लॉन्च कर वैश्विक स्तर पर आईपीओ** गतिविधि में अग्रणी बनकर उभरा।
- **वित्तीय क्षेत्र का सशक्तीकरण एवं ऋण प्रवाह में सुगमता:** वित्तीय क्षेत्र की बेहतर स्थिति ने ऋण के सहज संचरण तथा पूंजी तक पहुँच को संभव बनाया है, विशेष रूप से एमएसएमई तथा अवसंरचना परियोजनाओं के लिये। यह **आर्थिक अनुकूलन एवं निवेशकों के विश्वास** को सुदृढ़ करता है।
  - उदाहरण के लिये, **गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (NPA)** घटकर **12 वर्षों के न्यूनतम स्तर 2.6%** पर पहुँच गयीं और **पूंजी से जोखिमयुक्त संपत्ति अनुपात (CRAR)** सितंबर 2024 में 16.7% पर मजबूत बना रहा।
  - साथ ही, **एमएसएमई एवं सेवा क्षेत्र में ऋण प्रवाह सशक्त बना हुआ है तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) में वर्ष दर वर्ष 17.9% की** वृद्धि हुई, जो **अप्रैल-नवंबर FY25 में $55.6 अरब** तक पहुँच गया।
- **संरचनात्मक सुधार, विनियमन और डिजिटल सुशासन:** भारत की विकास संभावनाएँ चल रहे संरचनात्मक सुधारों से सशक्त हो रही हैं — जैसे **EoDB 2.0, लक्षित विनियमन** तथा शिक्षा, **अवसंरचना एवं हरित ऊर्जा क्षेत्रों में मिशन मोड योजनाएँ**, ये सुधार प्रतिस्पर्धात्मकता तथा मध्यम अवधि की उत्पादकता को सुदृढ़ करते हैं।
  - पीएम-विश्वकर्मा, **पीएलआई** और **आत्मनिर्भर भारत कोष (50,000 करोड़ रुपए) का** उद्देश्य एमएसएमई को बढ़ावा देना है।
  - **इसके अलावा, अक्षय क्षमता में साल दर साल 15.8% की वृद्धि हुई है।** राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 **और** पीएम ई-ड्राइव जैसी **हरित ऊर्जा योजनाएँ** दीर्घकालिक परिवर्तन को बढ़ावा देती हैं

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

बढ़ता वैश्विक व्यापार तनाव किस प्रकार भारत पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता हैं?

- **व्यापारिक निर्यात और औद्योगिक उत्पादन में मंदी:** वैश्विक व्यापार युद्धों एवं संरक्षणवाद के कारण वैश्विक माँग में कमी का सीधा प्रभाव भारत के विनिर्माण क्षेत्र पर पड़ता है।
  - **वस्त्र, रसायन तथा अभियांत्रिकी जैसे** निर्यात-प्रधान उद्योगों को कमज़ोर ऑर्डर प्राप्त हो रहे हैं, जिससे उनकी क्षमता उपयोग दर में गिरावट आई है।
  - उदाहरणस्वरूप, भारत का **माल निर्यात (अप्रैल-दिसंबर, वित्त वर्ष 2024-25) मात्र 1.6% की वृद्धि** दर्शाता है एवं **विश्व बैंक** ने भारत की वित्त **वर्ष 2025-26 की वृद्धि दर घटाकर 6.3%** कर दी है, **जिसका कारण कमज़ोर बाहरी माँग को बताया जा रहा है।**
- **वैश्विक विकास चुनौतियों के प्रति सेवा निर्यात की संवेदनशीलता:** हालाँकि भारत का **सेवा क्षेत्र अनुकूलनशील है**, फिर भी भारत की **सूचना प्रौद्योगिकी एवं पेशेवर सेवाओं का निर्यात अमेरिका तथा यूरोपीय संघ में आर्थिक मंदी के प्रति संवेदनशील है**, जिससे इस क्षेत्र में रोज़गार एवं राजस्व प्रभावित होता है।
  - **सेवा निर्यात भारत के कुल निर्यात का 40% से अधिक है और चूँकि IMF ने आगामी** पाँच वर्षों के लिये वैश्विक विकास दर 3.2% रहने का अनुमान दिया है, जो ऐतिहासिक औसत से कम है, यह मंदी भारत के **ग्लोबल कैप्टिव सेंटर्स (GCC) तथा ITES नौकरी बाज़ार को प्रभावित कर सकती है, जो प्रमुख श्वेतपोश नियोक्ता हैं।**
- **पूंजी प्रवाह में अस्थिरता और निवेशकों की कमज़ोर होती धारणा:** बढ़ते व्यापार तनाव के कारण वैश्विक स्तर पर जोखिम उठाने की क्षमता कम हो गई है, जिससे एफपीआई का बहिर्वाह बढ़ रहा है और भारत के इक्विटी और ऋण बाज़ारों में अस्थिरता है। अनिश्चितता के कारण निवेशकों का विश्वास कमज़ोर हो रहा है।
  - उदाहरण के लिये, **FPI प्रवाह वित्त वर्ष 2023-24 में $41 अरब से घटकर वित्त वर्ष 2024-25 में मात्र $2.7 अरब रह गया।** फरवरी 2025 तक भारतीय शेयर बाज़ार ने लगातार **पाँच महीनों तक गिरावट दर्ज** की, जो **1996 के बाद सबसे खराब प्रदर्शन रहा।**
- **आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान से औद्योगिक दक्षता प्रभावित:** वैश्विक व्यापार विखंडन और नीति अनिश्चितता ने आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित कर दिया है, जिससे भारतीय फर्मों के लिये इनपुट उपलब्धता, लागत संरचना और निर्यात समय-सीमा प्रभावित हुई है।
  - **आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25** ने वैश्विक विनिर्माण क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखला चुनौतियों के कारण **आई मंदी को रेखांकित किया है; वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही में औद्योगिक वृद्धि में कमी** का एक कारण मानसून से जुड़ी एवं बाह्य आपूर्ति समस्याएँ भी थीं।
- **रुपए के अवमूल्यन के माध्यम से आयातित मुद्रास्फीति का जोखिम:** व्यापार तनावों के चलते जोखिम से बचाव की प्रवृत्ति बढ़ती है, जिससे अमेरिकी डॉलर मज़बूत होता है और भारतीय रुपया दबाव में आ जाता है, परिणामस्वरूप कच्चे तेल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे आयातित वस्तुओं की लागत में वृद्धि होती है।
  - उदाहरणस्वरूप, फरवरी 2025 तक रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले **1.8% अवमूल्यित हो चुका** है, जबकि वर्ष **2023 में यह गिरावट 1.5%** थी।
- **निर्यातोन्मुख क्षेत्रों में रोज़गार बाज़ार की नाज़ुक स्थिति: धीमी निर्यात और कमज़ोर वैश्विक मांग के कारण वस्त्र, रत्न एवं आभूषण तथा आईटी सेवाओं** जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों में रोज़गार और श्रम प्रभावित हो रहा है, जिससे युवा बेरोज़गारी बढ़ रही है।
  - भारत में **युवा बेरोज़गारी दर पहले से ही ~15% के** उच्च स्तर पर बनी हुई है और **आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 ने** पिछले दो वर्षों में भारत के आईटी क्षेत्र में भर्ती में मंदी पर प्रकाश डाला है।
- **भू-आर्थिक विखंडन बहुपक्षवाद को कमज़ोर कर रहा है:** व्यापार युद्ध खुले बहुपक्षवाद से ध्यान हटाकर द्विपक्षीयता और रणनीतिक गुटों की ओर ले जा रहे हैं, जहाँ **भारत को तब तक दबाव में रहने का खतरा है जब तक कि वह क्षेत्रीय साझेदारी या मुक्त व्यापार समझौतों को नहीं करता।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- उदाहरण के लिये, **भारत केवल इसे 13 एफटीए समझौतों में शामिल हैं, जो वियतनाम जैसे समकक्षों की तुलना में बहुत कम हैं** तथा कनाडा और यूरोपीय संघ के साथ चल रही लेकिन अनिर्णीत वार्ताएँ गहरी संरचनात्मक चुनौतियों को उजागर करती हैं।

उभरती वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच सुदृढ़ आर्थिक संवृद्धि सुनिश्चित करने के लिये कौन-से उपाय अपना सकता है?

- **राजकोषीय संघवाद के माध्यम से विकेन्द्रीकृत पूंजीगत व्यय:** भारत को राज्यों को अधिक वित्तीय स्वायत्तता देकर उन्हें परिणाम-आधारित पूँजीगत व्यय हेतु प्रोत्साहित करना चाहिये।
  - वित्त आयोगों के माध्यम से **पूँजीगत व्यय निधियों के हस्तांतरण** हेतु सूत्र-आधारित दृष्टिकोण क्षेत्रीय अवसंरचना एवं रोज़गार सृजन को बेहतर बना सकता है।
  - **योजनाबद्धता एवं क्रियान्वयन** में राज्यों की क्षमता को **सशक्त करना बहुगुणक** प्रभावों को तीव्र कर सकता है।
    - **विकेन्द्रीकृत सार्वजनिक निवेश** राज्य स्तर पर निजी क्षेत्र की भागीदारी को आकर्षित कर सकता है।
- **घरेलू विनिर्माण मिटेलस्टैण्ड का निर्माण: भारत को जर्मनी के मिटेलस्टैण्ड मॉडल की तरह मध्यम आकार की विनिर्माण फर्मों का प्रतिस्पर्धी आधार** बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये।
  - इसके लिये **व्यवस्थित विनियमन, सरलीकृत कर व्यवस्था, पूर्वानुमानित नीतिगत वातावरण** तथा प्रौद्योगिकी और वित्त तक पहुँच की आवश्यकता है।
  - **MSME क्लस्टरिंग तथा वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकरण को नीति की प्राथमिकता बनाना आवश्यक है।**
- **योजना-केन्द्रित से परिणाम-आधारित ग्रामीण विकास की ओर बदलाव:** ग्रामीण मांग को स्थायी रूप से बढ़ाने के लिये, भारत को स्थानीयकृत परिणाम मीट्रिक के आसपास **रोज़गार, कौशल और कृषि के लिये योजनाओं को फिर से डिजाइन करना होगा।**
  - **बाज़ार, ऋण, भंडारण और डिजिटल सेवाओं तक पहुँच के साथ एकीकृत ग्रामीण क्लस्टर** उत्पादकता और खपत को बढ़ाएँगे।
  - कार्यान्वयन के लिये पंचायतों को नोडल एजेंसी बनाया जा सकता है। मज़बूत निगरानी और विकेन्द्रीकृत फीडबैक आवश्यक हैं।
- **उच्च मूल्य, विशिष्ट क्षेत्रों के लिये निर्यात रणनीति: भारत को मात्रा-आधारित निर्यात से मूल्य-आधारित और आईपी-गहन क्षेत्रों जैसे सेमीकंडक्टर,** बायोफार्मा, ईवी घटक और रक्षा हार्डवेयर की ओर बढ़ना चाहिये।
  - इसके लिये **विशिष्ट व्यापार इकाइयों, लक्षित अनुसंधान एवं विकास वित्तपोषण** तथा विनियामक सामंजस्य के लिये समन्वित कूटनीति की आवश्यकता है।
  - क्षेत्र-विशिष्ट निर्यात केंद्र बनाए जा सकते हैं। उच्च मूल्य वाले निर्यात भारत को कम मार्जिन वाले वैश्विक व्यापार अस्थिरता से बचा सकते हैं।
- **तेल एवं विदेशी मुद्रा से परे रणनीतिक भंडार एवं सार्वभौमिक निधियों का विकास:** भारत को सार्वभौमिक निधियों को स्थापित करनी चाहिये - **न केवल तेल या विदेशी मुद्रा के लिये, बल्कि अर्द्धचालक, दुर्लभ मृदा तत्त्व और खाद्य वस्तुओं जैसे आवश्यक आगतों के लिये भी।**
  - इन निधियों का उपयोग बाह्य आपूर्ति संकट के दौरान किया जा सकता है। एक अंतर-मंत्रालयी समन्वय कार्य बल को संस्थागत बनाया जाना चाहिये।
  - **इस तरह के वित्तीय और भौतिक बफर्स से मूल्य अस्थिरता और आपूर्ति श्रृंखला जोखिम को प्रबंधित करने में** मदद मिलेगी।
- **सर्कुलर इकोनॉमी पर ध्यान केंद्रित करते हुए हरित औद्योगिक नीति को उत्प्रेरित करना: भारत को हरित तकनीक, अपशिष्ट से ऊर्जा और सर्कुलर अर्थव्यवस्था उपक्रमों** के लिये प्रोत्साहन के माध्यम से औद्योगिक नीति के साथ जलवायु कार्रवाई को एकीकृत करना चाहिये।
  - विनियामक स्पष्टता, **हरित पेटेंट और दीर्घकालिक कार्बन बाज़ार कार्यढाँचे** महत्त्वपूर्ण हैं। हरित वर्गीकरण पूंजी आवंटन का मार्गदर्शन करेगा।
    - इससे यह सुनिश्चित होता है कि विकास **सतत्, समावेशी और भविष्य-सक्षम हो।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **रोज़गार-केंद्रित शहरी आर्थिक क्लस्टर बनाएँ:** मेट्रो-केंद्रित शहरी विकास से परे, भारत को माध्यमिक शहरों को औपचारिक रोज़गार, स्टार्टअप नवाचार और औद्योगिक सेवाओं के केंद्र के रूप में विकसित करने की आवश्यकता है।
  - **कौशल विकास और डिजिटल प्लेटफॉर्म** से जुड़ी शहरी रोज़गार योजनाएँ पलायन के दबाव को कम कर सकती हैं। ऐसे क्लस्टर रोज़गार सृजन को विकेंद्रीकृत करते हैं और शहरीकरण पैटर्न को जोखिम मुक्त करते हैं।
- **अनुसंधान, डिज़ाइन और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पारिस्थितिकी तंत्र में निवेश को बढ़ावा देना:** भारत को विश्वविद्यालय-उद्योग-सरकार संबंधों के माध्यम से नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिये विनिर्माण प्रोत्साहन से आगे बढ़ना होगा।
  - **AI, बायोटेक, उन्नत सामग्री और क्वांटम तकनीक** में अनुप्रयुक्त अनुसंधान के लिये मिशन-मोड वित्तपोषण को बढ़ाया जाना चाहिये।
    - राष्ट्रीय प्रयोगशालाएँ सार्वजनिक प्रयोजन की प्रौद्योगिकियों को विकसित कर सकती हैं। इससे भारत **लागत-संचालित अर्थव्यवस्था के बजाय नवाचार-संचालित अर्थव्यवस्था में बदल जाएगा।**
- **कारक बाज़ारों का संस्थागत सुधार - भूमि, श्रम और रसद: भूमि अधिग्रहण की संरचनात्मक बाधाएँ, कठोर श्रम कानून एवं खंडित लॉजिस्टिक्स प्रणाली निवेश को कम आकर्षक बनाते हैं।**
  - **एक आदर्श भूमि पट्टा संहिता और श्रम संहिता डिजिटलीकरण को** सभी राज्यों में पूर्णत: लागू किया जाना चाहिये।
    - **डिजिटलीकृत माल गलियारों और बंदरगाह सुधार** के माध्यम से राष्ट्रीय रसद लागत में कटौती की जानी चाहिये।

निष्कर्ष:

मज़बूत घरेलू आर्थिक दशाओं के बावजूद, भारत बढ़ते वैश्विक व्यापार तनावों एवं भू-अर्थिक खंडन से अछूता नहीं रह सकता। अनुकूल एवं समावेशी वृद्धि सुनिश्चित करने हेतु भारत को निर्णायक रूप से कार्य करना होगा- सार्वजनिक निवेश को बढ़ाना, मुक्त व्यापार समझौतों को सशक्त करना, उच्च-मूल्य निर्यात को पोषित करना एवं एक सुदृढ़ विनिर्माण आधार बनाना होगा। साथ ही, हरित नवाचार, संस्थागत सुधार एवं विकेन्द्रीकृत विकास के माध्यम से अर्थव्यवस्था को भविष्य-सिद्ध बनाना भी अनिवार्य है।

■■■

खाद्य पदार्थों में अपमिश्रण पर कार्रवाई की आवश्यकता

यह एडिटोरियल 22/04/2025 को इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित "India has a serious food adulteration problem," पर आधारित है। इस लेख के माध्यम से भारत में खाद्य पदार्थों में अपमिश्रण की स्थिति पर प्रकाश डाला गया है, जो एक केस स्टडी के आधार पर खाद्य सुरक्षा से संबंधित नियामक मुद्दों से निपटने का आह्वान करता है साथ ही भारत में खाद्य पदार्थ-अपमिश्रण की समस्या से निपटने के उपाय भी सुझाए गए हैं।

भारत में खाद्य पदार्थों में अपमिश्रण **एक गंभीर समस्या** बन गई है, जिससे लाखों नागरिक प्रभावित हो रहे हैं और सार्वजनिक स्वास्थ्य को अपूरणीय क्षति हो रही है। एक सख्त **विनियामक ढाँचे के बावजूद, प्रभावी प्रवर्तन की कमी, व्यापक भ्रष्टाचार और सीमित उपभोक्ता जागरूकता** के कारण यह प्रथा अब भी फल-फूल रही है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) और राज्य-स्तरीय खाद्य प्राधिकरणों के माध्यम से सरकार के प्रयास सराहनीय हैं, फिर भी वे इस खतरे को रोकने में अपर्याप्त हैं।

खाद्य पदार्थों में अपमिश्रण क्या है?

- FSSAI के अनुसार, **खाद्य पदार्थों में अपमिश्रण** से तात्पर्य **जानबूझकर ऐसे पदार्थों को मिलाना, प्रतिस्थापित करना या हटाना** है जो **भोजन की प्रकृति, गुणवत्ता या सुरक्षा पर नकारात्मक प्रभाव** डालते हैं।
  - इसमें **अनजाने में होने वाला संदूषण** भी शामिल है जो कृषि, फसलों की कटाई, भंडारण, प्रसंस्करण, परिवहन या वितरण के दौरान हो सकता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

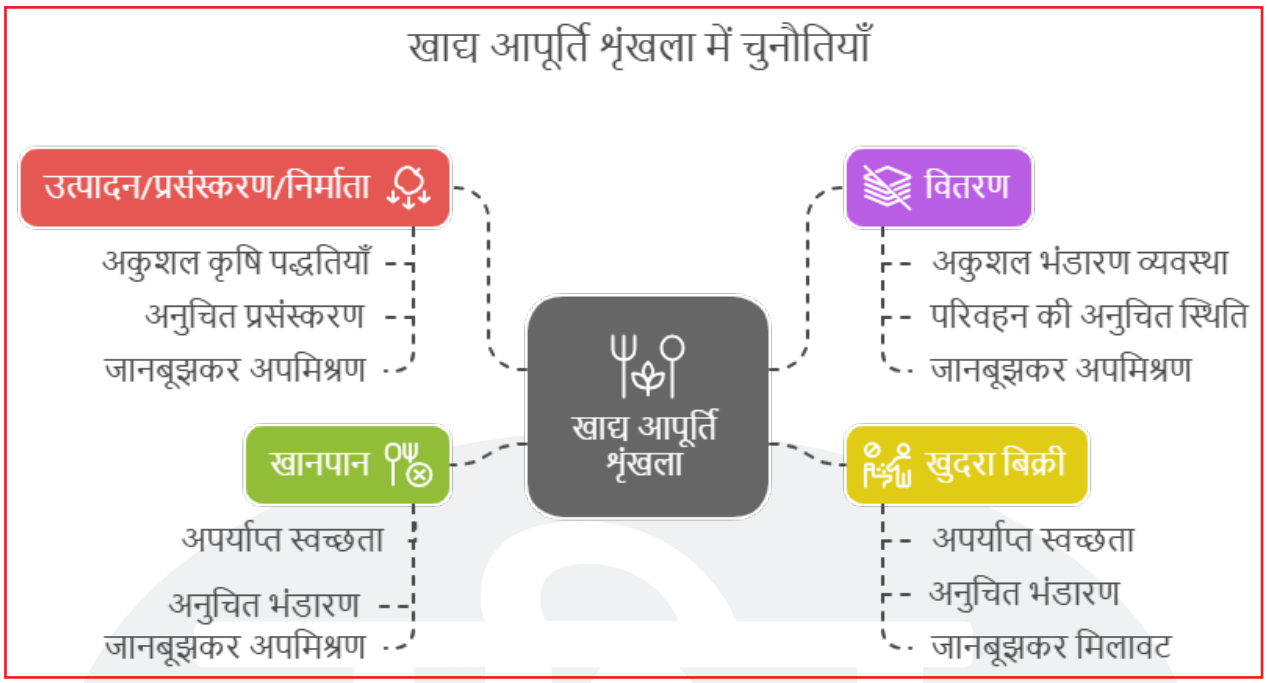

- **विभिन्न खाद्य पदार्थों में अपमिश्रण के प्रकार:**

खाद्य पदार्थों की सूची	अपमिश्रणी पदार्थ	हानिकारक प्रभाव
दूध	अस्वास्थ्यकर जल, चॉक पाउडर, साबुन पाउडर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यूरिया	खाद्य विषाक्तता, हृदय संबंधी समस्याएँ, कैंसर, उल्टी, मतली
काली मिर्च	पपीते के बीज	यकृत विकार, उदर विकार
तेल	आर्गेमोन बीज,	जानपदिक जलशोफ (एपिडेमिक ड्रॉप्सी), गंभीर ग्लूकोमा
घी	वनस्पति तेल, पशुओं के शरीर का वसा	एनीमिया, हृदय के आकार में वृद्धि (कार्डियोमेगाली)
मिर्च पाउडर	लाल रंग, ईंट पाउडर, बालू, रोडामाइन	उदर संबंधी समस्याएँ, कृत्रिम रंग कैंसर का कारण बन सकते हैं
हल्दी पाउडर	पीला एनिलिन डाई, मेटानिल जैसे गैर-अनुमत रंग,	कैंसरकारी, उदर संबंधी समस्याएँ

भारत में खाद्य पदार्थों में अपमिश्रण की स्थिति क्या है?

- **अपमिश्रण की व्यापकता:** भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) के अनुसार, सत्र 2018-19 में परीक्षण किये गए **खाद्य नमूनों में से लगभग 26.4% अपमिश्रणी पदार्थ** पाए गए, जबकि सत्र 2016-17 में यह आँकड़ा 23.4% था।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- सत्र 2023-24 में, FSSAI ने **1.5 लाख से अधिक खाद्य नमूनों का विश्लेषण** किया, जिनमें से 33,000 से अधिक **गैर-अनुरूप** पाए गए।
- सबसे आम **अपमिश्रण में गैर-खाद्य पदार्थ शामिल** होते हैं जिन्हें खाद्य उत्पादों में या तो उनका वज़न बढ़ाने या उनकी दिखावट सुधारने के लिये मिलाया जाता है।

- **Nestlé इंडिया के मैगी नूडल्स में सीसा और मोनोसोडियम ग्लूटामेट (MSG) की मात्रा अत्यधिक** पाई गई।
- **उच्च अपमिश्रण दर:** वर्ष 2024 में, **राजस्थान में परीक्षण किये गए लगभग 25% खाद्य नमूने अपमिश्रणी** पाए गए, जिसके कारण 6.6 लाख किलोग्राम से अधिक खाद्य उत्पादों को ज़ब्त या नष्ट कर दिया गया।
- **डेयरी उत्पाद जाँच के दायरे में:** नोएडा और **ग्रेटर नोएडा में पनीर के 83 % प्रतिदर्श गुणवत्ता परीक्षण में विफल** रहे, तथा 40% को **हानिकारक रसायनों एवं अज्ञात पदार्थों के कारण असुरक्षित** माना गया।
- **मसाला संदूषण:** देश भर में परीक्षण किये गए **मसाला नमूनों में से लगभग 12% सुरक्षा मानकों पर खरे नहीं** उतरे, जिससे कीटनाशक अवशेषों एवं अन्य **संदूषकों के बारे में चिंताएँ** बढ़ गईं।
- **उदाहरण:** MDH और एवरेस्ट मसालों में **कैंसरकारी कीटनाशक एथिलीन ऑक्साइड का अपमिश्रण** पाया गया है, जिसके कारण सिंगापुर और हाँगकांग जैसे देशों द्वारा इनके **उत्पाद वापस कर दिये गए** तथा संदूषण के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका में भी **उत्पाद को अस्वीकार कर दिया गया।**

भारत में खाद्य पदार्थों में अपमिश्रण क्यों जारी है?

- **खाद्य सुरक्षा कानूनों का अपर्याप्त प्रवर्तन और अनौपचारिक बाज़ार:** भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) को **खाद्य सुरक्षा कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने में चुनौतियों का सामना** करना पड़ रहा है।
  - खाद्य उद्योग का लगभग **एक तिहाई हिस्सा FSSA के बारे में अनभिज्ञ** है और इसलिये इसके नियमों के बारे में भी अनभिज्ञ है।
  - भारत की **खाद्य आपूर्ति शृंखला खंडित** है, अनौपचारिक बाज़ारों में **80% बिक्री पर निगरानी का अभाव** है।
- **व्यापक राष्ट्रीय स्तर की नीति का अभाव: राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर** पर, साथ ही राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मानकों के बीच **खाद्य प्रसंस्करण पर एकीकृत और व्यापक राष्ट्रीय नीति का अभाव**, भारतीय राज्यों में अलग-अलग नियामक प्रथाओं को जन्म देता है तथा **ऐसी स्थिति** उत्पन्न करता है जहाँ **अपमिश्रणी खाद्य को अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों द्वारा अस्वीकार** किया जा सकता है।
  - उदाहरण के लिये, खाद्य उत्पादों में **सीसे की स्वीकार्य सीमा भारत और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के बीच भिन्न-भिन्न** है, **भारत कुछ उत्पादों में उच्च स्वीकार्य सीमा की अनुमति देता है,** जिससे **खाद्य सुरक्षा प्रयासों को नुकसान** पहुँचता है।
- **खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में सीमित संसाधन:** भारत में कई खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को **संसाधनों की कमी** का सामना करना पड़ता है, जिससे **उचित स्वच्छता और सुरक्षा मानकों को बनाए रखने में उनकी क्षमता में बाधा** आती है।
  - खाद्य तेल को प्राय: **लागत में कटौती** के उपायों के लिये तलने हेतु बार-बार **पुन: उपयोग** किया जाता है, जिससे **एक्रोलिन और ट्रांस फैट** जैसे हानिकारक यौगिक बनते हैं, जो **हृदय और जठरांत्र संबंधी समस्याओं का कारण** बन सकते हैं।
  - अवशिष्ट खाद्य उत्पादों एवं तेलों का सुरक्षित तरीके से निपटान न हो पाने के कारण अपमिश्रण की समस्या और बढ़ जाती है।
  - **प्रशिक्षित जनशक्ति की कमी** खाद्य सुरक्षा मानकों के प्रभावी कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न करती है तथा **FICCI के एक अध्ययन** में पाया गया कि **25.53% उत्तरदाताओं ने इसे एक प्रमुख चुनौती** बताया।
- **खाद्य उत्पादन की आपूर्ति शृंखला की उपेक्षा:** खाद्य उत्पादन **आपूर्ति शृंखला की निगरानी और विनियमन में उपेक्षा** खाद्य अपमिश्रण में महत्त्वपूर्ण योगदान देती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- उदाहरण के लिये, कृषि में उच्च तीव्रता वाले **कीटनाशक रसायनों के उपयोग** को अंतिम फसल उत्पादों में **भारी मात्रा में कीटनाशक अवशेषों से संबद्ध बताया गया** है, जो अंततः खाद्य पदार्थों को संदूषित कर देते हैं। (उदाहरण के लिये, **MDH मसालों में पाया जाने वाला कैंसरकारी कीटनाशक एथिलीन ऑक्साइड का स्तर**)।
- **कीटनाशक अवशेषों** और अन्य खाद्य सुरक्षा कानूनों के लिये **नियामक निगरानी प्रायः अपर्याप्त** होती है, जिससे संदूषित खाद्य उत्पाद आपूर्ति श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं।

- **अमानक सहायक अवसंरचना:** भवनों में **जल आपूर्ति के लिये आचार संहिता, 1957** घरेलू जल आपूर्ति के लिये **सीसे के पाइपों के उपयोग पर प्रतिबंध** लगाती है तथा जल में **सीसे की सांद्रता को 10 μg/L तक सीमित** करती है।
  - हालाँकि, यह **ओवरफ्लो प्रणालियों के लिये सीसा पाइपिंग की अनुमति** देता है, जिसका उपयोग कभी-कभी खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में किया जाता है, जिससे **खाद्य पदार्थों में सीसा संदूषण** हो सकता है।
  - **अमानक फोर्टिफिकेशन से भी खाद्य पदार्थों में अपमिश्रण** होता है, जैसे कि जब **फोर्टिफिकेशन सामग्री को चावल में अकुशल तरीके** से मिलाया जाता है।
    - इन **मुद्दों को प्रायः भ्रामक लेबलिंग द्वारा छुपाया जाता है,** जिसमें उत्पाद की गुणवत्ता के बारे में झूठा दावा किया जाता है।
  - यह मुद्दा उन **विनियमों में खामियों को उजागर करता है** जो खाद्य उद्योग में **असुरक्षित प्रथाओं की अनुमति** देते हैं, जिससे खाद्य पदार्थों में अपमिश्रण और विषाक्तता का खतरा बढ़ता है।

भारत में खाद्य विनियमन के लिये कानूनी और नीतिगत ढाँचा क्या है?

- **खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम (FSSA), 2006:** यह अधिनियम मानव उपभोग के लिये सुरक्षित व पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करने के लिये खाद्य के निर्माण, प्रसंस्करण, वितरण, बिक्री एवं आयात को विनियमित तथा निगरानी करने के लिये भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) की स्थापना करता है।
  - इस अधिनियम का उद्देश्य **जन स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिये अपमिश्रणी खाद्य पदार्थों की बिक्री को रोकना** है तथा यह सरकार को **खाद्य मानकों को निर्दिष्ट करने** तथा यह सुनिश्चित करने का अधिकार देता है कि खाद्य पदार्थ हानिकारक पदार्थों से मुक्त हों।
- **खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग एवं लेबलिंग) विनियम, 2011:** यह खाद्य उत्पादों की पैकेजिंग और लेबलिंग को नियंत्रित करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि **उपभोक्ताओं को सामग्री के बारे में सटीक जानकारी** प्राप्त हो।
  - इनमें **सामग्री, पोषण मूल्य, एलर्जी और समाप्ति तिथियों की स्पष्ट लेबलिंग अनिवार्य** है।
- **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013:** यह अधिनियम **सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की उपलब्धता** प्रदान करके समाज के कमज़ोर वर्गों के लिये खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
  - इसमें यह भी अनिवार्य किया गया है कि अधिनियम के तहत **वितरित खाद्य पदार्थ सुरक्षित, स्वच्छ और अपमिश्रण से मुक्त हों।**
- **उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019:** यह अधिनियम खाद्य पदार्थों में **अपमिश्रण सहित अनुचित व्यापार प्रथाओं से उपभोक्ताओं की सुरक्षा** करता है।
  - यह विधेयक **उपभोक्ताओं को अपमिश्रणी खाद्य पदार्थों से होने वाले नुकसान के लिये मुआवज़ा मांगने का अधिकार** देता है तथा FSSAI जैसी नियामक संस्थाओं को **उल्लंघनकर्त्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई** करने का अधिकार देता है।
- **FSSAI का DART (रैपिड टेस्ट से अपमिश्रण का पता लगाना) मैनुअल:** DART मैनुअल उपभोक्ताओं को सरल एवं त्वरित परीक्षणों के माध्यम से खाद्य पदार्थों में **अपमिश्रण का पता लगाने में मदद करने के लिये एक उपयोगकर्त्ता-अनुकूल मार्गदर्शिका** प्रदान करता है।
  - यह शैक्षिक अभियानों के माध्यम से जन जागरूकता को बढ़ावा देता है तथा खाद्य पदार्थों में आम **अपमिश्रणों की पहचान करने में सक्रिय उपभोक्ता भागीदारी** को बढ़ावा देता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

खाद्य पदार्थों में अपमिश्रण को रोकने के लिये क्या कदम उठाए जाने चाहिये?

- **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का औपचारिकीकरण:** प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना जैसी योजनाओं के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को और अधिक औपचारिक बनाने की आवश्यकता है।
  - इससे उद्योग का **अधिक हिस्सा विनियमन के अंतर्गत** आएगा, अधिक **समेकित खाद्य बाज़ार का निर्माण** होगा तथा **प्रसंस्करण क्षेत्र में सुधार** होगा।
- **व्यापक खाद्य विनियमन नीति: भारत को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम (FSSA) में संशोधन** करके और इसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाकर **अधिक व्यापक खाद्य विनियमन नीति की आवश्यकता** है।
  - इससे **न केवल खाद्य निर्यात बाज़ार को बढ़ावा** मिलेगा, **बल्कि एक सक्रिय स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र के लिये एक मज़बूत खाद्य विनियमन ढाँचा** भी तैयार होगा।
  - यह सतत् विकास लक्ष्य 2.1 (**भुखमरी समाप्त करना**) और 3.3 (**बीमारियों से लड़ना**) जैसे **वैश्विक लक्ष्यों के अनुरूप** होगा।
- **पर्याप्त संसाधन:** खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में बड़े, **कुशल कार्यबल की आवश्यकता** है। उद्योग के लिये तैयार, कुशल श्रमिकों को सुनिश्चित करने के लिये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना **जैसी नीतियों का विस्तार** किया जाना चाहिये।
  - उद्योग और शिक्षा जगत के बीच सहयोग को बढ़ावा देने से यह सुनिश्चित होगा कि युवा अत्याधुनिक कौशल से लैस हों।
- **कड़ी निगरानी और दंड:** FSSAI को खाद्य उत्पादों की **निगरानी और प्रतिदर्शीकरण** की गति को तीव्र करना चाहिये, साथ ही **उल्लंघनकर्त्ताओं के लिये कठोर दंड का प्रावधान** भी करना चाहिये।
  - अपमिश्रण जैसी प्रथाओं को रोकने के लिये **जुर्माने और दंड के रूप में अधिक कठोर उपाय** भी होने चाहिये, जिनका उपयोग प्राय: लागत में कटौती के उपाय के रूप में किया जाता है।
- **मोबाइल प्रयोगशालाओं का विस्तार: "फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स"** मोबाइल प्रयोगशालाओं का विस्तार सभी क्षेत्रों तक किया जाना चाहिये।
  - सामान्य अपमिश्रणों का त्वरित रूप से पता लगाने के लिये स्पेक्ट्रोमीटर और **DNA-आधारित परीक्षण** जैसी पोर्टेबल परीक्षण प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जाना चाहिये।
- **तकनीकी त्रुटियों को दूर करना: अमानक फोर्टिफिकेशन और भ्रामक लेबलिंग** प्रमुख मुद्दे हैं। सरकार को खाद्य गुणवत्ता में सुधार के लिये इन मुद्दों का हल करना चाहिये, जिसे प्राय: उपभोक्ता अनदेखा कर देते हैं।
  - सही फोर्टिफिकेशन और उचित लेबलिंग सुनिश्चित करने के लिये उन्नत निगरानी एवं सत्यापन प्रणालियों को लागू किया जाना चाहिये।
- **आपूर्ति शृंखला को सुव्यवस्थित करना:** खाद्य प्रसंस्करण अवशेषों, जैसे कि पुन: उपयोग किये गए खाद्य तेल, के प्रबंधन के लिये एक सुव्यवस्थित आपूर्ति शृंखला स्थापित की जानी चाहिये।
  - तलने के लिये खाद्य तेल के लगातार पुन: उपयोग को रोकने के लिये (जिसके कारण स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है) रिपरपज यूज्ड कुकिंग ऑयल (RUCO) **जैसी पहल को बढ़ावा** दिया जाना चाहिये।
- **एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण का अंगीकरण:** एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिये, जिससे खाद्य अपमिश्रण और खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित मुद्दों का समाधान हो सके।
  - वन हेल्थ दृष्टिकोण में अपमिश्रण के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूपों को शामिल किया जा सकता है, जैसे कि फसलों में कीटनाशकों के अवशेष तथा मांस में एंटीबायोटिक्स, साथ ही अपस्ट्रीम व डाउनस्ट्रीम आपूर्ति शृंखलाओं से होने वाला संदूषण (जैसे: जल के पाइपों में सीसा)।
- **अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग:** दूध, मसाले और तेल जैसे उच्च जोखिम वाले खाद्य पदार्थों के लिये अनिवार्य ट्रेसेबिलिटी सिस्टम लागू किया जाना चाहिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिये ब्लॉकचेन या क्यूआर-कोड प्रणाली लागू किया जाना चाहिये तथा अपमिश्रण का पता चलने पर त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिये।
- ब्लॉकचेन पारदर्शिता सुनिश्चित करने, वास्तविक काल सत्यापन को सक्षम करने और खाद्य धोखाधड़ी को कम करने में मदद करेगा।

- **उपभोक्ता जागरूकता अभियान: शैक्षिक कार्यक्रमों और FSSAI के DART** (तेज़ी से परीक्षण करके अपमिश्रण का पता लगाना) **मैनुअल के व्यापक वितरण** के माध्यम से उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाए जाने चाहिये। नागरिकों को मोबाइल ऐप और हेल्पलाइन के माध्यम से अपमिश्रणी उत्पादों की रिपोर्ट करने के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

निष्कर्ष

भारत में **खाद्य पदार्थों में अपमिश्रण** सार्वजनिक स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और उपभोक्ता अधिकारों के लिये **एक गंभीर खतरा** है। यद्यपि FSSA जैसे **विनियामक ढाँचे और FSSAI द्वारा की गई पहल एक आधार** प्रदान करती हैं, फिर भी प्रवर्तन, संसाधन उपलब्धता एवं **आपूर्ति शृंखला विनियमन में लगातार अंतराल** तत्काल सुधार की मांग करते हैं। इस प्रणालीगत मुद्दे का समाधान करने के लिये विनियामक सुदृढ़ीकरण, तकनीकी अंगीकरण, औद्योगिक औपचारिकता तथा उपभोक्ता सशक्तीकरण पर ध्यान केंद्रित करने वाला एक **व्यापक एवं समन्वित दृष्टिकोण आवश्यक** है। **निरंतर सरकारी कार्रवाई, जिम्मेदार उद्योग प्रथाओं और सूचित सार्वजनिक भागीदारी** के माध्यम से ही भारत **सभी के लिये सुरक्षित, अपमिश्रण रहित भोजन की उपलब्धता** सुनिश्चित कर सकता है।

■■■

भारत की जल-क्षमता का पुनर्निर्माण

यह एडिटोरियल 27/04/2025 को बिज़नेस स्टैंडर्ड में प्रकाशित "Saving water: India needs a balanced management template to avert crisis" पर आधारित है। इस लेख में भारत में गंभीर जल संकट को दर्शाया गया है, जो हिमालय में 23 वर्षों के निचले स्तर पर हिमपात और तेज़ी से घटते भूजल द्वारा उजागर हुआ है।

भारत **गंभीर जल संकट का सामना** कर रहा है, क्योंकि **हिमालय में हिमपात 23 वर्षों के निचले स्तर पर** है, जिससे प्रमुख नदी प्रणालियाँ खतरे में हैं। लगभग 600 मिलियन भारतीय पहले से ही उच्च जल तनाव का सामना कर रहे हैं, **कृषि के अत्यधिक दोहन और शहरीकरण के कारण भूजल में कमी** तेज़ी से हो रही है। वास्तविक **जल मूल्य निर्धारण, फसल विविधीकरण और मज़बूत प्रदूषण नियंत्रण को लागू करने के लिये प्रभावी समाधानों की आवश्यकता** है, साथ ही जल संचयन एवं चेक डैम जैसे समुदाय-आधारित दृष्टिकोणों की भी आवश्यकता है।

भारत में जल संकट में योगदान देने वाले प्रमुख कारक क्या हैं?

- **जलवायु परिवर्तन और हिम स्थायित्व में कमी:** ग्लेशियरों के तेज़ी से पिघलने और **हिम के स्थायित्व में कमी** के कारण **नदियों का प्रवाह गंभीर रूप से कम** हो रहा है और **जल उपलब्धता अस्थिर** होती जा रही है।
  - उदाहरण के लिये, वर्ष 2024 में, **भारत** को वर्ष के प्रारंभिक नौ महीनों में **93% दिनों में चरम मौसमी घटनाओं का सामना** करना पड़ा, जो **बढ़ती जलवायु परिस्थितियों के प्रभाव** को उजागर करता है।
    - बदले में, हिमालय में हिमपात में कमी से **गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु बेसिन के जल प्रवाह पर सीधा प्रभाव** पड़ता है, जिससे गर्मियों में जल संकट बढ़ जाता है।
  - हालिया आँकड़े बताते हैं कि नवंबर 2024 और मार्च 2025 के दौरान हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र **में हिमपात का स्तर सामान्य स्तर से 23.6% कम** था।
- **भूजल का अत्यधिक दोहन और जलभृतों का ह्रास: सिंचाई और पुनर्भरण के बिना शहरी आपूर्ति** के लिये भूजल पर अत्यधिक निर्भरता ने महत्त्वपूर्ण जलभृतों को समाप्त कर दिया है।
  - असंवहनीय जल निकासी दरें उत्तरी मैदानों में दीर्घकालिक जल सुरक्षा और कृषि अनुकूलन के लिये खतरा उत्पन्न करती हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- उदाहरण के लिये, सत्र 2002-2021 के दौरान उत्तरी भारत में लगभग 450 क्यूबिक किलोमीटर भूजल नष्ट हो गया तथा जलवायु परिवर्तन से इसकी कमी और तीव्र हो जाएगी।
  - NITI आयोग की 'समग्र जल प्रबंधन सूचकांक (CWMI)' रिपोर्ट 2019 के अनुसार, **भारत अपने अब तक के सबसे गंभीर जल संकट से पीड़ित** है, जिसमें लगभग 600 मिलियन लोग **उच्च से लेकर चरम जल तनाव** का सामना कर रहे हैं।
- **अनुपयुक्त कृषि पद्धतियाँ और फसल का गलत संरेखण:** हरित क्रांति के परिणामस्वरूप अर्द्ध-शुष्क क्षेत्रों में भी धान और गन्ना जैसी जल-गहन फसलों को बढ़ावा मिला है।
  - नि:शुल्क बिजली और सस्ता सिंचाई जल **कृषि और शहरी क्षेत्रों में अकुशलता, जल की बर्बादी और अति प्रयोग को बढ़ावा** देता है।
  - उदाहरण के लिये, **कृषि आधारित जनगणना** (सत्र 2015-16) के अनुसार, बड़े किसान, जो **पंजाब में धान उगाने वाले क्षेत्र के 10%** (लगभग 3,50,000 हेक्टेयर) के मालिक हैं, **केवल एक किलोग्राम चावल का उत्पादन करने के लिये अनुमानित 5,337 लीटर जल की खपत** करते हैं, जो जल संसाधनों के अत्यधिक उपयोग को उजागर करता है।
- **शहरीकरण, नगरीय उष्मा द्वीप और बुनियादी अवसंरचना की कमी:** तीव्र, अनियोजित शहरीकरण और नगरीय उष्मा द्वीप सतही जल के वाष्पीकरण को बढ़ा रहे हैं तथा जल आपूर्ति को समाप्त कर रहे हैं।
  - शहरों में **31% शहरी परिवारों,** जिनमें से अधिकांश अनाधिकृत कॉलोनियों और झुग्गी-झोपड़ियों में रहते हैं, के पास **पाइप-से-जल की सुविधा नहीं** है, जिसके कारण असंवहनीय शहरीकरण हो रहा है।
  - शहरी जल प्रबंधन प्रणालियाँ माँग से पीछे हैं, जिससे **प्रमुख शहरों में शहरी 'डे ज़ीरो' संकट का खतरा** है। उदाहरण के लिये, बंगलूरू को वर्ष 2024 में 'डे ज़ीरो' का सामना करना पड़ सकता है।
    - इसके अलावा, शोध से पता चलता है कि तीव्र ऊष्मा द्वीप **प्रभाव वाले शहरी क्षेत्रों में सिंचाई, भूनिर्माण और घरेलू उपयोग के लिये जल की अधिक मांग** होती है, जिसके कारण पहले से ही जल की कमी का सामना कर रहे क्षेत्रों में जल तनाव बढ़ जाता है।
- **जल प्रदूषण और नदी संदूषण:** औद्योगिक अपशिष्ट, सीवेज निर्वहन और कृषि अपवाह ने सतही और **भूजल की गुणवत्ता को गंभीर रूप से दूषित** कर दिया है।
  - विषाक्त जल **पीने, सिंचाई एवं पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य** के लिये उपयोगी संसाधनों को कम कर देता है, जिससे जल की कमी और बढ़ जाती है।
  - जल गुणवत्ता पर NITI आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि **भारत का 70% जल दूषित** है।
    - **PVC पाइपों के कारण होने वाला सीसा संदूषण** भारत में भूजल प्रदूषण के प्रमुख कारकों में से एक है।
- **खंडित जल प्रशासन और नीतिगत पक्षाघात:** कई अतिव्यापी प्राधिकरण, अपर्याप्त समन्वय और एकीकृत बेसिन-स्तरीय योजना की कमी कार्रवाई को कमज़ोर करती है।
  - **जल कानूनों का अकुशल प्रवर्तन** तथा जवाबदेही का अभाव जल क्षरण और कुप्रबंधन को बढ़ाता है।
  - विश्व बैंक ने पाया कि बेहतर जल प्रबंधन नीतियों को लागू करने में विफलता के परिणामस्वरूप वर्ष 2050 तक **क्षेत्रीय सकल घरेलू उत्पाद में 2-10% की हानि** हो सकती है।
- **जल-कुशल प्रौद्योगिकियों के अंगीकरण में विलंब: ड्रिप सिंचाई, वर्षा जल संचयन और स्मार्ट जल निगरानी** की कम पहुँच के कारण जल संरक्षण की सफलता सीमित हो गई है।
  - पारंपरिक बाढ़ विधियाँ हावी हैं, जिससे कृषि और शहरी वितरण प्रणालियों में बड़े पैमाने पर बर्बादी होती है।
  - **आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु** जैसे कुछ राज्यों ने ही सूक्ष्म सिंचाई के तहत महत्त्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों को अपनाया है। (NITI आयोग)
- **प्राकृतिक पुनर्भरण प्रणालियों का विनाश: शहरी विस्तार, झीलों पर अतिक्रमण और बाढ़ के मैदानों के विनाश** ने जलभृत पुनर्भरण क्षमता को न्यूनतम कर दिया है।
  - भूजल पुन:पूर्ति में कमी से जलभृत में दीर्घकालिक गिरावट आती है, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **पिछले चार दशकों** में भारत ने अपनी लगभग **एक-तिहाई प्राकृतिक आर्द्रभूमि खो दी है।**
  - बड़े शहरों में यह संकट बहुत बड़े पैमाने पर है। एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, **बंगलूरू में 1.5 लाख करोड़ रुपए की कीमत की लगभग 10,787 एकड़ झील भूमि पर अतिक्रमण** किया गया है।
- **जल-संबंधी स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संकट: दूषित एवं दुर्लभ जल के कारण वेक्टर जनित एवं जलजनित रोग** फैलते हैं, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य पर बोझ बढ़ता है।
  - जल की कमी सीधे तौर पर सीमांत समूहों में **रुग्णता, मृत्यु दर और सामाजिक-आर्थिक कमज़ोरियों से जुड़ी हुई** है।
  - **स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट** के अनुसार, 210 मिलियन भारतीयों के पास बेहतर स्वच्छता तक पहुँच नहीं है और **21% संक्रामक रोग असुरक्षित जल से संबद्ध** हैं।
- **अंतर-राज्यीय और स्थानीय जल विवाद:** सीमित जल संसाधनों पर प्रतिस्पर्द्धी मांग **क्षेत्रों, किसानों और सेक्टरों के बीच विवादों को बढ़ावा** दे रही है।
  - **जल-वितरण के समझौतों पर तनाव भारत में 'जल युद्ध'** के उभरते खतरे को उजागर करता है।
  - उदाहरण के लिये, महाराष्ट्र की ऊपरी गोदावरी परियोजना में, **नहर के ऊपरी छोर पर स्थित किसानों ने अवैध रूप से जल की दिशा बदल दी,** जिससे इसके वितरण को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया।
    - इसके अलावा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को सिंचाई के जल को लेकर किसानों के साथ निरंतर विवादों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यह निकटवर्ती नदियों और **पंचना बाँध से मिलने वाली आपूर्ति पर निर्भर** है।

भारत में जल प्रशासन के लिये वर्तमान रूपरेखा क्या है?

- **संवैधानिक और कानूनी कार्यढाँचा**
  - सातवीं अनुसूची की राज्य सूची की प्रविष्टि 17 के अंतर्गत **जल एक राज्य विषय** है, जो राज्यों को **जलापूर्ति, सिंचाई, नहरों, जल निकासी एवं तटबंधों की प्राथमिक जिम्मेदारी** देता है।
    - हालाँकि, **संघ सरकार संघ सूची की प्रविष्टि 56** के अंतर्गत **अंतर-राज्यीय नदी विनियमन और विवादों में भूमिका** निभाती है।
  - अनुच्छेद 262 **संसद को अंतर-राज्यीय जल विवादों पर निर्णय लेने का अधिकार** देता है तथा ऐसे विवादों पर **सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर रोक** लगाता है।
    - प्रमुख कानूनों में **अंतर-राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956** और **नदी बोर्ड अधिनियम, 1956** शामिल हैं।
- **संस्थागत संरचना**
  - **जल शक्ति मंत्रालय** (वर्ष 2019 में गठन किया गया) जल संसाधन मंत्रालय और पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय को मिलाकर राष्ट्रीय जल संसाधन प्रबंधन की देखरेख करता है।
  - केंद्रीय जल आयोग (CWC) (CWC) बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं पर सलाह देता है।
  - **केंद्रीय भूजल बोर्ड (CGWB)** भूजल संसाधनों और नियामक अनुमोदनों का प्रबंधन करता है।
- **विनियामक और नीतिगत पहल**
  - राष्ट्रीय जल नीति (वर्ष 2012) जल प्रबंधन के लिये मार्गदर्शक सिद्धांत प्रदान करती है, एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन सुनिश्चित करती है, पेयजल को प्राथमिकता देती है और संरक्षण को बढ़ावा देती है।
  - **मॉडल भूजल (सतत् प्रबंधन) विधेयक, 2017:** केंद्र द्वारा तैयार यह विधेयक स्थानीय निकायों को भूजल को विनियमित करने का अधिकार देता है।
  - **विद्युत टैरिफ नीति, 2016:** इसमें यह अनिवार्य किया गया है कि सीवेज उपचार संयंत्रों के 50 किमी. के दायरे में आने वाले ताप विद्युत संयंत्रों को उपचारित सीवेज जल का उपयोग करना होगा, जिसकी लागत टैरिफ में शामिल की जाएगी।
  - **NITI आयोग द्वारा** 'समग्र जल प्रबंधन सूचकांक (CWMI) सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देने के लिये जल प्रबंधन प्रदर्शन के आधार पर राज्यों की रैंकिंग करता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- विस्तृत भूजल मानचित्रण के लिये CGWB द्वारा **राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण एवं प्रबंधन कार्यक्रम (NAQUIM)**।

- **न्यायिक और अधिकार-आधारित विकास**
  - सर्वोच्च न्यायालय ने **सुरक्षित जल उपलब्धता** को अनुच्छेद 21 के तहत **जीवन के मौलिक अधिकार** का हिस्सा माना है।
  - न्यायालयों ने **नदियों** (जैसे: यमुना, गंगा) **के प्रदूषण, भूजल निष्कर्षण सीमा और औद्योगिक अनुपालन मानदंडों से संबंधित मुद्दों में हस्तक्षेप** किया है।

भारत में प्रभावी जल प्रबंधन से संबंधित प्रमुख केस स्टडीज़ क्या हैं?

- **मिशन काकतीय, तेलंगाना:** तेलंगाना में लघु सिंचाई को बढ़ावा देने के लिये **तालाबों का जीर्णोद्धार**। **संधारणीय कृषि के लिये समुदाय आधारित जल प्रबंधन** को बढ़ावा देना।
- **नीरू-चेट्टू कार्यक्रम, आंध्र प्रदेश:** बेहतर प्रबंधन पद्धतियों के माध्यम से **सूखाग्रस्त क्षेत्रों में** सिंचाई और जल आपूर्ति में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया। **सिंचाई अवसंरचना की मरम्मत और रखरखाव को प्राथमिकता** दी गई।
- **जलयुक्त शिवार अभियान, महाराष्ट्र:** जल भंडारण और संरक्षण में सुधार करके **महाराष्ट्र को सूखा मुक्त बनाने का लक्ष्य**। कुशल निगरानी के लिये **जियो-टैगिंग** जैसे अभिनव समाधानों का उपयोग किया जाता है।
- **कपिल धारा योजना, मध्य प्रदेश:** MGNREGA के मध्यम से लघु किसानों को सिंचाई सहायता प्रदान करती है। निजी भूमि पर **जल संचयन संरचनाओं के निर्माण** पर ध्यान केंद्रित करती है।
- **जल बचाओ, पैसे कमाओ योजना, पंजाब:** वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करके किसानों को **जल और बिजली बचाने के लिये प्रोत्साहित** करती है। अपव्यय को कम करने और **संसाधन दक्षता को बढ़ावा** देने में मदद करती है।
- **जखनी गाँव मॉडल, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश:** सामुदायिक प्रयासों से **जल की कमी वाले गाँव में जल की आत्मनिर्भरता** आई। इसमें वर्षा जल संचयन, तालाबों का जीर्णोद्धार और संधारणीय कृषि पद्धतियाँ शामिल हैं।

प्रभावी जल प्रबंधन के लिये भारत क्या उपाय अपना सकता है?

- **एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन की ओर परिवर्तन:** भारत को **जल को एक अंतर्संबंधित पारिस्थितिकी तंत्र** के रूप में प्रबंधित करके बेसिन-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाना चाहिये।
  - प्राकृतिक जल विज्ञान चक्र को सुरक्षित रखने के लिये जलग्रहण क्षेत्रों के पुनर्भरण, नदी पुनर्वनीकरण और जलग्रहण क्षेत्र संरक्षण को प्राथमिकता दी जानी चाहिये।
    - **पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिये भुगतान (PES) मॉडल** ग्रामीण समुदायों को जल संग्रहण क्षेत्रों के संरक्षण के लिये प्रोत्साहित कर सकता है।
  - बाँध संचालन में पारिस्थितिकीय प्रवाह मानदंड अनिवार्य होने चाहिये। जल प्रबंधन में **जैवविविधता, मृदा स्वास्थ्य और जलवायु अनुकूलन** उद्देश्यों को आंतरिक रूप से शामिल किया जाना चाहिये।
- **भागीदारीपूर्ण जल नीति को संस्थागत बनाना:** जल नीति को शीर्ष-स्तरीय प्रशासनिक नियंत्रण से हटाकर **पंचायतों और जल उपयोगकर्त्ता संघों (WUA) को सशक्त बनाना** आवश्यक है।
  - निर्णय लेने का विकेंद्रीकरण **संदर्भ-विशिष्ट संरक्षण प्रथाओं** और न्यायसंगत जल वितरण को सुनिश्चित करता है।
  - स्थानीय संस्थाओं के लिये क्षमता निर्माण और जवाबदेही कार्यढाँचे को मज़बूत किया जाना चाहिये।
  - **समुदाय-नेतृत्व वाले जलग्रहण विकास** को शासन मॉडल के रूप में मुख्यधारा में लाया जाना चाहिये।
- **जल-स्मार्ट कृषि के लिये कृषि नीतियों को पुन: उन्मुख करना:** फसल विविधीकरण नीतियों में स्थानीय कृषि-पारिस्थितिक स्थितियों के अनुकूल कम जल-उपयोग वाली फसलों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)** को कैलोरी उत्पादन के बजाय जल उत्पादकता से जोड़ने से प्रोत्साहन में बदलाव आएगा।
  - **ड्रिप और स्प्रिंकलर** जैसी **सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियाँ** अपवाद नहीं, बल्कि **आदर्श बननी चाहिये।**
- **कृषि-वानिकी, वर्षा आधारित कृषि प्रणालियों और परिशुद्ध कृषि** को लक्षित विस्तार की आवश्यकता है।

- **प्रभावी जल मूल्य निर्धारण:** भारत को जल की बर्बादी को रोकने के लिये जल मूल्य निर्धारण को युक्तिसंगत बनाना होगा, साथ ही **गरीब और ग्रामीण समुदायों के लिये किफायती उपलब्धता** सुनिश्चित करनी होगी।
  - उद्योगों और बड़े किसानों के लिये जल का वॉल्यूमेट्रिक मूल्य निर्धारण लागू करने से संरक्षण के लिये सुदृढ़ प्रोत्साहन उत्पन्न हो सकते हैं।
    - शहरी जल शुल्कों को उपयोग स्लैब के आधार पर उत्तरोत्तर रूप से डिज़ाइन किया जा सकता है।
  - भूजल और सतही जल के तनाव स्तरों के अनुरूप **पारदर्शी टैरिफ-निर्धारण तंत्र महत्त्वपूर्ण** है।
- **शहरी जल-संवेदनशील योजना और बुनियादी अवसंरचना का पुनरुद्धार:** शहर के मास्टर प्लान में **जल-संवेदनशील डिज़ाइन सिद्धांतों (ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर) को एकीकृत करना आवश्यक है,** जिससे पुनर्भरण क्षेत्रों, आर्द्रभूमि और जल निकासी प्रणालियों की सुरक्षा हो सके।
  - **तूफानी जल संचयन, जलभृत पुनर्भरण, तथा विकेंद्रीकृत अपशिष्ट जल पुन: उपयोग को** शहरी विकास में शामिल किया जाना चाहिये।
  - स्मार्ट मीटरिंग, रिसाव का पता लगाने और जल पुनर्चक्रण संबंधी बुनियादी अवसंरचना को तत्काल बढ़ाने की आवश्यकता है।
    - शहरों को **चक्रीय शहरी जल अर्थव्यवस्था** हासिल करने के लिये बाध्य किया जाना चाहिये।
  - इसके अलावा, **स्तरीकृत आयतन आधारित जल मूल्य निर्धारण की भी आवश्यकता** है, जिसे पुनर्नवीनीकृत या गैर-पेयजल (सफाई और बागवानी जैसे कार्यों के लिये प्रयुक्त) के लिये कम कीमत तथा पीने योग्य जल के लिये अधिक कीमत वसूल कर लागू किया जा सकता है।
    - यह दृष्टिकोण गैर-आवश्यक उद्देश्यों के लिये **उपचारित अपशिष्ट जल के उपयोग को प्रोत्साहित** करता है, जिससे **महत्त्वपूर्ण आवश्यकताओं के लिये स्वच्छ जल की बचत** होती है।
- **भूजल जलभृत मानचित्रण और विनियमन:** किसी भी निष्कर्षण की अनुमति से पहले **जलभृतों का व्यापक मानचित्रण और क्षेत्रीकरण** किया जाना चाहिये।
  - **भूजल प्रबंधन को 'निजी कल्याण' की मानसिकता** से बदलकर विनियमित **सामुदायिक संसाधन प्रबंधन की ओर स्थानांतरित** करना होगा।
  - जलभृत-आधारित सामूहिक प्रबंधन मॉडल के लिये **कानूनी कार्यढाँचे की आवश्यकता** है।
    - **प्रौद्योगिकी-संचालित भूजल निगरानी नेटवर्क** का देश भर में विस्तार किया जाना चाहिये।
- **नदियों, झीलों और जलभृतों पर सख्त प्रदूषण नियंत्रण लागू करना:** जल निकायों को अपशिष्ट निर्वहन मानकों और शून्य तरल निर्वहन आदेशों के सख्त प्रवर्तन के माध्यम से संरक्षित किया जाना चाहिये।
  - उद्योगों, नगर पालिकाओं और कृषि अपवाहों पर **प्रदूषणकर्त्ता-भुगतान सिद्धांत** और दंड को सख्ती से लागू किया जाना चाहिये।
  - नदी में मुक्त किये जाने से पहले **सीवेज उपचार संयंत्रों को तृतीयक स्तर तक उन्नत** किया जाना चाहिये।
    - **शहरी झीलों और आर्द्रभूमियों का पुनरुद्धार** (जैसे **गुड़गाँव में वज़ीराबाद झील का पुनरुद्धार**) स्थानीय निकायों पर **कानूनी रूप से बाध्यकारी** बनाया जाना चाहिये।
- **शिक्षा, व्यवहार परिवर्तन और सांस्कृतिक पुनरुत्थान में जल संरक्षण को बढ़ावा देना: जल साक्षरता अभियान** को पूरे भारत में स्कूल पाठ्यक्रम और वयस्क **शिक्षा कार्यक्रमों का हिस्सा** बनना चाहिये।
  - **पारंपरिक जल संचयन प्रणालियों को पुनर्जीवित करने** और सांस्कृतिक रूप से अंतर्निहित संरक्षण नैतिकता से स्थानीय प्रबंधन को बढ़ावा मिल सकता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- नागरिक समाज की भागीदारी के माध्यम से **"जल एक पवित्र संसाधन है"** के बारे में जन आंदोलन चलाए जाने चाहिये।

निष्कर्ष:

जलवायु परिवर्तन, भूजल की कमी और असंवहनीय प्रथाओं के कारण **भारत में बढ़ते जल संकट के लिये तत्काल, बहुआयामी समाधान की आवश्यकता** है। संकट को कम करने के लिये, **देश को एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन, विकेंद्रीकृत शासन और जल-स्मार्ट कृषि का अंगीकरण करना चाहिये। SDG6** (स्वच्छ जल और साफ-सफाई) को प्राप्त करने की दिशा में जल दक्षता, संरक्षण और समान वितरण को बढ़ाने के लिये केवल सरकार या कोई एक संस्था काफी नहीं है, बल्कि **सभी क्षेत्रों**— जैसे सरकार, उद्योग, कृषि, समुदाय और नागरिकों को मिलकर सामूहिक रूप से काम करना चाहिये।

नवीकरणीय ऊर्जा अंगीकरण में गति की आवश्यकता

यह एडिटोरियल 23/04/2025 को हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित "Why India's renewable energy targets are insufficient" पर आधारित है। इस लेख में भारत के वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को पूरा करने में चुनौतियों को सामने लाया गया है, जो आपूर्ति-मांग असंतुलन, सौर-अति निर्भरता और विविध ऊर्जा स्रोतों एवं गतिशील मूल्य निर्धारण तंत्र की आवश्यकता जैसे मुद्दों पर प्रकाश डालता है।

भारत का वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म क्षमता का महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य **महत्त्वपूर्ण चुनौतियों का सामना** कर रहा है, क्योंकि अक्षय ऊर्जा की मांग को पूरा करने में **अक्षय ऊर्जा वृद्धि में लगभग 12% कमी** आई है। **अक्षय ऊर्जा उत्पादन समय और वास्तविक मांग के बीच असंतुलन के कारण अधिशेष एवं घाटे दोनों की अवधि** बनती है, **विशेषकर तब जब सौर ऊर्जा अक्षय ऊर्जा मिश्रण पर हावी हो जाती है।** इन **चुनौतियों का समाधान करने के लिये** अधिक संतुलित सौर-पवन पोर्टफोलियो, बेहतर क्षमता उपयोग के साथ त्वरित अक्षय ऊर्जा प्रतिष्ठानों और डिमांड पैटर्न को बदलने के लिये **समय-समय पर बिजली मूल्य निर्धारण की आवश्यकता** है।

भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में प्रमुख विकास क्या हैं?

- **सौर ऊर्जा क्षमता का विस्तार: प्रभावी सरकारी नीतियों** और **अनुकूल निवेश स्थितियों** के कारण **भारत की सौर ऊर्जा क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि** हो रही है।
  - वर्ष 2030 तक **500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता** के लक्ष्य के साथ, सौर ऊर्जा एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, जो भारत की नवीकरणीय ऊर्जा **का 44% हिस्सा** है।
  - अक्तूबर 2024 तक भारत ने **90.76 गीगावाट सौर क्षमता स्थापित** कर ली है, जो वर्ष 2014 की क्षमता से **26 गुना अधिक** है।
    - मार्च 2025 तक सौर क्षमता **170 गीगावाट तक पहुँचने का अनुमान** है, जिससे सौर ऊर्जा में भारत की अग्रणी स्थिति मज़बूत होगी।
- **ग्रीन हाइड्रोजन की ओर संक्रमण:** भारत अपने ऊर्जा परिवर्तन के एक महत्त्वपूर्ण घटक के रूप में ग्रीन हाइड्रोजन पर दाँव लगा रहा है। वर्ष 2024 में **600 करोड़ रुपए के वित्तपोषण** के साथ शुरू किये गए नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य **भारत को ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन में वैश्विक अभिकर्त्ता** बनाना है।
  - वर्ष 2070 तक भारत के शुद्ध-शून्य लक्ष्य **के अनुरूप** है। उदाहरण के लिये, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने वर्ष 2025 तक 2 गीगावाट उत्पादन के लिये ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं में लगभग 1 बिलियन डॉलर का निवेश करने की योजना बनाई है, जिससे **ग्रीन हाइड्रोजन को एक संधारणीय ईंधन** के रूप में स्थापित किया जा सके।
- **नवीकरणीय ऊर्जा निवेश में वृद्धि:** भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र ने पर्याप्त विदेशी निवेश आकर्षित किया है, जिससे स्वच्छ ऊर्जा में परिवर्तन की व्यवहार्यता को बल मिला है।
  - वर्ष 2000-2023 के दौरान **गैर-परंपरागत ऊर्जा क्षेत्र में FDI प्रवाह 15.36 बिलियन अमेरिकी डॉलर** तक पहुँच गया, जो बढ़ते वैश्विक विश्वास को दर्शाता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

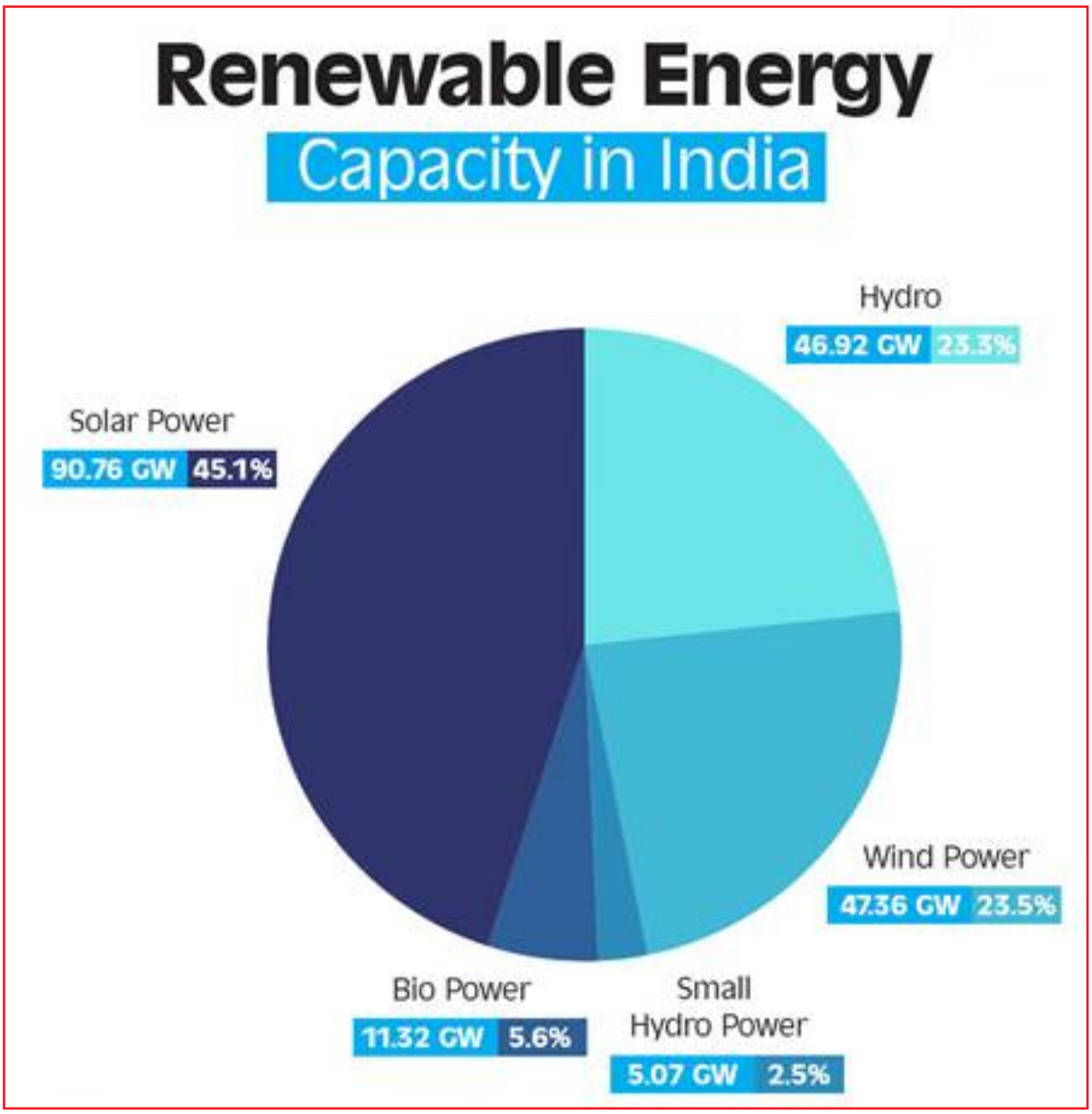

- अकेले वर्ष 2024 में, नवीकरणीय ऊर्जा में 16.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के **निवेश के साथ, 83% की वृद्धि** होने की उम्मीद है।
  - **ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट सहित** वैश्विक भागीदारों की प्रतिबद्धता, वैश्विक **नवीकरणीय निवेश केंद्र के रूप में भारत की भूमिका** को उजागर करती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **पम्प स्टोरेज और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS):** ग्रिड विश्वसनीयता बढ़ाने और नवीकरणीय एकीकरण का समर्थन करने के लिये, भारत पम्प स्टोरेज और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS) **पर ध्यान** केंद्रित कर रहा है।
  - **लद्दाख में 12,000 मेगावाट BESS के साथ 13,000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं** के लिये सरकार की मंज़ूरी, भंडारण क्षमता को मज़बूत करने की दिशा में एक उल्लेखनीय कदम है।
  - **तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पम्प भंडारण परियोजनाओं** की शुरूआत, जिसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक 4-6 गीगावाट क्षमता जोड़ना है, दीर्घावधि भंडारण की ओर भारत के बदलाव को दर्शाता है।
- **नवीकरणीय ऊर्जा पार्क:** भारत के नवीकरणीय ऊर्जा पार्क क्षमता बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, वर्ष 2024 तक **कुल 40 गीगावाट क्षमता वाले 59** सौर पार्क **स्वीकृत** किये गए हैं।
  - ये पार्क बड़े पैमाने पर सौर और पवन ऊर्जा प्रतिष्ठानों के लिये आवश्यक बुनियादी अवसंरचना प्रदान करते हैं।
  - गुजरात में 30 गीगावाट की **हाइब्रिड सौर-पवन परियोजना**, जो विश्व की सबसे बड़ी परियोजना बनने वाली है, ऐसी बड़े पैमाने की पहल का एक उदाहरण है।
  - इन पार्कों में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को समेकित करके, भारत का लक्ष्य **भूमि अधिग्रहण के मुद्दों को कम करना** और **बिजली उत्पादन को सुव्यवस्थित करना** है।
- **ग्रामीण विद्युतीकरण और विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा (DRE):** भारत की विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा (DRE) पहल **ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये महत्त्वपूर्ण** है, जहाँ ग्रिड तक पहुँच सीमित है।
  - PM-KUSUM जैसे कार्यक्रमों ने **140 मेगावाट से अधिक सौर ऊर्जा संयंत्र** और 2.73 लाख सौर पंप उपलब्ध कराए हैं, जिससे ग्रामीण ऊर्जा सुगम्यता में काफी वृद्धि हुई है।
  - इसके अलावा, **ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस रूल्स- 2022** को किसानों और ग्रामीण समुदायों के लिये नवीकरणीय ऊर्जा को अधिक सुलभ बनाने के लिये डिज़ाइन किया गया है।
- **अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और वैश्विक सहयोग:** वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा में भारत का नेतृत्व **अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA)** में अपनी भूमिका से मज़बूत हुआ है, **जिसमें अब 120 से अधिक देश शामिल हैं।**
  - विश्व भर में सौर ऊर्जा के अंगीकरण के लिये ISA के प्रयास भारत के वर्ष 2030 तक **अपनी सौर क्षमता को 500 गीगावाट तक बढ़ाने के लक्ष्य के अनुरूप** हैं।
  - ISA के माध्यम से भारत की सामरिक भागीदारी सदस्य देशों के लिये सतत् ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने में पारस्परिक लाभ सुनिश्चित करती है।
- **जैव-ऊर्जा और अपशिष्ट से ऊर्जा पहल में प्रगति:** भारत जैव ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है तथा उसकी परियोजनाएँ बायोमास और अपशिष्ट से ऊर्जा समाधानों पर केंद्रित हैं।
  - **2G बायोएथेनॉल परियोजनाओं के लिये 908 करोड़ रुपए आवंटित करने वाली** PM JI-VAN योजना भारत में जैव ऊर्जा विकास को आगे बढ़ा रही है।
  - जैव ऊर्जा की स्थापित क्षमता 11.32 गीगावाट है तथा **दिल्ली में अपशिष्ट-से-ऊर्जा संयंत्र** जैसी **परियोजनाएँ महत्त्वपूर्ण प्रगति कर रही हैं।**
- **पवन ऊर्जा-तटीय और अपतटीय विकास:** भारत तटवर्ती और अपतटीय विकास में अपनी पवन ऊर्जा क्षमता का विस्तार कर रहा है।
  - वर्ष 2024 में, भारत **तमिलनाडु, गुजरात और राजस्थान** जैसे राज्यों में प्रमुख परियोजनाओं के साथ 47.2 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता तक पहुँच जाएगा।
  - नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने अनुमान लगाया है कि भारत में अपतटीय पवन ऊर्जा की क्षमता लगभग 70 गीगावाट है, जो **गुजरात (36 गीगावाट) और तमिलनाडु (35 गीगावाट) के बीच विभाजित** है।

भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े प्रमुख मुद्दे क्या हैं?

- **अन्तराल और ग्रिड एकीकरण चुनौती: नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों, विशेष रूप से सौर** और **पवन,** की अंतराल प्रकृति ग्रिड स्थिरता के लिये महत्त्वपूर्ण चुनौतियाँ पेश करती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- इस रुकावट के लिये **सुदृढ़ ऊर्जा भंडारण** समाधान और **बेहतर ग्रिड बुनियादी अवसंरचना की आवश्यकता** है।
- उदाहरण के लिये, वित्त वर्ष 2024 में देश की सौर और पवन क्षमता कुल नवीकरणीय क्षमता का **44%** थी, लेकिन ये स्रोत अभी भी **ग्रिड एकीकरण के मुद्दों का सामना** कर रहे हैं।

- **भूमि अधिग्रहण और बुनियादी अवसंरचना की अड़चनें:** बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं, जैसे **सौर पार्क और पवन फार्मों के लिये भूमि अधिग्रहण,** विशेष रूप से **भूमि की कमी वाले क्षेत्रों में एक प्रमुख मुद्दा** बना हुआ है।
  - **जटिल भूमि नीति, अनुमोदन में विलंब** और स्थानीय विरोध परियोजनाओं के समय पर क्रियान्वयन में बाधा डालते हैं।
  - उदाहरण के लिये, **राजस्थान और गुजरात,** जो सौर एवं पवन ऊर्जा के लिये महत्त्वपूर्ण हैं, वहाँ भूमि उपयोग संबंधी विवाद बढ़ रहे हैं।
- **आयातित सौर घटकों पर उच्च निर्भरता:** भारत का नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र, विशेष रूप से **सौर ऊर्जा, सौर सेल और मॉड्यूल** जैसे महत्त्वपूर्ण घटकों के लिये आयात पर बहुत अधिक निर्भर है।
  - यह निर्भरता न केवल **लागत प्रतिस्पर्द्धात्मकता को प्रभावित करती है,** बल्कि भारत को भू-राजनीतिक जोखिमों के प्रति भी उजागर करती है।
  - सत्र 2023-24 में, भारत ने **7 बिलियन डॉलर मूल्य के सौर उपकरण आयात** किये, जिसमें से **62.6% की आपूर्ति** चीन द्वारा (हालाँकि हाल ही में इसमें गिरावट आई है) की गई।
- **वित्तपोषण और निवेश की कमी:** यद्यपि भारत में नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश बढ़ रहा है, फिर भी इस क्षेत्र को उच्च पूंजीगत व्यय और दीर्घकालिक परियोजनाओं से जुड़े जोखिमों के कारण **वित्तपोषण संबंधी महत्त्वपूर्ण चुनौतियों का सामना** करना पड़ रहा है।
  - भारत के **नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को पूरा करने के लिये** वर्ष 2032 तक **वार्षिक वित्त प्रवाह को** लगभग 68 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक **बढ़ाना आवश्यक** है।
  - वर्ष 2024 में अनुमानित **16.5 बिलियन डॉलर के निवेश** के बावजूद, ग्रामीण और दूरदराज़ के क्षेत्रों में कई छोटी परियोजनाओं को वित्तपोषण प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है।
    - यह मुद्दा वर्ष 2030 तक **500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा** के व्यापक लक्ष्य को प्रभावित करता है।
- **विनियामक और नीतिगत अनिश्चितता:** नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को विभिन्न राज्यों में **नीतिगत अस्थिरता और असंगत विनियमों का सामना** करना पड़ रहा है, जिससे उद्योग के एकसमान विकास में बाधा आ रही है।
  - **सौर टैरिफ, कराधान नीतियों** और **ग्रिड कोड** में लगातार परिवर्तन अनिश्चितता उत्पन्न करते हैं, जिससे **निवेशकों के लिये दीर्घकालिक निवेश की योजना बनाना मुश्किल** हो जाता है।
  - उदाहरण के लिये, नवीकरणीय ऊर्जा को सुविधाजनक बनाने के लिये अंतर-राज्यीय ट्रांसमिशन सिस्टम (ISTS) शुल्क माफी की शुरुआत की गई है, लेकिन इसका कार्यान्वयन अभी भी विभिन्न क्षेत्रों में असंगत है।
- **पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव:** यद्यपि नवीकरणीय ऊर्जा उत्सर्जन को कम करने के लिये महत्त्वपूर्ण है, लेकिन यह **पर्यावरणीय और सामाजिक चिंताओं** को भी जन्म देती है।
  - **जलविद्युत और सौर पार्क** जैसी बड़े पैमाने की परियोजनाएँ कभी-कभी स्थानीय समुदायों को विस्थापित कर देती हैं या सुभेद्य पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित कर देती हैं।
  - **तमिलनाडु में सिल्लाहल्ला जलविद्युत परियोजना** ने **जैवविविधता के ह्रास** और **सामुदायिक विस्थापन पर चिंताएँ** बढ़ा दी हैं।
    - चुनौती स्वच्छ ऊर्जा की आवश्यकता को **स्थानीय समुदायों के अधिकारों** और **पर्यावरणीय संधारणीयता के साथ संतुलित करने में निहित** है।
- **नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में जल का उपयोग:** कुछ नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रक्रियाओं, विशेष रूप से **बायोमास और जैव ईंधन में जल की खपत,** इस क्षेत्र के वाटर फूटप्रिंट के बारे में चिंताएँ उत्पन्न करती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- भारत पहले से ही कई राज्यों में **जल की कमी की समस्या** का सामना कर रहा है तथा जल-गहन नवीकरणीय परियोजनाओं के विस्तार से ये समस्याएँ और भी बढ़ सकती हैं।
- उदाहरण के लिये, **फसलों से बायोएथेनॉल उत्पादन में महत्त्वपूर्ण जल संसाधनों का उपयोग** होता है। हालाँकि PM JI-VAN योजना जैसी पहल संधारणीय जैव ईंधन उत्पादन का समर्थन करती है, लेकिन ऊर्जा उत्पादन में **जल-कुशल प्रौद्योगिकियों की आवश्यकता लगातार बढ़ती जा रही है।**

- **रूफ टॉप सोलर एनर्जी एडॉप्शन की धीमी गति:** यद्यपि रूफ टॉप सोलर पैनल को इनस्टॉल करना नवीकरणीय ऊर्जा के विकेंद्रीकरण के लिये एक प्रमुख रणनीति है, फिर भी भारत में इसके **अंगीकरण की गति धीमी** रही है।
  - **उच्च प्रारंभिक लागत, जागरूकता की कमी** और **खंडित राज्य स्तरीय नीतियाँ** महत्त्वपूर्ण बाधाएँ हैं।
  - भारत के रूफटॉप सोलर पैनल कार्यक्रम का प्रारंभिक लक्ष्य वर्ष 2022 तक 40 गीगावाट स्थापित क्षमता हासिल करना था, जो वर्ष 2030 तक 100 गीगावाट के बड़े लक्ष्य का हिस्सा है।
    - हालाँकि, **40 गीगावाट का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ और समय सीमा वर्ष 2026 तक बढ़ा दी गई।**
- **सीमित ऊर्जा भंडारण क्षमता:** ऊर्जा भंडारण, विशेष रूप से **बैटरी भंडारण,** नवीकरणीय ऊर्जा की अनिश्चित प्रकृति में सुधार करने के लिये महत्त्वपूर्ण है।
  - भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में वृद्धि के बावजूद, **बैटरी भंडारण क्षमता** सीमित बनी हुई है, जिससे सौर या पवन ऊर्जा के चरम समय के दौरान उत्पन्न अतिरिक्त बिजली को संग्रहित करना कठिन हो जाता है।
    - **केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण** (CEA) की **राष्ट्रीय विद्युत योजना (NEP)- 2023** के अनुसार, सत्र 2026-27 में **ऊर्जा भंडारण क्षमता की आवश्यकता 82.37 गीगावाट घंटा होने का अनुमान** है।

बढ़ती ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिये भारत नवीकरणीय ऊर्जा के अंगीकरण को किस प्रकार गति दे सकता है?

- **नवीकरणीय ऊर्जा अवसंरचना को सुदृढ़ करना:** बढ़ती ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिये, भारत को अपनी **ऊर्जा संचरण और भंडारण अवसंरचना के निर्माण एवं आधुनिकीकरण पर ध्यान** केंद्रित करना चाहिये।
  - **स्मार्ट ग्रिडों का विस्तार** करने और **पम्प स्टोरेज प्रणालियों में निवेश** करने से ग्रिड का लचीलापन बढ़ेगा तथा ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा का निर्बाध एकीकरण संभव होगा।
  - इसमें यह सुनिश्चित करना शामिल है कि **अंतर-क्षेत्रीय पारेषण क्षमता को उन्नत किया जाए,** ताकि नवीकरणीय ऊर्जा समृद्ध क्षेत्रों से ऊर्जा की कमी वाले क्षेत्रों तक बिजली वितरण को सुगम बनाया जा सके।
    - **लिथियम-आयन बैटरी** जैसे **ऊर्जा भंडारण समाधानों को प्राथमिकता** देने से सौर और पवन ऊर्जा की आपूर्ति में रुकावट की समस्या का समाधान होगा तथा स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित होगी।
- **भूमि अधिग्रहण और विनियामक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना: एकल खिड़की मंज़ूरी** के माध्यम से **भूमि आवंटन प्रक्रियाओं को सरल बनाना** और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिये समर्पित **भूमि बैंक प्रदान करना विकास को गति** दे सकता है।
  - इसके साथ ही, डिजिटल प्लेटफार्मों के माध्यम से **पर्यावरणीय और विनियामक अनुमोदन में तेजी लाने से** नौकरशाही संबंधी देरी कम होगी, जिससे स्थिरता मानकों का अनुपालन करते हुए परियोजनाओं की शीघ्र शुरूआत हो सकेगी।
- **वित्तीय सहायता तंत्र को बढ़ाना:** नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिये **सुलभ और किफायती वित्तपोषण** उपलब्ध कराना, विशेष रूप से छोटे डेवलपर्स के लिये, महत्त्वपूर्ण है।
  - **हरित बांड** और **नवीकरणीय ऊर्जा वित्तपोषण योजनाओं का विस्तार** घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के निवेशों को आकर्षित करेगा।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- इसके अतिरिक्त, सरकार **सौर पैनलों और पवन टर्बाइनों के विनिर्माण में संलग्न लघु एवं मध्यम आकार के उद्यमों (SME) को सब्सिडी या कर प्रोत्साहन** प्रदान कर सकती है, जिससे घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा तथा आयात पर निर्भरता कम होगी।

- **विकेंद्रीकृत ऊर्जा समाधान को बढ़ावा देना: विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों,** जैसे कि **रूफ टॉप सोलर पैनल** और **माइक्रोग्रिड** को प्रोत्साहित करने से ऊर्जा भार को वितरित करने एवं केंद्रीकृत ग्रिड पर दबाव को कम करने में मदद मिलेगी।
  - **स्थानीयकृत समाधान** दूरदराज़ और ग्रामीण क्षेत्रों में समुदायों को ऊर्जा उत्पन्न करने तथा उपभोग करने में सक्षम बनाते हैं, जिससे वे अधिक ऊर्जा-सक्षम बनते हैं।
- **परिवहन क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार: परिवहन क्षेत्र** में नवीकरणीय ऊर्जा को एकीकृत करने से **कार्बन उत्सर्जन एवं ऊर्जा की मांग में काफी कमी** आ सकती है।
  - **इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के अंगीकरण को बढ़ावा** देने के साथ-साथ नवीकरणीय स्रोतों से संचालित **EV चार्जिंग बुनियादी अवसंरचना के विस्तार** से जीवाश्म ईंधन की खपत को कम करने में मदद मिलेगी।
- **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) को मज़बूत करना: सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP)** को प्रोत्साहित करने से नवीकरणीय ऊर्जा नवाचार और परियोजना निष्पादन को बढ़ावा मिल सकता है।
  - निजी क्षेत्र के साथ सहयोग करके सरकार **नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ाने के लिये निजी पूंजी और विशेषज्ञता** का लाभ उठा सकती है।
  - **स्पष्ट नीतिगत कार्यढाँचे, कर छूट और गारंटीकृत बिजली खरीद समझौते** (PPA) की पेशकश से बड़े पैमाने एवं ऑफ-ग्रिड नवीकरणीय परियोजनाओं में दीर्घकालिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
- **स्वच्छ ऊर्जा में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना: भारत को उभरती हुई नवीकरणीय प्रौद्योगिकियों,** जैसे **फ्लोटिंग सोलर** और **अपतटीय पवन ऊर्जा में अनुसंधान और विकास (R&D)** पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिये।
  - स्वच्छ ऊर्जा स्टार्टअप के लिये **नवाचार केंद्रों का निर्माण** और **अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थानों के साथ सहयोग** को प्रोत्साहित करने से ऊर्जा उत्पादन एवं खपत को अनुकूलित करने के लिये नए समाधानों को बढ़ावा मिलेगा।
  - **अनुसंधान एवं विकास अनुदान** तथा **पेटेंट संरक्षण** के माध्यम से निजी क्षेत्र के नवाचार को प्रोत्साहित करने से यह सुनिश्चित होगा कि भारत स्वच्छ ऊर्जा प्रगति में अग्रणी बना रहेगा।
- **विनिर्माण और आपूर्ति शृंखलाओं का स्थानीयकरण:** आयात पर निर्भरता कम करने के लिये, भारत को **अक्षय ऊर्जा विनिर्माण के स्थानीयकरण पर ध्यान** केंद्रित करना चाहिये। इसमें **सोलर पैनल, बैटरी और पवन टर्बाइन** जैसे महत्त्वपूर्ण घटकों के लिये **घरेलू आपूर्ति शृंखलाएँ** स्थापित करना शामिल है।
  - **PLI योजना का विस्तार** बड़े पैमाने पर **विनिर्माण केंद्रों को समर्थन** देने, **रोज़गार** उपलब्ध कराने और वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा बाज़ार में देश की प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ाने के लिये किया जा सकता है।

■■■

भारत की औद्योगिक क्षमता को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता

यह एडिटोरियल 30/04/2025 को द हिंदू में प्रकाशित "Growth pangs: On industrial activity" पर आधारित है। इस लेख में वित्त वर्ष 2025 में भारत के औद्योगिक विकास में 4% की तीव्र मंदी को सामने लाया गया है, जो कमज़ोर विनिर्माण, सुस्त निर्यात और MSME पर बढ़ते दबाव को उजागर करता है तथा संवहनीय सुधार के लिये घरेलू मांग को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता पर बल देता है।

भारत की औद्योगिक संवृद्धि वर्ष 2025 में **4% के चार वर्ष के निचले स्तर पर आ गई** है, जिसका कारण **वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं तथा कमज़ोर निर्यात** के बीच खनन और विनिर्माण क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण मंदी है। माल **निर्यात में स्थिर वृद्धि भारत के**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

MSME क्षेत्र पर दबाव को और उजागर करती है, जो **सभी निर्यातों में लगभग आधे का योगदान** देता है तथा वित्त वर्ष 2021 से **आकार में चौगुना** हो गया है। जैसा कि **भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता** कर रहा है, **250 मिलियन से अधिक नौकरियाँ** प्रदान करने वाले अपने **60 मिलियन MSME की रक्षा** करना **सतत् औद्योगिक विकास के लिये प्राथमिकता** बनी रहनी चाहिये।

भारत में औद्योगिक विकास को प्रेरित करने वाले प्रमुख कारक क्या हैं?

- **सरकारी पहल और नीतिगत समर्थन: भारत के औद्योगिक विकास को** मेक इन इंडिया और उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं जैसी रणनीतिक सरकारी पहलों से तेज़ी से समर्थन मिल रहा है।
  - ये पहल **उत्पादन क्षमता बढ़ाकर औद्योगिक विस्तार को बढ़ावा** दे रही हैं और भारत को **विदेशी निवेश के लिये एक आकर्षक गंतव्य** बना रही हैं।
  - अकेले **PLI योजना** ने ही महत्त्वपूर्ण निवेश आकर्षित किया है, पिछले दशक में **विनिर्माण क्षेत्र में FDI 69% बढ़कर 14,45,781 करोड़ रुपए** (165.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर) तक पहुँच गया है।
    - इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन MSME और नवाचार को समर्थन देने के लिये तैयार है, जिसका लक्ष्य वर्ष 2025 तक सकल घरेलू उत्पाद में **विनिर्माण की हिस्सेदारी को 25% तक बढ़ाना** है।
- **घरेलू और विदेशी निवेश में वृद्धि:** घरेलू निवेश में वृद्धि, जो वित्त वर्ष 2023-24 में **उल्लेखनीय रूप से 37 लाख करोड़ रुपए** (428.04 बिलियन अमेरिकी डॉलर) तक पहुँच गई, औद्योगिक गतिविधि में मज़बूत सुधार का संकेत देती है।
  - इस वृद्धि के साथ-साथ **FDI में भी उल्लेखनीय वृद्धि** हुई है (विशेष रूप से **ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मास्यूटिकल्स** जैसे प्रमुख क्षेत्रों में), जो निवेशकों के विश्वास को दर्शाता है।
  - आँकड़ों के अनुसार, **विनिर्माण क्षेत्र में FDI प्रवाह 14,45,781 करोड़ रुपए** (165.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर) तक पहुँच गया, जो **उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) से प्रेरित** था।
- **तकनीकी उन्नति और स्वचालन: स्वचालन, AI और डिजिटल परिवर्तन** सहित उद्योग 4.0 **प्रौद्योगिकियों** के अंगीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति भारत के औद्योगिक परिदृश्य को नया आकार दे रही है।
  - ये प्रौद्योगिकियाँ विशेष रूप से **इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल** जैसे क्षेत्रों में **उत्पादन दक्षता एवं प्रतिस्पर्द्धात्मकता में उल्लेखनीय सुधार** ला रही हैं।
  - उदाहरण के लिये, **HSBC मैन्युफैक्चरिंग PMI** मार्च 2024 में **59.1 तक बढ़ गया,** जो 16 वर्षों में इसका उच्चतम स्तर है, जो नवाचार और प्रौद्योगिकी एकीकरण से प्रेरित है।
    - भारत के विनिर्माण उद्योग ने भी **इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन में वित्त वर्ष 2015 से वित्त वर्ष 2024 तक 17.5% की CAGR** दर्ज किया है।
- **मज़बूत उपभोक्ता मांग और मध्यम वर्ग का बढ़ता उपभोग:** भारत का विस्तारित मध्यम वर्ग, जिसके वर्ष 2030 तक **वैश्विक उपभोग में दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा** होने का अनुमान है, **ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और** फार्मास्यूटिकल्स जैसे **उपभोक्ता-केंद्रित क्षेत्रों में मांग** को बढ़ावा दे रहा है।
  - केवल **उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं** (जैसे: टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी आदि) वाले क्षेत्र **की वृद्धि** दर वित्त वर्ष 2024 में 3.6% थी, जो **बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 8% हो गई।** यह **शहरी उपभोग में स्पष्ट वृद्धि** को दर्शाता है।
  - इसके साथ ही, गैर-पेट्रोलियम वस्तुओं में मज़बूत वृद्धि के कारण, अप्रैल-दिसंबर 2024 के दौरान भारत के व्यापारिक निर्यात **में 6% की वृद्धि** हुई।
- **बुनियादी अवसंरचना का विकास और शहरीकरण: स्मार्ट शहरों, सड़क नेटवर्क और आवास योजनाओं** जैसी परियोजनाओं द्वारा संचालित बुनियादी अवसंरचना का विकास, औद्योगिक विस्तार के लिये अनुकूल वातावरण बना रहा है।
  - शहरी और ग्रामीण बुनियादी अवसंरचना के लिये सरकार का प्रयास **इस्पात, सीमेंट और निर्माण सामग्री की मांग** को बढ़ाने वाला एक महत्त्वपूर्ण कारक है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- इस्पात क्षेत्र में **अप्रैल-नवंबर वित्त वर्ष 2025 के दौरान कच्चे इस्पात उत्पादन में 3.3% की वृद्धि** देखी गई, जिसे बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं से समर्थन मिला।
  - इसके अतिरिक्त, **सीमेंट उद्योग को राजमार्गों एवं रेलवे जैसी बड़ी परियोजनाओं पर सरकार के ध्यान** से लाभ मिल रहा है, जिससे औद्योगिक उत्पादन को और बढ़ावा मिल रहा है।
- **रणनीतिक स्थान और निर्यात क्षमता:** भारत की **रणनीतिक भौगोलिक स्थिति तथा वैश्विक बाज़ारों तक पहुँच**, इसे विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में **विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका** निभाती है।
  - PM गति शक्ति एवं राष्ट्रीय रसद नीति जैसी पहलों के साथ, देश अपने लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति श्रृंखला बुनियादी अवसंरचना में सुधार कर रहा है।
  - भारत का **मोबाइल फोन निर्यात** वित्त वर्ष 2024 के अगस्त तक 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया, जो **92% की वृद्धि** दर्शाता है, जो वैश्विक व्यापार में इसकी बढ़ती भूमिका को रेखांकित करता है।
- **संधारणीयता और स्वच्छ प्रौद्योगिकी विनिर्माण: हरित विनिर्माण** और **स्वच्छ प्रौद्योगिकियों** पर बढ़ता ज़ोर उद्योगों को संधारणीय प्रथाओं की ओर प्रेरित कर रहा है।
  - पवन और सौर ऊर्जा सहित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं पर भारत का ध्यान तथा **इलेक्ट्रिक वाहनों** (EV) को प्रोत्साहन देना विकास के महत्त्वपूर्ण चालक हैं।
  - केंद्रीय बजट 2025-26 **में परमाणु ऊर्जा और सौर ऊर्जा परियोजनाओं** के लिये **20,000 करोड़ रुपए** आवंटित किये गए, जो संधारणीय विनिर्माण की ओर बदलाव को दृढ़ करता है।
    - इसके अतिरिक्त, PM ई-ड्राइव **के साथ EV क्षेत्र में तेज़ी से वृद्धि** देखी जा रही है।

भारत के औद्योगिक क्षेत्र के सतत् विकास में प्रमुख बाधाएँ क्या हैं?

- **वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता: मुद्रास्फीति संबंधी दबाव,** आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान और **भू-राजनीतिक तनाव (टैरिफ युद्ध)** से चिह्नित चल रही वैश्विक **आर्थिक मंदी,** भारत के औद्योगिक विकास के लिये एक महत्त्वपूर्ण खतरा बन गई है।
  - उदाहरण के लिये, IMF ने हाल ही में इन बाह्य कारकों को महत्त्वपूर्ण योगदानकर्त्ता बताते हुए वित्त वर्ष 2025-26 के लिये **भारत के विकास पूर्वानुमान को घटाकर 6.2% कर दिया** है।
    - इसके अलावा, अमेरिका द्वारा लगाए गए पारस्परिक शुल्कों के कारण भारत को लगभग **14 बिलियन डॉलर या सकल घरेलू उत्पाद के 0.38% के बराबर प्रत्यक्ष निर्यात घाटा** हो सकता है।
- **ग्रामीण उपभोग में गिरावट:** भारत की **समृद्ध शहरी अर्थव्यवस्था** के बावजूद, ग्रामीण उपभोग सुस्त बना हुआ है, जिससे **गैर-टिकाऊ वस्तुओं और कृषि उत्पादों पर निर्भर उद्योग प्रभावित** हो रहे हैं।
  - दिसंबर 2024 में, **ग्रामीण खाद्य मुद्रास्फीति 8.65%** थी, जो शहरी दर 7.90% से अधिक थी, जो **ग्रामीण क्रय शक्ति पर अधिक दबाव का संकेत** देती है।
    - इस वित्तीय तनाव के कारण घरेलू सतर्कता बढ़ गई है और विवेकाधीन खर्च कम हो गया है— जो कि **बचत के विरोधाभास का एक उत्कृष्ट उदाहरण** है।
- **अपर्याप्त बुनियादी अवसंरचना और रसद बाधाएँ:** यद्यपि भारत ने बुनियादी अवसंरचना में सुधार करने में प्रगति की है, फिर भी रसद, परिवहन और औद्योगिक संपर्क में चुनौतियाँ बनी हुई हैं, जो **औद्योगिक दक्षता एवं लागत प्रतिस्पर्द्धात्मकता में बाधा** डालती हैं।
  - राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति और PM गति शक्ति सही दिशा में उठाए गए कदम हैं, लेकिन भारत में कुल लॉजिस्टिक्स लागत अभी भी सकल घरेलू उत्पाद (आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23) **का 14-18%** है, जबकि **विकसित देशों में यह 8-10%** है।
  - **स्मार्ट शहरों और परिवहन गलियारों** में महत्त्वपूर्ण निवेश के बावजूद, भारत में **बुनियादी अवसंरचना की कमी** के कारण इस क्षेत्र की कुशलता से विस्तार करने की क्षमता सीमित हो गई है, जिससे **लागत बढ़ रही है** तथा **वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्द्धा कम हो रही है।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **विनियामक बाधाएँ और जटिल कारोबारी माहौल:** हालाँकि भारत ने **कारोबार को आसान बनाने की दिशा में प्रगति** की है, लेकिन विनियामक जटिलताएँ और अनुपालन बोझ औद्योगिक विकास में बाधा डाल रहे हैं।
  - कई क्षेत्रों, **विशेषकर MSME को मंज़ूरी** प्राप्त करने, वित्त तक पहुँच और विनियामक अनुपालन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
    - आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में **MSME की वृद्धि को बढ़ावा देने के लिये तत्काल विनियमन हटाने का आह्वान** किया गया, जिसमें इस बात पर बल दिया गया कि अत्यधिक नियामक बोझ व्यवसाय की दक्षता और नवाचार में बाधा डालता है।
- **कुशल श्रमिकों की कमी:** रोज़गार में वृद्धि के बावजूद, **कौशल अंतर** भारत के **औद्योगिक क्षेत्र के लिये एक बड़ी बाधा** बनी हुई है।
  - **राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की वर्ष 2022 की रिपोर्ट** में भारत के विनिर्माण और इंजीनियरिंग क्षेत्रों में **29 मिलियन कुशल श्रमिकों की कमी** पर प्रकाश डाला गया है
  - **PMKVY कार्यक्रम** ने अपनी शुरुआत से अब तक **1.4 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया** है, फिर भी भारत के **कौशल विकास कार्यक्रम** तेज़ी से विकसित हो रही औद्योगिक मांगों के साथ तालमेल नहीं रख पाए हैं।
    - इस **कौशल असंतुलन के परिणामस्वरूप अकुशलता, उच्च प्रशिक्षण लागत तथा वैश्विक विनिर्माण मानकों के प्रति धीमी अनुकूलनशीलता** उत्पन्न होती है, जिससे समग्र उत्पादकता प्रभावित होती है।
- **पर्यावरण और संधारणीयता संबंधी चुनौतियाँ:** जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय क्षरण पर बढ़ती चिंताओं के बीच भारत में औद्योगिक विकास को **संधारणीय प्रथाओं के अंगीकरण के लिये बढ़ते दबाव** का सामना करना पड़ रहा है।
  - देश की बिजली उत्पादन के लिये कोयले पर भारी निर्भरता, जो **अभी भी इसकी 55% से अधिक बिजली का ईंधन** है, शुद्ध-शून्य उत्सर्जन की ओर इसके संक्रमण में बाधा डालती है।
  - इसके अलावा, **हरित ऊर्जा के लिये PLI योजना** जैसी पहलों के तहत **स्वच्छ तकनीक को बढ़ावा** देना उच्च पूंजी निवेश आवश्यकताओं और प्रमुख उद्योगों में धीमी गति से अनुकूलन के कारण बाधित है।
- **वैश्विक विनिर्माण केंद्रों से प्रतिस्पर्द्धा:** यद्यपि भारत का लक्ष्य वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनना है, इसे **चीन जैसे स्थापित विनिर्माण केंद्रों और वियतनाम** जैसे अन्य भागीदारों से कड़ी प्रतिस्पर्द्धा का सामना करना पड़ रहा है, जो कम श्रम लागत एवं कुशल आपूर्ति शृंखला प्रदान करते हैं।
  - **वैश्विक विनिर्माण में भारत की हिस्सेदारी 2.8%** पर बनी हुई है, जो **वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्द्धा करने में इसकी चुनौती** को दर्शाती है।
  - भारत, विश्व के सबसे बड़े लौह अयस्क भंडारों में से एक होने के बावजूद, **लौह अयस्क जैसे कम मूल्य वाले कच्चे माल का निर्यात जारी** रखता है (विशेष रूप से चीन जैसे देशों को) **जबकि उच्च मूल्य वाले तैयार उत्पादों का आयात** करता है।
    - यह व्यापार असंतुलन मुख्य रूप से घरेलू इस्पात उद्योग में संरचनात्मक चुनौतियों के कारण हुआ है, जिसमें सीमित क्षमता, परिचालन अक्षमताएँ, उच्च इनपुट लागत और लगातार रसद संबंधी बाधाएँ शामिल हैं।
  - इसके अलावा, वित्त वर्ष 2025 में भारत का **इस्पात उत्पादन वृद्धि दर 3.3% पर मामूली** रहा है तथा इसका **इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात चीन से पीछे** है, जो वैश्विक मांग को पूरा करने में चुनौतियों का संकेत देता है, विशेष रूप से **इलेक्ट्रॉनिक्स** और **ऑटोमोबाइल जैसे प्रमुख उद्योगों में।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **उच्च प्रभाव वाले क्षेत्रों पर भारतीय स्टार्टअप का सीमित ध्यान:** भारतीय स्टार्टअप को प्राय: कम प्रभाव वाले, उपभोक्ता-संचालित क्षेत्रों जैसे कि **फैंसी फूड्स और 10 मिनट की डिलीवरी पर ध्यान केंद्रित करने के लिये आलोचना** का सामना करना पड़ता है, जो कि नवोन्मेषी होते हुए भी, **दीर्घकालिक औद्योगिक विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान नहीं देते हैं** (जैसा कि वाणिज्य मंत्री ने हाल ही में उजागर किया है)।
  - इसके बजाय, अर्द्धचालक, रोबोटिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), 3D विनिर्माण और अन्य उन्नत प्रौद्योगिकी-संचालित उद्योगों जैसे **परिवर्तनकारी क्षेत्रों पर अधिक ज़ोर देने की आवश्यकता** है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- इन क्षेत्रों में भारत के औद्योगिक विकास, नवाचार और वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देने की क्षमता है।

औद्योगिक विकास और प्रतिस्पर्द्धात्मकता में तेज़ी लाने के लिये भारत क्या उपाय अपना सकता है?

- **डिजिटलीकरण और उद्योग 4.0 के अंगीकरण को प्रोत्साहन:** वैश्विक औद्योगिक परिदृश्य में प्रतिस्पर्द्धी बने रहने के लिये, भारत को **उद्योग 4.0** प्रौद्योगिकियों के व्यापक रूप से अंगीकरण पर ज़ोर देना चाहिये।
  - विनिर्माण इकाइयों में **AI, IoT, बिग डेटा एनालिटिक्स और ऑटोमेशन** को एकीकृत करके, भारत **उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि** कर सकता है, लागत कम कर सकता है और दक्षता में सुधार कर सकता है।
    - इससे एक **मज़बूत, भविष्य के लिये तैयार औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण** होगा जो तेज़ी से बदलती बाज़ार मांग के अनुरूप ढल सकेगा।
  - प्रौद्योगिकी निवेश के लिये **कर छूट** सहित डिजिटल परिवर्तन के लिये सरकारी प्रोत्साहन, इस परिवर्तन को गति दे सकते हैं, विशेष रूप से **लघु एवं मध्यम आकार के उद्यमों (SME) में।**
- **लॉजिस्टिक्स और बुनियादी अवसंरचना के एकीकरण को सुदृढ़ करना:** औद्योगिक लागत को कम करने और प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ाने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक **लॉजिस्टिक्स और बुनियादी अवसंरचना की दक्षता पर ध्यान** केंद्रित करना है।
  - इसमें न केवल सड़कों और बंदरगाहों जैसे **भौतिक बुनियादी अवसंरचना में सुधार करना** शामिल है, बल्कि **स्मार्ट आपूर्ति शृंखलाओं को सक्षम करने के लिये डिजिटल बुनियादी अवसंरचना को सुव्यवस्थित करना** भी शामिल है।
  - **सार्वजनिक-निजी भागीदारी को एकीकृत लॉजिस्टिक्स हब** और **स्मार्ट औद्योगिक पार्क** बनाने के लिये प्रोत्साहित किया जा सकता है, जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्कों एवं समर्पित माल ढुलाई गलियारों के माध्यम से माल के निर्बाध आवागमन की सुविधा प्रदान करते हैं, परिवहन समय को कम करते हैं।
- **उभरती प्रौद्योगिकियों के लिये लक्षित कौशल विकास:** भारत को **कौशल विकास के लिये अधिक लक्षित दृष्टिकोण** की आवश्यकता है, जिसमें बढ़ते कौशल अंतराल को दूर करने के लिये **AI, रोबोटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग और साइबर सुरक्षा** जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिये।
  - **उद्योग जगत के अग्रणी लोगों और शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग** से इन क्षेत्रों में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं **प्रमाणन पाठ्यक्रम** स्थापित करने से बाज़ार की मांग व कार्यबल क्षमताओं के बीच के अंतर को दूर किया जा सकता है।
  - इसके अतिरिक्त, व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों में **उद्योग-संचालित पाठ्यक्रम को एकीकृत करने से** यह सुनिश्चित होगा कि स्नातक उद्योग की आवश्यकताओं के लिये अच्छी तरह तैयार हों।
- **अनुसंधान एवं विकास तथा स्टार्टअप के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा देना:** भारत अनुसंधान एवं विकास (GDP का कम से कम 2%) **में सक्रिय रूप से निवेश** करके तथा **नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा** देकर औद्योगिक प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा दे सकता है।
  - सार्वजनिक-निजी सहयोग को मज़बूत करना, अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों के लिये **अनुदान और कर प्रोत्साहन प्रदान करना तथा समर्पित नवाचार केंद्र स्थापित करना,** फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स व हरित प्रौद्योगिकियों जैसे उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों में सफलता को प्रोत्साहित कर सकता है।
  - हाल ही में, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री ने भारतीय स्टार्टअप्स से **फैंसी फूड और इंस्टेंट डिलीवरी जैसे कम प्रभाव वाले क्षेत्रों से आगे बढ़ने का आग्रह** किया। उन्होंने भारत को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्द्धी बनाने के लिये सेमीकंडक्टर चिप्स, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, 3D मैन्युफैक्चरिंग, एडवांस्ड फैक्ट्रीज़ और AI मॉडल जैसे उच्च प्रभाव वाले, भविष्य के लिये तैयार क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **नीति प्रोत्साहन के माध्यम से मज़बूत घरेलू मांग का सृजन:** भारत को **मांग-उत्तेज़क नीतियों को लागू करने की आवश्यकता** है जो घरेलू खपत को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करती हैं, विशेष रूप से उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और वस्त्र जैसे क्षेत्रों में।
  - ग्रामीण मांग को बनाए रखने के लिये, MGNREGA के लिये बढ़ाया गया आवंटन, लघु एवं सीमांत किसानों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, और ग्रामीण बुनियादी अवसंरचना (सड़क, कोल्ड चेन) में निवेश (जैसा कि प्रसिद्ध वेबसीरीज़ ***पंचायत*** में उजागर किया गया है) आवश्यक है– जो ज़मीनी स्तर की आवश्यकताओं को दर्शाता है।
- **संवहनीय और हरित विनिर्माण को बढ़ावा देना: हरित विनिर्माण कार्यढाँचे** के माध्यम से **औद्योगिक विकास रणनीतियों में संधारणीयता** को एकीकृत किया जाना चाहिये।
  - भारत को **ऊर्जा-कुशल प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा** देना चाहिये, **अपशिष्ट में कमी को प्रोत्साहित** करना चाहिये तथा **चक्रीय अर्थव्यवस्था प्रथाओं में निवेश** करना चाहिये।
    - इस बदलाव से उद्योगों को अपने **कार्बन उत्सर्जन को कम करने, अंतर्राष्ट्रीय नियमों का अनुपालन करने** तथा पर्यावरण अनुकूल उत्पादों की बढ़ती वैश्विक मांग का लाभ उठाने में मदद मिलेगी।
- **इज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस और विनियामक सुधार:** औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिये **विनियामक कार्यढाँचे को सुव्यवस्थित करना** आवश्यक है। भारत को औद्योगिक परियोजनाओं, विशेष रूप से **स्टार्टअप और MSME के लिये लाइसेंस, परमिट एवं मंज़ूरी प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाना जारी** रखना चाहिये।
  - इसमें सरकारी प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण और स्वचालन, प्रशासनिक विलंब को कम करना तथा औद्योगिक परमिट के लिये **वन-स्टॉप-शॉप प्लेटफॉर्म शुरू करना** शामिल है।
- **MSME के लिये वित्त तक पहुँच का विस्तार:** MSME क्षेत्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक **सुलभ और किफायती पूंजी तक पहुँच** है। भारत को MSME को आसान व कम ब्याज वाले ऋण प्रदान करने के लिये अभिनव **फिनटेक सॉल्यूशन और सरकार समर्थित ऋण** योजनाओं को बढ़ावा देना चाहिये।
  - इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा तंत्र के माध्यम से **MSME के लिये ऋण गारंटी योजना** को बढ़ाने और छोटे व्यवसायों में **निवेशकों के लिये कर प्रोत्साहन की पेशकश** से इन उद्यमों की वित्तीय व्यवहार्यता बढ़ेगी।
  - MSME को समर्थन देने के लिये **MSME समाधान और SFURTI जैसे कार्यक्रमों का प्रभावी ढंग से उपयोग** किये जाने की आवश्यकता है।
    - **SBI की *59 मिनट में ऋण*** पहल, तेज़ एवं अधिक सुलभ वित्तपोषण की सुविधा का एक और उदाहरण है, जो तीव्र व्यापार विकास व मानकीकरण को सक्षम बनाता है।
- **बाज़ार पहुँच बढ़ाने के लिये व्यापार साझीदारी का लाभ उठाना:** भारत को वैश्विक व्यापार तक पहुँच बढ़ाने के लिये प्रमुख आर्थिक साझीदारों के साथ **व्यापार साझीदारी** (जैसे यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ) **को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना** चाहिये।
  - टैरिफ बाधाओं को कम करने, बौद्धिक संपदा संबंधी चिंताओं को दूर करने और भारतीय निर्मित वस्तुओं के लिये बाज़ार पहुँच में सुधार करने वाले समझौतों पर ध्यान केंद्रित करके, भारत अपने औद्योगिक क्षेत्रों के लिये विकास के नए रास्ते खोल सकता है।
- **ग्रामीण औद्योगीकरण और कृषि उद्यमों को बढ़ावा देना:** औद्योगिक विकास और क्षेत्रीय असमानताओं को संतुलित करने के लिये भारत को ग्रामीण औद्योगीकरण (डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के पीयू रा मॉडल पर आधारित) **और कृषि प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने पर ध्यान** केंद्रित करना चाहिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों और कृषि विनिर्माण केंद्रों की स्थापना** को प्रोत्साहित करने से न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि **भारत के औद्योगिक आधार में विविधता लाने में भी सहायता** मिलेगी।

निष्कर्ष:

भारत में औद्योगिक विकास को **गति प्रदान करने के लिये सतत् विकास लक्ष्यों** (SDG), विशेष रूप से **SDG8** (उत्कृष्ट श्रम और आर्थिक विकास) और **SDG9** (उद्योग, नवाचार एवं बुनियादी सुविधाएँ) **के साथ प्रयासों को संरेखित करने की आवश्यकता** है। MSME को सशक्त बनाने, अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने और संधारणीय, तकनीक-संचालित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये राष्ट्रीय विनिर्माण नीति और PLI योजनाओं का लाभ उठाया जाना चाहिये।

दृष्टि The Vision

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

अभ्यास प्रश्न

1. "न्यायिक स्वतंत्रता आवश्यक है, लेकिन निरपेक्ष नहीं।" न्यायिक नियुक्तियों और जवाबदेही पर हाल की बहसों के आलोक में, चर्चा कीजिये कि भारत स्वतंत्रता एवं पारदर्शिता के बीच संतुलन कैसे बना सकता है।
2. "भारत-चीन संबंधों में सहयोग, प्रतिस्पर्द्धा और टकराव की विशेषता है।" वर्तमान भू-राजनीतिक संदर्भ में इस त्रिपक्षीय गतिशीलता की समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिये।
3. विभिन्न सुधारों के बावजूद, भारत में अनौपचारिक क्षेत्र रोज़गार पर हावी है। कार्यबल को औपचारिक बनाने में चुनौतियों पर चर्चा कीजिये और इसके समाधान सुझाइये।
4. भारत के प्लास्टिक अपशिष्ट संकट को दूर करने में नवीन प्लास्टिक रीसाइक्लिंग प्रौद्योगिकियों के महत्त्व पर चर्चा कीजिये। बड़े पैमाने पर उनके अंगीकरण में प्रमुख प्रगति और चुनौतियों पर प्रकाश डालिये।
5. भारत के सर्विस सेक्टर के प्रमुख विकास चालकों पर चर्चा कीजिये तथा वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बनाए रखने के लिये जिन चुनौतियों का समाधान किया जाना चाहिये, उनका विश्लेषण कीजिये।
6. विकसित होते हिंद-प्रशांत क्रम में BIMSTEC भारत की एक्ट ईस्ट और नेबरहुड फर्स्ट नीतियों को किस प्रकार पूरक बनाता है?
7. भारत में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी अवसंरचना की वर्तमान स्थिति का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक समान अभिगम सुनिश्चित करने के लिये क्या उपाय किये जा सकते हैं?
8. बढ़ती वैश्विक व्यापार जटिलताओं के संदर्भ में, निर्यात प्रतिस्पर्द्धात्मकता बनाए रखने में भारत के कृषि क्षेत्रक के समक्ष आने वाली चुनौतियों का परीक्षण कीजिये।
9. "एक सुरक्षित और स्थिर पड़ोस भारत के लिये एक विकल्प नहीं बल्कि एक रणनीतिक आवश्यकता है।" इस संदर्भ में, भारत की पड़ोस नीति के विकास की समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिये और बढ़ती भू-राजनीतिक चुनौतियों के बीच इसकी प्रभावकारिता को बढ़ाने के उपाय सुझाइये।
10. "भारत का विकास परिदृश्य महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के बिना अधूरी रहेगा।" चर्चा कीजिये।
11. "भारत का स्टार्टअप इको-सिस्टम समृद्ध तो है, लेकिन असमान भी है।" इस संदर्भ में अवसरों, उपलब्धियों और चुनौतियों का परीक्षण कीजिये।
12. "बाह्य अंतरिक्ष के बढ़ते उपकरण के साथ, अंतिम सीमांत (अर्थात् अंतरिक्ष) तेज़ी से युद्ध का नया रंगमंच बनता जा रहा है।" इस संदर्भ में, भारत के अंतरिक्ष संसाधनों की सुरक्षा में आने वाली चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये।
13. "भारत के वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने के मार्ग में 'उच्च लॉजिस्टिक्स लागत' एक संरचनात्मक बाधा है।" लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की दक्षता और प्रतिस्पर्द्धात्मकता में सुधार के उपायों पर चर्चा कीजिये तथा सुझाव दीजिये।
14. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में भारत के शैक्षिक सुधारों को प्रभावी होने से रोकने वाली मुख्य चुनोतियों की जाँच कीजिये।
15. कानूनी सुरक्षा के बावजूद, भारत के जनजातीय समुदायों को विस्थापन, सांस्कृतिक क्षरण और हाशिये पर धकेले जाने का सामना करना पड़ रहा है। समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये।
16. स्वच्छ ऊर्जा का एक विश्वसनीय स्रोत होने के बावजूद, भारत में परमाणु ऊर्जा का कम उपयोग किया गया है। भारत में परमाणु ऊर्जा के विस्तार में प्रमुख चुनौतियों का परीक्षण कीजिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

17. स्वीकृति प्रक्रिया में राज्यपालों और राष्ट्रपति की भूमिका पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये। संवैधानिक कार्यालयों की स्वायत्तता पर इसके प्रभावों पर चर्चा कीजिये और जवाबदेही एवं स्वतंत्रता के बीच संतुलन सुनिश्चित करने के लिये सुधार सुझाइये।
18. हाल ही में कूटनीतिक जुड़ाव के बावजूद, संरचनात्मक मुद्दे भारत-चीन संबंधों के सामान्यीकरण में बाधा डाल रहे हैं। विवाद के प्रमुख क्षेत्रों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये और स्थिर द्विपक्षीय संबंधों के लिये एक रणनीतिक रोडमैप सुझाइये।
19. भारत में क्षेत्रीय आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने में शहरी समूहों की भूमिका पर चर्चा कीजिये। इस विकास को बनाए रखने में भारतीय शहरों के समक्ष कौन-सी प्रमुख चुनौतियाँ हैं और इन चुनौतियों का समाधान करने में सतत् शहरी नियोजन किस प्रकार मदद कर सकता है?
20. "आर्कटिक क्षेत्र एक भू-राजनीतिक और पर्यावरणीय हॉटस्पॉट के रूप में उभर रहा है, जिसका प्रभाव ध्रुवीय क्षेत्र से कहीं आगे तक है।" इस संदर्भ में, भारत के लिये आर्कटिक के सामरिक, पर्यावरणीय और आर्थिक महत्त्व का परीक्षण कीजिये।
21. "आतंकवाद भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिये सबसे गंभीर खतरों में से एक बन गया है, जो जवाबी कार्रवाई के बावजूद अपने रूप और रणनीति में लगातार बदलाव कर रहा है।" आतंकवादियों का मुकाबला करने में भारत के समक्ष आज जो प्रमुख चुनौतियाँ हैं, उन पर चर्चा कीजिये।
22. बढ़ते वैश्विक व्यापार तनाव और भू-आर्थिक विखंडन के संदर्भ में, समालोचनात्मक रूप से परीक्षण कीजिये कि भारत किस प्रकार समुत्थानशील आर्थिक विकास को कायम रख सकता है।
23. भारत में खाद्य पदार्थों में अपमिश्रण खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में गहरी जड़ें जमाए हुए शासन और विनियामक चुनौतियों को दर्शाती है। खाद्य पदार्थों में अपमिश्रण के कारणों और प्रभावों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये। इस मुद्दे का प्रभावी ढंग से समाधान करने के लिये व्यापक उपाय सुझाइये।
24. "भारत में जलवायु परिवर्तन के कारण आपेक्षिक जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। इसमें योगदान देने वाले प्रमुख कारकों पर चर्चा कीजिये तथा इस संकट से निपटने के लिये एक व्यापक रणनीति भी प्रस्तावित कीजिये।
25. "वर्ष 2030 तक भारत का 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य महत्त्वाकांक्षी है, लेकिन इसमें संरचनात्मक और तकनीकी बाधाएँ हैं"। भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में प्रमुख विकास और संबंधित चुनौतियों का परीक्षण कीजिये।
26. 'मेक इन इंडिया' और PLI योजनाओं जैसी महत्त्वाकांक्षी पहलों के बावजूद, भारत के औद्योगिक क्षेत्र को संरचनात्मक बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। भारत में औद्योगिक विकास में बाधा डालने वाली प्रमुख चुनौतियों का परीक्षण कीजिये तथा इस क्षेत्रक को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्द्धी और समावेशी बनाने के लिये नीतिगत उपाय सुझाइये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :